वार्षिक आख्या
2024–25

PTCUL

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

(An Undertaking of Government of Uttarakhand)

Corporate & Registered Office

Vidyut Bhawan, Near ISBT Crossing, Saharanpur Road,

Majra, Dehradun-248001 (U.K.)

Website : www.ptcul.org

CORPORATE ID : U40101UR2004SGC028675

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Directors on the Board of Directors of PTCUL as on Date of Annual General Meeting 26.09.2025

Chairperson
Smt. Anand Bardhan, Chief Secretary, GoU

Managing Director
Shri P.C. Dhyani

Independent Director
Shri N. Ravi Shanker
Shri Parag Gupta
Shri Arvind Kumar Barthwal

Directors
Dr. R.M Sundaram
Shri Vinay Shankar Pandey
Dr. Ahmed Iqbal
Shri Sandeep Singhal
Shri Anil Kumar
Shri P.C. Dhyani
Shri Gajendra Singh Budiyal

Company Secretary
Shri Arun Sabharwal

Statutory Auditor
Naveen Upadhyaya & Associates
Chartered Accountant (FRN No: 014244N)

पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

वार्षिक आम बैठक की तिथि 26.09.2025 को पिटकुल के निदेशक मण्डल के निदेशक

अध्यक्ष

श्री आनंद बर्धन, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार

प्रबन्ध निदेशक

श्री पी. सी. ध्यानी

स्वतन्त्र निदेशक

श्री एन. रविशंकर
श्री पराग गुप्ता
श्री अरविंद कुमार बर्थवाल

निदेशक

डॉ. आर.एम. सुंदरम
श्री विनय शंकर पांडे
डॉ. अहमद इकबाल
श्री संदीप सिंघल
श्री अनिल कुमार
श्री पी.सी. ध्यानी
श्री गजेंद्र सिंह बुदियाल

कंपनी सचिव

श्री अरूण सभरवाल

सांविधिक लेखा परीक्षक

नवीन उपाध्याय एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट (एफआरएन संख्याः 014244N)

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

INDEX

S.No.	CONTENTS	PAGE NO.
1.	Financial Statements along with Statutory Annexures appended to Balance Sheet	6-169
2.	Board Report	170-211
3.	Statutory Auditor's Report and Management reply on the observations	212-219
4.	Secretarial Auditor's Report and Management reply on the observations	220-229
5.	Cost Audit Report	230-261
6.	Report of Comptroller and Auditor General of India and Management reply on the observations	262-263
7.	Annual General Meeting Notice	264-267
8.	Annual General Meeting Minutes	268-279

पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं
1.	वित्तीय विवरण, साथ में बैलेंस शीट के साथ संलग्न वैधानिक परिशिष्ट	6-169
2.	बोर्ड की रिपोर्ट	170-211
3.	वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा टिप्पणियों पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर	212-219
4.	सचिवालयीन लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा टिप्पणियों पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर	220-229
5.	लागत लेखा रिपोर्ट	230-261
6.	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा टिप्पणियों पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर	262-263
7.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	264-267
8.	वार्षिक आम बैठक की कार्यवृत्त	268-279

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

(An Undertaking of Government of Uttarakhand)
CORPORATE ID No.:- U40101UR2004SGC028675
VIDYUT BHAWAN 132 KV MAJRA CAMPUS, DEHRADUN, UTTARAKHAND
BALANCE SHEET AS AT 31st March 2025

(Amount in Rs. Lakhs)

Particulars	Note	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
ASSETS			
I Non Current Assets			
(a) Property, Plant and Equipment	2	1,60,098.50	1,57,893.86
(b) Right to Use Assets	3	4,750.45	5,035.48
(c) Capital Work-in-Progress	4	1,03,637.06	77,251.15
(d) Financial Assets			
(i) Other Financial Assets	5	6,027.55	6,010.64
(e) Other Non Current Assets	6	14,171.37	4,704.34
Total Non-Current Assets		**2,88,684.93**	**2,50,895.47**
II Current Assets			
(a) Inventories	7	6,259.74	5,601.88
(b) Financial Assets			
(i) Trade Receivables	8	10,359.85	19,727.28
(ii) Cash and Cash Equivalent	9	18,705.79	37,082.12
(iii) Other Bank Balances	10	50,000.00	11,000.00
(iv) Other Financial Assets	11	1,681.14	809.46
(c) Other Current Assets	12	2,807.91	3,199.55
Total Current Assets		**89,814.43**	**77,420.29**
Total Assets		**3,78,499.36**	**3,28,315.76**
EQUITY AND LIABILITIES			
I EQUITY			
(a) Equity Share Capital	13	86,677.94	77,387.73
(b) Other Equity	14	74,051.99	63,619.13
		1,60,729.92	**1,41,006.86**
II Liabilities			
A Non-Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	15	1,24,655.85	1,09,570.97
(ii) Other Financial Liablities	16	22,056.36	18,965.57
(b) Long Term Provisions	17	325.61	1.15
(c) Deferred Tax Liabilities	18	1,471.30	1,466.68
(d) Other Non Current Liabilities	19	16,495.80	17,001.75
Total Non-Current Liabilities		**1,65,004.92**	**1,47,006.12**
B Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Short Term Borrowings	20	6,666.22	5,780.02
(ii) Other Financial Liabilities	21	29,414.16	23,522.70
(iii) Trade Payable	22	4,022.38	3,798.89
(b) Short Term Provisions	23	12,070.13	6,632.48
(c) Other Current Liabilities	24	591.62	568.69
Total Current Liabilities		**52,764.51**	**40,302.78**
Total Equity and Liabilities		**3,78,499.36**	**3,28,315.76**

Notes no. 1 to 59 form the part of these Financial Statements
Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable
As per our report of even date attached

For Naveen Upadhyaya & Associates
Chartered Accountants
FRN: 014244N

(CA. Parth Upadhyaya)
Partner
M. No.: 568949

UDIN: 25568949BMOCCG6571
Place: Dehradun
Date: 01/08/2025

For & On behalf of the Board of Directors of
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

Manoj Kumar
(CFO)

Arun Sabharwal
Company Secretary
FCS No. :- 2069

Gajender Singh Budiyal
Director
(Operations)
DIN:- 10515767

P.C.Dhyani
Managing Director
DIN:- 07538685

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

(उत्तराखंड सरकार का एक उपक्रम)
कॉर्पोरेट आईडी नंबरः- U40101UR2004SGC028675
विद्युत भवन 132KV माजरा परिसर देहरादून उत्तराखण्ड
31 मार्च 2025 को बैलेंस शीट

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	नोट	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
संपत्तियां			
I गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	**2**	1,60,098.50	1,57,893.86
(b) संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार	**3**	4,750.45	5,035.48
(c) पूंजीगत कार्य-प्रगति	**4**	1,03,637.06	77,251.15
(d) वित्तीय संपत्ति			
(i) अन्य वित्तीय संपत्ति	**5**	6,027.55	6,010.64
(e) अन्य गैर चालू संपत्ति	**6**	14,171.37	4,704.34
कुल गैर - तात्कालिक संपत्तियां		**2,88,684.93**	**2,50,895.47**
II वर्तमान परिसंपत्ति			
(a) इन्वेंटरी	**7**	6,259.74	5,601.88
(b) वित्तीय संपत्ति			
(i) व्यापार प्राप्तियां	**8**	10,359.85	19,727.28
(ii) नगद और नगद समकक्ष	**9**	18,705.79	37,082.12
(iii) अन्य बैंक बैलेंस	**10**	50,000.00	11,000.00
(iv) अन्य वित्तीय संपत्ति	**11**	1,681.14	809.46
(c) अन्य वर्तमान संपत्ति	**12**	2,807.91	3,199.55
कुल वर्तमान संपत्ति		**89,814.43**	**77,420.29**
कुल संपत्ति		**3,78,499.36**	**3,28,315.76**
इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
(a) इक्विटी शेयर पूंजी	**13**	86,677.94	77,387.73
(b) अन्य इक्विटी	**14**	74,051.99	63,619.13
		1,60,729.93	**1,41,006.86**
II देयताएं			
A गैर-वर्तमान देयताएं			
(a) वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण	**15**	1,24,655.85	1,09,570.97
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	**16**	22,056.36	18,965.57
(b) दीर्घकालिक प्रावधान	**17**	325.61	1.15
(c) आस्थगित कर देयताएं	**18**	1,471.30	1,466.68
(d) अन्य गैर चालू देयताएं	**19**	16,495.80	17,001.75
कुल इक्विटी और गैर-वर्तमान देयताएं		**1,65,004.92**	**1,47,006.12**
B वर्तमान देयताएं			
(a) वित्तीय देनदारियां			
(i) छोटी अवधि के ऋण	**20**	6,666.22	5,780.02
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	**21**	29,414.16	23,522.70
(iii) व्यापार देय	**22**	4,022.38	3,798.89
(b) अल्पकालिक प्रावधान	**23**	12,070.13	6,632.48
(c) अन्य वर्तमान देयताएं	**24**	591.62	568.69
कुल मौजूदा देनदारियाँ		**52,764.51**	**40,302.78**
कुल इक्विटी और देयताएं		**3,78,499.36**	**3,28,315.76**

नोट संख्या 1 से 59 इन वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं।
जहां लागू हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।
दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है।

नवीन उपाध्याय एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 014244N

(सीए. पार्थ उपाध्याय)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 568949

यूडीआईएनः 25568949BMOCCG6571
स्थानः देहरादून
दिनांकः 01/08/2025

पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लि0
के निदेशक मंडल के लिए या उसकी ओर से

मनोज कुमार
(सीएफओ)

अरुण सभरवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस नंबरः-2069

गजेंद्र सिंह बुदियाल
निदेशक (परिचालन)
डीआईएनः- 10515767

पी.सी. ध्यानी
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः- 07538685

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

(An Undertaking of Government of Uttarakhand)
CORPORATE ID No.:- U40101UR2004SGC028675
VIDYUT BHAWAN 132 KV MAJRA CAMPUS, DEHRADUN, UTTARAKHAND
STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED ON 31st March 2025

(Amount in Rs. Lakhs)

Particulars	Note	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
A. Income:			
(i) Revenue From Operations	**25**	46,542.95	52,058.89
(ii) Other Income	**26**	7,187.73	5,165.26
Total Income (A)		**53,730.68**	**57,224.15**
B. Expenses:			
(i) Employee Benefit Expenses	**27**	12,901.26	13,807.00
(ii) Repairs & Maintenance Expenses	**28**	6,499.04	5,788.44
(iii) Administrative & General Expenses	**29**	4,623.77	4,115.22
(iv) Finance Costs	**30**	4,374.96	5,596.89
(v) Depreciation and Amortization Expenses	**31**	13,216.18	13,748.99
Total Expenses (B)		**41,615.21**	**43,056.54**
C. Profit Before Tax (A-B)		**12,115.47**	**14,167.61**
D. Tax Expense	**32**		
(i) Current Tax (Net)		2,116.65	2,443.57
(ii) MAT Credit Utilized / (Carried forward)		1,705.80	1,316.25
(iii) Deferred Tax Liability / (Asset)		4.62	(38.82)
Total Tax Expenses (i+ii+iii)		**3,827.07**	**3,721.00**
E. Net Profit after Tax (C-D)		**8,288.40**	**10,446.61**
F. Other Comprehensive Income			
a. (i) Items that will not be reclassified to Profit or Loss			
Re-measurement of Gains/(Losses) on Defined Benefit Plans		(0.94)	(316.92)
Total (F)		**(0.94)**	**(316.92)**
G. Total Comprehensive Income (E+F)		**8,289.34**	**10,763.53**
H. Earning Per Equity Share:	**43**		
(1) Basic (Rs.)		99.63	142.87
(2) Diluted (Rs.)		96.55	142.87

Notes no. 1 to 59 form the part of these Financial Statements
Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable
As per our report of even date attached

For Naveen Upadhyaya & Associates
Chartered Accountants
FRN: 014244N

For & On behalf of the Board of Directors of
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

(CA. Parth Upadhyaya)
Partner
M. No.: 568949

Manoj Kumar
(CFO)

Arun Sabharwal
Company Secretary
FCS No. :- 2069

Gajender Singh Budiyal
Director
(Operations)
DIN:- 10515767

UDIN: 25568949BMOCCG6571
Place: Dehradun
Date: 01/08/2025

P.C.Dhyani
Managing Director
DIN:- 07538685

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

(उत्तराखंड सरकार का एक उपक्रम)
कॉर्पोरेट आईडी नंबरः- U40101UR2004SGC028675
विद्युत भवन 132KV माजरा परिसर देहरादून उत्तराखण्ड
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	नोट	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
A. आयः			
(i) परिचालन से राजस्व	**25**	46,542.95	52,058.89
(ii) अन्य आय	**26**	7,187.73	5,165.26
कुल आय (A)		**53,730.68**	**57,224.15**
B. व्ययः			
(i) कर्मचारी लाभ व्यय	**27**	12,901.26	13,807.00
(ii) मरम्मत और रखरखाव व्यय	**28**	6,499.04	5,788.44
(iii) प्रशासनिक और सामान्य व्यय	**29**	4,623.77	4,115.22
(iv) वित्त लागत	**30**	4,374.96	5,596.89
(v) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**31**	13,216.18	13,748.99
कुल व्यय (B)		**41,615.21**	**43,056.54**
C. कर पूर्व लाभ (B)		**12,115.47**	**14,167.61**
D. कर व्यय	**32**		
(i) वर्तमान कर (शुद्ध)		2,116.65	2,443.57
(ii) उपयोग किया गया मैट क्रेडिट/(आगे बढ़ाया गया)		1,705.80	1,316.25
(iii) आस्थगित कर देयता/(संपत्ति)		4.62	(38.82)
कुल कर व्यय (i+ii+iii)		**3,827.07**	**3,721.00**
E. कर के बाद शुद्ध लाभ (C-D)		**8,288.40**	**10,446.61**
F. अन्य व्यापक आय			
a (i) वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ/(हानि) का पुनः माप		(0.94)	(316.92)
कुल (F)		**(0.94)**	**(316.92)**
G. कुल व्यापक आय (E+F)		**8,289.34**	**10,763.53**
H. प्रति इक्विटी शेयर आयः	**43**		
(1) बेसिक (रु.)		99.63	142.87
(2) डाइल्यूटिड (रु)		96.55	142.87

नोट संख्या 1 से 59 इन वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं।
जहां लागू हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।
दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है।

नवीन उपाध्याय एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 014244N

पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लि0
के निदेशक मंडल के लिए या उसकी ओर से

(सीए. पार्थ उपाध्याय)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 568949

यूडीआईएनः 25568949BMOCCG6571
स्थानः देहरादून
दिनांकः 01/08/2025

मनोज कुमार
(सीएफओ)

अरुण सभरवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस नंबरः-2069

गजेंद्र सिंह बुदियाल
निदेशक (परिचालन)
डीआईएनः- 10515767

पी.सी. ध्यानी
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः- 07538685

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED
(An Undertaking of Government of Uttarakhand)
VIDYUT BHAWAN 132 KV MAJRA CAMPUS, DEHRADUN, UTTARAKHAND
CORPORATE ID No.:- U40101UR2004SGC028675
CASH FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED ON 31.03.2025

(Amount in Rs. Lakhs)

	Particulars	Year ended on 31.03.2025	Year ended on 31.03.2024
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:**		
	Total Comprehensive Income before Tax	**12,703.38**	**14,484.53**
	Adjustments for		
	Depreciation	13,216.18	13,748.99
	Interest Income from Fixed Deposits with Banks	(4,216.82)	(3,345.65)
	Interest and Other finance charges	4,374 96	5,596.89
	Operating Profit before adjustments in Liabilities & Assets	**26,077.70**	**30,484.76**
	Decrease/(Increase) in Current Assets	(30,770.47)	13,322.67
	Decrease/(Increase) in Other Financial Assets	(9,483.93)	1,690.73
	Increase/(Decrease) in Current Liabilities	12,461.73	(1,221.02)
	Increase/(Decrease) in Other Financial Liabilities	2,913.92	3,550.99
		1,198.95	**47,828.13**
	Direct Taxes/TDS paid /MAT Credit	(3,827 07)	(3,721.00)
	Net Cash Flow from Operating Activities (A)	**(2,628.12)**	**44,107.13**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:**		
	Capital Work in Progress	(41,521.70)	(35,683.17)
	Interest Income from Fixed Deposits with Banks	4,216.82	3,345.65
	Net Cash Flow from Investing Activities (B)	**(37,304.88)**	**(32,337.52)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:**		
	Increase in Share Capital (Including Sh. Application money)	11,947.21	5,000.00
	Borrowings	15,084.88	10,932.55
	Interest and Other finance charges paid	(4,374.96)	(5,596.89)
	Dividend Paid	(1,100.45)	(500.20)
	Net Cash Flow from Financing Activities (C)	**21,556.67**	**9,835.46**
D	**Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)**	**(18,376.32)**	**21,605.07**
E	**Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year**	**37,082.12**	**15,477.05**
F	**Cash and Cash Equivalents at the end of the year**	**18,705.79**	**37,082.12**
Reconciliation of Cash and Cash Equivalents with the Balance Sheet:			
Cash and Cash Equivalents as per Balance Sheet:		**18,705.79**	**37,082.12**
Components of Cash and Cash Equivalents:			
Balances with Banks			
(i) Current Accounts		8,484.71	19,076.60
(i) Fixed Deposits with Banks		10,221.08	18,005.52
Total Cash and Cash Equivalents		**18,705.79**	**37,082.12**

Notes no. 1 to 59 form the part of these Financial Statements

1. Statement of cash flows has been prepared under the indirect method as set out in the Ind AS 7 "Statement of Cash Flows" as specified in the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.
2. Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable.

As per our report of even date attached

For Naveen Upadhyaya & Associates
Chartered Accountants
FRN: 014244N

(CA. Parth Upadhyaya)
Partner
M. No.: 568949

UDIN: 25568949BMOCCG6571
Place: Dehradun
Date: 01/08/2025

For & On behalf of the Board of Directors of
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

Manoj Kumar
(CFO)

Arun Sabharwal
Company Secretary
FCS No. :- 2069

Gajender Singh Budiyal
Director
(Operations)
DIN:- 10515767

P.C.Dhyani
Managing Director
DIN:- 07538685

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

(उत्तराखंड सरकार का एक उपक्रम)
कॉर्पोरेट आईडी नंबर:- U40101UR2004SGC028675
विद्युत भवन 132KV माजरा परिसर देहरादून उत्तराखण्ड
31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	वर्ष समाप्त 31.03.2025 को	वर्ष समाप्त 31.03.2024 को
A	**संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
	कर पूर्व कुल समग्र आय	**12,703.38**	**14,484.53**
	इसके लिए समायोजन:		
	मूल्यह्रास	13,216.18	13,748.99
	बैंकों में सावधि जमा पर ब्याज आय	(4,216.82)	(3,345.65)
	ब्याज और अन्य वित्तीय शुल्क	4,374 96	5,596.89
	देयताओं और परिसंपत्तियों में समायोजन से पूर्व संचालन लाभ	**26,077.70**	**30,484.76**
	वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(30,770.47)	13,322.67
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(9,483.93)	1,690.73
	वर्तमान देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	12,461.73	(1,221.02)
	अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	2,913.92	3,550.99
		1,198.95	**47,828.13**
	प्रत्यक्ष कर / टीडीएस भुगतान / एमएटी क्रेडिट	(3,827 07)	(3,721.00)
	पूँजीगत संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (A)	**(2,628.12)**	**44,107.13**
B	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
	प्रगतिशील पूंजी कार्य	(41,521.70)	(35,683.17)
	बैंकों में सावधि जमा पर ब्याज आय	4,216.82	3,345.65
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (B)	**(37,304.88)**	**(32,337.52)**
	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
C	शेयर पूंजी में वृद्धि (शेयर आवेदन धनराशि सहित)	11,947.21	5,000.00
	ऋण	15,084.88	10,932.55
	भुगतान किए गए ब्याज और अन्य वित्तीय शुल्क	(4,374.96)	(5,596.89)
	भुगतान किया गया लाभांश	(1,100.45)	(500.20)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (C)	**21,556.67**	**9,835.46**
D	**नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (A + B + C)**	**(18,376.32)**	**21,605.07**
E	वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	**37,082.12**	**15,477.05**
F	**वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष**	**18,705.79**	**37,082.12**
नकद और नकद समकक्षों का बैलेंस शीट से मिलान :			
बैलेंस शीट के अनुसार नकद और नकद समकक्ष :		**18,705.79**	**37,082.12**
नकद और नकद समकक्ष के घटक :			
बैंकों में शेष राशि			
(i) चालू खाते (Current Accounts)		8,484.71	19,076.60
(ii) बैंकों में सावधि जमा (Fixed Deposits with Banks)		10,221.08	18,005.52
कुल नकद और नकद समकक्ष (Total Cash and Cash Equivalents)		**18,705.79**	**37,082.12**

टिप्पणियाँ संख्या 1 से 59 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

1. नकदी प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत तैयार किया गया है, जैसा कि कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (Ind AS) 7 "नकदी प्रवाह विवरण" में दिया गया है।
2. जहाँ कहीं लागू है, वहाँ पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनः वर्गीकृत / पुनः समूहित किया गया है।

हमारी दिनांक समान रिपोर्ट के अनुसार संलग्न।

पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लि०
के निदेशक मंडल के लिए या उसकी ओर से

नवीन उपाध्याय एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 014244N

(सीए. पार्थ उपाध्याय)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 568949

यूडीआईएन: 25568949BMOCCG6571
स्थान: देहरादून
दिनांक: 01/08/2025

मनोज कुमार
(सीएफओ)

अरुण सभरवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस नंबर:-2069

गजेंद्र सिंह बुदियाल
निदेशक (परिचालन)
डीआईएन:- 10515767

पी.सी. ध्यानी
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:- 07538685

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Statement of change in Equity for the Year Ended on 31.03.2025

A. Equity Share Capital

Particulars	2024-25		2023-24	
	Number of Shares (Nos)	Amount (Rs. in Lakhs)	Number of Shares (Nos)	Amount (Rs. in Lakhs)
Issued, Subscribed and Fully Paid up Equity Shares Outstanding At the Beginning of the Year (Each Share of Rs. 1000)	**72,38,773.00**	**77,387.73**	**72,38,773.00**	**72,387.73**
Add: Shares issued / subscribed during the year	9,29,020.64	**9,290.21**	5,00,000.00	**5,000.00**
Issued, Subscribed and Fully Paid up Equity Shares at the end of the Year (Each Share of Rs. 1000)	**86,67,793.64**	**86,677.94**	**77,38,773.00**	**77,387.73**

B. Other Equity

(Amount in Rs Lakhs)

Particulars	Share Application money pending allotment	Reserves & Surplus		Total Other Equity
		Capital Reserves	Retained Earnings	
Balance as at 01.04.2023	**-**	**19,188.80**	**34,167.00**	**53,355.80**
Total comprehensive income for the year 2023-24			10,763.53	10,763.53
Change in accounting policy or prior period errors			-	-
Restated balance at the beginning of the current reporting period	**-**	**19,188.80**	**44,930.53**	**64,119.33**
Income Tax adjustments of earlier years 2023-24			-	-
Adjustments on account of opening reserve during the year 2023-24		-		-
Application Money received during the year 2023-24	5,000.00		-	5,000.00
Shares allotted during the year 2023-24	(5,000.00)		-	(5,000.00)
Dividend			(500.20)	(500.20)
Balance as at 31.03.2024	**-**	**19,188.80**	**44,430.33**	**63,619.13**
Balance at the beginning of the current reporting period 01.04.2024	**-**	**19,188.80**	**44,430.33**	**63,619.13**
Change in accounting policy or prior period errors				
Restated balance at the beginning of the current reporting period	**-**	**19,188.80**	**44,430.33**	**63,619.13**
Total comprehensive income for the year 2024-25			8,289.34	8,289.34
Income Tax adjustments of earlier years			586.97	586.97
Adjustments on account of opening reserve during the year 2024-25	-			-
Dividend			(1,100.45)	(1,100.45)
Application Money received during the year 2024-25	11,947.21		-	11,947.21
Shares allotted during the year 2024-25	(9,290.21)		-	(9,290.21)
Balance as at 31.03.2025	**2,657.00**	**19,188.80**	**52,206.19**	**74,051.99**

Notes no. 1 to 59 form the part of these Financial Statements

Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable

As per our report of even date attached

For Naveen Upadhyaya & Associates
Chartered Accountants
FRN: 014244N

(CA. Parth Upadhyaya)
Partner
M. No.: 568949

UDIN: 25568949BMOCC96571
Place: Dehradun
Date: 01/08/2025

For & On behalf of the Board of Directors of
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

Manoj Kumar
(CFO)

Arun Sabharwal
Company Secretary
FCS No. :- 2069

Gajender Singh Budiyal
Director
(Operations)
DIN:- 10515767

P.C.Dhyani
Managing Director
DIN:- 07538685

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

A. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	2024-25		2023-24	
	शेयरों की संख्या (संख्या में)	राशि (₹ लाखों में)	शेयरों की संख्या (संख्या में)	राशि (₹ लाखों में)
जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से चुकता इक्विटी शेयर — वर्ष की शुरुआत में बकाया (प्रति शेयर ₹ 1000)	**72,38,773.00**	**77,387.73**	**72,38,773.00**	**72,387.73**
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी / अभिदत्त शेयर	9,29,020.64	**9,290.21**	5,00,000.00	**5,000.00**
वर्ष के अंत में जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से चुकता इक्विटी शेयर (प्रति शेयर ₹ 1000)	**86,67,793.64**	**86,677.94**	**77,38,773.00**	**77,387.73**

B. अन्य इक्विटी

(राशि रुपये लाखों में)

विवरण	शेयर आवंटन लंबित आवेदन धनराशि	अवशिष्ट एवं अधिशेष		कुल अन्य इक्विटी
		पूंजी भंडार	अविकसित लाभ	
शेष राशि दिनांक 01.04.2023 को	**-**	**19,188.80**	**34,167.00**	**53,355.80**
वर्ष 2023-24 के लिए कुल समग्र आय			10,763.53	10,763.53
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ			-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः स्थापित शेष राशि	**-**	**19,188.80**	**44,930.53**	**64,119.33**
वर्ष 2023-24 के पूर्व वर्षों के आयकर समायोजन			-	-
वर्ष 2023-24 के दौरान उद्घाटन भंडार से संबंधित समायोजन		-		-
वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त आवेदन धनराशि	5,000.00		-	5,000.00
वर्ष 2023-24 के दौरान आवंटित शेयर	(5,000.00)		-	(5,000.00)
लाभांश			(500.20)	(500.20)
शेष राशि दिनांक 31.03.2024 को	**-**	**19,188.80**	**44,430.33**	**63,619.13**
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि 01.04.2024 को	**-**	**19,188.80**	**44,430.33**	**63,619.13**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ				
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः स्थापित शेष राशि	**-**	**19,188.80**	**44,430.33**	**63,619.13**
वर्ष 2024-25 के लिए कुल समग्र आय			8,289.34	8,289.34
पूर्व वर्षों के आयकर समायोजन			586.97	586.97
वर्ष 2024-25 के दौरान उद्घाटन भंडार से संबंधित समायोजन	-			-
लाभांश			(1,100.45)	(1,100.45)
वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त आवेदन धनराशि	11,947.21		-	11,947.21
वर्ष 2024-25 के दौरान आवंटित शेयर	(9,290.21)		-	(9,290.21)
शेष राशि दिनांक 31.03.2025 को	**2,657.00**	**19,188.80**	**52,206.19**	**74,051.99**

टिप्पणियाँ संख्या 1 से 59 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

जहाँ कहीं लागू है, वहाँ पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनः वर्गीकृत / पुनः समूहित किया गया है।

हमारी दिनांक समान रिपोर्ट के अनुसार संलग्न।

पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लि0
के निदेशक मंडल के लिए या उसकी ओर से

नवीन उपाध्याय एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 014244N

(सीए. पार्थ उपाध्याय)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 568949

यूडीआईएन: 25568949BMOCCG6571
स्थान: देहरादून
दिनांक: 01/08/2025

मनोज कुमार
(सीएफओ)

अरुण सभरवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस नंबर:-2069

गजेंद्र सिंह बुदियाल
निदेशक (परिचालन)
डीआईएन:- 10515767

पी.सी. ध्यानी
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:- 07538685

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD

Note 1. Corporate Background and Significant Accounting Policies

Note 1(i): COMPANY'S OVERVIEW

The Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited (herein after referred to as the "Company") is public limited company domiciled and incorporated in India under the Companies Act, 1956 (repealed by Companies Act, 2013). The registered office of the Company is located at Vidyut Bhawan, 132 KV Majra Campus, Dehradun - 248001. The principal business of the Company is Transmission of Electricity and State Load Dispatch Centre (SLDC) function in the state of Uttarakhand.

As a part of Power reform process in the State of Uttarakhand, the Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL) was incorporated by Govt of Uttarakhand (GOU). Consequent to the unbundling of UPCL on 31.05.2004 the Power Transmission Corporation of Uttaranchal Limited (PTCUL) was incorporated on 27.05.2004 as separate company and assigned separately the business of Transmission of Electricity and State Load Dispatch Centre (SLDC) function in the state of Uttaranchal. The scope of the business, Assets & Liabilities of the said Company and other incidental & consequential matters were laid down in the detailed transfer scheme notified by the Govt. of Uttaranchal vide Notification No. 86/1/2004-06(3) 2003 dated 31.05.2004 and 87/1/2004-06 (3) 2003 dated 31.05.2004 The Name of the Company was changed from Power Transmission Corporation Of Uttaranchal Limited to Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited in February, 2007.

Note 1(ii): BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

(a) Statement of Compliance

The Company's financial statements have been prepared in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and the Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards Rules, 2015) and amendments thereof issued by Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India in exercise of the powers conferred by section 133 of the Companies Act, 2013 (the "Act"). In addition, the guidance notes / announcements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) have also been applied in the preparation of accounts except where compliance with other statutory enactment require different treatment.

Basis of Accounting

The Company maintains its accounts on accrual basis following historical cost convention, except for the following assets and liabilities which have been measured at fair value or at revalued amounts in accordance with Ind AS-

- Derivative financial instruments,
- Financial assets and liabilities measured at fair value (Refer to accounting policy regarding financial instruments),
- Employee benefit expenses (Refer to accounting policy regarding Retirement and other employee benefits)

पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड

नोट 1. कॉर्पोरेट पृष्ठभूमि और महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

नोट 1(i): कंपनी का अवलोकन

पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (आगे "कंपनी" के रूप में संदर्भित) एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो भारत में कंपनी अधिनियम, 1956 (जिसे बाद में कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया) के अंतर्गत निगमित और पंजीकृत है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय विद्युत भवन, 132 केवी माजरा कैम्पस, देहरादून – 248001 में स्थित है। कंपनी का मुख्य व्यवसाय विद्युत का पारेषण (Transmission of Electricity) और राज्य भार प्रेषण केंद्र (State Load Dispatch Centre - SLDC) का संचालन उत्तराखंड राज्य में करना है।

उत्तराखंड राज्य में विद्युत सुधार प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, उत्तराखंड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) का गठन उत्तराखंड सरकार (GOU) द्वारा किया गया था। 31.05.2004 को UPCL के विघटन (Unbundling) के परिणामस्वरूप, पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लिमिटेड (PTCUL) का गठन 27.05.2004 को एक पृथक कंपनी के रूप में किया गया तथा इसे पृथक रूप से विद्युत संप्रेषण और राज्य भार प्रेषण केंद्र (SLDC) के कार्य सौंपे गए।

कंपनी के व्यवसाय का दायरा, इसकी परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ तथा अन्य संबंधित एवं परिणामी विषय उत्तरांचल सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 86/1/2004-06(3)2003 दिनांक 31.05.2004 और 87/1/2004-06(3)2003 दिनांक 31.05.2004 के माध्यम से जारी विस्तृत ट्रांसफर स्कीम में निर्धारित किए गए थे। कंपनी का नाम फरवरी 2007 में "पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लिमिटेड" से बदलकर "पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड" कर दिया गया।

नोट 1(ii): वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

(a) अनुपालन का विवरण (Statement of Compliance)

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा भारतीय लेखा मानकों ("Ind AS") के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और उसके संशोधनों के तहत भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) द्वारा अधिसूचित किया गया है। ये मानक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी दिशा-निर्देश / घोषणाएँ भी खातों की तैयारी में लागू की गई हैं, सिवाय उन मामलों के जहाँ अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन हेतु भिन्न उपचार आवश्यक हो।

लेखांकन का आधार (Basis of Accounting)

कंपनी अपने खातों को उपार्जन (Accrual) पद्धति पर ऐतिहासिक लागत सिद्धांत (Historical Cost Convention) का पालन करते हुए रखती है, सिवाय उन निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों के जिन्हें भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के अनुसार उचित मूल्य (Fair Value) या पुनर्मूल्यांकित राशि पर मापा गया है –

- व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण (Derivative financial instruments)
- उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ (वित्तीय उपकरणों से संबंधित लेखा नीति देखें)
- कर्मचारी लाभ व्यय (सेवानिवृत्ति और अन्य कर्मचारी लाभ से संबंधित लेखा नीति देखें)

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date.

(b) Presentation of Financial Statements

The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Statement of Changes in Equity are prepared and presented in the forms prescribed in the Schedule III to the Companies Act, 2013. The Statement of Cash Flow is prepared and presented as per the requirements of Ind AS 7 "Statement of Cash Flows". The disclosure requirements with respect to items in the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss, as prescribed in the Schedule III to the Act, are presented by way of notes forming part of the financial statements along with the other notes required to be disclosed under the notified Accounting Standards.

Amounts in the financial statements are presented in Indian Rupees (INR) in lakh [1 lakh = 100thousand] rounded off to two decimal places as permitted by Schedule III to the Companies Act, 2013, unless otherwise stated.

Per share data are presented in Indian Rupees to two decimals

(c) Use of Estimate, Judgement and Assumptions

The preparation of the financial statements in conformity with recognition and measurement principles of Ind AS requires the management of the Company to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of income and expenses of the period, the reported balances of assets and liabilities and disclosure relating to contingent liabilities as on the date of the financial statements. Estimates and underlying assumptions made by management are explained under respective policies and are reviewed on an ongoing basis. Revision of accounting estimates are recognised in the period in which the estimates are revised. Differences, if any, between the actual results and estimates are recognised in the periods in which the results are known.

(d) Operating Cycle for Current and Non-Current Classification

Operating cycle for the business activities of the Company covers the duration of the specific project/contract/product line/service including the defect liability period wherever applicable and extends up to the realisation of receivables (including retention monies) within the agreed credit period normally applicable to the respective lines of business.

(e) Current/Non-Current Classification

Any asset or liability is classified as current if it satisfies any of the following conditions:

a) the asset/liability is expected to be realized/settled in the Company's normal operating cycle;
b) the asset is intended for sale or consumption;
c) the asset/liability is held primarily for the purpose of trading:
d) the asset/liability is expected to be realized/settled within twelve months after the reporting period;

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने या किसी देनदारी को स्थानांतरित करने के लिए एक सुव्यवस्थित लेन-देन में मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच प्राप्त या चुकाया जाएगा — चाहे वह मूल्य सीधे रूप से देखा जा सके या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित किया गया हो। किसी परिसंपत्ति या देनदारी का उचित मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी उस परिसंपत्ति या देनदारी की विशेषताओं को ध्यान में रखती है, यदि बाजार सहभागी उस मापन तिथि पर उस परिसंपत्ति या देनदारी की कीमत तय करते समय उन विशेषताओं को ध्यान में रखेंगे।

(b) वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

वित्तीय स्थिति विवरण (Balance Sheet), लाभ-हानि विवरण (Statement of Profit and Loss) और इक्विटी में परिवर्तन विवरण (Statement of Changes in Equity) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं। नकदी प्रवाह विवरण (Statement of Cash Flow) भारतीय लेखा मानक Ind AS 7 "Statement of Cash Flows" की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट बैलेंस शीट और लाभ-हानि विवरण से संबंधित खुलासे, अधिसूचित लेखा मानकों के तहत आवश्यक अन्य खुलासों के साथ, वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियों (Notes) के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों में राशि भारतीय रुपये (INR) में लाखों में प्रस्तुत की जाती है [1 लाख = 1,00,000 रुपये], और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित (Rounded off) किया जाता है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

प्रति शेयर आंकड़े (Per share data) भारतीय रुपये में दो दशमलव स्थानों तक प्रस्तुत किए जाते हैं।

(c) अनुमान, निर्णय और धारणाओं का उपयोग

Ind AS की मान्यता और मापन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए कंपनी के प्रबंधन को ऐसे अनुमान और धारणाएँ बनानी पड़ती हैं जो अवधि के आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई शेष राशियाँ, और वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देनदारियों (Contingent Liabilities) से संबंधित खुलासों को प्रभावित करती हैं।

प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमान और अंतर्निहित धारणाएँ संबंधित नीतियों के अंतर्गत समझाई गई हैं और समय-समय पर समीक्षा की जाती हैं। लेखांकन अनुमानों में किए गए संशोधनों को उसी अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए गए हों। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर (यदि कोई हो) उस अवधि में मान्यता प्राप्त होता है जिसमें परिणाम ज्ञात हो जाते हैं।

(d) चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के लिए परिचालन चक्र

कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए परिचालन चक्र (Operating Cycle) उस विशेष परियोजना / अनुबंध / उत्पाद श्रृंखला / सेवा की अवधि को कवर करता है, जिसमें जहाँ लागू हो दोष देयता अवधि (Defect Liability Period) भी शामिल है, और यह प्राप्तियों (Receivables), जिसमें रिटेंशन मनी भी शामिल है, की वसूली तक विस्तारित होता है — जो सामान्यतः संबंधित व्यवसायिक लाइन के लिए लागू सहमत क्रेडिट अवधि के भीतर होती है।

(e) चालू / गैर-चालू वर्गीकरण (Current / Non-Current Classification)

किसी परिसंपत्ति या देनदारी को चालू (Current) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती है:

a) परिसंपत्ति/देनदारी के कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में महसूस/निपटान की उम्मीद की जाती है;

b) परिसंपत्ति बिक्री या उपभोग के लिए अभिप्रेत है;

c) परिसंपत्ति/देनदारी मुख्य रूप से व्यापार (Trading) के उद्देश्य से धारण की गई है;

d) परिसंपत्ति/देनदारी रिपोर्टिंग अवधि के बारह महीनों के भीतर महसूस/निपटान की उम्मीद की जाती है।

e) the asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date:

f) in the case of a liability, the Company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.

All other assets and liabilities are classified as non-current.

For the purpose of current/non-current classification of assets and liabilities, the Company has ascertained its normal operating cycle as twelve months.

Note 1(iii):SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(a) Property, Plant and Equipments (PPE)

PPE is recognised when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. PPE is stated at original cost net of tax/duty credits availed, if any, less accumulated depreciation and cumulative impairment, if any. All directly attributable costs related to the acquisition of PPE and borrowing costs in case of qualifying assets are capitalised in accordance with the Company's accounting policies herein below explained in respect of capitalisation of expenses during construction of capital works and projects undertaken by the company.

In the case of commissioned assets, deposit works/cost-plus contracts where final settlement of bills with contractors is yet to be effected, capitalization is done on the date of commissioning, subject to necessary adjustments in the year of final settlement.

Transmission system assets are considered as ready for intended use on the date of commercial operation declared in terms of UERC tariff regulations and capitalized accordingly.

PPE Cost includes purchase price (after deducting trade discount / rebates), non- refundable duties and taxes, cost of replacing the component parts, borrowing costs. site restoration cost or decommissioning liability and other directly attributable cost to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost can be measured reliably.

PPE not ready for the intended use on the date of the Balance Sheet are disclosed as "capital work-in-progress". (Also refer to policy on leases, borrowing costs and impairment of assets).

Spare parts procured along with the Plant & Equipment or subsequently which meets the recognition criteria of PPE are treated as capital inventory. The carrying amounts of the spare parts which were capitalized earlier are derecognized when no future economic benefits are expected from their use or upon disposal. Spares other than capital spares are treated as "stores & spares" forming part of the inventory.

(e) परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष (Cash or Cash Equivalent) है, जब तक कि इसे रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीनों तक किसी देनदारी के निपटान के लिए उपयोग या विनिमय करने से प्रतिबंधित न किया गया हो।

(f) किसी देनदारी के मामले में, यदि कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीनों तक उस देनदारी के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार (Unconditional Right) नहीं है, तो उसे चालू देनदारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सभी अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू (Non-Current) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने अपनी सामान्य परिचालन अवधि (Normal Operating Cycle) को बारह महीने निर्धारित किया है।

नोट 1 (iii): महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES)

(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant and Equipment – PPE)

किसी वस्तु को PPE के रूप में मान्यता (Recognize) दी जाती है जब यह संभावित हो कि उस वस्तु से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और उस वस्तु की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। PPE को उसके मूल लागत (Original Cost) पर दिखाया जाता है — इसमें प्राप्त किसी कर/शुल्क क्रेडिट को घटाया जाता है (यदि कोई हो), और संचित मूल्यह्रास (Accumulated Depreciation) तथा संचित ह्रास (Cumulative Impairment), यदि कोई हो, को घटाकर प्रदर्शित किया जाता है। PPE के अधिग्रहण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष व्यय (Directly Attributable Costs) तथा योग्य परिसंपत्तियों (Qualifying Assets) के मामले में उधार लागत (Borrowing Costs) को पूंजीकृत (Capitalized) किया जाता है, जैसा कि नीचे कंपनी की पूंजी कार्यों और परियोजनाओं के निर्माण के दौरान व्यय के पूंजीकरण से संबंधित लेखा नीतियों में समझाया गया है।

कमीशंड परिसंपत्तियों (Commissioned Assets), डिपॉजिट वर्क्स / कॉस्ट-प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में, जहाँ ठेकेदारों के साथ अंतिम बिल निपटान अभी लंबित है, पूंजीकरण (Capitalization) उस परिसंपत्ति के कमीशनिंग की तिथि पर किया जाता है, और अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं।

ट्रांसमिशन सिस्टम परिसंपत्तियाँ उस तिथि को उपयोग के लिए तैयार मानी जाती हैं जिस दिन UERC टैरिफ विनियमों (UERC Tariff Regulations) के अनुसार वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की जाती है, और उसी के अनुसार पूंजीकृत की जाती हैं।

PPE की लागत में निम्नलिखित शामिल होते हैं: खरीद मूल्य (Purchase Price) — व्यापारिक छूट / रिबेट घटाने के बाद; गैर-वापसी योग्य कर और शुल्क (Non-refundable Duties & Taxes); घटक भागों को बदलने की लागत (Cost of Replacing Component Parts); उधार लागत (Borrowing Costs); साइट पुनर्स्थापन लागत या निष्क्रियकरण देयता (Site Restoration or Decommissioning Liability); तथा परिसंपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष लागत, जिससे वह प्रबंधन के इरादे के अनुसार संचालन योग्य हो सके।

बाद के व्यय (Subsequent Costs) को परिसंपत्ति की वहन राशि (Carrying Amount) में शामिल किया जाता है या, जहाँ उपयुक्त हो, एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है — केवल तब जब यह संभावित हो कि उस व्यय से भविष्य में आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

वे PPE जो बैलेंस शीट की तिथि पर उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें "कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस (Capital Work-in-Progress)" के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। (साथ ही पट्टों (Leases), ऋण लागत (Borrowing Costs) और परिसंपत्ति ह्रास (Impairment of Assets) से संबंधित नीतियों को भी देखें)।

संयंत्र एवं उपकरणों (Plant & Equipment) के साथ या बाद में खरीदे गए वे स्पेयर पार्ट्स जो PPE की मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें कैपिटल इन्वेंटरी (Capital Inventory) माना जाता है। ऐसे स्पेयर पार्ट्स की वहन राशि जिन्हें पहले पूंजीकृत किया गया था, तब अमान्य (Derecognized) कर दी जाती है जब उनके उपयोग से कोई भविष्य आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता या जब उन्हें बेचा जाता है। कैपिटल स्पेयर्स के अलावा अन्य स्पेयर पार्ट्स को "स्टोर्स एंड स्पेयर्स (Stores & Spares)" के रूप में माना जाता है और वे इन्वेंटरी का हिस्सा होते हैं।

Inspection cost pertaining to PPE is directly debited to cost of PPE.

Expenditure incurred on renovation, modernization and augmentation of PPE on or before completion of the originally estimated useful life of sub-station / transmission. lines resulting in increased life and /or efficiency of an existing asset, is added to the cost of the related asset. PPE acquired as replacement of the existing assets /component is capitalized and its corresponding replaced assets/component removed /retired from active use are derecognized.

Afforestation charges for acquiring right-of-way / Any other expenditure for right-of-wayincluding Lease for laying transmission lines is booked under the cost of CWIP (capital work in progress) and and the same is capitalized on the date of commissioning / energization of the related Line / Sub-station.

The Cost of purchased Land / Lease Land on which the construction of sub-stations is under progress or to be constructed is booked under the cost of CWIP (capital work in progress) and the same is capitalized on the date of commissioning / energization of the said Sub-stations.

Expenditure on land development, levelling, clearing and grading of land is capitalized as part of Other Civil Works.

The Low-value assets of Rs. 5,000.00 are expensed directly to Profit and Loss account in the year of acquisition. This is in line with the materiality principle, as the cost of separately recognizing and depreciating such assets may outweigh their economic benefits.

The Physical verification of Assets has been done till 2018. However, due to the situation of Transmission Lines / Towers etc. in remote and difficult terrains of hilly areas, the physical verification of assets from third party is not practical and cost effective. The major value of Transmission assets (Lines & Sub-stations) are stationary and fixed / non movable and under continuous power flow (except for shutdowns). If the power flow is interrupted due to any reason (such as damage etc. in the transmission systems) then the same is reflected in the protection systems installed at both end of Transmission Lines. Also, regular patrolling and checking of the lines are done by the concerned officials and periodic reports are maintained at division level. The other assets such as P&M (Sub-stations etc), Office equipments, etc, are verified by the concerned officials and records are maintained by them as per procedures. Hence, the said procedures are being used as an in-house physical verification of Assets.

De-recognition

An item of PPE is derecognized when no future economic benefits are expected from use.

Any gain or loss arising on the de-recognition of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in statement of profit and loss on the date of disposal or retirement.

PPE से संबंधित निरीक्षण व्यय को सीधे PPE की लागत में डेबिट किया जाता है।

उप-स्टेशन / ट्रांसमिशन लाइनों की मूल अनुमानित उपयोगी आयु पूरी होने से पहले PPE के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण या वृद्धि पर किया गया व्यय, जिससे मौजूदा परिसंपत्ति का जीवनकाल और/या दक्षता बढ़ती है, संबंधित परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है। PPE जो मौजूदा परिसंपत्तियों/घटकों के प्रतिस्थापन के रूप में अधिग्रहित किए जाते हैं, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है और उनके स्थान पर हटाए गए/सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों या घटकों को अमान्य (derecognized) किया जाता है।

राइट-ऑफ़-वे प्राप्त करने के लिए किए गए वनीकरण शुल्क या राइट-ऑफ़-वे से संबंधित किसी अन्य व्यय, जिसमें ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने के लिए लीज शामिल है, को CWIP (capital work-in-progress) की लागत में दर्ज किया जाता है और संबंधित लाइन / उप-स्टेशन की कमीशनिंग / एनर्जाइजेशन की तिथि पर पूंजीकृत किया जाता है।

जिस भूमि (खरीदी गई या लीज पर ली गई) पर उप-स्टेशनों का निर्माण प्रगति पर है या किया जाना प्रस्तावित है, उसकी लागत को CWIP (capital work-in-progress) की लागत में दर्ज किया जाता है और उक्त उप-स्टेशन की कमीशनिंग / एनर्जाइजेशन की तिथि पर पूंजीकृत किया जाता है। भूमि के विकास, समतलीकरण, सफाई और ग्रेडिंग पर किया गया व्यय "अन्य सिविल कार्यों" के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

₹5,000 तक की लागत वाली परिसंपत्तियों को अधिग्रहण के वर्ष में ही सीधे लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। यह भौतिकता सिद्धांत (Materiality Principle) के अनुरूप है क्योंकि ऐसी परिसंपत्तियों को अलग से मान्यता देना और उन पर मूल्यह्रास लगाना उनके आर्थिक लाभों की तुलना में अनुपयुक्त है।

परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2018 तक किया गया है। हालांकि, ट्रांसमिशन लाइनों / टावरों आदि का पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित होना, परिसंपत्तियों का थर्ड पार्टी सत्यापन व्यावहारिक और लागत प्रभावी नहीं बनाता है। ट्रांसमिशन परिसंपत्तियाँ (लाइनें और उप-संस्थान) मुख्य रूप से स्थिर, अचल होती हैं और निरंतर विद्युत प्रवाह में रहती हैं (सिवाय शटडाउन के समय)। यदि किसी कारणवश (जैसे क्षति आदि) विद्युत प्रवाह बाधित होता है, तो यह ट्रांसमिशन लाइनों के दोनों सिरों पर स्थापित प्रोटेक्शन सिस्टम्स में परिलक्षित होता है। नियमित रूप से संबंधित अधिकारी लाइनों की पेट्रोलिंग और जांच करते हैं और उनके आवधिक रिपोर्ट्स डिवीजन स्तर पर रखे जाते हैं। अन्य परिसंपत्तियाँ जैसे संयंत्र और मशीनरी (सब-स्टेशन आदि), कार्यालय उपकरण आदि संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित की जाती हैं और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अभिलेख रखे जाते हैं। अतः इन प्रक्रियाओं को परिसंपत्तियों के आंतरिक भौतिक सत्यापन के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

अमान्यता (De-recognition)

किसी PPE आइटम को तब अमान्य किया जाता है जब उसके उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं रहती।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के अमान्यकरण से उत्पन्न लाभ या हानि उस संपत्ति की नेट निपटान प्राप्ति और वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है और इसे निपटान या सेवानिवृत्ति की तिथि पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(b) Capital Works In Progress

Expenditure incurred on assets under construction (including a project) is carried at cost under Capital work in Progress ('CWIP). Such costs comprise purchase price (after deducting trade discount/ rebate) including non-refundable duties and taxes and other costs that are directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Interest during construction and expenditure (Net) allocated to construction project as per policy are kept as a separate item under CWIP and apportioned to the assets being capitalized in proportion to the actual expenditure incurred during the year on the projects.

In respect of supply-cum-erection contracts (Turn-Key Contracts), the value of supplies received at site and accepted, is treated as Capital Works-in-Progress.

Claims of the Price Variation in case of contracts are accounted for on acceptance of Bills and acceptance thereof by the Company as per terms of contract

Value of construction stores, are charged to Capital Works-in-Progress as and when material is issued. The material at the year end and lying at site is treated as part of the Capital Work-in-Progress, but the material lying in the stores is grouped under the head stores and spares.

Employees Cost and Administrative cost incurred on supervision of Capital works are capitalized on the basis of actual expenditure incurred for the Projects.

The amount incurred upto 33 K.V. shall be transferred to the concerned parties after completion of works until that it will be shown under Capital work in progress.

In case a project under construction remains in abeyance by the order of appropriate authority/ by injunction of order court, any expenditure incurred on such projects is debited to statement of profit & Loss from the date of such order till the period project is kept in abeyance by such order/injunction.

(c) Intangible assets

Intangible assets must be 1) individually identifiable and are separately recognizable, 2) under the control of the company and 3) flowing future economic benefits for more than one economic year 4) the cost of that asset can be measured reliably.

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

Intangible assets are amortized on straight line basis over the estimated useful economic life.

An item of Intangible asset is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any profit or loss arising from derecognition of an intangible asset is determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in the Statement of Profit & Loss.

(b) पूँजीगत कार्यों में प्रगति (Capital Works in Progress - CWIP)

निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (जिसमें परियोजनाएँ भी शामिल हैं) पर किए गए व्यय को कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस (CWIP) के अंतर्गत लागत पर दर्शाया जाता है।

ऐसी लागत में खरीद मूल्य (व्यापारिक छूट/रिबेट घटाने के बाद), गैर-वापसी योग्य शुल्क और कर, तथा वे अन्य लागतें शामिल होती हैं जो परिसंपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने से सीधे संबंधित होती हैं जहाँ वह प्रबंधन के इरादे के अनुसार कार्य करने में सक्षम हो सके।

निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (Interest During Construction) और नीति के अनुसार निर्माण परियोजनाओं को आवंटित व्यय (शुद्ध) को CWIP के अंतर्गत एक अलग मद के रूप में रखा जाता है और वर्ष के दौरान परियोजनाओं पर किए गए वास्तविक व्यय के अनुपात में पूंजीकृत परिसंपत्तियों में विभाजित किया जाता है।

सप्लाई-कम-इरैक्शन अनुबंधों (Turn-Key Contracts) के संबंध में, साइट पर प्राप्त और स्वीकृत आपूर्तियों का मूल्य कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस के रूप में माना जाता है।

अनुबंधों के मामले में मूल्य परिवर्तन (Price Variation) के दावे को बिलों की स्वीकृति और कंपनी द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्वीकृति मिलने पर लेखाबद्ध किया जाता है।

निर्माण सामग्री (Construction Stores) का मूल्य, जब भी सामग्री निर्गत की जाती है, कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस में जोड़ा जाता है।

वर्ष के अंत में साइट पर पड़ी सामग्री को कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस का हिस्सा माना जाता है, जबकि स्टोर में रखी सामग्री को स्टोर्स एंड स्पेयर्स (Stores & Spares) शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

पूंजीगत कार्यों की देखरेख पर किए गए कर्मचारी व्यय और प्रशासनिक व्यय को परियोजनाओं पर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

33 के.वी. तक किए गए कार्यों पर हुए व्यय को कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित पक्षों को हस्तांतरित किया जाएगा; तब तक यह कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाएगा।

यदि किसी निर्माणाधीन परियोजना को सक्षम प्राधिकारी के आदेश या न्यायालय के निषेधाज्ञा (Injunction) के कारण स्थगित (Abeyance) कर दिया जाता है, तो ऐसी परियोजनाओं पर किए गए व्यय को उस आदेश की तिथि से लेकर परियोजना के स्थगन की अवधि तक लाभ और हानि विवरण (Statement of Profit & Loss) में डेबिट किया जाता है।

(c) अमूर्त परिसंपत्तियाँ (Intangible Assets)

अमूर्त परिसंपत्तियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए: 1) वे व्यक्तिगत रूप से पहचानने योग्य और अलग से मान्यता योग्य हों; 2) वे कंपनी के नियंत्रण में हों; 3) उनसे एक से अधिक आर्थिक वर्षों तक भविष्य के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो; 4) उस परिसंपत्ति की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सके । अलग से अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता के समय लागत पर मापा जाता है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियाँ उनकी लागत पर दर्शाई जाती हैं, जिसमें से किसी भी संचित मूल्यह्रास और संचित ह्रास, यदि कोई हों, को घटाया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों को उनकी अनुमानित उपयोगी आर्थिक आयु के दौरान समान रेखा विधि पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को तब अमान्य किया जाता है जब उसे बेचा जाता है या उसके उपयोग / निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं रहती। अमूर्त परिसंपत्ति के अमान्यकरण से उत्पन्न लाभ या हानि उस परिसंपत्ति की नेट निपटान प्राप्ति और वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है, और इसे लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(d) Depreciation /Amortization

Depreciation on PPE is charged on pro rata basis from the date on which asset is available for use i.e. when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. The applicable rates and methodology are considered as per the regulations issued by Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC) vide tariff regulation 2015 on straight line method.

No depreciation is charged on PPE of the completely damaged Assets. However, depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use unless the asset is fully depreciated, thus depreciation is charged on temporarily damaged Assets until they are fully depreciated and ceases on completely damaged projects. However, during the financial year there was no such case of damaged projects.

Leasehold land including any expenditure on development of land is amortized over lease period or life of the related Plants whichever is lower in accordance with the rates and methodology specified in UERC tariff Regulation.

Depreciation charge for impaired assets, if any, is adjusted in future periods in such a manner that the revised carrying amount of the asset is allocated over its remaining useful life.

Freehold land is not depreciated.

(e) Leases

Leases are accounted as per Ind AS 116.

Assets taken on lease are accounted as right-of-use assets and the corresponding lease liability is accounted at the lease commencement date.

Initially the right-of-use asset is measured at cost which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments, discounted using the Company's incremental borrowing rate. It is remeasured when there is changes in future lease payments arising from a change in an index or a rate, or a change in the estimate of the guaranteed residual value, or a change in the assessment of purchase, extension or termination option. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in the Statement of Profit and Loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The right-of-use asset is measured by applying cost model i.e. right-of-use asset at cost less accumulated depreciation and cumulative impairment, if any. The right-of-use asset is depreciated using the straight-line method from the commencement date to the end of the lease term or useful life of the underlying asset whichever is earlier. Carrying amount of lease liability is increased by interest on lease liability and reduced by lease payments made.

(d) मूल्यह्रास / अमूर्तकरण (Depreciation / Amortization)

PPE पर मूल्यह्रास उस तिथि से आनुपातिक आधार (Pro-rata Basis) पर लगाया जाता है जिस दिन परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है — अर्थात् जब वह उस स्थान और स्थिति में होती है जहाँ से वह प्रबंधन के अभिप्रेत तरीके से कार्य करने में सक्षम हो। लागू दरें और पद्धति उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा टैरिफ विनियमन 2015 में निर्दिष्ट समान रेखा विधि (Straight Line Method) के अनुसार निर्धारित की जाती हैं।

पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों (Completely Damaged Assets) पर मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता। हालांकि, जब तक परिसंपत्ति पूर्ण रूप से मूल्यह्रसित नहीं हो जाती, तब तक यदि वह निष्क्रिय (Idle) या सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त हो जाती है, तब भी मूल्यह्रास लगना बंद नहीं होता। इस प्रकार, अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास तब तक लगाया जाता है जब तक वे पूरी तरह मूल्यह्रसित न हो जाएँ, और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं पर मूल्यह्रास बंद कर दिया जाता है। हालांकि, वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी कोई क्षतिग्रस्त परियोजना नहीं थी।

लीजहोल्ड भूमि (Leasehold Land) सहित भूमि के विकास पर किए गए किसी भी व्यय को लीज अवधि या संबंधित संयंत्रों की आयु में से जो भी कम हो, उस अवधि के दौरान अमूर्त (Amortized) किया जाता है, जैसा कि UERC टैरिफ विनियमन में निर्दिष्ट दरों और पद्धति के अनुसार है।

यदि किसी परिसंपत्ति पर ह्रास (Impairment) हुआ है, तो उस परिसंपत्ति की संशोधित वहन राशि को उसकी शेष उपयोगी आयु में इस प्रकार आवंटित किया जाता है कि भविष्य की अवधियों में मूल्यह्रास चार्ज समायोजित हो सके।

फ्रीहोल्ड भूमि पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता।

(e) पट्टे (Leases)

पट्टों का लेखांकन भारतीय लेखा मानक Ind AS 116 के अनुसार किया जाता है।

पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियाँ (Right-of-Use Assets) के रूप में और संबंधित पट्टा देनदारी (Lease Liability) को पट्टा प्रारंभ तिथि (Lease Commencement Date) पर दर्ज किया जाता है।

प्रारंभ में, उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति को लागत (Cost) पर मापा जाता है, जिसमें शामिल हैं — प्रारंभिक पट्टा देनदारी की राशि, पट्टा प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतान, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत (Initial Direct Costs), परिसंपत्ति को हटाने या स्थल को पुनर्स्थापित करने की अनुमानित लागत, तथा प्राप्त किसी पट्टा प्रोत्साहन (Lease Incentives) को घटाकर।

पट्टा देनदारी (Lease Liability) को प्रारंभ में पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसे कंपनी की क्रमिक उधार दर (Incremental Borrowing Rate) से छूटित (Discounted) किया जाता है। इसे पुनःमापा (Remeasured) किया जाता है जब भविष्य के पट्टा भुगतानों में किसी सूचकांक, दर, गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य (Guaranteed Residual Value), या क्रय / विस्तार / समाप्ति विकल्पों के अनुमान में परिवर्तन होता है। जब पट्टा देनदारी का पुनर्मापन किया जाता है, तो उसके अनुरूप समायोजन उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति की वहन राशि में किया जाता है — या यदि उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति की वहन राशि शून्य हो गई हो, तो उस समायोजन को लाभ और हानि विवरण (Statement of Profit and Loss) में दर्ज किया जाता है।

उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति को लागत मॉडल (Cost Model) के अनुसार मापा जाता है — अर्थात्, लागत से संचित मूल्यह्रास और संचित ह्रास (यदि कोई हो) घटाकर। इसे समान रेखा विधि (Straight-Line Method) के अनुसार उस तिथि से मूल्यह्रसित किया जाता है जब पट्टा प्रारंभ होता है, पट्टा अवधि की समाप्ति तक या मूल परिसंपत्ति की उपयोगी आयु में से जो भी पहले हो। पट्टा देनदारी की वहन राशि को ब्याज (Interest) जोड़कर बढ़ाया जाता है और किए गए पट्टा भुगतानों को घटाकर कम किया जाता है।

Lease payments associated with following leases are recognised as expense on straight-line basis:

(i) Low value leases; and

(ii) Leases which are short-term.

Assets given on lease are classified either as operating lease or as finance lease. A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an underlying asset. Initially asset held under finance lease is recognised in balance sheet and presented as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease. Finance income is recognised over the lease term, based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on Company's net investment in the lease. A lease which is not classified as a finance lease is an operating lease.

The Company recognises lease payments in case of assets given on operating leases as income on a straight-line basis. The Company presents underlying assets subject to operating lease in its balance sheet under the respective class of asset.

(f) Inventories

Inventories mainly comprise stores and spare parts, construction material and other consumables held for internal use and are valued at costs. The cost of inventories is computed on FIFO basis. The cost of inventory includes the Serviceable / Usable, Non Moving and Obsolete / Scrap Inventories also.

The difference between stock as per books and as per physical verification in respect of stock taken on transfer of assets to company in terms of Transfer scheme has not yet been adjusted as they are subject to finalization of transfer scheme / Reconciliation.

(g) Financial Instruments

Financial assets and/or financial liabilities are recognised when the Company becomes party to a contract embodying the related financial instruments.

All financial assets and financial liabilities are initially measured at transaction values and where such values are different from the fair value, at fair value. Transaction costs that are attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from as the case may be, the fair value of such financial assets or liabilities, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognised immediately in Profit or Loss.

A financial asset and a financial liability is offset and presented on net basis in the balance sheet when there is a current legally enforceable right to set-off the recognised amounts and it is intended to either settle on net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

निम्नलिखित पट्टों से संबंधित भुगतानों को समान रेखा पद्धति पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है:

(i) निम्न-मूल्य के पट्टे ; तथा

(ii) अल्पकालिक पट्टे ।

पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को या तो ऑपरेटिंग लीज या वित्तीय लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि किसी पट्टे के अंतर्गत स्वामित्व से संबंधित लगभग सभी जोखिम और लाभ पट्टाधारी को स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसे वित्तीय लीज माना जाता है। प्रारंभ में, वित्तीय लीज के अंतर्गत रखी गई परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है और उसे पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वित्तीय आय को पट्टा अवधि के दौरान इस प्रकार मान्यता दी जाती है कि वह कंपनी के पट्टे में शुद्ध निवेश पर समान आवधिक प्रतिफल दर को दर्शाए। जो पट्टे वित्तीय लीज के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं, उन्हें ऑपरेटिंग लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी, ऑपरेटिंग लीज के अंतर्गत दी गई परिसंपत्तियों के लिए प्राप्त पट्टा भुगतानों को समान रेखा पद्धति पर आय के रूप में मान्यता देती है। ऑपरेटिंग लीज के अधीन परिसंपत्तियाँ कंपनी की बैलेंस शीट में संबंधित परिसंपत्ति वर्ग के अंतर्गत प्रदर्शित की जाती हैं।

(f) भंडार (Inventories)

भंडार में मुख्यतः स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स, निर्माण सामग्री तथा अन्य उपभोग्य वस्तुएँ शामिल हैं जो आंतरिक उपयोग के लिए रखी जाती हैं। इनका मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है। भंडार की लागत की गणना प्रथम प्रवेश प्रथम निर्गम आधार पर की जाती है। भंडार की लागत में सेवायोग्य/उपयोगी, निष्क्रिय तथा अप्रचलित / कबाड़ भंडार का मूल्य भी शामिल किया जाता है।

कंपनी को हस्तांतरित परिसंपत्तियों से संबंधित स्टॉक के पुस्तकानुसार भंडार और भौतिक सत्यापनानुसार भंडार के बीच का अंतर अभी तक समायोजित नहीं किया गया है, क्योंकि वे हस्तांतरण योजना के अंतिम रूप से निर्धारण / सामंजस्य के अधीन हैं।

(g) वित्तीय साधन (Financial Instruments)

वित्तीय परिसंपत्तियाँ (Financial Assets) और/या वित्तीय देनदारियाँ (Financial Liabilities) तब मान्यता प्राप्त करती हैं जब कंपनी ऐसे अनुबंध (Contract) की पक्षकार बन जाती है जो संबंधित वित्तीय साधनों को समाहित करता है।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ प्रारंभ में लेनदेन मूल्य पर मापी जाती हैं, और जहाँ यह मूल्य उनके उचित मूल्य से भिन्न होता है, वहाँ उन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों या देनदारियों के अधिग्रहण या निर्गमन से संबंधित लेनदेन लागतें — (सिवाय उन परिसंपत्तियों/देनदारियों के जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है) — प्रारंभिक मान्यता के समय संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियों या देनदारियों के उचित मूल्य में जोड़ी या घटाई जाती हैं। वहीं, उन वित्तीय परिसंपत्तियों या देनदारियों से संबंधित लेनदेन लागतें, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, तुरंत लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती हैं।

जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देनदारी के बीच एक वर्तमान वैध रूप से प्रवर्तनीय अधिकार मौजूद होता है, और उन्हें या तो शुद्ध आधार पर निपटाने या परिसंपत्ति को महसूस कर देनदारी को साथ में निपटाने का इरादा होता है, तब उन्हें बैलेंस शीट में शुद्ध आधार पर समायोजित किया जाता है।

Classification

The Company classifies financial assets as subsequently measured at amortised cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss on the basis of its business model for managing the financial assets and the contractual cash flows characteristics of the financial asset.

All financial liabilities are classified as subsequently measured at amortised cost except for financial liabilities at fair value through profit or loss Such liabilities, including derivatives, are subsequently measured at fair value, with any gains or losses arising on re-measurement recognised in profit or loss.

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost using effective interest rate method, if:

(a) the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and

(b) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial asset at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are subsequently measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flow and selling asset financial asset and the contractual terms of financial asset give rise on specific dates to cash flows that are solely payment of principal and interest on principal amount outstanding.

Financial asset at fair value through profit or loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income. Financial assets under this category are measured initially as well as at each reporting period at fair value with all changes recognised in the statement of profit and loss.

De-recognition of financial assets

The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers, the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another party. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the asset.

On de-recognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss if such gain or loss would have otherwise been recognized in profit or loss on disposal of that financial asset.

Impairment of financial assets

The Company assesses at each date of balance sheet whether a financial asset or a group of financial assets is impaired. Ind AS 109 requires expected credit losses to be measured through a loss allowance. The Company recognises lifetime expected losses for all contract

वर्गीकरण (Classification)

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर, परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य या लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के आधार पर वर्गीकृत करती है।

सभी वित्तीय देनदारियों को बाद में अमोर्टाइज़्ड लागत पर मापा जाता है, सिवाय उन देनदारियों के जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया गया है। ऐसी देनदारियाँ (जैसे डेरिवेटिव्स) बाद में उचित मूल्य पर मापी जाती हैं, और पुनर्मापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

अमोर्टाइज़्ड लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (Financial Assets at Amortised Cost)

वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर विधि के माध्यम से अमोर्टाइज़्ड लागत पर मापा जाता है, यदि —(a) परिसंपत्ति ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखी गई है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है, और (b) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर केवल मूलधन और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं।

अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (Financial Asset at FVTOCI)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि — (a) वे ऐसे व्यवसाय मॉडल में रखी गई हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना और परिसंपत्तियों को बेचना — दोनों है, और (b) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (Financial Asset at FVTPL)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि उन्हें अमोर्टाइज़्ड लागत या FVTOCI पर मापने की आवश्यकता न हो। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में उचित मूल्य पर मापा जाता है, और सभी परिवर्तन लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त करते हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों की विमुक्ति (De-recognition of Financial Assets)

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब विमुक्त करती है जब — परिसंपत्ति से संबंधित नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं; या जब परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर दिया जाता है और उससे संबंधित लगभग सभी जोखिम और लाभ किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। यदि कंपनी न तो सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित करती है, न ही उन्हें पूर्ण रुप से बनाए रखती है, और फिर भी परिसंपत्ति पर नियंत्रण बनाए रखती है, तो कंपनी उस परिसंपत्ति में अपने प्रतिधारित हित को मान्यता देती है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की संपूर्ण विमुक्ति के समय, उसकी वहन राशि और प्राप्त प्रतिफल तथा अन्य समग्र आय (OCI) में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि के बीच का अंतर लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है, यदि ऐसे लाभ या हानि को उस परिसंपत्ति के विक्रय पर अन्यथा लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास (Impairment of Financial Assets)

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर यह मूल्यांकन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों का समूह ह्रासग्रस्त हुआ है। Ind AS 109 के अनुसार, अपेक्षित ऋण हानियों को हानि भत्ते के माध्यम से मापा जाना आवश्यक है। कंपनी सभी अनुबंधों के लिए आजीवन अपेक्षित हानियों को मान्यता देती है।

assets and/or all trade receivables that do not constitute a financing transaction. For all other financial assets, expected credit losses are measured at an amount equal to 12 months expected credit losses or at an amount equal to the life time expected credit losses if the credit risk on the financial asset has increased significantly since initial recognisition.

Financial liabilities and equity instruments

Financial instruments are classified as a liability or equity according to the substance of the contractual arrangement and not its legal form.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by a company are recognised at the proceeds received, net of issue costs.

Financial liabilities

All financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value, with any gains or losses arising on re-measurement recognised in profit or loss.

De-recognition of financial liabilities

The Company derecognises financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or have expired. An exchange between with lender of debt instruments with substantially different terms is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, a substantial modification of the terms of an existing financial liability (whether or not attributable to the financial difficulty of the debtor) is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in the statement of profit and loss.

Derivative contracts

The Company enters into derivative financial instruments to manage its exposure to foreign exchange rate risks, including foreign exchange forward contracts.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date on which the derivative contracts are entered into and are subsequently re-measured to their fair value at the end of each reporting period. The resulting gain or loss is recognized in the statement of profit or loss immediately.

Financial guarantee contracts

Financial guarantee contracts issued by the Company are those contracts that require a payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because the specified debtor fails to make a payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee contracts are recognised initially as a liability at fair value, adjusted for transaction costs that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount recognised less cumulative amortisation.

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित ऋण हानियाँ को या तो 12 महीने की अपेक्षित हानि के बराबर या यदि वित्तीय परिसंपत्ति का क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद काफी बढ़ गया है, तो आजीवन अपेक्षित हानि के बराबर मापा जाता है।

वित्तीय देनदारियाँ और इक्विटी इन्सट्रूमेंट (Financial Liabilities and Equity Instruments)

वित्तीय इन्सट्रूमेंट को उनके अनुबंध की सार के आधार पर देनदारी या इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, न कि उनके लीगल रूप के आधार पर।

इक्विटी इन्सट्रूमेंट (Equity Instruments)

इक्विटी इन्सट्रूमेंट वह कोई भी अनुबंध है जो किसी इकाई की परिसंपत्तियों में शेष रुचि को दर्शाता है, जब सभी देनदारियाँ घटा दी जाती हैं। कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी इन्सट्रूमेंट को प्राप्त राशि से जारी लागत घटाकर मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियाँ (Financial Liabilities)

सभी वित्तीय देनदारियाँ बाद में अमोर्टाइज़्ड लागत पर मापी जाती हैं, प्रभावी ब्याज दर विधि के अनुसार। FVTPL पर वर्गीकृत वित्तीय देनदारियाँ उचित मूल्य पर दर्शाई जाती हैं, और पुनर्मापन से उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियों की विमुक्ति (De-recognition of Financial Liabilities)

कंपनी वित्तीय देनदारियों को तब ही विमुक्त करती है जब कंपनी की देयताएँ पूरी हो जाएँ, रद्द हो जाएँ या समाप्त हो जाएँ। यदि ऋण साधनों का लेंडर के साथ आदान-प्रदान किया जाता है जिसमें शर्तें काफी भिन्न होती हैं, तो इसे मूल वित्तीय देनदारी का उन्मूलन और नई वित्तीय देनदारी की मान्यता के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार, मौजूदा वित्तीय देनदारी की शर्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन (चाहे यह ऋणदाता की वित्तीय कठिनाई के कारण हो या न हो) को भी मूल वित्तीय देनदारी का उन्मूलन और नई वित्तीय देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। विमुक्त वित्तीय देनदारी की वहन राशि और भुगतान की गई/देय राशि के बीच का अंतर लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त करता है।

डेरिवेटिव अनुबंध (Derivative Contracts)

कंपनी विदेशी मुद्रा दर जोखिम को प्रबंधित करने के लिए डेरिवेटिव वित्तीय साधनों में प्रवेश करती है, जिसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल हैं। डेरिवेटिव्स को प्रारंभ में उनके अनुबंध तिथि पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनः उचित मूल्य पर मापा जाता है। उत्पन्न लाभ या हानि तुरंत लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त करता है।

वित्तीय गारंटी अनुबंध (Financial Guarantee Contracts)

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं जो धारक को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भुगतान की आवश्यकता रखते हैं, यदि निर्दिष्ट ऋणदाता समय पर भुगतान करने में विफल रहता है। इन अनुबंधों को प्रारंभ में देनदारी के रूप में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें गारंटी जारी करने से सीधे संबंधित लेनदेन लागत को समायोजित किया जाता है। बाद में, देनदारी को Ind AS 109 के ह्रास आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते और संचयी अमोर्टाइजेशन घटाकर मान्यता प्राप्त राशि में से उच्चतम राशि पर मापा जाता है।

Reclassification of financial assets and liabilities

The Company determines classification of financial assets and liabilities on initial recognition. After initial recognition, no reclassification is made for financial assets which are equity instruments and financial liabilities. For financial assets which are debt instruments, a reclassification is made only is there is change in the business model for managing those assets. Changes to the business model are expected to be infrequent The Company's senior management determines change in the business model as a result of external or internal changes which are significant to the Company's operations Such changes are evident to external parties. A change in the business model occurs when the Company either begins or ceases to perform an activity that is significant to its operations. If the Company reclassifies financial assets, it applies the reclassification prospectively from the reclassification date which is the first day of the immediately next reporting period following the change in business model. The Company does not restate any previously recognised gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the balance sheet if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

(h) Revenue Recognition

i. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable on accrual basis and when its collection or receipts is reasonably certain. Income is reduced for estimated rebates and similar allowances, if any

ii. Transmission Charges & incentive bills are accounted for on the basis of Tariff Rates, notified/approved by the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC)

iii. Revenue from contracts for rendering of engineering design services and other services are recognised as and when the terms of the contract are fulfilled.

iv. Interest income (other than interest/ surcharge from customers) from a financial asset is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the company and the amount of income can be measured reliably Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to the asset's net carrying amount on initial recognition, included under the head "other income" in the statement of profit and loss.

v. Value of waste and scrap is accounted for on actual realization basis.

vi. Recovery towards income tax from beneficiaries is accounted for as reimbursement on year to year basis.

vii. Interest/ Surcharge recoverable in Advances to Suppliers as well as warranty Claims/ Liquidity Damages are not treated as accrued, due to uncertainly of realization/ acceptance and are, therefore, accounted for on receipt of acceptances.

viii. Claims for late payment surcharge recognized according to the agreement are accounted for as Income of the Company on realization from the contractors / suppliers/vendors/ third parties.

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का पुनर्वर्गीकरण (Reclassification of financial assets and liabilities)

कंपनी प्रारंभिक मान्यता के समय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, उन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो इक्विटी साधन (equity instruments) हैं तथा वित्तीय देयताओं के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता। उन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन (debt instruments) हैं, केवल तभी पुनर्वर्गीकरण किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों को प्रबंधित करने के लिए व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन असामान्य होने की अपेक्षा की जाती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन, कंपनी के संचालन से संबंधित बाहरी या आंतरिक महत्वपूर्ण परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करता है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पक्षों के लिए स्पष्ट होते हैं।

व्यापार मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी किसी ऐसी गतिविधि को शुरू करती है या समाप्त करती है जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से आगे के लिए लागू करती है, जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन के बाद तुरंत अगले रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन होता है। कंपनी पहले से मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (जिसमें मूल्यह्रास लाभ या हानि शामिल है) या ब्याज को पुनः प्रस्तुत नहीं करती।

वित्तीय उपकरणों का समायोजन (Offsetting of financial instruments)

यदि वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार मौजूद है कि मान्यता प्राप्त राशियों का समायोजन किया जा सकता है, और परिसंपत्तियों एवं देयताओं का निपटान एक साथ करने का इरादा है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है और बैलेंस शीट में शुद्ध राशि के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

(h) राजस्व की मान्यता (Revenue Recognition)

i. राजस्व का मापन प्राप्त या प्राप्त होने योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर, उपार्जन के आधार पर किया जाता है और जब इसका संग्रह या प्राप्ति यथोचित रुप से सुनिश्चित होती है। आय को अनुमानित रिबेट्स और समान रियायतों (यदि कोई हों) के लिए घटाया जाता है।

ii. ट्रांसमिशन चार्जेस और प्रोत्साहन बिलों का लेखा-जोखा उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा अधिसूचित/स्वीकृत टैरिफ दरों के आधार पर किया जाता है।

iii. इंजीनियरिंग डिजाइन सेवाओं एवं अन्य सेवाओं के अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को अनुबंध की शर्तों की पूर्ति होने पर मान्यता दी जाती है।

iv. ब्याज आय (ग्राहकों से प्राप्त ब्याज/सर्चार्ज को छोड़कर) को तब मान्यता दी जाती है जब यह संभावित होता है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और आय की राशि को विश्वसनीय रुप से मापा जा सकता है। ब्याज आय को समय के आधार पर अर्जित किया जाता है, जिसमें बकाया मूलधन और प्रभावी ब्याज दर का संदर्भ लिया जाता है — जो दर अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को परिसंपत्ति की प्रारंभिक वहन राशि के साथ ठीक-ठीक छूट देती है। यह आय “अन्य आय” शीर्षक के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में दिखाई जाती है।

v. अपशिष्ट और कबाड़ का मूल्य वास्तविक प्राप्ति के आधार पर दर्ज किया जाता है।

vi. लाभार्थियों से आयकर की वसूली को प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति के रुप में दर्ज किया जाता है।

vii. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान पर वसूल किए जाने योग्य ब्याज/सर्चार्ज तथा वारंटी दावे/द्रव्यमान हानि को वसूलने या स्वीकार किए जाने की अनिश्चितता के कारण उपार्जित नहीं माना जाता, बल्कि प्राप्ति या स्वीकृति पर ही दर्ज किया जाता है।

viii. अनुबंधों के अनुसार विलंबित भुगतान अधिभार से संबंधित दावे, ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं/तीसरे पक्षों से प्राप्त होने पर कंपनी की आय के रूप में दर्ज किए जाते हैं।

(i) Dividend

The Company recognizes a liability for annual dividend distributions to its equity holders when the distribution is authorized and the distribution is no longer at its discretion. As per the corporate laws in India, a distribution is authorized when it is approved by the shareholders. A corresponding amount is recognized directly in other equity along with any tax thereon.

In case of interim dividend, the liability is recognised on its declaration by the Board of Directors.

(j) Government Grants

Government grant as per Ind AS 20 are not recognized until there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attached to them and that the grants will be received.

Government grants relating to income are determined and recognized in the statement of profit and loss over the period necessary to match them with the cost that they are intended to compensate and presented within other income.

Government grants relating to the purchase of property, plant and equipment are treated as deferred income and recognised in the statement of profit and loss along with depreciation over the useful life of related assets in proportion to which depreciation on these assets are provided.

(k) Impairment of Assets

As at the end of each accounting year, the Company reviews the carrying amounts of its PPE, investment property, intangible assets and investments to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If such indication exists, PPE, investment property, intangible assets and investments are tested for impairment so as to determine the impairment loss, if any. Intangible assets with indefinite life are tested for impairment each year.

Impairment loss is recognised when the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount Recoverable amount is determined

(i) in the case of an individual asset, at the higher of the net selling price and the value in use; and

(ii) in the case of a cash generating unit (the smallest identifiable group of assets that generates independent cash flows), at the higher of the cash generating unit's net selling price and the value in use.

The amount of value in use is determined as the present value of estimated future cash flows from the continuing use of an asset, which may vary based on the future performance of the Company and from its disposal at the end of its useful life. For this purpose, the discount rate (pre-tax) is determined based on the weighted average cost of capital of the Company suitably adjusted for risks specified to the estimated cash flows of the asset.

If recoverable amount of an asset (or cash generating unit) is estimated to be less than its carrying amount, such deficit is recognised immediately in the Statement of Profit and Loss as impairment loss and the carrying amount of the asset (or cash generating unit) is reduced to its recoverable amount.

(i) लाभांश (Dividend)

कंपनी अपने इक्विटी धारकों को वार्षिक लाभांश वितरण के लिए देयता को तब मान्यता देती है जब वितरण को अनुमोदित किया जाता है और वितरण कंपनी के विवेकाधिकार में नहीं रहता। भारत के कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार, वितरण तब अनुमोदित माना जाता है जब इसे शेयरधारकों द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इसके साथ संबंधित राशि को अन्य इक्विटी में सीधे मान्यता दी जाती है, जिसमें उस पर देय कर भी शामिल होता है।

अंतरिम लाभांश के मामले में, देयता को निदेशक मंडल द्वारा घोषणा किए जाने पर मान्यता दी जाती है।

(j) सरकारी अनुदान (Government Grants)

Ind AS 20 के अनुसार, सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक यह उचित रूप से सुनिश्चित न हो जाए कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त होंगे।

आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को उस अवधि के दौरान निर्धारित और लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जो अवधि उन लागतों से मेल खाती है जिन्हें वह अनुदान भरपाई करने के लिए दिया गया है, और इसे "अन्य आय" के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद से संबंधित सरकारी अनुदानों को स्थगित आय के रूप में माना जाता है और संबंधित परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु के दौरान, मूल्यह्रास (Depreciation) के साथ अनुपातिक रूप से लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(k) परिसंपत्तियों की ह्रास (Impairment of Assets)

प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में, कंपनी अपनी स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों (PPE), निवेश संपत्ति, अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेशों की वहन राशि की समीक्षा करती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कहीं उन परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास तो नहीं हुआ है। यदि ऐसा संकेत मिलता है, तो इन परिसंपत्तियों का ह्रास परीक्षण किया जाता है ताकि संभावित ह्रास हानि का निर्धारण किया जा सके। अनिश्चित आयु वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का हर वर्ष ह्रास परीक्षण किया जाता है।

जब किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी पुनर्प्राप्ति योग्य राशि से अधिक होती है, तो उस अंतर को ह्रास हानि के रूप में मान्यता दी जाती है। पुनर्प्राप्ति योग्य राशि का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है —

(i) एकल परिसंपत्ति के मामले में: शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो।

(ii) नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई — अर्थात परिसंपत्तियों का वह सबसे छोटा पहचान योग्य समूह जो स्वतंत्र नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है — के मामले में, उस इकाई के शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो।

उपयोग मूल्य का निर्धारण किसी परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से अनुमानित भविष्य की नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य) के रूप में किया जाता है, जो कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन और परिसंपत्ति की उपयोगी आयु समाप्त होने पर उसके निपटान से प्राप्त होने वाले मूल्य पर आधारित होता है।

इसके लिए प्रयुक्त छूट दर— जो कर पूर्व होती है — कंपनी की भारित औसत पूंजी लागत पर आधारित होती है, जिसे परिसंपत्ति से संबंधित अनुमानित नकदी प्रवाह के जोखिमों के अनुसार समायोजित किया जाता है।

यदि किसी परिसंपत्ति (या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई) की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम पाई जाती है, तो इस कमी को तुरंत लाभ-हानि विवरण में ह्रास हानि के रूप में मान्यता दी जाती है और परिसंपत्ति (या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई) की वहन राशि को उसकी पुनर्प्राप्ति योग्य राशि तक घटा दिया जाता है।

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or cash generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, such that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognised for the asset (or cash generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.

The Company reviews its carrying value of assets carried at cost, annually, or more frequently when there is indication for impairment. If the recoverable amount is less than its carrying amount, the impairment loss is accounted for

(l) Provisions, Contingent Assets/ Liabilities

Provisions are recognised only when:

(i) the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event;
(ii) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and
(iii) a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation and when the effect of time value of money is material, the carrying amount of the provision is the present value of those cash flows. Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation arising from past events that may, but probably will not require an outflow of resources. Where there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no disclosure is made.

Contingent Assets are not recognized but are disclosed in the notes to financial statements when inflow of economic benefits is probable.

(m) Borrowing Cost

Borrowing costs includes interest, commitment charges, brokerage, underwriting costs, discounts/premium, financing charges, and exchange differences to the extent they are regarded as interest costs and all ancillary / incidental costs incurred in connection with the arrangement of borrowing.

Borrowing costs that are directly attributable to acquisition/construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets. All other borrowing costs are recognized as expense in the period in which they are incurred.

Interest income earned on the temporary investment of specific borrowing pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalisation.

A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale.

जब किसी परिसंपत्ति (या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई) की ह्रास हानि बाद में वापिस हो जाती है, तो उस परिसंपत्ति की वहन राशि को उसकी पुनर्प्राप्ति योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ाया जाता है, बशर्ते यह बढ़ी हुई वहन राशि उस राशि से अधिक न हो, जो तब होती यदि पूर्व वर्षों में उस परिसंपत्ति (या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई) पर ह्रास हानि को मान्यता नहीं दी गई होती। ह्रास हानि की पुनर्प्राप्ति को तुरंत लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

कंपनी अपनी लागत पर दर्ज परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा वार्षिक रूप से करती है, या अधिक बार जब ह्रास के संकेत मिलते हैं। यदि किसी परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम होती है, तो उस ह्रास हानि को दर्ज किया जाता है।

(l) प्रावधान, संभाव्य परिसंपत्तियाँ/देयताएँ (Provisions, Contingent Assets / Liabilities)

प्रावधान (Provision) केवल तभी मान्यता प्राप्त करते हैं जब:
(I) कंपनी के पास किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या निहित) मौजूद हो;
(ii) यह संभावित हो कि उस दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाली संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा; और
(iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

प्रावधान का मापन उन अनुमानित नकदी प्रवाहों के आधार पर किया जाता है जो वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक होंगे। जब धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, तो प्रावधान की वहन राशि उन नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के रूप में होती है।

यदि किसी व्यय के निपटान हेतु किए गए प्रावधान के संबंध में प्रतिपूर्ति की अपेक्षा हो, तो उसे केवल तभी मान्यता दी जाती है जब प्रतिपूर्ति का प्राप्त होना लगभग निश्चित हो।

संभाव्य देयता का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व किसी पूर्व घटना से उत्पन्न हुआ हो, जो संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता तो उत्पन्न कर सकता है, परंतु जिसकी संभावना अधिक नहीं होती।

जहाँ संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना अत्यंत कम होती है, वहाँ कोई प्रकटीकरण नहीं किया जाता।

संभाव्य परिसंपत्तियाँ को मान्यता नहीं दी जाती, लेकिन जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित हो जाता है, तब उन्हें वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकटीकृत किया जाता है।

(m) ऋण लागत (Borrowing Cost)

ऋण लागत में ब्याज, प्रतिबद्धता शुल्क, दलाली, अंडरराइटिंग लागत, छूट/प्रीमियम, वित्तपोषण शुल्क, विनिमय अंतर — जिन्हें ब्याज लागत के रूप में माना जाता है — और उधार व्यवस्था से संबंधित सभी सहायक/आकस्मिक लागतें शामिल होती हैं।

जो ऋण लागत किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण से सीधे संबंधित होती है, उसे उस परिसंपत्ति की लागत का हिस्सा बनाकर पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

किसी योग्य परिसंपत्ति पर व्यय किए जाने से पहले, विशेष उधारों के अस्थायी निवेश से अर्जित ब्याज आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों से घटा दिया जाता है।

योग्य परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होती है जिसे अपने नियोजित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है।

(n) Foreign currency

In preparing the financial statements, transaction in foreign currencies i.e, other than the company's functional currency are recognised at rate of exchange prevailing for the month on the dates of the transactions.

Foreign currency monetary assets and liabilities, remaining unsettled at the reporting date are translated at the exchange rate prevailing at reporting date and differences are recognised in statement of profit and loss. Foreign currency non-monetary assets and liabilities, which are measured in terms of historical cost denominated in a foreign currency, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

The results and financial position of foreign operations that have a functional currency different from the presentation currency are translated in to presentation currency as follows:

- assets and liabilities are translated at the closing rate at the date of reporting
- income and expenses at the exchange rate prevailing on the date of transaction
- resulting exchange difference are recognized in other comprehensive income.

(o) Retirement and other Employee Benefits

For Employees covered under General Provident Fund:

Government of Uttarakhand had taken over the liabilities for Gratuity and Pension w.e.f. March, 2004 against payment of 19.08% of the Basic Salary and Dearness Allowance and the same has been accounted for on accrual basis.

For Employees covered under Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952:

Defined Benefit Plans:

a) Gratuity in respect of employees covered under employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952 have been accounted for on actuarial valuation basis through LIC.

b) Encashment of leave is accounted on the basis of actuarial valuation through LIC.

Short-term employee benefits such as salaries, wages, short-term compensated absences, cost of bonus, and performance linked rewards falling due wholly within its twelve months of rendering the service are classified as short-term employee benefits and are expensed in the period in which the employee renders the related service.

Defined contribution plan: Company's contributions due/ payable during the year towards provident fund is recognized in the statement of profit and loss. The Company has no obligation other than the contribution payable to the provident fund.

(p) Taxes on Income

Tax on income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and based on the expected outcome of assessments/appeals.

(n) विदेशी मुद्रा (Foreign Currency)

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य विदेशी मुद्राओं में किए गए लेनदेन को, लेनदेन की तारीख पर उस माह में प्रचलित विनिमय दर पर मान्यता दी जाती है।

रिपोर्टिंग तिथि पर अवशिष्ट विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्तियाँ और देयताएँ उस तिथि की प्रचलित विनिमय दर पर पुनः मूल्यांकित की जाती हैं, और इस पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

विदेशी मुद्रा में गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियाँ और देयताएँ, जिन्हें ऐतिहासिक लागत पर मापा गया है, उन्हें लेनदेन की तारीख की विनिमय दर पर रिपोर्ट किया जाता है।

ऐसी विदेशी परिचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति, जिनकी कार्यात्मक मुद्रा प्रस्तुति मुद्रा से भिन्न है, को प्रस्तुति मुद्रा में इस प्रकार अनुवादित किया जाता है —

- परिसंपत्तियाँ और देयताएँ — रिपोर्टिंग तिथि पर समापन दर पर।
- आय और व्यय — लेनदेन की तारीख की विनिमय दर पर।
- उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

(o) सेवानिवृत्ति एवं अन्य कर्मचारी लाभ (Retirement and Other Employee Benefits)

सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए: उत्तराखंड सरकार ने मार्च 2004 से ग्रेच्युटी और पेंशन की देनदारियाँ अपने ऊपर ले ली हैं, जिसके बदले में 19.08% मूल वेतन और महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाता है। इसे उपार्जन आधार पर दर्ज किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए —
परिभाषित लाभ योजना (Defined Benefit Plans):
a) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का लेखांकन एलआईसी (LIC) के माध्यम से एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
b) अवकाश नकदीकरण का लेखांकन भी एलआईसी के माध्यम से एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

लघु अवधि कर्मचारी लाभ (Short-term Employee Benefits):

वेतन, मजदूरी, अल्पकालिक अवकाश, बोनस, और प्रदर्शन आधारित पुरस्कार जैसे लाभ, जो सेवा प्रदान किए जाने के बारह महीनों के भीतर देय होते हैं, उन्हें लघु अवधि कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है, उसी अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

परिभाषित अंशदान योजना (Defined Contribution Plan):

कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान देय/भुगतान योग्य भविष्य निधि अंशदान को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी की कोई अन्य देनदारी नहीं है, सिवाय भविष्य निधि में देय अंशदान के।

(p) आय पर कर (Taxes on Income)

वर्तमान अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण, कर योग्य आय और कर क्रेडिट्स के आधार पर किया जाता है, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) के प्रावधानों के अनुसार गणना किया जाता है, तथा आकलन/अपील के अपेक्षित परिणामों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है।

Income tax liability is passed to beneficiaries as reimbursement to the extent relatable to core activity i.e Transmission of Electricity.

Deferred tax is recognised on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the Company's financial statements and the corresponding tax bases used in computation of taxable profit and quantified using the tax rates as per laws enacted or substantively enacted as at the Balance Sheet date.

Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary differences except where the Company is able to control the reversal of the temporary difference and it is probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are generally recognised for all taxable temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilised. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax assets relating to unabsorbed depreciation/business losses/losses under the head "capital gains"/other temporary differences are recognised and carried forward to the extent of taxable temporary differences or where there is convincing other evidence that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised.

The measurement of deferred tax liabilities and assets reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Transaction or event which is recognised outside Profit or Loss, either in Other Comprehensive Income or in Equity, is recorded along with the tax as applicable.

The Company uses estimates and judgements based on the relevant rulings in the areas of allowances and disallowances which are exercised while determining the provision for income tax.

(q) Earnings Per Share

Basic earnings per share are computed by dividing the net profit or loss after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per shares is computed by dividing the profit after tax by the weighted average number of equity shares considered for dividing basic earnings per shares and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares. The dilutive potential equity shares are adjusted for the proceeds receivable had the equity shares been actually issued at fair value (ie. the average market value of the outstanding equity shares). Dilutive potential equity shares are deemed converted as of the beginning of the period, unless issued at a later date. Dilutive potential equity shares are determined independently for each period presented.

आयकर देयता को लाभार्थियों पर इस सीमा तक प्रतिपूर्ति के रुप में स्थानांतरित किया जाता है, जहाँ तक यह मुख्य गतिविधि अर्थात् विद्युत संचरण से संबंधित है।

स्थगित कर को परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उनके संबंधित कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है, और इसे कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किया जाता है तथा बैलेंस शीट तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रुप से अधिनियमित कानूनों के अनुसार कर दरों का उपयोग करके परिमाणित किया जाता है।

सामान्यतः सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए स्थगित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है, सिवाय उन मामलों के जहाँ कंपनी अस्थायी अंतर के उलटने को नियंत्रित करने में सक्षम होती है और यह संभावित होता है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा।

सामान्यतः सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए स्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि ऐसे कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध इन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सके। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक घटाई जाती है जहाँ यह अब संभावित नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिससे परिसंपत्ति का पूरा या आंशिक पुनर्प्राप्ति संभव हो।

अवशोषित न की गई मूल्यह्रास/व्यवसाय हानि/"पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत हानि/अन्य अस्थायी अंतरों से संबंधित स्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है और आगे ले जाया जाता है जहाँ कर योग्य अस्थायी अंतर मौजूद हों या जहाँ इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हों कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसे स्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकेगा।

स्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को प्रतिबिंबित करता है जो इस बात से उत्पन्न होंगे कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी अपने परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि को कैसे वसूलने या निपटाने की अपेक्षा करती है।

कोई भी लेनदेन या घटना जो लाभ या हानि के बाहर, चाहे अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में मान्यता प्राप्त हो, उसे लागू कर के साथ दर्ज किया जाता है।

कंपनी, आयकर के प्रावधान को निर्धारित करते समय, अनुमतियों और अस्वीकृतियों के क्षेत्रों में प्रासंगिक निर्णयों के आधार पर आकलन और निर्णय का उपयोग करती है।

(q) प्रति शेयर आय (Earnings Per Share)

मूल प्रति शेयर आय की गणना, कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को अवधि के दौरान जारी औसत भारित इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। विलुप्त (Diluted) प्रति शेयर आय की गणना, कर के बाद लाभ को उन औसत भारित इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित करके की जाती है जो मूल प्रति शेयर आय के लिए विचार किए गए हैं, और उन औसत भारित इक्विटी शेयरों की संख्या से भी जो सभी डाईल्यूटिड करने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे। डाईल्यूटिड करने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि यदि वास्तव में उचित मूल्य (अर्थात जारी इक्विटी शेयरों के औसत बाजार मूल्य) पर जारी किए गए होते तो प्राप्त होने वाली आय का ध्यान रखा जाता। डाईल्यूटिड करने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरुआत से रूपांतरित माना जाता है, जब तक कि वे बाद की तिथि पर जारी न किए गए हों। डाईल्यूटिड करने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों का निर्धारण प्रत्येक प्रस्तुत अवधि के लिए स्वतंत्र रुप से किया जाता है।

(r) Accounting and reporting of information for Operating Segments

Operating segments are those components of the business whose operating results are regularly reviewed by the chief operating decision making body in the Company to make decisions for performance assessment and resource allocation.

The reporting of segment information is the same as provided to the management for the purpose of the performance assessment and resource allocation to the segments.

Segment accounting policies are in line with the accounting policies of the Company.

(s) Statement of Cash Flows

Statement of Cash Flows is prepared segregating the cash flows into operating. investing and financing activities. Cash flow from operating activities is reported using indirect method, adjusting the profit before tax excluding exceptional items for the effects of:

(i) changes during the period in inventories and operating receivables and payables. transactions of a non-cash nature;

(ii) non-cash items such as depreciation, provisions, unrealised foreign currency gains and losses; and

(iii) all other items for which the cash effects are investing or financing cash flows

(t) Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise cash in hand, demand deposits with banks and short-term highly liquid investments (original maturity less than 3 months) that are readily convertible into known amount of cash and are subject to an insignificant risk of change in value.

(u) Material prior period errors

Material prior period errors are corrected retrospectively by restating the comparative amount for the prior periods presented in which the error occurred. If the error occurred before the earliest period presented, the opening balance of assets, liabilities and equity for the earliest period presented are restated.

Application of new and revised standards

During the year, the Ministry of Corporate Affairs has notified the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2021 which has brought about certain amendments in the existing Indian Accounting Standards. Impact of these amendments are disclosed hereunder:

(i) Interest rate benchmark reform - Phase 2: Amendments to Ind AS 109, Ind AS 107 and Ind AS 116: The Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2021 has added certain provisions regarding interest rate benchmark reforms under Ind AS 109"Financial Instruments". Consequential amendments have also been made in Ind AS 107- Financial Instruments-Disclosures and Ind AS 116- Leases. There is, however, no material impact on the financial statements of the Company.

(ii) Ind AS 116: COVID-19 related rent concession: MCA issued an amendment to Ind AS 116 COVID 19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021 to update the condition for lessees to apply the relief to a reduction in lease payments originally due on or before

(r) संचालन सैग्मेंटस के लिए लेखांकन और सूचना की रिपोर्टिंग

परिचालन सैग्मेंट (Operating Segments) वे व्यावसायिक घटक होते हैं जिनके संचालन परिणामों की नियमित रुप से कंपनी के मुख्य निर्णय लेने वाले निकाय द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि प्रदर्शन के मूल्यांकन और संसाधनों के आवंटन के संबंध में निर्णय लिए जा सकें।

खंड संबंधी सूचना की रिपोर्टिंग उसी प्रकार की जाती है जैसी प्रबंधन को प्रदर्शन मूल्यांकन और संसाधन आवंटन के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।

खंड लेखांकन नीतियाँ कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुरुप होती हैं।

(s) नकदी प्रवाह विवरण (Statement of Cash Flows)

नकदी प्रवाह विवरण को परिचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों में वर्गीकृत करते हुए तैयार किया जाता है। परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि (Indirect Method) द्वारा की जाती है, जिसमें कर से पहले के लाभ (अपवादात्मक मदों को छोड़कर) को निम्नलिखित प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है:

(i) अवधि के दौरान भंडार, परिचालन देनदारियों और परिचालन प्राप्तियों में परिवर्तन; गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन;

(ii) गैर-नकद मदें जैसे मूल्यह्रास, प्रावधान, अप्राप्त विदेशी मुद्रा लाभ और हानियाँ; तथा

(iii) वे सभी अन्य मदें जिनके नकद प्रभाव निवेश या वित्तीय नकदी प्रवाह से संबंधित हैं।

(t) नकद और नकद समकक्ष (Cash and Cash Equivalents)

नकद और नकद समकक्ष में हाथ में नकद, बैंकों में मांग जमा और अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश (मूल परिपक्वता तीन माह से कम) शामिल होते हैं, जिन्हें ज्ञात राशि के नकद में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है और जिनमें मूल्य परिवर्तन का नगण्य जोखिम होता है।

(u) भूतपूर्व अवधियों की महत्वपूर्ण त्रुटियाँ (Material Prior Period Errors)

भूतपूर्व अवधियों की महत्वपूर्ण त्रुटियों को प्रतिगामी रूप से सुधारा जाता है, अर्थात उस पूर्व अवधि के तुलनात्मक आँकड़ों को पुनः स्थापित किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक अवधि से पहले हुई थी, तो उस प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी की उद्घाटन शेष राशि को पुनः स्थापित किया जाता है।

नए और संशोधित मानकों का अनुप्रयोग (Application of New and Revised Standards)

वर्ष के दौरान, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) ने कंपनियाँ (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं, जिनसे मौजूदा भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) में कुछ संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों का प्रभाव निम्नलिखित है:

(i) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार - चरण 2 : Ind AS 109, Ind AS 107 और Ind AS 116 में संशोधन:

कंपनियाँ (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 के तहत, Ind AS 109 "वित्तीय उपकरण" में ब्याज दर बेंचमार्क सुधारों से संबंधित कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं। परिणामस्वरुप Ind AS 107 "वित्तीय उपकरण – प्रकटीकरण" और Ind AS 116 "पट्टे" में भी आवश्यक संशोधन किए गए हैं। हालाँकि, इन संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ii) Ind AS 116: COVID-19 संबंधित किराया रियायत :

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने Ind AS 116 COVID-19 संबंधित किराया रियायतें (COVID-19 Related Rent Concessions) पर 30 जून 2021 के बाद लागू होने वाले किराया भुगतान में कमी के लिए किरायेदारों (lessees) द्वारा राहत लागू करने की शर्त को अद्यतन करने हेतु संशोधन जारी किया है।

30 June 2022 from 30 June 2021. The amendment applies to annual reporting periods beginning on or after 1 April 2021. In case a lessee has not yet approved the financial statements for issue before the issuance of this amendment, then the same may be applied for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2020. These amendments had no material impact on the financial statements of the Company.

(iii) Amendment to Ind AS 105, Ind AS 16 and Ind AS 28: The definition of "Recoverable amount" is amended such that the words "the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use" are replaced with "higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value in use". Consequential amendments have been made in Ind AS 105, Ind AS 16 and Ind AS 28. These amendments had no material impact on the financial statements of the Company.

(iv) Amendments/ revision in other standards are either not applicable or do not have any material impact on the financial statements.

30 जून 2021 की तिथि को संशोधित कर 30 जून 2022 कर दिया गया है। यह संशोधन 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद प्रारंभ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों पर लागू होता है। यदि किसी किरायेदार (lessee) ने इस संशोधन के जारी होने से पहले अपने वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए स्वीकृत नहीं किया है, तो इसे 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद प्रारंभ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए भी लागू किया जा सकता है। इन संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iii) Ind AS 105, Ind AS 16 और Ind AS 28 में संशोधन:

"Recoverable Amount" की परिभाषा में संशोधन किया गया है, जिसके तहत वाक्यांश "किसी परिसंपत्ति का उचित मूल्य, बिक्री की लागत घटाकर और उपयोग में उसका मूल्य, जो भी अधिक हो, वह मान लिया जाएगा" को बदलकर "किसी परिसंपत्ति का उचित मूल्य, निपटान की लागत घटाकर और उपयोग में उसका मूल्य, जो भी अधिक हो, वह मान लिया जाएगा" किया गया है। इसके परिणामस्वरूप Ind AS 105, Ind AS 16 और Ind AS 28 में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। इन संशोधनों का भी कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iv) अन्य मानकों में किए गए संशोधन या तो कंपनी पर लागू नहीं होते या उनके कारण कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

NAVEEN UPADHYAYA & ASSOCIATES
Chartered Accountants

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Members of
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited

Report on the Audit of the Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2025, and the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Cash Flows and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the efforts of the matter described in the basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2025 and its profit (including other comprehensive income). its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date

Basis for Qualified Opinion

1. During the year under audit, based on the information and explanations provided to us, we observed that amount for land has been reconciled with the documents held on record. However, in the understated cases, documents like: Sale deed, Conveyance deed or mutation (Khasra / Khatauni) have not been provided.

S. No.	Description of Item of Property	Area in Hectare	Gross Carrying Value	Title Deeds held in the name of	Whether tittle deed holder is a promoter, director or relative of Promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date/ year	Remarks
01.	132 Manglore	Not Known	89,15,760/-	Not ascertainable	No	06/02/2004	The property was transferred by order of
02.	132 Bhagwanpur	Not Known	55,54,240/-	No	No	06/02/2004	

Lane No. 05, Lohariasal Talla, Talli Bamori, Ooncha Pul, Haldwani-263139 Uttarakhand
Emial id: naveen@canaveen.com, Website : www.canaveen.com, Mob No.: 9911334882
Branch Offices: New Delhi, Una (Himachal Pradesh), Noida (Uttar Pradesh), Ambikapur (Chattisgarh), Bhubneshwar (Odisha), Patna (Bihar)

नवीन उपाध्याय एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT)

प्रति,
पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड
के सदस्यों के नाम
वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण पर रिपोर्ट
योग्य राय

हमने **पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड** ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें **31 मार्च 2025** की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण (जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल है), नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारे मत में, और हमें उपलब्ध जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, **हमारी रिपोर्ट के "योग्य राय के आधार" (Basis for Qualified Opinion)** खंड में वर्णित विषय के प्रभावों को छोड़कर, उक्त वित्तीय विवरण **कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम")** के अनुसार आवश्यक जानकारी उचित रूप से प्रदान करते हैं और भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) — जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित **कंपनियाँ (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015** के तहत निर्धारित किए गए हैं — तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति का **सच्चा और निष्पक्ष चित्रण (True and Fair View)** प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि **31 मार्च 2025** को है, तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ (जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल है), नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण प्रदर्शित करते हैं।

योग्य राय का आधार (Basis for Qualified Opinion)

1. वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षण में, हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर यह देखा गया कि भूमि से संबंधित राशियों का मिलान (reconciliation) अभिलेखों में रखे गए दस्तावेजों से किया गया है। हालाँकि, निम्नलिखित मामलों में आवश्यक दस्तावेज जैसे – बिक्री विलेख (Sale Deed), हस्तांतरण विलेख (Conveyance Deed) अथवा नामांतरण दस्तावेज (Khasra/Khatauni) उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सकल वहन मूल्य	शीर्षक विलेख किसके नाम पर है	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस वर्ष/तिथि से धारित है	टिप्पणियाँ
01.	132 के.वी. मंगलौर	ज्ञात नहीं	89,15,760/-	निर्धारित नहीं किया जा सका	नहीं	06/02/2004	यह संपत्ति उत्तराखंड सरकार
02.	132 के.वी. भगवानपुर	ज्ञात नहीं	55,54,240/-	नहीं	नहीं	06/02/2004	

लेन नं. 05, लोहारियासाल तल्ला, तल्ली बमौरी, ऊँचा पुल, हल्द्वानी - 263139, उत्तराखंड
ईमेल आईडी: naveen@canaveen.com वेबसाइट: www.canaveen.com मोबाइल नंबर: 9911334882
शाखा कार्यालय: नई दिल्ली, ऊना (हिमाचल प्रदेश), नोएडा (उत्तर प्रदेश),
अंबिकापुर (छत्तीसगढ़), भुवनेश्वर (ओडिशा), पटना (बिहार)

03.	132 KV Baazpur	Not Known	10,74,276/-	No	No	06/02/2004	Government of Uttarakhand (Director, Uttarakhand Krishi Utapadan Mandi Parishad, Haldwani
04.	220 KV O&M Division, Rishikesh	Not Known	50,50,439/-	No	No	2004	Property was transfer under transfer scheme
05.	400 KV O&M Division, Rishikesh	Not Known	77,52,501/-	No	No	2004	Property was transfer under transfer scheme
06.	O&M Division, Yamuna Colony, Dehradun	Not Known	29,53,072/-	No	No	2004	Property was transfer under transfer scheme
07.	220 KV O&M Division, Roorkee	Not Known	33,19,850/-	No	No	2004	Property was transfer under transfer scheme

2. The balances of amounts receivable from and payable to suppliers, contractors, employees, and other parties (including suspense advances) as on June 1, 2004, remain un-reconciled Due to the absence of reconciliation and supporting documentation, we are unable to determine the financial impact, if any, of these differences on the financial statements. Further, in the absence of party wise details of retention money, advances received, the data of current and non-current classification thereto could not be verified.

3. The Company has not conducted a physical verification of its property, plant and equipment during the current year, and, as represented to us, the last such verification was conducted in the financial year 2023-24. The fixed asset register for Financial Year 2024-25 was not prepared till date of audit and in the absence of availability of relevant record with respect to PPE and a reconciled FAR, we are unable to determine whether any adjustments may be required to the carrying value of these assets and related depreciation expense .

4. In the absence of sufficient documentation and supporting analysis relating to impairment testing of Property, Plant and Equipment in accordance with the requirements of Ind AS 36, we are unable to comment on potential overstatement of fixed assets and profit for the period. We recommend that management enhance its monitoring procedures and consider appointing an independent expert for proper assessment and reporting under Ind AS.

03.	132 के.वी. बाजपुर	ज्ञात नहीं	10,74,276/-	नहीं	नहीं	06/02/2004	(निदेशक, उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी परिषद, हलद्वानी) के द्वारा हस्तांतरित की गई थी
04.	220 के.वी. ओ एंड एम डिवीजन, ऋषिकेश	ज्ञात नहीं	50,50,439/-	नहीं	नहीं	2004	संपत्ति का हस्तांतरण ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत किया गया
05.	400 के.वी. ओ एंड एम डिवीजन, ऋषिकेश	ज्ञात नहीं	77,52,501/-	नहीं	नहीं	2004	संपत्ति का हस्तांतरण ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत किया गया
06.	ओ एंड एम डिवीजन, यमुना कॉलोनी, देहरादून	ज्ञात नहीं	29,53,072/-	नहीं	नहीं	2004	संपत्ति का हस्तांतरण ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत किया गया
07.	220 के.वी. ओ एंड एम डिवीजन, रुड़की	ज्ञात नहीं	33,19,850/-	नहीं	नहीं	2004	संपत्ति का हस्तांतरण ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत किया गया

2. प्राप्य और देय राशियों का मिलान : 1 जून 2004 की स्थिति के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, कर्मचारियों और अन्य पक्षों (जिसमें Suspense Advances भी शामिल हैं) से प्राप्तियों और देय राशियों के शेषों का मिलान अब तक नहीं किया गया है। मिलान और सहायक अभिलेखों की अनुपस्थिति के कारण हम इन अंतरों का वित्तीय विवरणों पर किसी भी संभावित प्रभाव का निर्धारण करने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, Retention Money और Advances Received के पक्षवार विवरण उपलब्ध न होने के कारण, इन राशियों के वर्तमान (Current) और गैर-वर्तमान (Non-Current) वर्गीकरण का सत्यापन नहीं किया जा सका।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (PPE) का भौतिक सत्यापन : कंपनी ने चालू वर्ष में अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों (Property, Plant and Equipment) का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, अंतिम भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2023-24 में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर (Fixed Asset Register – FAR) तैयार नहीं किया गया है। इस प्रकार, PPE से संबंधित अभिलेखों की अनुपलब्धता और FAR के मिलान के अभाव में, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि इन परिसंपत्तियों की वहन राशि और संबंधित मूल्यह्रास व्यय में किसी समायोजन की आवश्यकता है या नहीं।

4. ह्रास परीक्षण (Impairment Testing) से संबंधित प्रलेखन का अभाव : Ind AS 36 की आवश्यकताओं के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के ह्रास परीक्षण (Impairment Testing) से संबंधित पर्याप्त प्रलेखन और सहायक विश्लेषण की अनुपस्थिति के कारण, हम इस बात पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या स्थायी परिसंपत्तियाँ और लाभ किसी हद तक अधिक प्रदर्शित (Overstated) किए गए हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि प्रबंधन (Management) अपनी निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करे और उचित मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने हेतु एक स्वतंत्र विशेषज्ञ (Independent Expert) की नियुक्ति पर विचार करे, ताकि Ind AS के अनुरुप समुचित आकलन किया जा सके।

5. The Company uses separate systems for financial accounting and inventory management. The inventory management system in non-operative and is not integrated with financial accounting system of the company. As explained company maintain a system of manual inventory valuation basis of physical inventory count done as on 31 March of the financial year. During the year, it was observed that the closing inventory balance as per the inventory records are not reconciling with the inventory balance reflected in the financial accounting records. Due to the lack of documentation, we were unable to determine whether any adjustments are required in respect of the closing inventory reported in the financial statements.

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act ("SA"s) except as stated above. Our responsibilities under those Standards are further described in the "Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements' section of our report.

We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the etlucal requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the financial statements.

Emphasis of Matter

1. We would like to draw attention that the statutory books and records as per Companies Act, 2013 and rules laid down thereunder, has not been adequately maintained, updated and complied with. Also, secretarial audit has not completed for the financial year 2024-25 till date of our audit.
2. Attention is brought to Note (15) of notes to Financial Statement wherein as per Ind AS all financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, except for those classified as fair value through profit or loss (FVTPL), which are measured at fair value with gains or losses arising from remeasurement recognised in the Statement of Profit and Loss. In the case of the Company, as there are no upfront fees or transaction costs associated with its borrowings, the contractual coupon rate of interest has been considered equivalent to the effective interest rate (EIR) for the purpose of subsequent measurement. Our opinion is not modified in this regard.
3. We draw attention to Note [5] of the financial statements, which describes the Company's accounting policy for depreciation on the Right-of-Use (ROU) asset relating to leasehold land. The Company has capitalised the upfront lease premium and is depreciating the ROU asset over the lease term, retaining a residual value of 10%.

वित्तीय लेखांकन एवं भंडार प्रबंधन प्रणाली : कंपनी वित्तीय लेखांकन और भंडार प्रबंधन के लिए अलग-अलग प्रणालियों (Separate Systems) का उपयोग करती है। भंडार प्रबंधन प्रणाली (Inventory Management System) सक्रिय (Non-Operative) नहीं है और यह कंपनी की वित्तीय लेखांकन प्रणाली से एकीकृत (Integrated) नहीं है। जैसा कि बताया गया, कंपनी भंडार मूल्यांकन (Inventory Valuation) के लिए 31 मार्च को किए गए भौतिक भंडार गणना (Physical Inventory Count) के आधार पर मैनुअल प्रणाली अपनाती है। वर्ष के दौरान यह देखा गया कि भंडार अभिलेखों के अनुसार समापन भंडार शेष (Closing Inventory Balance), वित्तीय लेखांकन अभिलेखों में दर्शाए गए भंडार शेष से मेल नहीं खा रहे हैं। प्रलेखन (Documentation) की अनुपस्थिति के कारण हम यह निर्धारित करने में असमर्थ रहे कि वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए समापन भंडार के संबंध में किसी समायोजन की आवश्यकता है या नहीं।

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षण मानकों (Standards on Auditing - “SAs”) के अनुसार किया है, सिवाय ऊपर वर्णित मामलों के। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के “वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी” (Auditor’s Responsibility for the Audit of the Financial Statements) खंड में दिया गया है।

हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (ICAI) द्वारा जारी नैतिक संहिता (Code of Ethics) तथा अधिनियम और नियमों के अंतर्गत लागू नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं। हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को भी पूरा किया है। हमें विश्वास है कि प्राप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य (Audit Evidence) पर्याप्त और उपयुक्त हैं, जिससे वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य लेखा-परीक्षण राय (Qualified Opinion) का उचित आधार प्राप्त होता है।

महत्वपूर्ण विषय पर बल (Emphasis of Matter)

1. हम यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार आवश्यक वैधानिक पुस्तकों एवं अभिलेखों (Statutory Books and Records) का पर्याप्त रूप से रखरखाव, अद्यतन और अनुपालन नहीं किया गया है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षण (Secretarial Audit) हमारी लेखा-परीक्षा की तिथि तक पूर्ण नहीं हुआ है।

2. वित्तीय विवरणों के टिप्पणी क्रमांक (15) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जहाँ Ind AS के अनुसार सभी वित्तीय देनदारियाँ (Financial Liabilities) को बाद में प्रभावी ब्याज दर विधि (Effective Interest Method) द्वारा अमॉर्टाइज़्ड कॉस्ट पर मापा जाता है, सिवाय उन देनदारियों के जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL) के रूप में वर्गीकृत किया गया है — जिन्हें उचित मूल्य (Fair Value) पर मापा जाता है और पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण (Statement of Profit and Loss) में मान्यता दी जाती है। कंपनी के मामले में, चूँकि उधारों से संबंधित कोई प्रारंभिक शुल्क (Upfront Fees) या लेन-देन लागत (Transaction Costs) नहीं है, अतः संविदात्मक कूपन ब्याज दर (Contractual Coupon Rate) को प्रभावी ब्याज दर (EIR) के बराबर माना गया है। इस संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है (Our opinion is not modified in this regard)।

3. हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी क्रमांक (5) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी की पट्टाधारित भूमि (Leasehold Land) से संबंधित उपयोग-अधिकार संपत्ति (Right-of-Use Asset) पर मूल्यह्रास (Depreciation) की लेखांकन नीति का वर्णन किया गया है। कंपनी ने प्रारंभिक पट्टा प्रीमियम (Upfront Lease Premium) को पूंजीकृत (Capitalised) किया है और पट्टा अवधि (Lease Term) के दौरान इस संपत्ति को 10% अवशिष्ट मूल्य (Residual Value) बनाए रखते हुए मूल्यह्रासित (Depreciate) कर रही है।

As a result, at the end of the lease term, the carrying amount of the ROU asset will not be fully amortised and will reflect a balance equivalent to 10% of the original cost, notwithstanding that the lease term would have expired and no further economic benefit is expected from the asset. Our opinion is not modified in respect of this matter.

4. We draw attention to Note [1(iii)(h)) of the financial statements, which explains that the tariffs for Inter-State Transmission System (ISTS) for the financial year 2024-25 have not been finalised by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC). The Company has continued to bill capacity charges provisionally in accordance with the tariff orders applicable as on 31 March 2019 or as filed in tariff petitions, in line with the CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019, pending final determination of tariff by CERC. Our opinion is not modified in respect of this matter.
5. Further, attention is brought to Note [35] of the financial statements on contingent liability, as per the management letter no. 216/CS/PTCUL dated 27/06/2025, there was a fraud for the previous 7-8 years, as the then Company secretary have been indulged in preparing the duplicate records of the Company, which are in contravention of the Provisions of Section 85,86,88,135,143,163 & 447 of the Companies act, 2013. The amount ol Penalty and Interest, if charged by the Registrar of Companies/ Regional Director, is not determinable as on date, hence not shown as contingent liability.

Other Matter

1. We draw attention to the fact that the Company has recorded certain prior period adjustments during the year that have not been disclosed in the financial statements. These include a reversal of prior period income amounting to Rs. 616,439 relating to transmission charges from Bhilangana Hydro Power - Company B, and an expense for salary arrears paid to Shri Sharat Pal, also pertaining to a previous financial year. While this matter does not affect our opinion on the financial statements, it is relevant for users' understanding of the Company's financial reporting. Our opinion is not modified in respect of this matter.
2. We draw attention to various instances of mismatches between revenue recognised by the Company and the corresponding entries reflected in Form 26AS for the financial year. These differences have arisen due to timing and recognition discrepancies across multiple parties, as detailed below:

   a. In the case of Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL), an adjustment bill for wheeling charges pertaining to March 2025 amounting to ₹39,83,274.46 was raised on 30 April 2025, which was not considered by UPCL in Form 26AS. This resulted in excess revenue in 26AS as compared to books of accounts.

   b.For Ambuja Cements Pvt. Ltd., revenue for the months of January and March 2025 was recognised by the Company, but TDS was not deducted by the customer, leading to lower income being reflected in Form 20AS.

पट्टा अवधि (Lease Term) की समाप्ति पर, उपयोग-अधिकार संपत्ति (ROU Asset) की वहन राशि पूरी तरह से अमॉर्टाइज़ नहीं होगी, बल्कि मूल लागत के 10% के बराबर शेष शेषराशि प्रदर्शित करेगी। यह स्थिति उस तथ्य के बावजूद है कि पट्टा अवधि समाप्त हो जाएगी और उस संपत्ति से कोई भविष्य आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस मामले में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है। (Our opinion is not modified in respect of this matter.)

4. हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी क्रमांक [1(iii)(h)] की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) का टैरिफ निर्धारण केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा अब तक अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। कंपनी ने CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019 के अनुरूप, 31 मार्च 2019 को लागू टैरिफ आदेशों अथवा दाखिल किए गए टैरिफ याचिकाओं के आधार पर क्षमता शुल्क (Capacity Charges) का प्रावधिक बिलिंग (Provisional Billing) जारी रखा है, जब तक कि CERC द्वारा अंतिम निर्धारण नहीं हो जाता। इस मामले में भी हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

5. इसके अलावा, आकस्मिक देयता पर वित्तीय विवरणों के नोट [35] पर ध्यान दिलाया जाता है, प्रबंधन पत्र संख्या 216/सीएस/पीटीसीयूएल दिनांक 27/06/2025 के अनुसार, पिछले 7-8 वर्षों से धोखाधड़ी हुई थी, क्योंकि तत्कालीन कंपनी सचिव कंपनी के डुप्लिकेट रिकॉर्ड तैयार करने में लिप्त रहे हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 85,86,88,135,143,163 और 447 के प्रावधानों का उल्लंघन है। जुर्माना और ब्याज की राशि, यदि कंपनी रजिस्ट्रार/क्षेत्रीय निदेशक द्वारा चार्ज की जाती है, तो आज की तारीख तक निर्धारित नहीं की जा सकती है, इसलिए इसे आकस्मिक देयता के रूप में नहीं दिखाया गया है।

अन्य विषय (Other Matter)

1. हम यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान कुछ पूर्व अवधि के समायोजन (Prior Period Adjustments) दर्ज किए हैं, जिन्हें वित्तीय विवरणों में पृथक रूप से प्रकटीकृत (Disclosed) नहीं किया गया है। इनमें शामिल हैं: भिलंगना हाइड्रो पावर – कंपनी बी से प्राप्त ट्रांसमिशन शुल्क से संबंधित ₹6,16,439 की पूर्व अवधि आय (Prior Period Income) की वापसी (Reversal), तथा श्री शरत पाल को दिए गए वेतन बकाया (Salary Arrears) से संबंधित व्यय, जो पिछली वित्तीय अवधि से संबंधित है। यह मामला वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करता, परंतु उपयोगकर्ताओं की कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की समझ के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी राय इस संदर्भ में संशोधित नहीं की गई है।

2. हमने यह भी देखा कि कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्व और फॉर्म 26AS में प्रदर्शित राशियों के बीच विभिन्न असंगतियाँ (Mismatch) हैं। ये अंतर कई पक्षों के बीच समय और मान्यता (Timing & Recognition) के अंतर के कारण उत्पन्न हुए हैं। इनमें प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं:

   a. उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) के मामले में — मार्च 2025 से संबंधित ₹39,83,274.46 की व्हीलिंग चार्ज (Wheeling Charges) की समायोजन बिल 30 अप्रैल 2025 को जारी की गई, जिसे UPCL ने Form 26AS में सम्मिलित नहीं किया। इससे Form 26AS में राजस्व पुस्तकों की तुलना में अधिक प्रदर्शित हुआ।

   b. अंबुजा सीमेंट्स प्रा. लि. (Ambuja Cements Pvt. Ltd.) के मामले में — जनवरी और मार्च 2025 माह के राजस्व को कंपनी ने मान्यता दी है, परंतु ग्राहक द्वारा टीडीएस (TDS) की कटौती नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप Form 26AS में आय कम प्रदर्शित हुई।

c. With respect to CTUIL, revenue of ₹98,78,81,663 pertaining to FY 2023-24 was recognised by the Company on an accrual basis in that year, while CTUIL booked the same in FY 2024-25. This resulted in an overstatement of revenue in Form 26AS for FY 2024-25.

d. The Punjab National Bank has erroneously reported interest twice in Form 26AS for Fixed Deposits amounting to ₹245 crore. An amount of ₹84,57,533 (TDS ₹8,45,754) has been shown in excess, which was not recognised by the Company as income. Additionally, income of ₹6,266 and TDS of ₹626 reported in Form 26AS by SIIDCUL was not considered as it is not related to the Company.

e. In the case of the Central Bank of India, the Company had recognised excess interest of ₹37,615 in FY 2023-24 and shown it as accrued. This amount was adjusted against income in Form 26AS, but the TDS credit was claimed in FY 2024-25.

3. On a sample basis, it was observed that certain GST debit notes appearing in GSTR-2B have not been accounted for in the Company's books of account. Upon inquiry, it was noted that the underlying issue relates to the non-acceptance of IMS (Invoice Management System) invoices by the Company, due to which the related debit notes remain unresponded.

c. CTUIL के संबंध में – वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित ₹98,78,81,663 का राजस्व कंपनी ने उस वर्ष में आयमान्यता (Accrual Basis) के अनुसार मान्यता दी, जबकि CTUIL ने इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप फॉर्म 26AS में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व अधिक दिखाया गया।

d. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने फिक्स्ड डिपॉजिट्स (Fixed Deposits) के लिए ₹245 करोड़ पर ब्याज को फॉर्म 26AS में दो बार गलती से रिपोर्ट किया। इसमें ₹84,57,533 (TDS ₹8,45,754) अतिरिक्त दिखाया गया, जिसे कंपनी ने आय के रूप में मान्यता नहीं दी। साथ ही, SIIDCUL द्वारा फॉर्म 26AS में रिपोर्ट की गई ₹6,266 की आय और ₹626 का TDS कंपनी से संबंधित नहीं होने के कारण मान्यता नहीं दी गई।

e. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मामले में – कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹37,615 का अतिरिक्त ब्याज मान्यता दी और इसे आयमान्यता (Accrued) के रूप में दिखाया। यह राशि फॉर्म 26AS में आय के विरुद्ध समायोजित की गई, लेकिन TDS क्रेडिट वित्तीय वर्ष 2024-25 में दावा किया गया।

3. GST डेबिट नोट्स का उदाहरणात्मक अवलोकन – नमूना आधार पर देखा गया कि GSTR-2B में दिखाई देने वाले कुछ GST डेबिट नोट्स को कंपनी की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है। पूछताछ पर यह पाया गया कि समस्या IMS (Invoice Management System) इनवॉइस की कंपनी द्वारा अस्वीकारिता से संबंधित है, जिसके कारण संबंधित डेबिट नोट्स का जवाब नहीं दिया गया।

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements for the financial year ended March 31, 2025. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

S. No.	Key Audit Matters	How our audit addressed the Key Audit Matters
1.	The Company records revenue from Inter-State Transmission System as per the principles enunciated under Ind AS 115. based on tariff approved by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC). Pending issue of provisional/final tariff order w.e.f. 01 April, 2019 capacity charges has been provisionally recognised considering the applicable CERC Tariff Regulations 2019. This is considered as key audit matter due to the nature and extent of estimates made as per the CERC Tariff Regulations, which leads to recognition and measurement of revenue from sale of energy being complex and judgmental.	We have obtained an understanding of the CERC Tariff Regulations, orders, circulars, guidelines and the Company's internal circulars and procedures in respect of recognition and measurement of revenue from sale of energy comprising of capacity and energy charges and adopted the following audit procedures: 1. Evaluated and tested the effectiveness of the Company's design of internal controls relating to recognition and measurement of revenue from sale of energy. 2. Verified the accounting of revenue from sale of energy based on provisional tariff computed as per the principles of CERC Tariff Regulations 2019. 3. Assessed the disclosures in accordance with the requirements of Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers". Based on the above procedure performed, the recognition, measurement and disclosures of revenue from transmission are considered to be adequate and reasonable.
2.	**Contingent Liabilities** There are a number of litigations pending before various forums against the company and the management's judgement is required for estimating the amount to be disclosed as contingent liability We identified this as a key audit matter because the estimates on which these amounts are based involve a significant degree of management judgement in interpreting the cases and it may be subject to management bias.	We have obtained an understanding of the Company's internal instructions and procedures in respect of estimation and disclosure of contingent liabilities and adopted the following audit procedures: 1. Discussed with the management regarding any material developments thereto and latest status of legal matters; 2. Read various correspondences and related documents pertaining to litigation cases and relevant external legal opinions obtained by the management and performed substantive procedures on calculations supporting the disclosure of contingent liabilities; 3. Examined management's judgements and assessments in respect of whether provisions are required; 4. Considered the management assessments of those matters that are not disclosed as contingent liability since the probability of material outflow is considered to be remote; 5. Reviewed the adequacy and completeness of disclosures; Based on the above procedures performed, the estimation and disclosures of contingent liabilities is considered to be adequate and reasonable.

मुख्य लेखा परीक्षा विषय (Key Audit Matters)

मुख्य लेखा परीक्षा विषय वे विषय होते हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। इन विषयों को हमने वित्तीय विवरणों की संपूर्ण लेखा परीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया है और उन पर हमारी राय बनाते समय विचार किया है। हम इन विषयों पर कोई अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

क्रम सं.	मुख्य लेखा परीक्षा विषय	हमारी लेखा परीक्षा ने मुख्य लेखा परीक्षा विषयों को कैसे संबोधित किया
1.	कंपनी अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (Inter-State Transmission System) से होने वाले राजस्व को Ind AS 115 में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार दर्ज करती है, जो कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा अनुमोदित टैरिफ पर आधारित है। 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी अस्थायी/अंतिम टैरिफ आदेश लंबित होने के कारण, क्षमता शुल्क (Capacity Charges) को CERC टैरिफ विनियम 2019 के अनुसार अस्थायी रूप से मान्यता दी गई है। यह विषय इसलिए एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना गया क्योंकि CERC टैरिफ विनियमों के अनुसार किए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा के कारण, ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की मान्यता और मापन जटिल और निर्णयात्मक होता है।	हमने ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता और मापन से संबंधित CERC टैरिफ विनियमों, आदेशों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों तथा कंपनी के आंतरिक परिपत्रों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की है, जिसमें क्षमता शुल्क और ऊर्जा शुल्क शामिल हैं, और निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ अपनाई हैं: 1. कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के डिज़ाइन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षण किया, जो ऊर्जा बिक्री से राजस्व की मान्यता और मापन से संबंधित है। 2. CERC टैरिफ विनियम 2019 के सिद्धांतों के अनुसार गणना किए गए अस्थायी टैरिफ के आधार पर ऊर्जा बिक्री से राजस्व के लेखांकन का सत्यापन किया। 3. Ind AS 115 "Revenue from Contracts with Customers" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरणों का मूल्यांकन किया। उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, ट्रांसमिशन से प्राप्त राजस्व की मान्यता, मापन और प्रकटीकरण को पर्याप्त और उचित माना गया है।
2.	**संभाव्य देयताएँ (Contingent Liabilities)** कंपनी के विरुद्ध विभिन्न मंचों पर कई वाद (मुकदमे) लंबित हैं, और संभाव्य देयता के रूप में प्रकटीकरण की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता होती है। हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा विषय (Key Audit Matter) के रूप में पहचाना है क्योंकि इन राशियों के अनुमान उन मामलों की व्याख्या में प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय पर निर्भर करते हैं, और इनमें प्रबंधन पक्षपात (Management Bias) की संभावना हो सकती है।	हमने संभाव्य देयताओं के अनुमान और प्रकटीकरण से संबंधित कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ अपनाई हैं: 1. प्रबंधन के साथ किसी भी महत्वपूर्ण विकास और कानूनी मामलों की नवीनतम स्थिति पर चर्चा की। 2. मुकदमों से संबंधित विभिन्न पत्राचारों और दस्तावेजों को पढ़ा तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त प्रासंगिक बाहरी कानूनी राय का अध्ययन किया, साथ ही संभाव्य देयताओं के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाली गणनाओं पर विस्तृत परीक्षण किए। 3. यह जांचा कि प्रावधान (provisions) की आवश्यकता है या नहीं, इसके संबंध में प्रबंधन के निर्णयों और आकलनों का परीक्षण किया। 4. उन मामलों का मूल्यांकन किया जिन्हें संभाव्य देयता के रूप में प्रकटीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि उनमें भौतिक नकद बहिर्वाह की संभावना नगण्य मानी गई है। 5. प्रकटीकरणों की पर्याप्तता और पूर्णता की समीक्षा की। उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, संभाव्य देयताओं के अनुमान और प्रकटीकरण को पर्याप्त और उचित माना गया है।

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard as the other information is not made available to us till the date of this auditor's report.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the state of affairs (financial position), profit /loss and other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the and other accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent, and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuing the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a maternal misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी सम्मिलित है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।

हमारी राय केवल वित्तीय विवरणों तक सीमित है; यह अन्य जानकारी को कवर नहीं करती और न ही हम उस पर किसी प्रकार की आश्वासन (Assurance) राय व्यक्त करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना और यह विचार करना है कि क्या यह जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान से भौतिक रूप से असंगत (Materially Inconsistent) है, या कहीं यह भौतिक रूप से गलत प्रस्तुत तो नहीं की गई है।

यदि हमारे कार्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्य जानकारी में कोई भौतिक गलत प्रस्तुति (Material Misstatement) है, तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। इस रिपोर्ट की तिथि तक हमारे पास अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी, इसलिए इस संबंध में रिपोर्ट करने योग्य कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन से जुड़े व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

कंपनी के निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित हैं ताकि वे कंपनी की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ/हानि और अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह तथा इक्विटी में हुए परिवर्तनों का सच्चा और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करें। ये विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

इस जिम्मेदारी में निम्नलिखित शामिल हैं: अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव, ताकि कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा की जा सके और धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं को रोका और पहचाना जा सके; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उनका अनुप्रयोग; यथोचित और विवेकपूर्ण निर्णयों और अनुमानों का निर्माण; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करें और वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा प्रस्तुति से संबंधित हों, ताकि वे किसी भौतिक गलत प्रस्तुति (चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण) से मुक्त रहें।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय निदेशक मंडल कंपनी की निरंतरता (Going Concern) की क्षमता का मूल्यांकन करने, उससे संबंधित मामलों का उपयुक्त प्रकटीकरण करने और “Going Concern Basis of Accounting” को अपनाने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या उसका संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए उचित आश्वासन (Reasonable Assurance) प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण समग्र रूप से किसी भौतिक गलत प्रस्तुति (Material Misstatement) से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और ऐसी राय के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है, परंतु यह कोई गारंटी नहीं है कि भारतीय लेखा परीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा सभी भौतिक गलत प्रस्तुतियों का पता लगा सकेगी। गलत प्रस्तुतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटियों से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि वे व्यक्तिगत रूप से या समष्टि रूप में उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना रखती हैं।

SAs के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय (Professional Judgment) का उपयोग करते हैं और पूरी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान व्यावसायिक संदेह (Professional Scepticism) बनाए रखते हैं। हम इसके अतिरिक्त यह भी करते हैं:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत प्रस्तुति (Material Misstatement) के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, तथा हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत प्रस्तुति का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत प्रस्तुति की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतियाँ या आंतरिक नियंत्रण का दुरुपयोग शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण (Internal Control) की समझ प्राप्त करना, ताकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ डिजाइन की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रुप से कार्य कर रहे हैं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की युक्तिसंगतता (Reasonableness) का परीक्षण करना।
- प्रबंधन द्वारा अपनाए गए "Going Concern Basis of Accounting" की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना, और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह आकलन करना कि क्या ऐसी कोई भौतिक अनिश्चितता (Material Uncertainty) मौजूद है जो कंपनी की निरंतर संचालन क्षमता (Going Concern) पर संदेह उत्पन्न करती है। यदि हमें ऐसी कोई भौतिक अनिश्चितता दिखाई देती है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस संबंध में वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है; और यदि वे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपनी राय में संशोधन करना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त साक्ष्यों पर आधारित होते हैं; हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी की निरंतरता को प्रभावित कर सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, जिसमें उनके प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और यह जांचना कि क्या वे अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुति (Fair Presentation) के अनुरूप दर्शाते हैं।

भौतिकता का अर्थ है — वित्तीय विवरणों में ऐसी गलत प्रस्तुतियों का परिमाण (Magnitude), जो व्यक्तिगत रुप से या सामूहिक रुप से इतनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं कि वे वित्तीय विवरणों के एक सामान्य रुप से ज्ञानवान उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकें।

हम लेखा परीक्षा की योजना बनाते समय और उसके परिणामों का मूल्यांकन करते समय, मात्रात्मक (Quantitative) भौतिकता और गुणात्मक (Qualitative) कारकों — दोनों पर विचार करते हैं, और वित्तीय विवरणों में पहचानी गई किसी भी गलत प्रस्तुति के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम शासन से जुड़े व्यक्तियों (जैसे निदेशक मंडल या लेखा परीक्षा समिति) के साथ लेखा परीक्षा की योजना, दायरे और समय-सीमा के साथ-साथ महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करते हैं, जिनमें लेखा परीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण की कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल होती हैं।

हम उन्हें यह वक्तव्य भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता (Independence) से संबंधित सभी नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों या मामलों का संप्रेषण करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, तथा जहाँ लागू हो, उनसे संबंधित सुरक्षा उपायों (Safeguards) का उल्लेख करते हैं।

शासन से जुड़े व्यक्तियों के साथ संप्रेषित विषयों में से, हम यह निर्धारित करते हैं कि कौन-से विषय वर्तमान अवधि की वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे — इन्हें ही हम मुख्य लेखा परीक्षा विषय (Key Audit Matters) कहते हैं। हम इन विषयों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में देते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे, या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हमें लगता है कि ऐसे विषय का प्रकटीकरण करने के प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक हो सकते हैं।

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the **"Annexure-I"** a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

2. As required by the direction issued by the Office of the Comptroller & Auditors General of India under Section 143(5) of the Act, we give in the **"Annexure-II",** a statement on the matters specified in the directions.

3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

a) Except the matter described in Basis for Qualified Opinion, we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion;

b) Except for the effects/possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

(c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account except for effects of matters described in the Basis for Qualified Opinion;

(d) Except for effects of the matter described in Basis for Qualified Opinion, in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended;

(e) In terms of Notification No. G.S.R. 463(E) dated 05th June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, the provisions of Section 164(2) of the Act regarding disqualification of directors are not applicable to the Company.

(f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure III" to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements.

(g) Pursuant to the Notification No. G.S.R. 463(E) dated 5th June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company, being a Government Company;

(h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

I. The Company has no pending litigation which would impact its financial position except as disclosed under contingent liabilities in its financial statements and Emphasis of matter para. (Refer Note 35 to the financial statements);

ii. The Company has long-term contracts as at March 31, 2025 for which there were no material foreseeable losses. The Company does not have long-term derivative contracts as at March 31, 2025.

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी कंपनियों (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हमने आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट विषयों पर, जहाँ तक लागू हैं, एक विवरण "परिशिष्ट–I (Annexure–I)" में प्रस्तुत किया है।

2. अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के महालेखा परीक्षक (Comptroller & Auditor General of India) के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हमने "परिशिष्ट–II (Annexure–II)" में उन निर्देशों में निर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण प्रस्तुत किया है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं —

(a) Basis for Qualified Opinion में वर्णित विषय को छोड़कर, हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए हैं।

(b) Basis for Qualified Opinion पैराग्राफ में वर्णित विषय के प्रभाव/संभावित प्रभाव को छोड़कर, हमारे मतानुसार, कंपनी ने कानून के अनुसार आवश्यक लेखा पुस्तिकाएँ सही ढंग से रखी हैं, जैसा कि हमारी जाँच से प्रतीत होता है।

(c) इस रिपोर्ट द्वारा आच्छादित तुलन पत्र (Balance Sheet), लाभ-हानि विवरण (Statement of Profit and Loss), जिसमें अन्य व्यापक आय (Other Comprehensive Income), नकदी प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement) और इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (Statement of Changes in Equity) शामिल हैं, संबंधित लेखा पुस्तिकाओं से मेल खाते हैं, Basis for Qualified Opinion में वर्णित मामलों के प्रभाव को छोड़कर।

(d) Basis for Qualified Opinion में वर्णित विषय के प्रभाव को छोड़कर, हमारे मतानुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों तथा Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 के नियम 7 (संशोधित) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(e) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) द्वारा 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या G.S.R. 463(E) के अनुसार, अधिनियम की धारा 164(2) से संबंधित निदेशकों की अयोग्यता के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(f) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हमारे अलग "परिशिष्ट–III (Annexure–III)" में दिए गए रिपोर्ट को देखें। हमारी रिपोर्ट में कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अप्रशंसित राय (Unmodified Opinion) व्यक्त की गई है।

(g) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या G.S.R. 463(E) के अनुसार, कंपनी एक सरकारी कंपनी (Government Company) होने के कारण कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते हैं।

(h) Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 के नियम 11 (संशोधित) के अनुसार, हमारी राय में तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार —

i. कंपनी के विरुद्ध ऐसी कोई लंबित मुकदमेबाजी नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे, सिवाय उन मामलों के जो वित्तीय विवरणों में संभाव्य देयताओं (Contingent Liabilities) के अंतर्गत और Emphasis of Matter Paragraph में प्रकटीकृत हैं (संदर्भ: नोट 35 वित्तीय विवरणों में)।

ii. 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास ऐसे दीर्घकालिक अनुबंध (Long-Term Contracts) हैं जिनमें कोई भौतिक रूप से संभावित हानि (Material Foreseeable Loss) नहीं है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक डेरिवेटिव अनुबंध (Long-Term Derivative Contracts) नहीं है।

iii. There were no amounts, which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the company during the year ended March 31, 2025.

iv. (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall:

- directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Company or
- provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any other persons or entities, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall:

- directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Funding Party or
- provide any guarantee, security or the like from or on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(c) Based on such audit procedures as considered seasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations, under sub clause (iv)(a) and (iv)(b) contain any maternal misstatement.

v. The dividend declared or paid during the year by the Company is in compliance with Section 123 of the Act.

vi. Based on our examination, which included test checks, the Company has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2025 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with.

For NAVEEN UPADHYAYA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN No. 014244N

CA Parth Upadhyaya
Partner
M. No. 568949
UDIN: 25568949BMOCCG6571

Place: Dehradun

Date: 01st August, 2025

iii. वित्तीय वर्ष जो 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ, उसके दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (Investor Education and Protection Fund) में स्थानांतरित की जाने वाली कोई राशि लंबित नहीं थी।

iv. (a) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह बताया है कि कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (जिसमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं) को, चाहे उधार ली गई राशि, शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त निधियों के माध्यम से हो, कोई ऐसी राशि अग्रिम, ऋण या निवेश के रूप में नहीं दी गई है (व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से भौतिक रूप से महत्वपूर्ण राशि), इस समझ के साथ — चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या नहीं — कि वह मध्यस्थ (Intermediary):

• प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी – Ultimate Beneficiaries") को ऋण देगा या निवेश करेगा, या

• अंतिम लाभार्थियों के लिए या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस प्रकार की अन्य सुविधा प्रदान करेगा।

(b) प्रबंधन ने यह भी बताया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था (जिसमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं) से — व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से भौतिक रूप से महत्वपूर्ण — कोई ऐसी निधि प्राप्त नहीं हुई है ("फंडिंग पार्टी – Funding Parties"), इस समझ के साथ — चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या नहीं — कि कंपनी:

• प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी – Ultimate Beneficiaries") को ऋण देगी या निवेश करेगी, या

• अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस प्रकार की अन्य सुविधा प्रदान करेगी।

(c) परिस्थितियों के अनुसार उचित और उपयुक्त मानी गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, ऐसी कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं आई है जिससे यह विश्वास हो कि उपरोक्त उप-उपबंध (iv)(a) और (iv)(b) में किए गए प्रबंधन के कथनों में कोई भौतिक गलत प्रस्तुति (Material Misstatement) शामिल है।

v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित या भुगतान किया गया लाभांश, अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुरूप है।

vi. हमारे परीक्षण (Test Checks) सहित की गई जाँच के आधार पर, कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा अभिलेखों को बनाए रखने हेतु ऐसा लेखांकन सॉफ़्टवेयर (Accounting Software) उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (Audit Trail) या एडिट लॉग (Edit Log) सुविधा मौजूद है, और यह सुविधा पूरे वर्ष सभी संबंधित लेनदेन के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत रही।

इसके अतिरिक्त, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया जिससे यह प्रतीत हो कि ऑडिट ट्रेल फीचर में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई हो।

कृते नवीन उपाध्याय एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 014244N

सी.ए. पार्थ उपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 568949
यूडीआईएन: 25568949BMOCCG6571

स्थान: देहरादून
दिनांक: 01 अगस्त, 2025

ANNEXURE - I TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the members of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited of even date)

(i) In respect of the Company's property, plant and equipment, right-of-use assets and intangible assets:

(a) (A) The fixed asset register of the company is maintained till March 24 showing quantitative details and have not been updated to March'25. Company has not maintained proper records showing full particulars like situation of Property, Plant and Equipments. Relevant details of right-of-use assets have been shown in the register. Further, in case of divisional transfer of asset, it has been noticed that while asset have been transferred to division, its corresponding accumulated depreciation is not transferred in the register.

(B) The Company has no Intangible Assets, and hence reporting under clause 3(i)(a)(B) of the Order is not applicable.

(b) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, physical verification of Assets has been done till March 2024. Due to the situation of Transmission Lines / Towers etc. in remote and difficult terrains of hilly areas, the physical verification of assets from third party is not practical and cost effective. The major value of Transmission assets (Lines & Sub-stations) are stationary and fixed / non movable and under continuous power flow (except for shutdowns). If the power flow is interrupted due to any reason (such as damage etc. in the transmission systems) then the same is reflected in the protection systems installed at both end of Transmission Lines.

(c) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the title deeds of immovable properties (other than immovable properties where the Company is the lessee and the lease agreement are duly executed in favor of the lessee) disclosed in the financial statements are held in the name of the Company as on the balance sheet date except the following where the title deeds are not in the name of the Company:

S. No.	Description of Item of Property	Area in Hectare	Gross Carrying Value	Title Deeds held in the name of	Whether tittle deed holder is a promoter, director or relative of Promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date/ year	Remarks
01.	132 Manglore	Not Known	89,15,760/-	Not ascertainable	No	06/02/2004	The property was transferred by order of
02.	132 Bhagwanpur	Not Known	55,54,240/-	No	No	06/02/2004	

परिशिष्ट – I (स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए)

(यह विवरण हमारे 'अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के पैराग्राफ 1 में संदर्भित है, जो Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited के सदस्यों को जारी हमारी रिपोर्ट की तिथि के समान है)

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, राइट-ऑफ-यूज़ संपत्ति और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

(a) (A) कंपनी की स्थिर संपत्ति रजिस्टर मार्च 2024 तक रखी गई है, जिसमें मात्रात्मक विवरण हैं, लेकिन इसे मार्च 2025 तक अपडेट नहीं किया गया है। कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति जैसी पूर्ण जानकारी दिखाने वाले सही रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं किया है। राइट-ऑफ-यूज़ संपत्तियों का विवरण रजिस्टर में दर्शाया गया है। यदि किसी संपत्ति का विभागीय हस्तांतरण किया गया है, तो यह देखा गया कि संपत्ति को विभाग में स्थानांतरित किया गया है, लेकिन उसके साथ संबंधित संचित मूल्यह्रास रजिस्टर में स्थानांतरित नहीं हुआ है।

(B) अमूर्त संपत्ति: कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है, इसलिए आदेश की धारा 3(i)(a)(B) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(b) भौतिक सत्यापन: हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर, संपत्तियों का भौतिक सत्यापन मार्च 2024 तक किया गया है। चूंकि ट्रांसमिशन लाइन / टावर आदि पहाड़ी क्षेत्रों के दुर्गम और कठिन भूभाग में स्थित हैं, इसलिए तीसरे पक्ष से संपत्तियों का भौतिक सत्यापन व्यावहारिक और लागत प्रभावी नहीं है। ट्रांसमिशन संपत्तियों (लाइन्स और सब-स्टेशन) का बड़ा मूल्य स्थिर और स्थायी है, और ये निरंतर पावर फ्लो के अधीन हैं (सिर्फ शटडाउन के समय को छोड़कर)। यदि किसी कारणवश (जैसे ट्रांसमिशन सिस्टम में क्षति आदि) पावर फ्लो में बाधा आती है, तो यह दोनों छोर पर लगाए गए सुरक्षा प्रणालियों में परिलक्षित होता है।

(c) स्थावर संपत्तियों के शीर्षक पत्र: हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर, वित्तीय विवरणों में प्रकटीकृत स्थावर संपत्तियों के शीर्षक पत्र कंपनी के नाम पर हैं, सिवाय उन संपत्तियों के जिनमें कंपनी पट्टाधारी (Lessee) है और लीज़ समझौते उचित रूप से पट्टाधारी के पक्ष में निष्पादित हैं। निम्नलिखित संपत्तियों के शीर्षक पत्र कंपनी के नाम पर नहीं हैं:

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सकल वहन मूल्य	शीर्षक विलेख किसके नाम पर है	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस वर्ष/तिथि से धारित है	टिप्पणियाँ
01.	132 के.वी. मंगलौर	ज्ञात नहीं	89,15,760/-	निर्धारित नहीं किया जा सका	नहीं	06/02/2004	यह संपत्ति उत्तराखंड सरकार
02.	132 के.वी. भगवानपुर	ज्ञात नहीं	55,54,240/-	नहीं	नहीं	06/02/2004	

03.	132 KV Baazpur	Not Known	10,74,276/-	No	No	06/02/2004	Government of Uttarakhand (Director, Uttarakhand Krishi Utapadan Mandi Parishad, Haldwani
04.	220 KV O&M Division, Rishikesh	Not Known	50,50,439/-	No	No	2004	Property was transfer under transfer scheme
05.	400 KV O&M Division, Rishikesh	Not Known	77,52,501/-	No	No	2004	Property was transfer under transfer scheme
06.	O&M Division, Yamuna Colony, Dehradun	Not Known	29,53,072/-	No	No	2004	Property was transfer under transfer scheme
07.	220 KV O&M Division, Roorkee	Not Known	33,19,850/-	No	No	2004	Property was transfer under transfer scheme

(d) The Company has not revalued its Property Plant and Equipment (including Right-of-use assets) and intangible assets during the year.

(e) As explained to us there are no proceedings initiated or pending against the Company as at March 31, 2025 for holding any benami property under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.

(ii) (a) As informed and explained to us, the inventory has been physically verified by the management at end of the year. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the frequency of such verification is reasonable and procedures and coverage as followed by Management were appropriate. No discrepancies were noticed on verification between the physical stocks and the book records that were more than 10% in the aggregate of each class of inventory. Minor discrepancies noticed during physical verification were properly dealt within the books of account.

(b) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records, the Company has not been sanctioned working capital limits in excess of 5 crore, in aggregate, at any points of time during the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable.

03.	132 के.वी. बाजपुर	ज्ञात नहीं	10,74,276/-	नहीं	नहीं	06/02/2004	(निदेशक, उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी परिषद, हलद्वानी) के द्वारा हस्तांतरित की गई थी
04.	220 के.वी. ओ एंड एम डिवीजन, ऋषिकेश	ज्ञात नहीं	50,50,439/-	नहीं	नहीं	2004	संपत्ति का हस्तांतरण ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत किया गया
05.	400 के.वी. ओ एंड एम डिवीजन, ऋषिकेश	ज्ञात नहीं	77,52,501/-	नहीं	नहीं	2004	संपत्ति का हस्तांतरण ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत किया गया
06.	ओ एंड एम डिवीजन, यमुना कॉलोनी, देहरादून	ज्ञात नहीं	29,53,072/-	नहीं	नहीं	2004	संपत्ति का हस्तांतरण ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत किया गया
07.	220 के.वी. ओ एंड एम डिवीजन, रुड़की	ज्ञात नहीं	33,19,850/-	नहीं	नहीं	2004	संपत्ति का हस्तांतरण ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत किया गया

(d) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant and Equipment) (जिसमें राइट ऑफ-यूज़ संपत्तियाँ शामिल हैं) और अमूर्त संपत्तियों (Intangible Assets) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(e) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक कंपनी के खिलाफ Benami Property Transactions Act, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके नियमों के तहत कोई कार्यवाही प्रारंभ या लंबित नहीं है।

(ii) (a) हमें जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में और प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऐसे सत्यापन की आवृत्ति उपयुक्त है और प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ और कवरेज सही हैं। प्रत्येक वर्ग की सूची के भौतिक स्टॉक्स और पुस्तक रिकॉर्ड के बीच कोई भी असंगति कुल मिलाकर 10% से अधिक नहीं पाई गई। भौतिक सत्यापन के दौरान पाए गए छोटे-मोटे अंतर को उचित रुप से लेखा पुस्तिकाओं में दर्ज किया गया।

(b) हमें दी गई जानकारी और रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंक या वित्तीय संस्थानों से वर्तमान परिसंपत्तियों (Current Assets) की सुरक्षा पर आधारित 5 करोड़ रुपये से अधिक कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। इसलिए आदेश की धारा 3(ii)(b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iii) According to the information and explanation given to us, the Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, limited liability partnerships or any other parties. Accordingly, the requirement to report under clause 3(iii)(a), 3(iii)(b), 3(iii)(c), (iii)(d), (iii)(e) and (iii)(f) of the Order are not applicable to the Company.

(iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Act, to the extent applicable, in respect of loans, investments, guarantees, and security.

(v) The Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits from the public within the meaning of section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act. According to information and explanations given to us, no order has been passed by the Company Law Board or National Company Law Tribunal or the Reserve Bank of India or any Court or other Tribunal.

(vi) Basis the information and explanation shared with us, company have been maintaining cost records as prescribed under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act. We have not, however, made a detailed examination of the cost records with a view to determine whether they are accurate or complete.

(vii) According to the information and explanations given to us and according to the books and records as produced and examined by us, in our opinion:

(a) The Company has generally been regular during the year, in depositing undisputed statutory dues including Goods and Service Tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax. Sales Tax, Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Value Added Tax, Cess and other material statutory dues as applicable to it to the appropriate authorities.

There were no undisputed amounts payable in respect of Goods and Service Tax, Provident Fund. Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Value Added Tax, Cess and other material statutory dues in arrears as at March 31, 2025 for a period of more than six months from the date they became payable.

(b) Details of statutory dues referred to in sub-clause(a) above which have not been deposited as on March 31, 2025 on account of disputes are given below:

Name of Statute	Nature of Dues	Period	Forum where the dispute is pending	Gross Disputed Amount (Rs. in Lakh)	Amount Deposited under Protest (Rs. in Lakh)
Income Tax Act	TDS Demand	Different Assessment Years	Assessing Officer	2.49	-
Income Tax Act	Income Tax Demand	FY 2016-17	Appeal filed	1439.97	-
Service Tax Act	Service tax	FY 2016-17 and 01.04.2017 to 30.06.2017	Custom Excise Service Tax Appellate Tribunal	798.78	-

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) या अन्य पक्षों में निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और न ही ऋण या अग्रिम के रूप में कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान किया है। इसलिए आदेश की धारा 3(iii)(a), 3(iii)(b), 3(iii)(c), (iii)(d), (iii)(e) और (iii)(f) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में और प्राप्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने धारा 185 और 186 के प्रावधानों का, जहां लागू, ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में पालन किया है।

(v) कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि या ऐसे कोई अन्य राशि स्वीकार नहीं की है, जिसे अधिनियम की धारा 73 से 76 या अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अर्थ में जमा माना जाता हो। हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी लॉ बोर्ड, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, किसी न्यायालय या अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(vi) प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड बनाए गये हैं। हालांकि, हमने लागत रिकॉर्ड की विस्तृत परीक्षा नहीं की है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे पूर्ण और सटीक हैं या नहीं।

(vii) हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रस्तुत किए गए लेखा-पुस्तकों और रिकॉर्ड के आधार पर, हमारी राय में:

(a) कंपनी ने वर्ष के दौरान सामान्यतः अविवादित वैधानिक देयों (Undisputed Statutory Dues) जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर (GST), भविष्य निधि (Provident Fund), कर्मचारी राज्य बीमा (ESI), आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (VAT), उपकर (Cess) और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देयों का संबंधित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से भुगतान किया है। 31 मार्च 2025 तक किसी भी अविवादित राशि का भुगतान देरी से छह महीने से अधिक नहीं हुआ है।

(b) उप-धारा (a) में उल्लिखित वैधानिक देयों का विवरण, जिन्हें विवाद के कारण 31 मार्च 2025 तक जमा नहीं किया गया,

विधान का नाम	देय राशि की प्रकृति	अवधि	मंच जहां विवाद लंबित है	कुल विवादित राशि (लाख रुपये में)	विरोध के तहत जमा राशि (लाख रुपये में)
आयकर अधिनियम	टीडीएस माँग	भिन्न आकलन वर्ष	आकलन अधिकारी	2.49	-
आयकर अधिनियम	आयकर माँग	वित्त वर्ष 2016—17	अपील दायर की गई	1439.97	-
सेवा कर अधिनियम	सेवा कर	वित्त वर्ष 2016—17 और 01.04.2017 से 30.06.2017	कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण	798.78	-

(viii) There were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act 1961.

(ix) (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender during the year.

(b) The Company has not been declared a willful defaulter by any bank or financial institution or government or any other government authority.

(c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, term loans were applied for the purpose for which the loans were obtained.

(d) On an overall examination of the financial statements of the Company, funds raised on short term basis have, prima facie, not been used during the year for long term purposes by the company.

(e) According to the information and explanations given to us and an overall examination of the financial statements of the Company, we report that the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries or joint ventures. Accordingly, clause 3(ix)(e) of the Order is not applicable.

(f) According to the information and explanations given to us and procedures performed by us, we report that the Company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries or joint ventures. Accordingly, clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable.

(x) (a) According to the information and explanation given us, the Company has not raised any money during the year by way of initial public offer / further public offer (including debt instruments). Accordingly clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.

(b) According to the information and explanation given us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.

(xi) (a) Based on examination of the books and records of the Company and according to the information and explanations given to us, vide letter no. 216/CS/PTCUL dated 27/06/2025, there was a fraud for the previous 7-8 years, as the then Company secretary have been indulged in preparing the duplicate records of the Company, which are in contravention of the Provisions of Section 85,86,88,135,143,163 & 447 of the Companies act, 2013. The amount of Penalty and Interest, if charged by the Registrar of Companies/Regional Director, is not determinable as on date.

(b) According to the information and explanations given to us, no report under Sub-Section (12) of Section 143 of the Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014 with the Central Government.

(viii) वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारणों में पहले दर्ज नहीं की गई आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं हुआ, जिसे वर्ष में आय के रूप में समर्पित या प्रकटीकृत किया गया हो।

(ix) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य ऋण की राशि का पुनर्भुगतान या उसके ब्याज का भुगतान समय पर करने में कोई चूक नहीं की है।

(b) कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था, सरकार या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा Willful Defaulter घोषित नहीं किया गया है।

(c) हमें दी गई जानकारी और रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी ने टर्म लोन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए ऋण प्राप्त किया गया था।

(d) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच के आधार पर, अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए फंड का उपयोग वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया।

(e) हमें दी गई जानकारी और वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच के अनुसार, कंपनी ने किसी भी इकाई या व्यक्ति से अपने सहायक कंपनियों (Subsidiaries) या संयुक्त उद्यमों (Joint Ventures) के दायित्वों को पूरा करने के लिए कोई फंड नहीं लिया है। इसलिए आदेश की धारा 3(ix)(e) लागू नहीं है।

(f) हमें दी गई जानकारी और अपनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों में रखी गई सुरक्षा के बंधक के आधार पर कोई ऋण नहीं लिया। इसलिए आदेश की धारा 3(ix)(f) लागू नहीं है।

(x) (a) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) / आगे सार्वजनिक निर्गम (FPO) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है, जिसमें ऋण साधन (Debt Instruments) भी शामिल हैं। इसलिए आदेश की धारा 3(x)(a) लागू नहीं है।

(b) हमें दी गई जानकारी और रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई प्राथमिकता पर शेयर आवंटन (अधिमान्य आवंटन) या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण/आंशिक रूप से रूपांतरनीय डिबेंचर जारी नहीं किए। इसलिए आदेश की धारा 3(x)(b) लागू नहीं है।

(xi) (a) कंपनी के पुस्तकों और रिकॉर्ड की जाँच तथा हमें दी गई जानकारी के अनुसार, पत्र संख्या 216/CS/PTCUL दिनांक 27/06/2025 के माध्यम से यह पाया गया कि पिछले 7-8 वर्षों से कंपनी में धोखाधड़ी हुई थी, क्योंकि तत्कालीन कंपनी सचिव ने कंपनी के नकली रिकॉर्ड तैयार किए, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 85, 86, 88, 135, 143, 163 एवं 447 का उल्लंघन करते हैं। यदि कंपनी रजिस्ट्रार / क्षेत्रीय निदेशक द्वारा जुर्माना और ब्याज लगाया गया, तो उसकी राशि वर्तमान में निर्धारित नहीं की जा सकती।

(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा परीक्षकों द्वारा धारा 143(12) के तहत Form ADT-4 के माध्यम से केंद्रीय सरकार को कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है, जैसा कि कंपनियाँ (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम,2014 के नियम 13 में निर्दिष्ट है।

(c) According to the information and explanations given to us, no whistle blower complaints have been received by the company during the year.

(xii) According to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi company and the Nidhi Rules, 2014 are not applicable to it. Accordingly, clause 3(xii) of the Order is not applicable.

(xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the transactions with related parties are in compliance with Section 177 and 188 of the Act, where applicable and the details of the related party transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.

xiv) (a) In our opinion and as per the information and explanations given to us, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

(b) We have considered the internal audit reports of the Company issued till 31st December 2024 during our audit.

(xv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected to its directors. Accordingly, clause 3(xv) of the Order is not applicable.

(xvi) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company:

(a) The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934.

(b) The Company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities during the year.

(c) The Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations prescribed by Reserve Bank of India.

(d) In our opinion, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016). Accordingly, 'clause 3(xvi)(a), (b), (c) and (d) of the Order is not applicable.

(xvii) The company has not incurred cash losses in the current and in the immediately preceding financial year.

(xviii) There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year. Accordingly, clause 3(xviii) of the Order is not applicable.

(xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements,

(c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को किसी भी व्हिसल ब्लोअर (Whistle Blower) शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी Nidhi कंपनी नहीं है और Nidhi Rules, 2014 उस पर लागू नहीं होते। इसलिए आदेश की धारा 3(xii) लागू नहीं है।

(xiii) हमारी राय में और प्राप्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों (Related Parties) के साथ लेन-देन धारा 177 और 188 के प्रावधानों का पालन करते हैं, जहाँ लागू है, और संबंधित पक्षों के लेन-देन का विवरण वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकृत किया गया है।

(xiv) (a) हमारी राय में और प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंपनी के पास व्यापार के आकार और प्रकार के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली (Internal Audit System) है।

(b) हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान 31 दिसंबर 2024 तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों का अवलोकन किया।

(xv) हमारी राय में और प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनके संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद (Non-Cash) लेन-देन नहीं किया है। इसलिए आदेश की धारा 3(xv) लागू नहीं है।

(xvi) हमें दी गई जानकारी और कंपनी के रिकॉर्ड की जाँच के अनुसार:

(a) कंपनी को Reserve Bank of India Act, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

(b) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई Non-Banking Financial या Housing Finance गतिविधियाँ नहीं की हैं।

(c) कंपनी Core Investment Company (CIC) नहीं है, जैसा कि RBI द्वारा निर्धारित नियमों में परिभाषित है।

(d) हमारी राय में, समूह में कोई Core Investment Company नहीं है (RBI निर्देश, 2016 के अनुसार)। इसलिए आदेश की धारा 3(xvi)(a), (b), (c) और (d) लागू नहीं है।

(xvii) कंपनी ने चालू और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि (Cash Losses) नहीं उठाई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों (Statutory Auditors) ने इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिए आदेश की धारा 3(xviii) लागू नहीं है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय अनुपात, वित्तीय संपत्तियों की अपेक्षित प्राप्ति तिथियों और वित्तीय देयों के भुगतान के आधार पर, हमें दी गई जानकारी, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के हमारे ज्ञान, तथा अनुमानों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जाँच के आधार पर, हमें कोई ऐसा तथ्य नहीं मिला जो यह विश्वास करने का कारण बने कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपने बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद देयों को एक वर्ष के भीतर समय पर अदा करने में असमर्थ है।

our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that the Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of the balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all the liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

(xx) (a) According to the information and explanations given to us, in respect of other than ongoing projects, no amount have been transferred to a fund specified in schedule VII to the Companies Act;

(b) In respect of ongoing projects, the Company has transferred unspent CSR amount of Rs. 21.58 lakhs on 23-04-2025 i.e. within a period of 30 days from the end of the previous FY 2024-25 to a special account in compliance, with the provision of section 135(6) of the Companies Act, 2013.

(xxi) The reporting under clause (xxi) is not applicable in respect of audit of standalone financial statements of the Company. Accordingly, no comment has been included in respect of said clause under this report.

For NAVEEN UPADHYAYA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN No. 014244N

CA Parth Upadhyaya
Partner
M. No. 568949
UDIN: 25568949BMOCCG6571

Place: Dehradun

Date: 01st August, 2025

हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की क्षमता के बारे में कोई गारंटी नहीं है। हमारा रिपोर्टिंग केवल लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है, और हम न तो किसी गारंटी देते हैं और न यह आश्वासन कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष के भीतर आने वाली सभी देयताओं का कंपनी द्वारा समय पर निवारण किया जाएगा।

(xx) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चल रहे प्रोजेक्ट्स के अलावा किसी भी राशि को कंपनी अधिनियम के अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष में स्थानांतरित नहीं किया गया है।

(b) चल रहे प्रोजेक्ट्स के संबंध में, कंपनी ने CSR के अप्रयुक्त राशि 21.58 लाख रुपये को 23-04-2025 को एक विशेष खाते में स्थानांतरित किया, जो कि पिछली वित्तीय वर्ष 2024-25 के समाप्ति से 30 दिनों के भीतर किया गया, और यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) का पालन करता है।

(xxi) आदेश की धारा (xxi) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के ऑडिट पर लागू नहीं होती। इसलिए इस रिपोर्ट में उक्त धारा के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते नवीन उपाध्याय एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 014244N

सी.ए. पार्थ उपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 568949
यूडीआईएन: 25568949BMOCCG6571

स्थान: देहरादून
दिनांक: 01 अगस्त, 2025

ANNEXURE-II TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(As referred to in paragraph 2 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our report even date)

Re: Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited

S. No.	Directions	Report
1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	According to the information and explanations given to us and based on our audit, the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system except inventory management system. Period and Financial Statements are compiled offline based on balances of previous year and transactions generated from such FAS- ERP system. Further, company does not have a system of calculation and processing of depreciation related entries through the IT system. We have neither been informed nor come across during the course of our audit any accounting transactions which have been processed outside the IT system having impact on the integrity of the accounts.
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	According to information and explanations given to us and based on our audit, there is no case of restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/loans/ interest etc. made by the lender to the Company.
3.	Whether funds received/receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	According to information and explanations given to us and based on our audit, the Company has not received any funds from central state agencies for specific schemes.

For NAVEEN UPADHYAYA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN No. 014244N

CA Parth Upadhyaya
Partner
M. No. 568949
UDIN: 25568949BMOCCG6571
Place: Dehradun
Date: 01st August, 2025

परिशिष्ट – II (ANNEXURE-II) स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

(जैसा कि हमारे रिपोर्ट के "अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" खंड के पैराग्राफ 2 में संदर्भित है, तारीख समान)

संदर्भ: पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड

क्र.सं.	दिशानिर्देश	रिपोर्ट
1.	क्या कंपनी के पास सभी लेखा लेन-देन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित लेन-देन का खातों की अखंडता और वित्तीय प्रभाव पर क्या प्रभाव है, कृपया बताएं।	हमें दी गई जानकारी और हमारे ऑडिट के आधार पर, कंपनी के पास सभी लेखा लेन-देन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है, सिवाय इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली के। अवधि और वित्तीय विवरण ऑफ़लाइन संकलित किए जाते हैं, जो पिछले वर्ष के बैलेंस और FAS-ERP प्रणाली से उत्पन्न लेन-देन पर आधारित होते हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास मूल्यह्रास (Depreciation) संबंधित प्रविष्टियों की गणना और प्रसंस्करण के लिए आईटी प्रणाली नहीं है। हमें ऑडिट के दौरान किसी भी ऐसे लेखा लेन-देन के बारे में जानकारी नहीं मिली, जो आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित हुए और जिसका खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव पड़ा हो।
2.	क्या किसी ऋण के पुनर्संरचना या ऋणदाता द्वारा कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण ऋण/ब्याज की माफी/राइट ऑफ़ का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव क्या है।	हमें दी गई जानकारी और हमारे ऑडिट के आधार पर, कंपनी के किसी ऋण का पुनर्संरचना या ऋण/ब्याज माफी/राइट ऑफ़ का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाले फंड सही ढंग से लेखा किया गया और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची दें।	हमें दी गई जानकारी और हमारे ऑडिट के आधार पर, कंपनी को केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से किसी विशेष योजना के लिए कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है।

कृते नवीन उपाध्याय एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 014244N

सी.ए. पार्थ उपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 568949
यूडीआईएन: 25568949BMOCCG6571
स्थान: देहरादून
दिनांक: 01 अगस्त, 2025

Annexure-III To The Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 3(f) under 'Report on other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the members of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited ("the Company")** as of March 31, 2025 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls with reference to the accompanying Financial Statements based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls with reference to the Accompanying Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls with reference to the Accompanying Financial Statements. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements.

परिशिष्ट–III स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए

(हमारी रिपोर्ट में 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के पैरा 3(f) में संदर्भित, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित)

कंपनियों अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने **पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ-साथ ऑडिट किया है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी – आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए

कंपनी का प्रबंधन संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उनके रखरखाव के लिए उत्तरदायी है, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी 'आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट' में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित मानदंडों पर आधारित हैं।

इन जिम्मेदारियों में व्यवसाय के सुव्यवस्थित और कुशल संचालन, कंपनी की नीतियों का पालन, संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम एवं पहचान, लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता, तथा कंपनियों अधिनियम, 2013 के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वियन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी कंपनी के संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय व्यक्त करना है। हमने अपना ऑडिट भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी 'आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट' ("मार्गदर्शन नोट") तथा कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रासंगिक लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है।

ये मानक और मार्गदर्शन नोट हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और ऑडिट की योजना एवं निष्पादन इस प्रकार करें कि यह उचित आश्वासन प्रदान करे कि संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और संचालित थे तथा सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी थे।

हमारे ऑडिट में संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल है। इसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यह आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है या नहीं, तथा आकलित जोखिमों के आधार पर नियंत्रणों के डिजाइन और उनके परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है।

चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में संभावित महत्वपूर्ण गलतियों के जोखिम का आकलन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी राय के आधार के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting with reference to Accompanying Financial Statements

A company's internal financial control over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements includes those policies and procedures that

(1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company,

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company, and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting with reference to Accompanying Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our knowledge and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2025, based on the criteria for internal financial controls over financial reporting with reference to accompanying Financial Statements established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For NAVEEN UPADHYAYA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN No. 014244N

CA Parth Upadhyaya
Partner
M. No. 568949
UDIN: 25568949BMOCCG6571
Place: Dehradun
Date: 01st August, 2025

संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे इस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है कि वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान किया जा सके। कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है जो—

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो यथोचित विवरण में कंपनी की संपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रुप से प्रतिबिंबित करते हैं,

(2) इस बात के लिए उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन को सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने हेतु आवश्यकतानुसार दर्ज किया गया है, और यह कि कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किए जा रहे हैं, और

(3) कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन के दरकिनार की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चल सकता। इसके अलावा, भविष्य की अवधियों में संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय (Opinion)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, हमारे मत में, कंपनी के पास सभी भौतिक पहलुओं में संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 को संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, जो कंपनी द्वारा संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित हैं, जिन्हें कंपनी ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया है।

कृते नवीन उपाध्याय एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 014244N

सी.ए. पार्थ उपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 568949
यूडीआईएन: 25568949BMOCCG6571
स्थान: देहरादून
दिनांक: 01 अगस्त, 2025

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

2 : Property, Plant and Equipment

A. Tangible & In-tangible Assets: (including Deposit and Grant Assets) as on 31.03.2025

(Amount in Rs. Lakhs)

S. No.	Particulars	Rate of Dep. (in %)	Gross Carrying Value				Acc. Depreciation				Net Carrying Value	
			Balance as on 01.04.2024	Additions	Disposal/ Adjustments	Balance as on 31.03.2025	Balance as on 01.04.2024	Depreciation on Additions	Depreciation on Disposals	Balance as on 31.03.2025	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Land		465.17	369.25	-	834.42	-	-	-	-	834.42	465.17
2	Buildings	3.34	10,324.39	784.80	-	11,109.19	2,490.90	410.28	-	2,901.18	8,208.01	7,833.49
3	Hydraulic Works	5.28	629.25	-	-	629.25	178.48	31.24	-	209.72	419.53	450.77
4	Other Civil Works	3.34	2,364.81	266.26	-	2,631.07	486.94	82.36	-	569.30	2,061.77	1,877.87
5	Plant & Machinery	5.28	1,06,203.91	16,267.14	568.23	1,21,902.82	43,199.48	6,674.14	234.57	49,639.05	72,263.77	63,004.43
6	Lines & Cables	5.28	1,23,177.74	6,835.06	8,715.53	1,21,297.27	39,440.28	6,862.62	763.22	45,539.68	75,757.59	83,737.46
7	Vehicles	9.5	54.70	(0.00)	-	54.70	49.23	-	-	49.23	5.47	5.47
8	Furniture and Fixtures	6.33	478.06	30.96	-	509.02	203.88	31.10	-	234.98	274.04	274.18
9	Office Equipment	6.33	246.33	19.26	-	265.59	98.68	18.15	-	116.83	148.76	147.65
10	Computers & IT Equipment	15.00	321.97	72.10	-	394.07	224.58	44.35	-	268.93	125.14	97.37
	Total		**2,44,266.33**	**24,644.83**	**9,283.76**	**2,59,627.40**	**86,372.45**	**14,154.25**	**997.80**	**99.528.90**	**1,60,098.50**	**1,57,893.86**

1. The rates of depreciation above are as per the Tariff regulations applicable for the Intra-state Transmission charges notified by Hon'ble Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC) The Rate of Depreciation for the Lines & Plant and Machinery developed for the inter-state transmission is the same as notified by CERC.
2. There are total 18 Nos of Immovable Properties (Land) owned by the Company of Rs 834.42 Cr for which relevant records such as Title deeds/Mutation Certificates/ DM Order/Mandi Samiti Papers etc. are available. However, out of the total 18 Lands, the Title deeds / Mutation certificates for 11 No. of Land are available and 4 No of Lands were transferred by UPCL through Transfer Scheme and the Title deed/Mutation certificate of balance 3 No of Land are being arranged. Disclosure regarding Title deeds of Immovable Properties held in name of the Company has been provided as Annexure-1 to this note.
3. Disclosure regarding Title deeds of immovable Properties not held in name of the Company has been provided as Annexure-2 to this note.
4. Refer Annexure-3 for information of Property, Plant and Equipment pledged as security by the Company.

3 : Right to Use Assets

Assets - Right to Use Assets (Lease Rights including Grants and Deposit) as on 31.03.2025

(Amount in Rs. Lakhs)

S. No.	Particulars	Rate of Dep. (in %)	Gross Carrying Value				Acc. Depreciation				Net Carrying Value	
			Balance as on 01.04.2024	Additions	Disposal/ Adjustments	Balance as on 31.03.2025	Balance as on 01.04.2024	Depreciation on Additions	Depreciation on Disposals	Balance as on 31.03.2025	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Lease Land (RoU)		6,571.40	0.01	225.29	6,346.12	1,535.92	209.75	150.00	1,595.67	4,750.45	5,035.48
	Total		**6,571.40**	**0.01**	**225.29**	**6,346.12**	**1,535.92**	**209.75**	**150.00**	**1,595.67**	**4,750.45**	**5,035.48**

1. The difference between the cost of Leasehold Land as per the Lease deeds and as per accounts as mentioned in previous years financial statement has now been reconciled.

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (Notes to Financial Statements)

टिप्पणी संख्या 2 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (Property, Plant and Equipment)

A. मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियाँ (जमा एवं अनुदान परिसंपत्तियों सहित) स्थिति दिनांक: 31.03.2025

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर (%)	सकल वहन मूल्य				संचित मूल्यह्रास				शुद्ध वहन मूल्य	
			01.04.2024 की स्थिति पर अवशेष	वृद्धि/संवर्द्धन (Additions)	निपटान/समायोजन	31.03.2025 की स्थिति पर अवशेष	01.04.2024 की स्थिति पर अवशेष	संवर्द्धनों पर मूल्यह्रास	निपटानों पर मूल्यह्रास	31.03.2025 की स्थिति पर अवशेष	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	भूमि		465.17	369.25	-	834.42	-	-	-	-	834.42	465.17
2	भवन	3.34	10,324.39	784.80	-	11,109.19	2,490.90	410.28	-	2,901.18	8,208.01	7,833.49
3	हाईड्रॉलिक कार्य	5.28	629.25	-	-	629.25	178.48	31.24	-	209.72	419.53	450.77
4	अन्य सिविल कार्य	3.34	2,364.81	266.26	-	2,631.07	486.94	82.36	-	569.30	2,061.77	1,877.87
5	संयंत्र एवं मशीनरी	5.28	1,06,203.91	16,267.14	568.23	1,21,902.82	43,199.48	6,674.14	234.57	49,639.05	72,263.77	63,004.43
6	लाइनें एवं केबल	5.28	1,23,177.74	6,835.06	8,715.53	1,21,297.27	39,440.28	6,862.62	763.22	45,539.68	75,757.59	83,737.46
7	वाहन	9.5	54.70	(0.00)	-	54.70	49.23	-	-	49.23	5.47	5.47
8	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	6.33	478.06	30.96	-	509.02	203.88	31.10	-	234.98	274.04	274.18
9	कार्यालय उपकरण	6.33	246.33	19.26	-	265.59	98.68	18.15	-	116.83	148.76	147.65
10	कंप्यूटर एवं आईटी उपकरण	15.00	321.97	72.10	-	394.07	224.58	44.35	-	268.93	125.14	97.37
	कुल		**2,44,266.33**	**24,644.83**	**9,283.76**	**2,59,627.40**	**86,372.45**	**14,154.25**	**997.80**	**99.528.90**	**1,60,098.50**	**1,57,893.86**

1- उपरोक्त मूल्यह्रास दरें माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा अधिसूचित राज्यांतर्गत ट्रांसमिशन शुल्क के लिए लागू टैरिफ विनियमों के अनुसार हैं। अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन हेतु विकसित लाइनें एवं संयंत्र एवं मशीनरी पर मूल्यह्रास दरें केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुरूप हैं।

2- कंपनी के स्वामित्व में कुल 18 अचल संपत्तियाँ (भूमियाँ) हैं जिनकी कुल लागत ₹834.42 लाख है। इन संपत्तियों के लिए संबंधित अभिलेख जैसे टाइटल डीड, म्यूटेशन प्रमाणपत्र, जिलाधिकारी आदेश, मंडी समिति पत्र आदि उपलब्ध हैं। इन 18 संपत्तियों में से: 11 भूमियों के टाइटल डीड/म्यूटेशन प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं, 4 भूमियाँ यूपीसीएल द्वारा ट्रांसफर स्कीम के तहत स्थानांतरित की गई थीं, शेष 3 भूमियों के टाइटल डीड/म्यूटेशन प्रमाणपत्र की व्यवस्था की जा रही है। कंपनी के नाम पर दर्ज अचल संपत्तियों के टाइटल डीड से संबंधित खुलासा अनुलग्नक-1 में प्रदान किया गया है।

3- कंपनी के नाम पर दर्ज न की गई अचल संपत्तियों के टाइटल डीड से संबंधित खुलासा अनुलग्नक-2 में प्रदान किया गया है।

4- कंपनी द्वारा सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों (PPE) से संबंधित जानकारी अनुलग्नक-3 में दी गई है।

टिप्पणी संख्या 3 : उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियाँ (Right to Use Assets)

संपत्तियाँ – उपयोग का अधिकार (लीज अधिकार सहित अनुदान एवं जमा राशि): स्थिति दिनांक: 31.03.2025

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर (%)	सकल वहन मूल्य				संचित मूल्यह्रास				शुद्ध वहन मूल्य	
			01.04.2024 की स्थिति पर अवशेष	वृद्धि/संवर्द्धन (Additions)	निपटान/समायोजन	31.03.2025 की स्थिति पर अवशेष	01.04.2024 की स्थिति पर अवशेष	संवर्द्धनों पर मूल्यह्रास	निपटानों पर मूल्यह्रास	31.03.2025 की स्थिति पर अवशेष	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लीज़ भूमि (Lease Land – RoU):		6,571.40	0.01	225.29	6,346.12	1,535.92	209.75	150.00	1,595.67	4,750.45	5,035.48
	कुल		**6,571.40**	**0.01**	**225.29**	**6,346.12**	**1,535.92**	**209.75**	**150.00**	**1,595.67**	**4,750.45**	**5,035.48**

1. लीज डीड्स के अनुसार लीजहोल्ड भूमि की लागत और लेखों में दर्शाई गई लागत के बीच का अंतर, जैसा कि पिछले वर्षों के वित्तीय विवरणों में उल्लिखित था, अब पूर्णतः सामंजस्य (reconciled) कर लिया गया है।

A1. Tangible & In-tangible Assets: - Deposit Works 31.03.2025

(Amount in Rs. Lakhs)

S. No.	Particulars	Rate of Dep. (in %)	Gross Carrying Value				Acc. Depreciation				Net Carrying Value	
			Balance as on 01.04.2024	Additions	Disposal/ Adjustments	Balance as on 31.03.2025	Balance as on 01.04.2024	Depreciation on Additions	Depreciation on Disposals	Balance as on 31.03.2025	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lease Land (RoU)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Land		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Buildings	3.34	70.87	-	-	70.87	15.59	2.41	-	18.00	52.87	55.28
4	Hydraulic Works	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other Civil Works	3.34	54.74	-	-	54.74	14.15	1.68	-	15.83	38.91	40.59
6	Plant & Machinery	5.28	3,467.78	863.46	-	4,331.24	1,490.08	312.19	-	1,802.27	2,528.97	1,977.70
7	Lines & Cables	5.28	11,644.93	213.67	90.61	11,767.99	3,290.49	622.83	5.98	3,907.34	7,860.65	8,354.44
8	Vehicles	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Furniture and Fixtures	6.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Office Equipment	6.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Computers & IT Equipment	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		**15,238.33**	**1,077.13**	**90.61**	**16,224.85**	**4,810.31**	**939.12**	**5.98**	**5,743.77**	**10,481.41**	**10,428.02**

1. The company executes the works out of the funds (Deposits) received from the departments/agencies on whose behalf such works are executed by the company. After the completion of said works, the amount received from the aforesaid departments / agencies is reduced proportionately to the extent of yearly depreciation applicable on the said assets and is credited to the Statement of Profit & Loss of the year.
2. The capitalized value of deposit assets as shown above is the part of the Assets shown in "Table-A" above for the current Financial Year.

A2. Tangible & In-tangible - Grant under PSDF Scheme 31.03.2025

(Amount in Rs. Lakhs)

S. No.	Particulars	Rate of Dep. (in %)	Gross Carrying Value				Acc. Depreciation				Net Carrying Value	
			Balance as on 01.04.2024	Additions	Disposal/ Adjustments	Balance as on 31.03.2025	Balance as on 01.04.2024	Depreciation on Additions	Depreciation on Disposals	Balance as on 31.03.2025	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lease Land (RoU)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Land		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Buildings	3.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Hydraulic Works	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other Civil Works	3.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Plant & Machinery	5.28	8,672.72	-	173.28	8,499.44	2,097.65	412.13	24.73	2,485.05	6,014.39	6,575.07
7	Lines & Cables	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Vehicles	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Furniture and Fixtures	6.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Office Equipment	6.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Computers & IT Equipment	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		**8,672.72**	**-**	**173.28**	**8,499.44**	**2,097.65**	**412.13**	**24.73**	**2,485.05**	**6,014.39**	**6,575.07**

The Company is availing the Grants through Central Govt. under the scheme of Power System Development Fund (PSDF) for the purpose of Construction of Transmission Assets and Augmentation/ Replacement / Modernization of the existing Transmission Assets. The amount of the grant so received by the company is reduced every year to the extent to the amount of depreciation charged on the assets created out of the amount of the said grants and is credited to Statement of Profit and Loss. These assets are part of the assets shown in Table A above for the current Financial Year.

A1. मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियाँ – डिपोजिट कार्य (Deposit Works) : 31.03.2025 की स्थिति पर

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर (%)	सकल वहन मूल्य				संचित मूल्यह्रास				शुद्ध वहन मूल्य	
			01.04.2024 की स्थिति पर अवशेष	वृद्धि/संवर्द्धन (Additions)	निपटान/समायोजन	31.03.2025 की स्थिति पर अवशेष	01.04.2024 की स्थिति पर अवशेष	संवर्द्धनों पर मूल्यह्रास	निपटानों पर मूल्यह्रास	31.03.2025 की स्थिति पर अवशेष	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	लीज भूमि (RoU)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	भवन	3.34	70.87	-	-	70.87	15.59	2.41	-	18.00	52.87	55.28
4	हाईड्रॉलिक कार्य	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	अन्य सिविल कार्य	3.34	54.74	-	-	54.74	14.15	1.68	-	15.83	38.91	40.59
6	संयंत्र एवं मशीनरी	5.28	3,467.78	863.46	-	4,331.24	1,490.08	312.19	-	1,802.27	2,528.97	1,977.70
7	लाइनें एवं केबल	5.28	11,644.93	213.67	90.61	11,767.99	3,290.49	622.83	5.98	3,907.34	7,860.65	8,354.44
8	वाहन	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	6.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	कार्यालय उपकरण	6.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	कंप्यूटर एवं आईटी उपकरण	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल		**15,238.33**	**1,077.13**	**90.61**	**16,224.85**	**4,810.31**	**939.12**	**5.98**	**5,743.77**	**10,481.41**	**10,428.02**

1. कंपनी द्वारा निष्पादित डिपोजिट कार्य (Deposit Works): कंपनी द्वारा विभिन्न विभागों/एजेंसियों से प्राप्त निधियों (Deposits) के माध्यम से ऐसे कार्य निष्पादित किए जाते हैं जो उनके लिए किए जाते हैं। उक्त कार्यों की पूर्णता के पश्चात, संबंधित विभागों/एजेंसियों से प्राप्त राशि को उन परिसंपत्तियों पर लागू वार्षिक मूल्यह्रास (Depreciation) की सीमा तक अनुपातिक रुप से घटाया जाता है, तथा यह राशि संबंधित वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण (Statement of Profit & Loss) में जमा की जाती है।
2. जमा परिसंपत्तियों का पूंजीकृत मूल्य (Capitalized Value of Deposit Assets): उपर्युक्त प्रदर्शित जमा परिसंपत्तियों का पूंजीकृत मूल्य, चालू वित्तीय वर्ष के लिए ऊपर “तालिका–A (Table–A)” में प्रदर्शित कुल परिसंपत्तियों का एक भाग है।

A2. मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियाँ – पीएसडीएफ योजना (PSDF Scheme) के अंतर्गत अनुदान : 31.03.2025 की स्थिति पर

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर (%)	सकल वहन मूल्य				संचित मूल्यह्रास				शुद्ध वहन मूल्य	
			01.04.2024 की स्थिति पर अवशेष	वृद्धि/संवर्द्धन (Additions)	निपटान/समायोजन	31.03.2025 की स्थिति पर अवशेष	01.04.2024 की स्थिति पर अवशेष	संवर्द्धनों पर मूल्यह्रास	निपटानों पर मूल्यह्रास	31.03.2025 की स्थिति पर अवशेष	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	लीज भूमि (RoU)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	भवन	3.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	हाईड्रॉलिक कार्य	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	अन्य सिविल कार्य	3.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	संयंत्र एवं मशीनरी	5.28	8,672.72	-	173.28	8,499.44	2,097.65	412.13	24.73	2,485.05	6,014.39	6,575.07
7	लाइनें एवं केबल	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	वाहन	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	6.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	कार्यालय उपकरण	6.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	कंप्यूटर एवं आईटी उपकरण	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल		**8,672.72**	**-**	**173.28**	**8,499.44**	**2,097.65**	**412.13**	**24.73**	**2,485.05**	**6,014.39**	**6,575.07**

पीएसडीएफ योजना (PSDF Scheme) के अंतर्गत अनुदान (Grants): कंपनी को भारत सरकार के माध्यम से पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (PSDF) योजना के अंतर्गत ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के निर्माण तथा मौजूदा परिसंपत्तियों के संवर्द्धन/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण हेतु अनुदान प्राप्त होता है। उक्त अनुदान राशि को प्रत्येक वर्ष उसी अनुपात में घटाया जाता है, जितना कि उन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (Depreciation) का प्रभार लगाया गया हो, और यह राशि भी लाभ एवं हानि विवरण में जमा (credited) की जाती है। ये परिसंपत्तियाँ भी चालू वित्तीय वर्ष के लिए तालिका–A में प्रदर्शित कुल परिसंपत्तियों का अभिन्न अंग हैं।

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

2 : Property, Plant and Equipment

A. Tangible & In-tangible Assets: (including Deposit and PSDF Assets) as on 31.03.2024

(Amount in Rs. Lakhs)

S. No.	Particulars	Rate of Dep. (in %)	Gross Carrying Value				Depreciation				Net Carrying Value	
			Balance as on 01.04.2023	Additions	Disposal/ Adjustments	Balance as on 31.03.2024	Balance as on 01.04.2023	Depreciation on Additions	Depreciation on Disposals	Balance as on 31.03.2024	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Land		621.07	-	155.90	465.17	-	-	-	-	465.17	621.07
2	Buildings	3.34	9,528.70	795.69	-	10,324.39	2,106.01	384.89		2,490.90	7,833.49	7,422.69
3	Hydraulic Works	5.28	539.47	89.78	-	629.25	150.19	28.29		178.48	450.77	389.28
4	Other Civil Works	3.34	2,174.95	189.86	-	2,364.81	414.48	72.46		486.94	1,877.87	1,760.47
5	Plant & Machinery	5.28	1,10,983.16	3,697.22	8,476.47	1,06,203.91	37,009.84	6,427.84	238.20	43,199.48	63,004.43	73,973.32
6	Lines & Cables	5.28	1,09,115.49	14,062.25	-	1,23,177.74	32,673.90	6,766.38		39,440.28	83,737.46	76,441.59
7	Vehicles	9.5	54.70	-	-	54.70	49.23	-		49.23	5.47	5.47
8	Furniture and Fixtures	6.33	437.52	40.54	-	478.06	171.97	31.91		203.88	274.18	265.55
9	Office Equipment	6.33	189.91	56.60	0.18	246.33	82.70	16.14	0.16	98.68	147.65	107.21
10	Computers & IT Equipment	15.00	266.57	55.40	-	321.97	182.40	42.20		224.60	97.37	84.17
	Total		**2,33,911.54**	**18,987.33**	**8,632.54**	**2,44,266.33**	**72,840.72**	**13,770.10**	**238.35**	**86,372.47**	**1,57,893.86**	**1,61,070.82**

3 : Right to Use Assets

B. Assets - Right to Use Assets (Lease Rights including Grants and Deposit) as on 31.03.2024

(Amount in Rs. Lakhs)

S. No.	Particulars	Rate of Dep. (in %)	Gross Carrying Value				Depreciation				Net Carrying Value	
			Balance as on 01.04.2023	Additions	Disposal/ Adjustments	Balance as on 31.03.2024	Balance as on 01.04.2023	Depreciation on Additions	Depreciation on Disposals	Balance as on 31.03.2024	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Lease Land (RoU)		6,468.58	102.82	-	6,571.40	1,318.67	217.25	-	1,535.92	5,035.48	5,149.91
	Total		**6,468.58**	**102.82**	-	**6,571.40**	**1,318.67**	**217.25**	-	**1,535.92**	**5,035.48**	**5,149.91**

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (Notes to Financial Statements)

टिप्पणी संख्या 2 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (Property, Plant and Equipment)

A. मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियाँ (डिपोजिट एवं पीएसडीएफ परिसंपत्तियों सहित) स्थिति दिनांक: 31.03.2024

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर (%)	सकल वहन मूल्य				संचित मूल्यह्रास				शुद्ध वहन मूल्य	
			01.04.2023 की स्थिति पर अवशेष	वृद्धि/संवर्द्धन (Additions)	निपटान/ समायोजन	31.03.2024 की स्थिति पर अवशेष	01.04.2023 की स्थिति पर अवशेष	संवर्द्धनों पर मूल्यह्रास	निपटानों पर मूल्यह्रास	31.03.2024 की स्थिति पर अवशेष	31.03.2024 की स्थिति	31.03.2023 की स्थितिय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	भूमि		621.07	-	155.90	465.17	-	-	-	-	465.17	621.07
2	भवन	3.34	9,528.70	795.69	-	10,324.39	2,106.01	384.89		2,490.90	7,833.49	7,422.69
3	हाईड्रॉलिक कार्य	5.28	539.47	89.78	-	629.25	150.19	28.29		178.48	450.77	389.28
4	अन्य सिविल कार्य	3.34	2,174.95	189.86	-	2,364.81	414.48	72.46		486.94	1,877.87	1,760.47
5	संयंत्र एवं मशीनरी	5.28	1,10,983.16	3,697.22	8,476.47	1,06,203.91	37,009.84	6,427.84	238.20	43,199.48	63,004.43	73,973.32
6	लाइनें एवं केबल	5.28	1,09,115.49	14,062.25	-	1,23,177.74	32,673.90	6,766.38		39,440.28	83,737.46	76,441.59
7	वाहन	9.5	54.70	-	-	54.70	49.23	-		49.23	5.47	5.47
8	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	6.33	437.52	40.54	-	478.06	171.97	31.91		203.88	274.18	265.55
9	कार्यालय उपकरण	6.33	189.91	56.60	0.18	246.33	82.70	16.14	0.16	98.68	147.65	107.21
10	कंप्यूटर एवं आईटी उपकरण	15.00	266.57	55.40	-	321.97	182.40	42.20		224.60	97.37	84.17
	कुल		**2,33,911.54**	**18,987.33**	**8,632.54**	**2,44,266.33**	**72,840.72**	**13,770.10**	**238.35**	**86,372.47**	**1,57,893.86**	**1,61,070.82**

टिप्पणी संख्या 3 : उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियाँ (Right to Use Assets)

B. संपत्तियाँ – उपयोग का अधिकार (लीज अधिकार सहित अनुदान एवं जमा राशि): स्थिति दिनांक: 31.03.2024

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर (%)	सकल वहन मूल्य				संचित मूल्यह्रास				शुद्ध वहन मूल्य	
			01.04.2023 की स्थिति पर अवशेष	वृद्धि/संवर्द्धन (Additions)	निपटान/ समायोजन	31.03.2024 की स्थिति पर अवशेष	01.04.2023 की स्थिति पर अवशेष	संवर्द्धनों पर मूल्यह्रास	निपटानों पर मूल्यह्रास	31.03.2024 की स्थिति पर अवशेष	31.03.2024 की स्थिति	31.03.2023 की स्थिति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	लीज भूमि (RoU)		6,468.58	102.82	-	6,571.40	1,318.67	217.25	-	1,535.92	5,035.48	5,149.91
	कुल		**6,468.58**	**102.82**	-	**6,571.40**	**1,318.67**	**217.25**	-	**1,535.92**	**5,035.48**	**5,149.91**

A1. Assets - Deposit Works as on 31.03.2024

(Amount in Rs. Lakhs)

S. No.	Particulars	Rate of Dep. (in %)	Gross Carrying Value				Depreciation				Net Carrying Value	
			Balance as on 01.04.2023	Additions	Disposal/ Adjustments	Balance as on 31.03.2024	Balance as on 01.04.2023	Depreciation on Additions	Depreciation on Disposals	Balance as on 31.03.2024	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Land		-	-		-	-	-		-	-	-
2	Lease Land (RoU)		-	-		-	-	-		-	-	-
3	Buildings	3.34	70.87	-		70.87	13.18	2.41		15.59	55.28	57.69
4	Hydraulic Works	5.28	-	-		-	-	-		-	-	-
5	Other Civil Works	3.34	54.74	-		54.74	12.47	1.68		14.15	40.59	42.27
6	Plant & Machinery	5.28	2,133.58	1,334.20		3,467 78	1,248.68	241.40		1,490.08	1,977 70	884.90
7	Lines & Cables	5.28	9,195.98	2.448.95		11,644.93	2,722.83	567.66		3,290.49	8,354.44	6,473.15
8	Vehicles	9.5	-	-		-	-	-		-	-	-
9	Furniture and Fixtures	6.33	-	-		-	-	-		-	-	-
10	Office Equipment	6.33	-	-		-	-	-		-	-	-
11	Computers & IT Equipment	15.00	-	-		-	-	-		-	-	-
	Total		**11,455.18**	**3,783.15**	**-**	**15,238.33**	**3,997.16**	**813.15**	**-**	**4,810.31**	**10,428.02**	**7,458.02**

A2. Assets - Grant under PSDF Scheme as on 31.03.2024

(Amount in Rs. Lakhs)

S. No.	Particulars	Rate of Dep. (in %)	Gross Carrying Value				Depreciation				Net Carrying Value	
			Balance as on 01.04.2023	Additions	Disposal/ Adjustments	Balance as on 31.03.2024	Balance as on 01.04.2023	Depreciation on Additions	Depreciation on Disposals	Balance as on 31.03.2024	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Land	-	-	-		-	-	-		-	-	-
2	Lease Land (RoU)	-	-	-		-	-	-		-	-	-
3	Buildings	3.34	-	-		-	-	-		-	-	-
4	Hydraulic Works	5.28	-	-		-	-	-		-	-	-
5	Other Civil Works	3.34	-	-		-	-	-		-	-	-
6	Plant & Machinery	5.28	8,672.72	-		8,672.72	1.685.52	412.13		2.097.65	6,575.07	6,987.20
7	Lines & Cables	5.28	-	-		-	-	-		-	-	-
8	Vehicles	9.5	-	-		-	-	-		-	-	-
9	Furniture and Fixtures	6.33	-	-		-	-	-		-	-	-
10	Office Equipment	6.33	-	-		-	-	-		-	-	-
11	Computers & IT Equipment	15.00	-	-		-	-	-		-	-	-
	Total		**8,672.72**	**-**		**8,672.72**	**1.685.52**	**412.13**		**2.097.65**	**6,575.07**	**6,987.20**

A1. संपत्ति - डिपोजिट कार्य (Deposit Works) दिनांक 31.03.2024 तक

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर (%)	सकल वहन मूल्य				मूल्यह्रास				शुद्ध वहन मूल्य	
			01.04.2023 की स्थिति पर अवशेष	वृद्धि/संवर्द्धन (Additions)	निपटान/ समायोजन	31.03.2024 की स्थिति पर अवशेष	01.04.2023 की स्थिति पर अवशेष	संवर्द्धनों पर मूल्यह्रास	निपटानों पर मूल्यह्रास	31.03.2024 की स्थिति पर अवशेष	31.03.2024 की स्थिति	31.03.2023 की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	भूमि		-	-		-	-	-		-	-	-
2	लीज भूमि (RoU)		-	-		-	-	-		-	-	-
3	भवन	3.34	70.87	-		70.87	13.18	2.41		15.59	55.28	57.69
4	हाईड्रॉलिक कार्य	5.28	-	-		-	-	-		-	-	-
5	अन्य सिविल कार्य	3.34	54.74	-		54.74	12.47	1.68		14.15	40.59	42.27
6	संयंत्र एवं मशीनरी	5.28	2,133.58	1,334.20		3,467 78	1,248.68	241.40		1,490.08	1,977 70	884.90
7	लाइनें एवं केबल	5.28	9,195.98	2.448.95		11,644.93	2,722.83	567.66		3,290.49	8,354.44	6,473.15
8	वाहन	9.5	-	-		-	-	-		-	-	-
9	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	6.33	-	-		-	-	-		-	-	-
10	कार्यालय उपकरण	6.33	-	-		-	-	-		-	-	-
11	कंप्यूटर एवं आईटी उपकरण	15.00	-	-		-	-	-		-	-	-
	कुल		**11,455.18**	**3,783.15**	**-**	**15,238.33**	**3,997.16**	**813.15**	**-**	**4,810.31**	**10,428.02**	**7,458.02**

A2. संपत्ति - पीएसडीएफ योजना (PSDF Scheme) के अंतर्गत अनुदान दिनांक 31.03.2024 तक

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर (%)	सकल वहन मूल्य				मूल्यह्रास				शुद्ध वहन मूल्य	
			01.04.2023 की स्थिति पर अवशेष	वृद्धि/संवर्द्धन (Additions)	निपटान/ समायोजन	31.03.2024 की स्थिति पर अवशेष	01.04.2023 की स्थिति पर अवशेष	संवर्द्धनों पर मूल्यह्रास	निपटानों पर मूल्यह्रास	31.03.2024 की स्थिति पर अवशेष	31.03.2024 की स्थिति	31.03.2023 की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	भूमि		-	-		-	-	-		-	-	-
2	लीज भूमि (RoU)		-	-		-	-	-		-	-	-
3	भवन	3.34	-	-		-	-	-		-	-	-
4	हाईड्रॉलिक कार्य	5.28	-	-		-	-	-		-	-	-
5	अन्य सिविल कार्य	3.34	-	-		-	-	-		-	-	-
6	संयंत्र एवं मशीनरी	5.28	8,672.72	-		8,672.72	1.685.52	412.13		2.097.65	6,575.07	6,987.20
7	लाइनें एवं केबल	5.28	-	-		-	-	-		-	-	-
8	वाहन	9.5	-	-		-	-	-		-	-	-
9	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	6.33	-	-		-	-	-		-	-	-
10	कार्यालय उपकरण	6.33	-	-		-	-	-		-	-	-
11	कंप्यूटर एवं आईटी उपकरण	15.00	-	-		-	-	-		-	-	-
	कुल		**8,672.72**	**-**		**8,672.72**	**1.685.52**	**412.13**		**2.097.65**	**6,575.07**	**6,987.20**

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

Property, Plant and Equipment-Land Freehold

"Annexure-1 to Note 2.2- Detail of Immovable properties included in Property. Plant and Equipment which are held in the name of the Company:

S.No.	Location of Land	Circle Name	Value as per documents	Circle Rate	Stamp Duty Value	Purchase Consideration	Document on the basis of which land revalued	Ownership	Date of Ownership	Professional and Legal Charges paid
1	132 KV Baazpur	Circle office, Kashipur	87,500.00	-	-	87,500.00	Mutation (Khatoni)	PTCUL	18.12.1987	-
2	220 KV Kamluwaganja, Haldwani	Circle office. Haldwani	34,80,000.00				Registry	PTCUL	28.03.1995	
3	400 KV Kashipur	Circle office, Kashipur	181,84,690.00	3.50 lakh per acres	-	181,84,690.00	Registry & Mutation (Khatoni)	PTCUL	04.07.2002	-
4	400 KV Kashipur	Circle office, Kashipur	(13,77,000.00)	34 lakh per hectares	69,000.00	-13,77,000.00	Registry & Mutation (Khatoni)	PTCUL	11.07.2014	-
5	132KV Jaspur	Circle office, Kashipur	22,95,470.00	3.00 lakh per acres	2,15,300.00	22.95,470.00	Registry & Mutation (Khatoni)	PTCUL	09.05.2003	-
6	132 KV Sitarganj	Circle office, Haldwani	39,22,413.51	-	-	-	Mutation (Khatoni)	PTCUL	2005	-
7	132 KV Laksar/Roorkee	Circle office, Roorkee	2,47,808.00				Mutation (Khatoni)	PTCUL	2005	
8	220 KV Mahuwakhera Ganj	Circle office, Kashipur	12,77,080.00	-	12,77,080.00	12,77,080.00	Registry & Mutation (Khatoni)	PTCUL	10.12.2008	-
9	220 KV Baram	Circle office, Haldwani	155,00,256.00	-	10,45,756.00	155,00,256.00	Registry	PTCUL	19.03.2016	-
10	132 KV Padartha	Circle office, Roorkee	46,16,230.00	10,120/Mtr.	46,16,230.00	-	Registry & Mutation (Khatoni)	PTCUL	13.04.2017	-
11	132 Manglore	Circle office, Roorkee	89,15,760.00		-	89,15,760.00	Order of GoU (Director, Uttarakhand Krishi Utpadan Mandi Parishad, Haldwani)	PTCUL	06.02.2004	
12	132 Bhagwanpur	Circle office, Roorkee	55,54,240.00		-	55,54,240.00	Order of GoU (Director, Uttarakhand Krishi Utpadan Mandi Parishad, Haldwani)	PTCUL	06.02.2004	
13	132 KV Baazpur	Circle office, Kashipur	10,74,276.00		-	10,74,276.00	Order of GoU (Director, Uttarakhand Krishi Utpadan Mandi Parishad, Haldwani)	PTCUL	06.02.2004	
14	132 Chudiyala	Circle office, Roorkee	5,84,040.00	900/sqmtr.	27,000.00	5,84,040.00	Registry	PTCUL	14.12.2015	
15	220 kV O&M Div, Rishikesh	Circle office, Rishikesh	50,50,438.52	-		50,50,438.52	Trfr Scheme	PTCUL	Trfr Scheme	
16	400 kV O&M Div, Rishikesh	Circle office, Rishikesh	77,55,501.25	-		77,55,501.25	Trfr Scheme	PTCUL	Trfr Scheme	
17	O&M Div, Yamuna colony Dehradun	Circle office. Dehradun	29,53,072.30	-		29,53,072.30	Trfr Scheme	PTCUL	Trfr Scheme	
18	220 KV O&M Roorkee	Circle office, Roorkee	33,19,849.52	-		33,19,849.52	Trfr Scheme	PTCUL	Trfr Scheme	
	Total		**834,41,625.10**							

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण – भूमि (फ्रीहोल्ड)

परिशिष्ट-1 नोट 2.2 के लिए – उन अचल संपत्तियों का विवरण जो कंपनी के नाम पर हैं और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में शामिल हैं

क्र.सं.	भूमि का स्थान	सर्किल का नाम	दस्तावेज़ अनुसार मूल्य	सर्किल दर	स्टाम्प ड्यूटी मूल्य	क्रय मूल्य	जिस दस्तावेज़ के आधार पर भूमि का पुनर्मूल्यांकन हुआ	स्वामित्व	स्वामित्व की तिथि	व्यावसायिक एवं विधिक शुल्क भुगतान
1	132 के.वी. बाजपुर	सर्किल कार्यालय, काशीपुर	₹87,500.00	-	-	₹87,500.00	खतौनी (म्यूटेशन)	पिटकुल	18.12.1987	-
2	220 के.वी. कमलुवागंजा, हल्द्वानी	सर्किल कार्यालय, हल्द्वानी	₹34,80,000.00	-	-		रजिस्ट्री	पिटकुल	28.03.1995	-
3	400 के.वी. काशीपुर	सर्किल कार्यालय, काशीपुर	₹1,81,84,690.00	₹3.50 लाख प्रति एकड़	-	₹1,81,84,690.00	रजिस्ट्री एवं खतौनी (म्यूटेशन)	पिटकुल	04.07.2002	-
4	400 के.वी. काशीपुर	सर्किल कार्यालय, काशीपुर	(₹13,77,000.00)	₹34 लाख प्रति हेक्टेयर	₹69,000.00	₹-13,77,000.00	रजिस्ट्री एवं खतौनी (म्यूटेशन)	पिटकुल	11.07.2014	-
5	132 के.वी. जसपुर	सर्किल कार्यालय, काशीपुर	₹22,95,470.00	₹3.00 लाख प्रति एकड़	₹2,15,300.00	₹22,95,470.00	रजिस्ट्री एवं खतौनी (म्यूटेशन)	पिटकुल	09.05.2003	-
6	132 के.वी. सितारगंज	सर्किल कार्यालय, हल्द्वानी	₹39,22,413.51	-	-	-	खतौनी (म्यूटेशन)	पिटकुल	2005	-
7	132 के.वी. लक्सर/रुड़की	सर्किल कार्यालय, रुड़की	₹2,47,808.00	-	-	-	खतौनी (म्यूटेशन)	पिटकुल	2005	-
8	220 के.वी. महुवाखेड़ा गंज	सर्किल कार्यालय, काशीपुर	₹12,77,080.00	-	₹12,77,080.00	₹12,77,080.00	रजिस्ट्री एवं खतौनी (म्यूटेशन)	पिटकुल	10.12.2008	-
9	220 के.वी. ब्रहम	सर्किल कार्यालय, हल्द्वानी	₹1,55,00,256.00	-	₹10,45,756.00	₹1,55,00,256.00	रजिस्ट्री	पिटकुल	19.03.2016	-
10	132 के.वी. पदार्था	सर्किल कार्यालय, रुड़की	₹46,16,230.00	₹10,120 प्रति मीटर	₹46,16,230.00	-	रजिस्ट्री एवं खतौनी (म्यूटेशन)	पिटकुल	13.04.2017	-
11	132 के.वी. मंगलौर	सर्किल कार्यालय, रुड़की	₹89,15,760.00	-	-	₹89,15,760.00	उत्तराखंड सरकार का आदेश (निदेशक,-उत्तराखंड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, (हल्द्वानी)	पिटकुल	06.02.2004	-
12	132 के.वी. भगवानपुर	सर्किल कार्यालय, रुड़की	₹55,54,240.00	-	-	₹55,54,240.00		पिटकुल	06.02.2004	-
13	132 के.वी. बाजपुर	सर्किल कार्यालय, काशीपुर	₹10,74,276.00	-	-	₹10,74,276.00		पिटकुल	06.02.2004	-
14	132 के.वी. चुड़ियाला	सर्किल कार्यालय, रुड़की	₹5,84,040.00	₹900 प्रति वर्ग मीटर	₹27,000.00	₹5,84,040.00	रजिस्ट्री	पिटकुल	14.12.2015	-
15	220 के.वी. ओ एंड एम डिवीजन, ऋषिकेश	सर्किल कार्यालय, ऋषिकेश	₹50,50,438.52	-	-	₹50,50,438.52	ट्रांसफर स्कीम	पिटकुल	ट्रांसफर स्कीम	-
16	400 के.वी. ओ एंड एम डिवीजन, ऋषिकेश	सर्किल कार्यालय, ऋषिकेश	₹77,55,501.25	-	-	₹77,55,501.25	ट्रांसफर स्कीम	पिटकुल	ट्रांसफर स्कीम	-
17	ओ एंड एम डिवीजन, यमुना कॉलोनी, देहरादून	सर्किल कार्यालय, देहरादून	₹29,53,072.30	-	-	₹29,53,072.30	ट्रांसफर स्कीम	पिटकुल	ट्रांसफर स्कीम	-
18	220 के.वी. ओ एंड एम, रुड़की	सर्किल कार्यालय, रुड़की	₹33,19,849.52	-	-	₹33,19,849.52	ट्रांसफर स्कीम	पिटकुल	ट्रांसफर स्कीम	-
	कुल योग:		**₹8,34,41,625.10**							

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

Property, Plant and Equipment-Land Freehold

***Annexure-1 to Note 2.2:-The title deeds of immovable properties included in Property, Plant and Equipment are held in the name of the Company, except for as shown in table below:**

S.No.	Description of Item of Property	Area in Hectare	Gross Carrying Value (Rs.)	Title Deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter director or relative of Promoter/ director or employee of promoter/ director	Property held since which date/year	Remarks
1	220/132 KV Sub-station, Ramnagar, Roorkee and	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
2	132 KV Sub-station, Satpuli	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL, and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
3	66 KV Sub-station, Kothiyalsand	0.4420	Not known	UPCL	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
4	66 KV Sub-station, Karanprayag	0.1330	Not known	UPCL	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
5	66 KV Sub-station, Joshimath	2.3090	Not known	UPCL	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
6	132 KV Sub-station, Chudiyala	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
7	66 KV Sub-station, Thithki	Not known	Not known	UPCL	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
8	132 KV Sub-station, Kashipur	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
9	132KV Sub-station, Almora	12. 166 (approx)	Not known	Executive Engineer- UP State Electricity Board (UPSEB)	No	21.09.1972	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
10	Substation Land (132 KV S/S Ranikhet)	2.440	6,20,000	Executive Engineer Transmission- UP State Electricity Board (UPSEB)	No	19.04.1991	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
11	132 KV Sub-station, Bhawali	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण – भूमि (फ्रीहोल्ड)

परिशिष्ट–1 नोट 2.2 के लिए - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल अचल संपत्तियों के टाईटल डीड कंपनी के नाम पर हैं, सिवाय नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई संपत्तियों के:

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सकल वहन मूल्य (₹ में)	टाईटल डीड जिसके नाम पर है	क्या टाईटल डीड धारक प्रमोटर/निर्देशक या उनके रिश्तेदार/ कर्मचारी हैं	संपत्ति किस तिथि/वर्ष से धारण की गई है	टिप्पणी
1	220/132 के.वी. उपकेंद्र, रामनगर, रुड़की	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/पारेषण खण्ड/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।
2	132 के.वी. उपकेंद्र, सतपुली	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/पारेषण खण्ड/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।
3	66 के.वी. उपकेंद्र, कोठियालसैंण	0.4420	ज्ञात नहीं	यूपीसीएल	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/पारेषण खण्ड/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।
4	66 के.वी. उपकेंद्र, कर्णप्रयाग	0.1330	ज्ञात नहीं	यूपीसीएल	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/पारेषण खण्ड/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।
5	66 के.वी. उपकेंद्र, जोशीमठ	2.3090	ज्ञात नहीं	यूपीसीएल	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/पारेषण खण्ड/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।
6	132 के.वी. उपकेंद्र, चुड़ियाला	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/पारेषण खण्ड/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।
7	66 के.वी. उपकेंद्र, थिथकी	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	यूपीसीएल	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/पारेषण खण्ड/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।
8	132 के.वी. उपकेंद्र काशीपुर	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/पारेषण खण्ड/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।
9	132 के.वी. उपकेंद्र, अल्मोड़ा	लगभग 12.166	ज्ञात नहीं	अधिशासी अभियंता – उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (UPSEB)	नहीं	21.09.1972	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/पारेषण खण्ड/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।
10	उपकेंद्र भूमि (132 के.वी. उपकेंद्र रानीखेत)	2.440	₹6,20,000	अधिशासी अभियंता – ट्रांसमिशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (UPSEB)	नहीं	19.04.1991	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/पारेषण खण्ड/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।
11	132 के.वी. उपकेंद्र, भवाली	ज्ञात नहीं -	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/पारेषण खण्ड/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।

S.No.	Description of Item of Property	Area in Hectare	Gross Carrying Value (Rs.)	Title Deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter director or relative of Promoter/ director or employee of promoter/ director	Property held since which date/year	Remarks
12	Substation Land (132 KV S/S Pithoragarh)	1.866	1,44,007	Executive Engineer Transmission & Construction Division Haldwani	No	26.09.1972	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
13	132 KV Sub-station, Majra, Dehradun	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
14	132KV Sub-station Rudrapur	1.688	Not known	Not available	No	2005	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
15	132 KV Sub-station, Bindal Dehradun	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been mode available by various departments for the construction of a substation Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
16	132 KV Sub-station, Purkul, Dehradun	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been mode available by various departments for the construction of a substation Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
17	132 KV Sub-station, Manglore	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been mode available by various departments for the construction of a substation Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
18	132 KV Sub-station, Bhagwanpur	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been mode available by various departments for the construction of a substation Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
19	220 KV Sub-station, Chamba	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been mode available by various departments for the construction of a substation Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
20	132 KV Sub-station, Simli	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been mode available by various departments for the construction of a substation Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
21	400 KV Sub-station, Rishikesh	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been mode available by various departments for the construction of a substation Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
22	220 KV Sub-station & 132 KV IDPL Rishikesh	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been mode available by various departments for the construction of a substation Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
23	132 KV Sub-station Kichha	2.878	Not known	Not available	No	Not known (More than 30 years)	The land asset is currently owned by PTCUL and has been mode available by various departments for the construction of a substation Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सकल वहन मूल्य (₹ में)	टाईटल डीड जिसके नाम पर है	क्या टाईटल डीड धारक प्रमोटर/निर्देशक या उनके रिश्तेदार/कर्मचारी हैं	संपत्ति किस तिथि/वर्ष से धारण की गई है	टिप्पणी
12	उपकेंद्र भूमि (132 के.वी. उपकेंद्र, पिथौरागढ़)	1.866	₹1,44,007	अधिशासी अभियंता – प्रेषण एवं निर्माण प्रभाग, हल्द्वानी	नहीं	26.09.1972	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/प्रेषण प्रभाग/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।
13	132 के.वी. उपकेंद्र, माजरा, देहरादून	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/प्रेषण प्रभाग/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।
14	132 के.वी. उपकेंद्र, रुद्रपुर	1.688	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	2005	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/प्रेषण प्रभाग/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।
15	132 के.वी. उपकेंद्र, बिंदाल, देहरादून	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति वर्तमान में PTCUL के स्वामित्व में है तथा विभिन्न विभागों द्वारा उपकेंद्र निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में इन संपत्तियों के नाम संबंधित विभागों के नाम से राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज हैं।
16	132 के.वी. उपकेंद्र, पुरकुल, देहरादून	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति वर्तमान में PTCUL के स्वामित्व में है तथा विभिन्न विभागों द्वारा उपकेंद्र निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में इन संपत्तियों के नाम संबंधित विभागों के नाम से राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज हैं।
17	132 के.वी. उपकेंद्र, मंगलौर	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति वर्तमान में PTCUL के स्वामित्व में है तथा विभिन्न विभागों द्वारा उपकेंद्र निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में इन संपत्तियों के नाम संबंधित विभागों के नाम से राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज हैं।
18	132 के.वी. उपकेंद्र, भगवानपुर	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति वर्तमान में PTCUL के स्वामित्व में है तथा विभिन्न विभागों द्वारा उपकेंद्र निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में इन संपत्तियों के नाम संबंधित विभागों के नाम से राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज हैं।
19	220 के.वी. उपकेंद्र, चंबा	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति वर्तमान में PTCUL के स्वामित्व में है तथा विभिन्न विभागों द्वारा उपकेंद्र निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में इन संपत्तियों के नाम संबंधित विभागों के नाम से राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज हैं।
20	- 132 के.वी. उपकेंद्र, सिमली	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति वर्तमान में PTCUL के स्वामित्व में है तथा विभिन्न विभागों द्वारा उपकेंद्र निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में इन संपत्तियों के नाम संबंधित विभागों के नाम से राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज हैं।
21	400 के.वी. उपकेंद्र, ऋषिकेश	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति वर्तमान में PTCUL के स्वामित्व में है तथा विभिन्न विभागों द्वारा उपकेंद्र निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में इन संपत्तियों के नाम संबंधित विभागों के नाम से राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज हैं।
22	220 के.वी. उपकेंद्र एवं 132 के.वी. आईडीपीएल, ऋषिकेश	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति वर्तमान में PTCUL के स्वामित्व में है तथा विभिन्न विभागों द्वारा उपकेंद्र निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में इन संपत्तियों के नाम संबंधित विभागों के नाम से राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज हैं।
23	132 के.वी. उपकेंद्र, किच्छा	2.878	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं (30 वर्ष से अधिक)	भूमि परिसंपत्ति वर्तमान में PTCUL के स्वामित्व में है तथा विभिन्न विभागों द्वारा उपकेंद्र निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में इन संपत्तियों के नाम संबंधित विभागों के नाम से राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज हैं।

S.No.	Description of Item of Property	Area in Hectare	Gross Carrying Value (Rs.)	Title Deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter director or relative of Promoter/ director or employee of promoter/ director	Property held since which date/year	Remarks
24	132 KV Sub-station, Bhupatwala	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been mode available by various departments for the construction of a substation Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
25	132 KV Sub-station, Jwalapur	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been mode available by various departments for the construction of a substation Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
26	132 KV Sub-station, Srinagar	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been mode available by various departments for the construction of a substation Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
27	132 KV Sub-station, Kotdwar	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is in the possession of PTCUL, and has been provided free of cost by SIDCUL for the construction of the substation.
28	132 KV Sub-station, SIIDCUL, Haridwar	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is in the possession of PTCUL, and has been provided free of cost by SIDCUL for the construction of the substation.
29	220 KV Sub-station, Selaqui	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is in the possession of PTCUL, and has been provided free of cost by SIDCUL for the construction of the substation
30	220 KV Sub-station Pantnager	9.940	Not known	Not available	No	2005	The land asset is in the possession of PTCUL, and has been provided free of cost by SIDCUL for the construction of the substation.
31	132KV Sub-station Eldeco, Sitarganj	4.117	Free of Cost	Not available	No	13.12.2007	The land asset is in the possession of PTCUL, and has been provided free of cost by SIDCUL for the construction of the substation.
32	132KV Sub-station Kathgodam	-	Not known	Not available	No	Not known	The land assets have been surveyed by the Revenue Department and in the possession of PTCUL in Sajre.
33	Elect. Civil Division, Roorkee	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land assets have been surveyed by the Revenue Department and in the possession of PTCUL in Sajre.
34	220 KV O&M Division, Roorkee, 33 KV Sub-station No. 6, Right river bank, Roorkee	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land assets have been surveyed by the Revenue Department and in the possession of PTCUL in Sajre.
35	O&M Circle Office, Roorkee	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land assets have been surveyed by the Revenue Department and in the possession of PTCUL in Sajre.
36	Residential Colony, Purkul, Dehradun.	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land assets have been surveyed by the Revenue Department and in the possession of PTCUL in Sajre.
37	O&M Division, Yamuna Colony, Dehradun including Sub-Division and residential Colony. Yamuna Colony, Dehradun.	Not known	Not known	Irrigation Department	No	Not known	The land assets have been surveyed by the Revenue Department and in the possession of PTCUL in Sajre.

*Note: The above information is provided by the Civil, Department of PTCUL vide their letter no. 263 dated 30.04.2024.

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सकल वहन मूल्य (₹ में)	शीर्षक दस्तावेज़ जिसके नाम पर है	क्या शीर्षक दस्तावेज़ धारक प्रमोटर/निर्देशक या उनके रिश्तेदार/कर्मचारी हैं	संपत्ति किस तिथि/वर्ष से धारण की गई है	टिप्पणी
24	132 के.वी. उपकेंद्र, भूपतवाला	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/प्रेषण प्रभाग/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।
25	132 के.वी. उपकेंद्र, ज्वालापुर	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/प्रेषण प्रभाग/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।
26	132 के.वी. उपकेंद्र, श्रीनगर	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है तथा उपकेंद्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईबी/प्रेषण प्रभाग/पावर हाउस के राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में दर्ज है।
27	132 के.वी. उपकेंद्र, कोटद्वार	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	उक्त भूमि परिसंपत्तियाँ PTCUL के अधिकार क्षेत्र में हैं। सिडकुल (SIDCUL) द्वारा कुछ उपकेंद्रों हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।
28	132 के.वी. उपकेंद्र, सिडकुल, हरिद्वार	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	उक्त भूमि परिसंपत्तियाँ PTCUL के अधिकार क्षेत्र में हैं। सिडकुल (SIDCUL) द्वारा कुछ उपकेंद्रों हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।
29	220 के.वी. उपकेंद्र, सेलाकुई	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	उक्त भूमि परिसंपत्तियाँ PTCUL के अधिकार क्षेत्र में हैं। सिडकुल (SIDCUL) द्वारा कुछ उपकेंद्रों हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।
30	220 के.वी. उपकेंद्र, पंतनगर	9.940	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	2005	उक्त भूमि परिसंपत्तियाँ PTCUL के अधिकार क्षेत्र में हैं। सिडकुल (SIDCUL) द्वारा कुछ उपकेंद्रों हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।
31	132 के.वी. उपकेंद्र, एल्डेको, सितारगंज	4.117	निःशुल्क (Free of Cost)	उपलब्ध नहीं	नहीं	13.12.2007	उक्त भूमि परिसंपत्तियाँ PTCUL के अधिकार क्षेत्र में हैं। सिडकुल (SIDCUL) द्वारा कुछ उपकेंद्रों हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।
32	132 के.वी. उपकेंद्र, काठगोदाम	-	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्तियों का राजस्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, और वे PTCUL के कब्जे (सज्जरे) में हैं।
33	विद्युत सिविल डिवीजन, रुड़की	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्तियों का राजस्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, और वे PTCUL के कब्जे (सज्जरे) में हैं।
34	220 के.वी. ओ एंड एम डिवीजन, रुड़की (33 के.वी. उपकेंद्र नं. 6, दाहिनी नदी किनारा, रुड़की)	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्तियों का राजस्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, और वे PTCUL के कब्जे (सज्जरे) में हैं।
35	ओ एंड एम सर्किल कार्यालय, रुड़की	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्तियों का राजस्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, और वे PTCUL के कब्जे (सज्जरे) में हैं।
36	आवासीय कॉलोनी, पुरकुल, देहरादून	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	उपलब्ध नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्तियों का राजस्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, और वे PTCUL के कब्जे (सज्जरे) में हैं।
37	ओ एंड एम डिवीजन, यमुना कॉलोनी, देहरादून (उप खण्ड एवं आवासीय कॉलोनी सहित)	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	सिंचाई विभाग	नहीं	ज्ञात नहीं	भूमि परिसंपत्तियों का राजस्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, और वे PTCUL के कब्जे (सज्जरे) में हैं।

उपरोक्त सूचना पिटकुल के सिविल विभाग के पत्रांक 263 दिनांक 30.04.2025 द्वारा उपलब्ध करवायी गयी है।

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Annexure-2 to Note 2.3:- Assets Pledged as Security

The carrying amount of assets pledged as security for current & non current borrowings are :

(Amount in Rs. Lakhs)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Non Current:		
Non-Financial Assets	1,48,021.36	1,46,741.89
Total Non Current assets pledge as security	**1,48,021.36**	**1,46,741.89**

Note : The loans are pledged on the created assets (PPE) as stated in note no. 2 and the assets which are in progress (CWIP) as stated in note no. 4.

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

परिशिष्ट–2 से टिप्पणी 2.3 :– सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई परिसंपत्तियाँ

वर्तमान एवं गैर-वर्तमान ऋणों के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों का वहन मूल्य इस प्रकार है :

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2023–24
गैर-वर्तमान :		
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1,48,021.36	1,46,741.89
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ जो सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई हैं	**1,48,021.36**	**1,46,741.89**

टिप्पणी : ऋण उन सृजित परिसंपत्तियों (PPE) पर गिरवी रखे गए हैं जैसा कि टिप्पणी संख्या 2 में दर्शाया गया है, तथा उन परिसंपत्तियों पर जो निर्माणाधीन हैं (CWIP) जैसा कि टिप्पणी संख्या 4 में उल्लिखित है।

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

4 : Capital Work-in-Progress (CWIP)

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	Opening Balance	77,251.15	51,922.77
2	Additions during the Year	41,521.70	35,683.17
3	Capitalization during the Year	15,135.79	10,354.79
4	**Closing Balance (1+2-3)**	**1,03,637.06**	**77,251.15**

4.1. The amount of CWIP include the borrowing cost and overheads incurred during the year for the execution of the Capital works measured and accounted for as per the Accounting Policy Note no 1 (iii) b.

4.2. The amount of materials, equipments, etc. procured during the year for the construction of the capital assets under the Turnkey Contracts awarded by the Company have been accounted for as CWIP during the year whether these have been erected / installed or not during the year.

<u>पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड</u>

वित्तीय विवरणों के नोट्स

टिप्पणी 4 : पूंजीगत कार्य प्रगति पर (CWIP)

(राशि रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	प्रारंभिक शेष	77,251.15	51,922.77
2	वर्ष के दौरान जोड़ी गई	41,521.70	35,683.17
3	वर्ष के दौरान किया गया पूंजीकरण	15,135.79	10,354.79
4	**अंतिम अवशेष (1+2-3)**	**1,03,637.06**	**77,251.15**

4.1. CWIP की राशि में वर्ष के दौरान पूंजीगत कार्यों के निष्पादन हेतु किए गए ऋण लागत (Borrowing Cost) तथा ओवरहेड्स सम्मिलित हैं, जिनका मापन एवं लेखांकन, लेखांकन नीति की टिप्पणी संख्या 1 (iii) (b) के अनुसार किया गया है।

4.2. कंपनी द्वारा प्रदान किए गए टर्नकी अनुबंधों (Turnkey Contracts) के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु वर्ष के दौरान खरीदे गए सामग्री, उपकरण आदि को, चाहे वे वर्ष के दौरान स्थापित / संयोजित किए गए हों या नहीं, CWIP के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

(a) For Capital-work-in-progress

Annexure 1 to Note 4.3- CWIP ageing schedule:

(Amount in Lakhs)

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
FY 2024-25					
Projects in progress	41,521.70	16,150.11	14,940.14	30,899.48	1,03,511.43
Projects Temporarily suspended	-	-	-	125.63	125.63
Total	**41,521.70**	**16,150.11**	**14,940.14**	**31,025.11**	**1,03,637.06**
FY 2023-24					
Projects in progress	16,150.11	14,940.14	6,901.28	13,805.61	51,797.14
Projects Temporarily suspended	-	-	-	125.63	125.63
Total	**16,150.11**	**14,940.14**	**6,901.28**	**13,931.24**	**51,922.77**

(b) For Capital-work-in-progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, following CWIP completion schedule shall be given:

Annexure 2 to Note 4.3 - Ageing of C-WIP for overdue projects:

(Amount in Lakhs)

CWIP	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
FY 2024-25	23,157.34	-	-	-
FY 2023-24	32,091.44	-	-	-

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

(a) पूंजीगत कार्य प्रगति पर (Capital Work-in-Progress) के लिए

परिशिष्ट 1 से टिप्पणी 4.3 – CWIP आयु-वार विवरण (Ageing Schedule):

(राशि रुपये लाख में)

CWIP	सीडब्ल्यूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	**1–2 वर्ष**	**2–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	
वित्तीय वर्ष 2024–25					
प्रगति पर परियोजनाएँ	41,521.70	16,150.11	14,940.14	30,899.48	1,03,511.43
अस्थायी रुप से निलंबित परियोजनाएँ	-	-	-	125.63	125.63
कुल	**41,521.70**	**16,150.11**	**14,940.14**	**31,025.11**	**1,03,637.06**
वित्तीय वर्ष 2023–24					
प्रगति पर परियोजनाएँ	16,150.11	14,940.14	6,901.28	13,805.61	51,797.14
अस्थायी रुप से निलंबित परियोजनाएँ	-	-		125.63	125.63
कुल	**16,150.11**	**14,940.14**	**6,901.28**	**13,931.24**	**51,922.77**

(b) उन पूंजीगत कार्यों (CWIP) के लिए जिनकी पूर्णता अवधि नियोजित समय से अधिक हो गई है या जिनकी लागत मूल योजना से अधिक हो गई है, निम्नलिखित CWIP पूर्णता अनुसूची दी जानी चाहिए:

परिशिष्ट 2 से टिप्पणी 4.3 – विलंबित परियोजनाओं के लिए CWIP की आयु-वार विवरण (Ageing of CWIP for Overdue Projects): **(राशि रुपये लाख में)**

CWIP	पूर्ण होने की अपेक्षित अवधि			
	1 वर्ष से कम	**1–2 वर्ष**	**2–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
वित्तीय वर्ष 2024–25	23,157.34	-	-	-
वित्तीय वर्ष 2023–24	32,091.44	-	-	-

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Details of overdue projects & the costs to be incurred - Current Year:

(Amount in Lakhs)

Name of the Project	To be completed in			
	Less than 1 year	**1-2 years**	**2-3 years**	**More than 3 years**
Construction of 132 KV Bindal -Purkul transmission line	69.11			
Construction of 220 KV D/C Transmission Line on Single Zebra Rudrapur -Srinagar via Ghansali under Package-II (Chakrada to Rudrapur)	1,910.02			
Construction of 400KV DC Tapovan Pipalkoti & LILO of 400KV DC Vishnuprayag - Muzzafarnagar Line at Pipalkoti	1,425.20			
Const. of 400 KV DC line on Quad moose conductor from Pipalkoti to Srinagar under Package I (Const. Of 400 KV DC line on quad moose conductor from Pipakloti S/S to Nakot near Rudraprayag	9,578.72			
Const. of 400 KV DC line on Quad moose conductor from Pipalkoti to Srinagar under Package II (Const. Of 400 KV DC line on quad moose conductor from Nakot to Dhanpur forest near Rudraprayag	4,708.36			
Const. of 400 KV DC line on Quad moose conductor from Pipalkoti to Srinagar under Package III (Const. Of 400 KV DC line on quad moose conductor from Rudraprayag (Dhanpur) to 400 KV S/s Khandukhal (Srinagar)	5,340.30			
LILO of 132KV Sitarganj - Kiccha Line (suspended)	125.63			
TOTAL	**23,157.34**			

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

विलंबित परियोजनाओं का विवरण एवं व्यय किए जाने वाले अनुमानित लागत – वर्तमान वर्ष

(राशि रुपये लाख में)

परियोजना का नाम	पूर्ण होने की अपेक्षित अवधि			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
132 केवी बिंदाल–पुरकुल ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	69.11			
220 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन (सिंगल ज़ेब्रा) का निर्माण — रुद्रपुर से श्रीनगर (धनसाली मार्ग से) अंतर्गत पैकेज–II (चकराता से रुद्रपुर तक)	1,910.02			
400 केवी डीसी तपोवन–पिपलकोटी लाइन तथा 400 केवी डीसी विष्णुप्रयाग–मुज़फ्फरनगर लाइन की पिपलकोटी पर LILO का निर्माण	1,425.20			
400 केवी डीसी लाइन (क्वाड मूस कंडक्टर) का निर्माण — पिपलकोटी से श्रीनगर तक, पैकेज–I के अंतर्गत (पिपलकोटी सब-स्टेशन से नकोट, निकट रुद्रप्रयाग तक)	9,578.72			
400 केवी डीसी लाइन (क्वाड मूस कंडक्टर) का निर्माण — पिपलकोटी से श्रीनगर तक, पैकेज–II के अंतर्गत (नकोट से धनपुर वन क्षेत्र, रुद्रप्रयाग तक)	4,708.36			
400 केवी डीसी लाइन (क्वाड मूस कंडक्टर) का निर्माण — पिपलकोटी से श्रीनगर तक, पैकेज–III के अंतर्गत (रुद्रप्रयाग [धनपुर] से 400 केवी सब-स्टेशन खंडुखाल [श्रीनगर] तक)	5,340.30			
132 केवी सितारगंज–किच्छा लाइन की LILO (निलंबित)	125.63			
कुल	**23,157.34**			

Details of overdue projects & the costs to be incurred - Previous Year:

(Amount in Lakhs)

Name of the Project	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Construction of 132 KV Bindal-Purkul transmission line	119.12	-	-	-
Construction of 220 KV D/C Transmission Line on Single Zebra Rudrapur -Srinagar via Ghansali under Package-II (Chakrada to Rudrapur)	2,054.62	-	-	-
Construction of 400KV DC Tapovan Pipalkoti & LILO of 400KV DC Vishnuprayag-Muzzafarnagar Line at Pipalkoti	2,598.12	-	-	-
Const. of 400 KV DC line on Quad moose conductor from Pipalkoti to Srinagar under Package I (Const. Of 400 KV DC line on quad moose conductor from Pipakloti S/S to Nakot near Rudraprayag	10,662.70	-	-	-
Const. of 400 KV DC line on Quad moose conductor from Pipalkoti to Srinagar under Package II (Const. Of 400 KV DC line on quad moose conductor from Nakot to Dhanpur forest near Rudraprayag	7,037 82			
Const. of 400 KV DC line on Quad moose conductor from Pipalkoti to Srinagar under Package III (Const. Of 400 KV DC line on quad moose conductor from Rudraprayag (Dhanpur) to 400 KV S/s Khandukhal (Srinagar)	9,493.44			
LILO of 132KV Sitarganj - Kiccha Line (suspended)	125.63	-	-	-
TOTAL	**32,091.44**	**-**	**-**	**-**

विलंबित परियोजनाओं का विवरण एवं व्यय किए जाने वाले अनुमानित लागत – पूर्व वर्ष

(राशि रुपये लाख में)

परियोजना का नाम	पूर्ण होने की अपेक्षित अवधि			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
132 केवी बिंदाल–पुरकुल ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	119.12	-	-	-
220 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन (सिंगल ज़ेब्रा) का निर्माण — रुद्रपुर से श्रीनगर (घनसाली से) अंतर्गत पैकेज–।। (चकराता से रुद्रपुर तक)	2,054.62	-	-	-
400 केवी डीसी तपोवन–पिपलकोटी लाइन तथा 400 केवी डीसी विष्णुप्रयाग–मुज़फ्फरनगर लाइन की पिपलकोटी पर LILO का निर्माण	2,598.12	-	-	-
400 केवी डीसी लाइन (क्वाड मूस कंडक्टर) का निर्माण — पिपलकोटी से श्रीनगर तक, पैकेज–। के अंतर्गत (पिपलकोटी सब-स्टेशन से नकोट, निकट रुद्रप्रयाग तक)	10,662.70	-	-	-
400 केवी डीसी लाइन (क्वाड मूस कंडक्टर) का निर्माण — पिपलकोटी से श्रीनगर तक, पैकेज–।। के अंतर्गत (नकोट से धनपुर वन क्षेत्र, रुद्रप्रयाग तक)	7,037 82			
400 केवी डीसी लाइन (क्वाड मूस कंडक्टर) का निर्माण — पिपलकोटी से श्रीनगर तक, पैकेज–।।। के अंतर्गत (रुद्रप्रयाग [धनपुर] से 400 केवी सब-स्टेशन खंडुखाल [श्रीनगर] तक)	9,493.44			
132 केवी सीतारगंज–किच्छा लाइन की LILO (निलंबित)	125.63	-	-	-
कुल	**32,091.44**	**-**	**-**	**-**

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

5 : Other Financial Assets - Non Current

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	**Receivables from UPCL (on Account of Transfer of Opening Liabilities From UPCL against Transfer Scheme):**		
a	Receivables from UPCL (Against unutilized portion of REC & NABARD Loan)	4,229.10	4,229.10
b	Receivable from UPCL (Against stores)	19.45	19.45
c	Receivable from UPCL (Against fund remittances to UPCL)	-	-
d	Receivable from UPCL (GPF Trust)	1,685.69	1,685.69
	Total	**5,934.24**	**5,934.24**
2	**Trade Receivable**		
a	Receivable from BHPL	93.31	76.40
	Total	**6,027.55**	**6,010.64**

5.1 The amount of "Receivables from Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL)" represents the value of Opening Assets and adjustments made therein pertaining to the business of Transmission of Electricity and State Load Despatch Centre taken over by the Company from UPCL in terms of statutory transfer scheme notified by GoU on 31.05.2004. The amounts are under the process of reconciliation.

5.2 Refer Annexure No. 1 for information of ageing of Trade Receivable from BHPL

6 : Other Non Current Assets

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	MAT Credit	1,538.29	2,657.12
2	Mobilization Advance to contractors / suppliers	12,004.76	1,882.41
3	GST Advance	628.32	164.81
	Total	**14,171.37**	**4,704.34**

7 : Inventories

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	**Materials, Stores & Spares (O&M)**		
a	Stock - Serviceable / Usable	6,116.37	5,138.45
b	Stock - Non Moving	0.95	0.95
c	Stock - Obsolete / Scrap	142.42	462.48
	Total	**6,259.74**	**5,601.88**

1. The amount of materials, equipments, etc. procured during the year for the construction of the capital assets under the Turnkey Contracts awarded by the Company have been accounted for as CWIP during the year whether these have been erected/installed or not during the year.

2. The Non-moving / Obsolete / Scrap stock is expected to be sold at a price higher than the book value. Hence, no separate provision against the said stock / inventory is created during the year.

3. Materials, Stores & Spares as shown above have been procured and held with the Company at different sites / locations but not installed / erected on the date of closing of accounts.

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

टिप्पणी 5 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ – गैर-वर्तमान

(राशि रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	**यूपीसीएल (UPCL) से प्राप्तियाँ – (हस्तांतरण योजना के अंतर्गत यूपीसीएल से हस्तांतरित उद्घाटन देनदारियों के सापेक्ष)**		
a	यूपीसीएल से प्राप्तियाँ – (REC एवं NABARD ऋण के अप्रयुक्त हिस्से के सापेक्ष)	4,229.10	4,229.10
b	यूपीसीएल से प्राप्तियाँ – (भंडार / स्टोर्स के सापेक्ष)	19.45	19.45
c	यूपीसीएल से प्राप्तियाँ – (यूपीसीएल को की गई निधि प्रेषण के सापेक्ष)	-	-
d	यूपीसीएल से प्राप्तियाँ – (जीपीएफ ट्रस्ट के सापेक्ष)	1,685.69	1,685.69
	कुल	**5,934.24**	**5,934.24**
2	**व्यापारिक प्राप्य (Trade Receivable)**		
a	बीएचपीएल (BHPL) से प्राप्तियाँ	93.31	76.40
	कुल	**6,027.55**	**6,010.64**

5.1 "उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) से प्राप्तियाँ" का अर्थ है — कंपनी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार (GoU) द्वारा 31.05.2004 को अधिसूचित वैधानिक हस्तांतरण योजना के अंतर्गत यूपीसीएल से अधिग्रहित विद्युत संचरण एवं राज्य भार प्रेषण केंद्र (State Load Dispatch Centre) व्यवसाय से संबंधित उद्घाटन परिसंपत्तियों एवं उनके समायोजनों का मूल्य। इन राशियों का पुनः मिलान (reconciliation) प्रक्रिया में है।

5.2 बीएचपीएल (BHPL) से प्राप्त व्यापारिक देयों की आयु-वार जानकारी के लिए परिशिष्ट संख्या 1 देखें।

टिप्पणी 6 : अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(राशि रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	MAT क्रेडिट	1,538.29	2,657.12
2	ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (Mobilization Advance)	12,004.76	1,882.41
3	जीएसटी अग्रिम	628.32	164.81
	कुल	**14,171.37**	**4,704.34**

टिप्पणी 7 : भंडार (Inventories)

(राशि रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	सामग्री, स्टोर्स एवं स्पेयर (O&M)		
a	स्टॉक – सेवा योग्य / उपयोग योग्य	6,116.37	5,138.45
b	स्टॉक – गैर-गतिशील (Non-Moving)	0.95	0.95
c	स्टॉक – अप्रचलित / कबाड़ (Obsolete / Scrap)	142.42	462.48
	कुल	**6,259.74**	**5,601.88**

1. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान किए गए टर्नकी अनुबंधों (Turnkey Contracts) के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु खरीदी गई सामग्री, उपकरण आदि को, चाहे वे वर्ष के अंत तक स्थापित / संयोजित किए गए हों या नहीं, वर्ष के दौरान CWIP के रुप में लेखाबद्ध किया गया है।

2. गैर-गतिशील / अप्रचलित / कबाड़ भंडार को उसकी पुस्तकीय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे जाने की संभावना है। अतः, उक्त भंडार / सूची के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई पृथक प्रावधान नहीं बनाया गया है।

3. उपरोक्त प्रदर्शित सामग्री, स्टोर्स एवं स्पेयर कंपनी के विभिन्न स्थलों / स्थानों पर उपलब्ध हैं, किंतु खातों के समापन दिनांक तक स्थापित / संयोजित नहीं किए गए हैं।

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

8 : Trade Receivables			
			(Amount in Rs. Lakhs)
S.No.	**Particulars**	**As at 31.03.2025**	**As at 31.03.2024**
A	**Unsecured Considered Good**		
1	Uttrakhand Power Corporation Limited.	9,136.86	8,952.02
2	Bhilangna Hydro Power Ltd. (BHPL)	-	16.91
3	Sundry Debtors for O&M Charges of Bays	41.18	16.06
4	Sundry Debtors for ISTS Trans. Charges	1,152.16	10,740.25
5	Sundry Debtors for Open Access Charges	3.77	2.04
6	Other Sundry Debtors	25.88	-
	Total	**10,359.85**	**19,727.28**

1. The amounts shown as recoverable from UPCL do not include Late Payment Surcharge (LPS) as per the Tariff regulations as the same will be recognized when realised by the company following the accounting policy of the Company in this regard.

2. Refer Annexure No. 1 for information of ageing of Trade Receivables of the Company.

3. Trade Receivables due to directors or other officers of the company is NIL (Previous Year 2023-24 NIL).

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

टिप्पणी 8 : व्यापारिक प्राप्य (Trade Receivables)			
			(राशि रुपये लाख में)
क्र.सं.	**विवरण**	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
	"असुरक्षित, परन्तु वसूल योग्य मानी गई"		
1	उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL)	9,136.86	8,952.02
2	भिलंगना हाइड्रो पावर लिमिटेड (BHPL)	-	16.91
3	विभिन्न देनदार – बे (Bay) के ओ एंड एम शुल्क हेतु	41.18	16.06
4	विभिन्न देनदार – आईएसटीएस ट्रांसमिशन शुल्क हेतु	1,152.16	10,740.25
5	विभिन्न देनदार – ओपन एक्सेस शुल्क हेतु	3.77	2.04
6	अन्य विविध देनदार	25.88	-
	कुल	**10,359.85**	**19,727.28**

1. यूपीसीएल (UPCL) से वसूल की जाने योग्य राशियों में टैरिफ विनियमों के अनुसार लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) सम्मिलित नहीं है, क्योंकि कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार इसे तभी मान्यता दी जाएगी जब यह वास्तव में प्राप्त हो जाएगा।

2. कंपनी के व्यापारिक देयों की आयु-वार जानकारी के लिए परिशिष्ट संख्या 1 देखें।

3. निदेशकों या कंपनी के अन्य अधिकारियों से संबंधित कोई व्यापारिक प्राप्य नहीं है। (विगत वर्ष 2023-24 शून्य)

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

9: Cash and Cash Equivalent

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
A	**Cash In Hand / Remittances:**		
1	Cash-in-Hand (Including Imprest)	1.85	0.25
	Total (i)	**1.85**	**0.25**
B	**Bank Balances:**		
	In Current Accounts:		
1	Punjab National Bank	8,461.77	19,016.66
2	Central Bank of India	5.42	5.78
3	Indian Bank (Earstwhile Allahabad Bank)	1.71	1.69
4	Punjab National Bank (CSR Fund)	7.33	0.22
5	HDFC Bank Ltd. (CSR Fund)	0.12	0.12
6	Remittance in Transit	6.51	51.88
	Total (ii)	**8,482.86**	**19,076.35**
C	**In Fixed Deposits with Banks (FDR):**		
1	FDRs having maturity with in 3 Months	10,221.08	18,005.52
	Total (iii)	10.221.08	18,005.52
	Total (i+ii+iii)	**18,705.79**	**37,082.12**

The Remittance-in-Transit represent the funds transferred from the Bank accounts maintained at Head quarter of the Company to the Bank accounts maintained at the Units / Divisions level, but not received in the accounts of units / divisions on the closing date of the financial statements but is subsequently received by the units/divisions.

10: Other Bank Balances

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	FDRs having maturity of over 3 months to 12 months	50,000.00	11,000.00
	Total	**50,000.00**	**11,000.00**

11: Other Financial Assets - Current

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	Interest accrued but not due on FDRs	1,270.32	397.64
2	Advances to Third Parties	9.99	9.99
3	Advances to LIC against Gratuity fund	400.83	401.83
	Total	**1,681.14**	**809.46**

12: Other Current Assets

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	Mobilization Advance (O&M Works)	48.46	44.91
2	Recoverable from Contractors	401.59	445.32
3	Receivable from UPCL (Against material remittances)	16.09	16.09
4	Advances to Staff	9.32	114.34
5	Security Deposit against Service Tax demand	59.91	59.91
6	Advances to Others	32238	310.96
7	Income tax Refund Receivable (Net)	1,950.16	2,208.03
	Total	**2,801.91**	**3,199.55**

1. The amount of Security Deposit against Service Tax demand includes the service Tax of Rs. 59.91 lakhs deposited as security in CESTAT. The Company has filed an appeal with the Custom Excise Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) against the Appellate Order passed by the Commissioner, CGST, Dehradun. As per which, demand Service Tax amounting to Rs. 798.78 Lakhs for the financial year 2016-17 to 30.06.2017, has been raised against the Company. As per the laid down norms before filing the appeal before CESTAT, Company has paid Security Deposit @7.50% amounting Rs. 59.91 lakhs on 23.02.2021 (FY 2020-21) of the impugned demand which is subject to the release or adjustment with the tax as may be decided by the CESTAT. The amount of Security paid as such is shown separately in the above Note. The appeal is pending with CESTAT for adjudication.
2. Recoverable from contractors include amount receivable from contractors against sale of scrap, water charges, other misc. recoveries etc.
3. Debts due to directors or other officers of the company is NIL (Previous Year 2023-24 NIL)

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

टिप्पणी 9 : नकद एवं नकद समकक्ष (Cash and Cash Equivalents)

(राशि रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
A	**नकद / प्रेषण:**		
1	नकद हाथ में (इंप्रेस्ट सहित)	1.85	0.25
	कुल (i)	**1.85**	**0.25**
B	**बैंक शेष:**		
	चालू खाते में –		
1	पंजाब नेशनल बैंक	8,461.77	19,016.66
2	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	5.42	5.78
3	इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक)	1.71	1.69
4	पंजाब नेशनल बैंक (CSR कोष)	7.33	0.22
5	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (CSR कोष)	0.12	0.12
6	प्रेषण प्रगति में (Remittance in Transit)	6.51	51.88
	कुल (ii)	**8,482.86**	**19,076.35**
C	**बैंकों के साथ सावधि जमा (FDR):**		
1	3 माह के भीतर परिपक्व होने वाली एफडीआर	10,221.08	18,005.52
	कुल (iii)	**10.221.08**	**18,005.52**
	कुल (i + ii + iii)	**18,705.79**	**37,082.12**

"Remittance-in-Transit" उन निधियों का प्रतिनिधित्व करता है जो कंपनी के मुख्यालय में रखे बैंक खातों से इकाइयों /खण्ड़ों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई हैं, परंतु वित्तीय विवरणों की समापन तिथि तक इकाइयों / खण्ड़ों के खातों में प्राप्त नहीं हुईं थीं, और तत्पश्चात प्राप्त हो जाती हैं।

टिप्पणी 10 : अन्य बैंक शेष (Other Bank Balances)

(राशि रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	3 माह से अधिक एवं 12 माह तक की परिपक्वता वाली एफडीआर	50,000.00	11,000.00
	कुल	**50,000.00**	**11,000.00**

टिप्पणी 11 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ – वर्तमान (Other Financial Assets – Current)

(राशि रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	एफडीआर पर ब्याज (अर्जित परंतु देय नहीं)	1,270.32	397.64
2	तृतीय पक्षों को अग्रिम	9.99	9.99
3	एलआईसी को ग्रेच्युटी फंड के विरुद्ध अग्रिम	400.83	401.83
	कुल	**1,681.14**	**809.46**

टिप्पणी 12 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (Other Current Assets)

(राशि रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	अग्रिम (O&M कार्यों के लिए)	48.46	44.91
2	ठेकेदारों से वसूल योग्य राशि	401.59	445.32
3	यूपीसीएल से प्राप्तियाँ (सामग्री प्रेषण के सापेक्ष)	16.09	16.09
4	कर्मचारियों को अग्रिम	9.32	114.34
5	सेवा कर मांग के विरुद्ध सुरक्षा जमा	59.91	59.91
6	अन्य को अग्रिम	322.38	310.96
7	आयकर वापसी प्राप्त करने योग्य (शुद्ध)	1,950.16	2,208.03
	कुल	**2,801.91**	**3,199.55**

1. सेवा कर मांग के विरुद्ध सुरक्षा जमा में ₹59.91 लाख सम्मिलित हैं, जो कंपनी द्वारा सीईएसटीएटी (CESTAT) में अपील दायर करने से पूर्व सुरक्षा के रूप में जमा किए गए हैं। कंपनी ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, देहरादून आयुक्त (Commissioner, CGST, Dehradun) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2016–17 से 30.06.2017 तक की अवधि के लिए ₹798.78 लाख की सेवा कर मांग उठाई गई है। नियमानुसार, अपील दायर करने से पूर्व कंपनी ने कुल मांग का 7.5% अर्थात ₹59.91 लाख 23.02.2021 (वित्तीय वर्ष 2020–21) को सुरक्षा जमा के रूप में अदा किया। यह राशि सीईएसटीएटी के निर्णय के अनुसार समायोजित या वापस की जाएगी। उक्त राशि को इस नोट में पृथक रूप से प्रदर्शित किया गया है। अपील वर्तमान में सीईएसटीएटी में विचाराधीन है।

2. कॉन्ट्रैक्टर से वसूल की जाने वाली रकम में स्क्रैप की बिक्री, पानी का शुल्क, तथा अन्य विभिन्न मदों में की जाने वाली वसूली के बदले प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

3. कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से वसूल की जाने वाली देनदारियाँ शून्य हैं। (विगत वर्ष 2023-24 शून्य)

Annexure 1 to Note 5.2 - Ageing of Trade Receivables (Non Current) as on 31.03.2025

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payments					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
1	Undisputed Trade receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
2	Undisputed Trade receivables-considered doubtful	-	-	-	-	-	-
3	Disputed Trade receivables-considered good	-	-	-	-	93.91	93.91
4	Disputed Trade receivables-considered doubtful	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**93.91**	**93.91**

The Trade receivables form BHPL are shown as "Disputed Trade receivables - Considered good" as the same is under litigation with the Hon'ble APTEL and the final decision is still pending.

Annexure 1 to Note 5.2 - Ageing of Trade Receivables (Non Current) as on 31.03.2024

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payments					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	more than 3 years	
1	Undisputed Trade receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
2	Undisputed Trade receivables-considered doubtful	-	-	-	-	-	-
3	Disputed Trade receivables-considered good	-	-	-	-	76.40	76.40
4	Disputed Trade receivables-considered doubtful	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.40**	**76.40**

The Trade receivables form BHPL are shown as "Disputed Trade receivables - Considered good" as the same is under litigation with the Hon'ble APTEL and the final decision is still pending.

परिशिष्ट 1 से टिप्पणी 5.2 – व्यापारिक प्राप्य (गैर-वर्तमान) की आयु-वार विवरणी (Ageing of Trade Receivables - Non Current)
दिनांक 31.03.2025 के अनुसार

(राशि रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के अनुसार बकाया राशि					
		6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
1	निर्विवाद व्यापारिक प्राप्य – उत्तम मानी गई	-	-	-	-	-	-
2	निर्विवाद व्यापारिक प्राप्य – संदिग्ध मानी गई	-	-	-	-	-	-
3	विवादित व्यापारिक प्राप्य – उत्तम मानी गई	-	-	-	-	93.91	93.91
4	विवादित व्यापारिक प्राप्य – संदिग्ध मानी गई	-	-	-	-	-	-
	कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**93.91**	**93.91**

BHPL से प्राप्त व्यापारिक प्राप्य राशि को "विवादित व्यापारिक प्राप्य – उत्तम मानी गई (Disputed Trade Receivables – Considered Good)" के रुप में प्रदर्शित किया गया है क्योंकि यह मामला माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) के समक्ष विचाराधीन है तथा अंतिम निर्णय अभी लंबित है।

परिशिष्ट 1 से टिप्पणी 5.2 – व्यापारिक प्राप्य (गैर-वर्तमान) की आयु-वार विवरणी (Ageing of Trade Receivables - Non Current)
दिनांक 31.03.2024 के अनुसार

(राशि रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के अनुसार बकाया राशि					
		6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
1	निर्विवाद व्यापारिक प्राप्य – उत्तम मानी गई	-	-	-	-	-	-
2	निर्विवाद व्यापारिक प्राप्य – संदिग्ध मानी गई	-	-	-	-	-	-
3	विवादित व्यापारिक प्राप्य – उत्तम मानी गई	-	-	-	-	76.40	76.40
4	विवादित व्यापारिक प्राप्य – संदिग्ध मानी गई	-	-	-	-	-	-
	कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.40**	**76.40**

BHPL से प्राप्त व्यापारिक प्राप्य राशि को "विवादित व्यापारिक प्राप्य – उत्तम मानी गई (Disputed Trade Receivables – Considered Good)" के रुप में दर्शाया गया है, क्योंकि यह मामला माननीय APTEL में विचाराधीन है तथा अंतिम निर्णय लंबित है।

Annexure 1 to Note 8.2 - Ageing of Trade Receivables (Current) as on 31.03.2025

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payments					
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
	Undisputed Trade receivables-considered good	10,359.85					10,359.85
	Undisputed Trade receivables-considered doubtful						-
	Disputed Trade receivables-considered good						-
	Disputed Trade receivables-considered doubtful						-
	Total	**10,359.85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,359.85**

Annexure 1 to Note 8.2 - Ageing of Trade Receivables (Current) as on 31.03.2024

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payments					
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
1	Undisputed Trade receivables-considered good	19,727.28	-	-	-	-	19,727.28
2	Undisputed Trade receivables-considered doubtful	-	-	-	-	-	-
3	Disputed Trade receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
4	Disputed Trade receivables-considered doubtful	-	-	-	-	-	-
	Total	**19,727.28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19,727.28**

परिशिष्ट 1 नोट 8.2 के लिए – व्यापार प्राप्य (वर्तमान) की आयु-वार विवरणी दिनांक 31.03.2025 तक

(राशि रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के अनुसार बकाया राशि					
		6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
1	निर्विवाद व्यापारिक प्राप्य – उत्तम मानी गई	10,359.85					10,359.85
2	निर्विवाद व्यापारिक प्राप्य – संदिग्ध मानी गई						-
3	विवादित व्यापारिक प्राप्य – उत्तम मानी गई						-
4	विवादित व्यापारिक प्राप्य – संदिग्ध मानी गई						-
	कुल	**10,359.85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,359.85**

परिशिष्ट 1 नोट 8.2 के लिए – व्यापार प्राप्य (वर्तमान) की आयु-वार विवरणी दिनांक 31.03.2024 तक

(राशि रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के अनुसार बकाया राशि					
		6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
1	निर्विवाद व्यापारिक प्राप्य – उत्तम मानी गई	19,727.28	-	-	-	-	19,727.28
2	निर्विवाद व्यापारिक प्राप्य – संदिग्ध मानी गई	-	-	-	-	-	-
3	विवादित व्यापारिक प्राप्य – उत्तम मानी गई	-	-	-	-	-	-
4	विवादित व्यापारिक प्राप्य – संदिग्ध मानी गई	-	-	-	-	-	-
	कुल	**19,727.28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19,727.28**

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

13: Equity Share Capital

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	Authorised Share Capital	10,00,000.00	10,00,000.00
	(10,00,00,000 Equity Shares of Rs. 1000/- each)		
2	Issued, Subscribed and Paid up Capital	86,677.94	77,387.73
	Total	**86,677.94**	**77,387.73**
3	8667793.64 (Previous Year : 7738773) Equity Shares of Rs. 1000/- each, Fully Paid up.		

1. The Company has only one class of equity shares having par value of Rs 1000/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.

2. In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive assets of the company remaining after distribution of preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the Shareholders.

3. The aggregate number of equity shares issued pursuant to contract, without payment being received in cash in immediately preceding last five years ended on March 31, 2025 - Nil (previous period of five years ended March 31, 2024: Nil).

Reconciliation of Nos. of Shares

(Number of Shares)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	Opening Equity Shares	77,38,773	72,38,773
2	Add: Number of Shares issued / Subscribed during the year	9,29,021	5,00,000
3	**Closing Balance**	**86,67,794**	**77,38,773**

Details of Shareholders holding more than 5% Shares in the company:

S.No.	Name	Share holding	
1	**Governor of State of Uttarakhand**	**As at 31.03.2025**	
		Number of Shares	86,67,787
		% Held	99.99%
		% Change in Shareholding	0.00%
		As at 31.03.2024	
		Number of Shares	77,38,766
		% Held	99.99%
		% Change in Shareholding	0.00%

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

13: इक्विटी शेयर पूंजी

(राशि रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	अधिकृत शेयर पूंजी	10,00,000.00	10,00,000.00
	(10,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1000/-)		
2	जारी, सब्सक्राइब्ड और चुकता पूंजी	86,677.94	77,387.73
	कुल	**86,677.94**	**77,387.73**
3	8667793.64 (पिछला वर्ष: 7738773) इक्विटी शेयर, प्रत्येक ₹1000/- के, पूर्णतः चुकता।		

1.कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹1000/- प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक को प्रति शेयर एक मत का अधिकार प्राप्त है।

2.कंपनी के परिसमापन (liquidation) की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारकों को वरीयता राशि के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्तियों पर अधिकार होगा। यह वितरण प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

3.पिछले पाँच वर्षों में, किसी अनुबंध के अंतर्गत नकद प्राप्त किए बिना जारी किए गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए शून्य (Nil) है (31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों की अवधि के लिए भी Nil)।

शेयरों की संख्या का मिलान (Reconciliation of Nos. of Shares)

(शेयरों की संख्या)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	प्रारंभिक इक्विटी शेयर	77,38,773	72,38,773
2	जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी / सदस्यता लिए गए शेयरों की संख्या	9,29,021	5,00,000
3	**समापन शेष**	**86,67,794**	**77,38,773**

कंपनी में 5% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:

क्र.सं.	नाम	शेयर होल्डिंग	
1	**उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल**	**31.03.2025 को**	
		शेयरों की संख्या	86,67,787
		% होल्डिंग	99.99%
		शेयरहोल्डिंग में % परिवर्तन	0.00%
		31.03.2024 को	
		शेयरों की संख्या	77,38,766
		% होल्डिंग	99.99%
		शेयरहोल्डिंग में % परिवर्तन	0.00%

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

14: Other Equity

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
A	**Capital Reserve**		
1	Capital Reserve	19,188.80	19,188.80
	Total (A)	**19,188.80**	**19,188.80**
B	**Retained Earnings**		
1	Opening Balance	44,430.33	34,167.00
2	Total comprehensive income for the current year	8,289.34	10,763.53
3	Other comprehensive income (Prior Period Items)	-	-
4	Income Tax adjustments of earlier years	586.97	-
5	Dividend	(1,100.45)	(500.20)
	Total (B)	**52,206.19**	**44,430.33**
C	**Share Application Money pending Allotment**		
1	Opening Balance	-	-
2	Application Money Received during year	11,947.21	5,000.00
3	Shares allotted during the year out of the available application money	(9,290.21)	(5,000.00)
	Total (C)	2,657.00	-
	Total (A+B+C)	**74,051.99**	**63,619.13**

1. The company has sufficient Authorised share capital to cover the issue of equity shares against application money.
2. Final Dividend of Rs. 1100.45 Lakhs was paid during the current FY for FY 23-24 on 77,38,773 eligible Equity share @ Rs. 14.22/- per share.
3. The Company was incorporated on 27.05.2004 as a separate company under Company's Act, 1956 and assigned separately the business of Transmission of Electricity and State Load Dispatch Centre (SLDC) function in the state of Uttarakhand (formerly Uttaranchal). The Scope of the Business, Assets & Liabilities of the said entity and other incidental & Consequential matters were laid down in the detailed transfer scheme notified by the Govt. of Uttaranchal vide Notification No. 86/1/2004-06(3) 2003 dated 31.05.2004 and 87/1/2004- 06(3) 2003 dated 31.05.2004. The Capital Reserve amounting to Rs. 19188.80 Lakhs (Previous year Rs. 19188.80 Lakhs), as shown represents the value of Assets in excess of Liabilities taken over by the Company from UPCL as Opening Balances in terms of the aforesaid Transfer Scheme.
4. There was a difference in the Accounting head of Reserves & Surplus as per the Trial balance of the accounting software (FAS) and the Trial balance utilized for the preparation of financial statements till previous years. This was a software generated difference and now the same has been reconciled and hence there is no such difference between FAS and the Trial balance being used for preparation of financial statements.

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

14: अन्य इक्विटी (Other Equity)

(राशि रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
A	**पूंजी आरक्षित (Capital Reserve)**		
1	पूंजी आरक्षित (Capital Reserve)	19,188.80	19,188.80
	कुल (A)	**19,188.80**	**19,188.80**
B	**अवशिष्ट आय (Retained Earnings)**		
1	प्रारंभिक शेष	44,430.33	34,167.00
2	वर्तमान वर्ष की समग्र आय (Total Comprehensive Income for the current year)	8,289.34	10,763.53
3	अन्य समग्र आय (पूर्व अवधि मदें)	-	-
4	पिछले वर्षो के आयकर समायोजन	586.97	-
5	लाभांश	(1,100.45)	(500.20)
	कुल (B)	**52,206.19**	**44,430.33**
C	**शेयर आवेदक धनराशि जो आवंटन हेतु लंबित है (Share Application Money Pending Allotment)**		
1	प्रारंभिक शेष	**-**	-
2	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन धनराशि	11,947.21	5,000.00
3	वर्ष के दौरान उपलब्ध आवेदन धनराशि में से आवंटित शेयर	(9,290.21)	(5,000.00)
	कुल (C)	2,657.00	-
	कुल (A+B+C)	**74,051.99**	**63,619.13**

1. कंपनी के पास आवेदन धनराशि के विरुद्ध इक्विटी शेयर जारी करने के लिए पर्याप्त अधिकृत शेयर पूंजी उपलब्ध है।
2. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ₹1100.45 लाख का अंतिम लाभांश वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 77,38,773 पात्र इक्विटी शेयरों पर ₹14.22 प्रति शेयर की दर से भुगतान किया गया।
3. कंपनी का गठन 27.05.2004 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक पृथक कंपनी के रूप में किया गया था तथा इसे उत्तराखंड (पूर्व में उत्तरांचल) राज्य में विद्युत पारेषण (Transmission of Electricity) एवं राज्य भार प्रेषण केंद्र (SLDC) के कार्य सौंपे गए। उक्त इकाई के व्यवसाय, परिसंपत्तियों एवं देयताओं की परिधि तथा अन्य सहायक एवं परिणामी विषयों का विवरण उत्तरांचल सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 86/1/2004-06(3)2003 दिनांक 31.05.2004 तथा 87/1/2004-06(3)2003 दिनांक 31.05.2004 के अंतर्गत जारी विस्तृत अंतरण योजना में निर्धारित किया गया था। पूंजी आरक्षित राशि ₹19188.80 लाख (पिछला वर्ष ₹19188.80 लाख) उस परिसंपत्ति मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है जो कंपनी द्वारा यू.पी.सी.एल. (UPCL) से उपर्युक्त अंतरण योजना के अनुसार प्रारंभिक शेष के रूप में ग्रहण की गई देयताओं से अधिक थी।
4. FAS लेखांकन सॉफ्टवेयर के ट्रायल बैलेंस एवं वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु उपयोग किए गए ट्रायल बैलेंस के बीच आरक्षित एवं अधिशेष (Reserves & Surplus) शीर्ष में अंतर पाया गया था। यह अंतर सॉफ्टवेयर जनित था जिसे अब समायोजित कर दिया गया है, अतः अब FAS एवं वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रयुक्त ट्रायल बैलेंस के बीच कोई अंतर नहीं है।

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

15 : Borrowings - Non Current Liabilities

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
A	**Term Loans - Secured**		
1	Loans from Rural Electrification Corporation (REC)	32,121.64	33,332.60
2	Loans from Power Finance Corporation (PFC)	70,327.02	59,137.36
3	Loans from NABARD	114.38	122.70
4	Loans from Govt. of Uttarakhand (Under Asian Development Bank (ADB) Scheme)	17,851.33	17,851.33
5	ADB-4402	614.00	-
6	Loans from Govt. of Uttarakhand (Special Assistance Capital Works)	10,293.70	4,907.00
	Total (A)	**1,31,322.07**	**1,15,350.99**
Less:	**Short Term Borrowings (Note 20)**		
1	Current Maturity of Long Term Loans		
a	- REC	3,679.87	3,474.12
b	- PFC	2,515.19	2,298.66
c	- NABARD	8.32	7.24
d	- Loans from Govt. of Uttarakhand (Special Assistance Capital Works)	462.84	-
	Total (B)	**6,666.22**	**5,780.02**
	Total (A-B)	**1,24,655.85**	**1,09,570.97**

1. The company has received funds from GoU under funding scheme of Asian Development Bank (ADB) for the construction and implementation of the ISTS project of Company at Srinagar in the State of Uttarakhand. As per the agreements executed in this behalf among GoI, GoU & ADB, the transfer of funds to the Uttarakhand State by the Government of India shall be in with its normal arrangements for transfer of external assistance to the State (90:10 Grant: Loan basis) as per current policy of India's central assistance to the States through ADB loans. Considering the same, the company had accounted for the funds received from GoU under the ADB financial assistance in the proporation of grant and loan as 90% & 10% respectively and accordingly had shown as such in its financial statements till the financial year 2018-19. However, the GoU has issued sanction letter toward the disbursement of the aforesaid funds under the head "Loans" and further GoU vide its letter no. 1438 I(2)/2020-07(1)/18/2016 dated 20.11.20 has clarified its decision that the said funds are 100% Loan to the Company @Nil rate of Interest. Accordingly during the financial year 2019-20, the company made necessary adjustments in the amounts of grants and loans under ADB financing in the financial year 2019-20. Therefore the funds received from GoU under the ADB funding have been shown as 100% Loan with Nil rate of Interest.
2. Out of the amount outstanding against the loans from REC, PFC, NABARD, etc as shown above, a sum of Rs. 6666.22 Lakh (Previous year Rs. 5780.02 Lakh) is due for repayment during the period of 12 months which has been shown under Note 20.

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

15 : उधारियाँ (Borrowings) – गैर-चालू देयताएँ (Non-Current Liabilities)

(राशि रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
A	**टर्म लोन – सुरक्षित (Term Loans – Secured)**		
1	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) से ऋण	32,121.64	33,332.60
2	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) से ऋण	70,327.02	59,137.36
3	नाबार्ड (NABARD) से ऋण	114.38	122.70
4	उत्तराखंड सरकार से ऋण (एशियन विकास बैंक – ADB योजना के अंतर्गत)	17,851.33	17,851.33
5	ADB-4402	614.00	-
6	उत्तराखंड सरकार से ऋण (विशेष सहायता पूंजीगत कार्यों हेतु)	10,293.70	4,907.00
	कुल (A)	**1,31,322.07**	**1,15,350.99**
घटाएँ:	**अल्पकालिक उधारियाँ (Short Term Borrowings) (नोट 20)**		
1	दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता		
a	- REC	3,679.87	3,474.12
b	- PFC	2,515.19	2,298.66
c	- NABARD	8.32	7.24
d	- उत्तराखंड सरकार से ऋण (विशेष सहायता पूंजीगत कार्यों हेतु)	462.84	-
	कुल (B)	**6,666.22**	**5,780.02**
	कुल (A - B)	**1,24,655.85**	**1,09,570.97**

1. कंपनी को उत्तराखंड सरकार (GoU) से एशियन विकास बैंक (ADB) की वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के श्रीनगर में ISTS परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु निधि प्राप्त हुई है। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार एवं एडीबी के बीच हुए समझौतों के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य को निधि का अंतरण अपनी सामान्य व्यवस्था के तहत 90:10 अनुदान : ऋण के आधार पर किया जाना था (भारत की वर्तमान नीति के अनुसार)। इस आधार पर, कंपनी ने वर्ष 2018-19 तक प्राप्त निधियों को 90% अनुदान एवं 10% ऋण के रूप में अपने वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित किया था। तथापि, उत्तराखंड सरकार द्वारा उपरोक्त निधियों के वितरण हेतु जारी स्वीकृति पत्र में उन्हें "Loans" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा पत्र संख्या 1438 I(2)/2020-07(1)/18/2016 दिनांक 20.11.2020 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि उक्त निधियाँ कंपनी को 100% ऋण (Nil ब्याज दर पर) के रूप में दी गई हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी ने ADB वित्त पोषण के अंतर्गत अनुदान एवं ऋण की राशि में आवश्यक समायोजन किया। परिणामस्वरूप, ADB फंडिंग के अंतर्गत GoU से प्राप्त निधियों को 100% ब्याज मुक्त ऋण (Loan @ Nil Interest) के रूप में प्रदर्शित किया गया है।
2. उपरोक्त दर्शाए गए REC, PFC, NABARD आदि से प्राप्त ऋणों में से ₹6666.22 लाख (पिछला वर्ष ₹5780.02 लाख) राशि 12 माह की अवधि में देय है, जिसे नोट 20 के अंतर्गत दर्शाया गया है।

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

Statement of Loans:

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Repayment Period		Interest Rate during 2024-25	Secured by	As at 31-03-2025	As at 31-03-2024
		Start Date	Completion Date				
A	**Non Current: Secured : Term Loans**						
a)	**Loan from REC:**						
1	REC IX Scheme No 1185762(132 KV Barheni Pantnagar Line and Const. of 1Bay on 220 KV S/s Pantnagar)	15-07-2016	15-07-2025	9.83% - 10.34%	Hypothecation existing/Future Assets	30.25	60.51
2	REC XI Scheme No 1185787(Construction of HQ Building)	15-06-2016	15-06-2025	9.83% - 10.34%		121.33	242.67
3	REC Capital R&M Scheme No 1184365 (Augmentation of 220 KV S/s Roorkee)	15-09-2016	15-09-2025	9.83% - 10.34%		77.09	154.17
4	REC Capital R&M Scheme No 1185011 (Strengthening of flood/monsoon affected S/s and Line of GZone)	15-12-2016	15-12-2025	9.73% - 10.34%	-do-	18.82	37.63
5	REC Capital R&M Scheme No 1185072 (Strengthening of flood/monsoon affected S/s and Line of GZone)	15-09-2016	15-09-2025	9.73% - 10.34%	-do-	31.85	63.70
6	REC Capital R&M Scheme No 1185531 (Strengthening of flood/monsoon affected S/s and Line of GZone)	15-12-2016	15-12-2025	9.32% - 10.34%	-do-	36.38	72.76
7	REC Capital R&M Scheme No 1185533 (Capital R&M work of S/s & trans. line of 220KV O&M Div Roorkee)	15-03-2017	15-03-2026	9.32%	-do-	30.26	60.52
8	REC Capital R&M Scheme No 1185534 (Capital R&M work of S/s & trans. line of 220KV O&M Div Chamba)	15-03-2017	15-03-2026	9.32% - 9.52%	-do-	40.66	81.33
9	REC Scheme No 5763 (REC-VI) (Const. of 220 KV S/s Pirankaliyar, Haridwar)	15-03-2019	15-03-2030	9.32% - 10.75%	-do-	1,625.56	1,950.67
10	REC Scheme No 7367 (REC-XII) (Const. of line from 400 KV S/S Ddun PGCIL to 220 KV Ddun S/s))	15-05-2022	15-05-2034	9.32% - 10.08%	-do-	653.95	719.35
11	REC Sch. No 7085 (Procur. & Erec. of 2x50MVA Transf. along with 220 & 33 KV bays at 220 S/s Pant.))	15-03-2019	15-03-2028	9.83% - 10.34%	-do-	324.87	433.16
12	REC-9030 (Const. of 132 KV S/C line on D/C tower from Ranikhet-Bageshwar)	15-06-2020	15-04-2034	9.32% - 10.08%	-do-	2,362.57	2,598.82
13	REC-8851 (Increasing capacity of 220 KV S/S SIDCUL, Haridwar from2x80 to	15-11-2019	15-11-2033	9.83% - 10.34%	-do-	314.25	349.17
14	REC-9029 (Const. of 132 KV (2x40 MVA) S/s Chudiyala and LILO (0.3Km) Chudiyala	15-11-2019	15-11-2033	9.83% - 10.34%	-do-	537.12	596.80
15	REC-9025 (Const. of 132 KV S/C Overhead Line from 220 KV S/S SIDCUL, Haridwar to 132	15-04-2020	15-04-2034	9.32% - 9.52%	-do-	234.64	258.11
16	REC-9290 (Const. of 220 KV Pirankaliyar-Puhana (PGCIL) Line	15-05-2020	15-05-2034	9.32% - 9.52%	-do-	718.44	790.28
17	REC-9218	15-01-2021	15-01-2035	9.32% - 9.52%	-do-	1,221.38	1,343.52
18	REC-9664	15-08-2020	15-08-2034	9.83% - 10.34%	-do-	271.33	298.47
19	REC-9666	15-06-2020	15-06-2034	9.83% - 10.34%	-do-	570.26	627.29
20	REC-9665	15-06-2020	15-06-2034	9.32% - 9.52%	-do-	585.37	643.91
21	REC Scheme No. 6410	15-09-2017	15-09-2026	9.32%	-do-	139.30	208.95
22	REC Scheme No. 5765	15-01-2022	15-01-2034	9.32% - 9.52%	-do-	3,330.28	3,700.31
23	REC-9031 Const. of 220/33 KV (2x25MVA) GIS S/S Barham alongwith 220 KV Dhauli Ganga-Pithoragarh	15-01-2022	15-01-2036	9.52%	-do-	6,222.92	5,198.57
24	REC-9796 (Increasing Capacity of 132/33KV S/s Kichcha, U.S. Nagar)	15-02-2022	15-02-2036	9.32% - 10.34%	-do-	455.40	496.80
25	REC-5764 (Construction of 220KV D/C Line on Twin Zebra Conductor from Lakhwar to Vyasi Ddun)	15-03-2024	15-03-2036	9.52%	-do-	3,860.98	4,211.98
26	REC-10952 (Construction of stringing of second circut 132 KV D/C Line from Satpuli to Kotdwar)	15-11-2022	15-11-2036	9.52%	-do-	319.93	346.59
27	REC-10760 (Augmentation of 01 no. 40 MVA T/f alongwith 132/33 KV Bay for I/C 132/33 Kv S/s Laksar)	15-05-2023	15-05-2037	9.52%	-do-	397.59	428.17
28	REC-10951 (I/C of 132/33 Kv S/s Haldwani from 2X40 to 3X40 MVA alongwith 132/33 kv Bays)	15-06-2023	15-06-2037	9.52%	-do-	388.22	418.08
29	REC-12590 A-1(8851)- {I/C of 220kv S/s Sidcul(Haridwar), from 2X80 to 2X80+1X50 MVA under PTCUL	15-06-2020	15-06-2033	9.52%	-do-	102.26	113.62
30	REC-10148	15-10-2023	15-10-2037	9.52%	-do-	507.63	546.68
31	REC-10950	15-10-2023	15-10-2037	9.52%	-do-	413.89	445.72
32	REC-13431 (Additional Loan-9290)	15-09-2021	15-09-2033	9.52%	-do-	225.81	250.90
33	REC-9624 (Additional Loan of 5764)	15-03-2024	15-03-2036	9.52%	-do-	4,817.48	5.255.44
34	REC-9995 (Const. of road for control room & residential building at 132 KV S/s Ranikhet)	15-03-2024	15-03-2036	9,52%	-do-	29.37	29.37
35	REC-10949 (Supply erection & testing and commissioning of 40 MVA 132/33 KV at S/s Pithoragarh)	15-03-2024	15-03-2036	9.52%	-do-	298.58	298.58
36	REC-18009 (Additional Loan)	15-01-2025	15-01-2036	9.52%	-do-	805.62	-
	Total (REC)					**32,121.64**	**33,332.60**

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

ऋणों का विवरण:

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	भुगतान अवधि		2024-25 के दौरान ब्याज दर	सुरक्षित द्वारा	31-03-2025 को	31-03-2024 को
		आरंभ तिथि	समापन तिथि				
A	**गैर-चालू: सुरक्षित : टर्म ऋण**						
a)	**REC से ऋण:**						
1	REC IX योजना संख्या 1185762 (132 केवी बरहैनी–पंतनगर लाइन तथा 220 केवी उपकेंद्र पंतनगर पर 1 बे का निर्माण)	15-07-2016	15-07-2025	9.83% - 10.34%	"वर्तमान/भविष्य की परिसंपत्तियों का हाइपोथिकेशन"	30.25	60.51
2	REC XI योजना संख्या 1185787 (मुख्यालय भवन का निर्माण)	15-06-2016	15-06-2025	9.83% - 10.34%		121.33	242.67
3	REC कैपिटल R&M योजना संख्या 1184365 (220 केवी उपकेंद्र रुड़की का सशक्तिकरण)	15-09-2016	15-09-2025	9.83% - 10.34%		77.09	154.17
4	REC कैपिटल R&M योजना संख्या 1185011 (गढ़वाल जोन के बाढ़/मॉनसून प्रभावित उपकेंद्रों और लाइनों का सशक्तिकरण)	15-12-2016	15-12-2025	9.73% - 10.34%	-तदैव-	18.82	37.63
5	REC कैपिटल R&M योजना संख्या 1185072 (गढ़वाल जोन के बाढ़/मॉनसून प्रभावित उपकेंद्रों और लाइनों का सशक्तिकरण)	15-09-2016	15-09-2025	9.73% - 10.34%	-तदैव-	31.85	63.70
6	REC कैपिटल R&M योजना संख्या 1185531 (गढ़वाल जोन के बाढ़/मॉनसून प्रभावित उपकेंद्रों और लाइनों का सशक्तिकरण)	15-12-2016	15-12-2025	9.32% - 10.34%	-तदैव-	36.38	72.76
7	REC कैपिटल R&M योजना संख्या 1185533 (220 केवी O&M डिविजन रुड़की के उपकेंद्र एवं ट्रांसमिशन लाइन के पूंजीगत R&M कार्य)	15-03-2017	15-03-2026	9.32%	-तदैव-	30.26	60.52
8	REC कैपिटल R&M योजना संख्या 1185534 (220 केवी O&M डिविजन चंबा के उपकेंद्र निर्माण एवं ट्रांसमिशन लाइन के पूंजीगत R&M कार्य)	15-03-2017	15-03-2026	9.32% - 9.52%	-तदैव-	40.66	81.33
9	REC योजना संख्या 5763 (REC-VI) (220 केवी उपकेंद्र पीरानकलियर, हरिद्वार निर्माण)	15-03-2019	15-03-2030	9.32% - 10.75%	-तदैव-	1,625.56	1,950.67
10	REC योजना संख्या 7367 (REC-XII) (400 केवी उपकेंद्र देहरादून PGCIL से 220 केवी देहरादून उपकेंद्र तक लाइन का निर्माण)	15-05-2022	15-05-2034	9.32% - 10.08%	-तदैव-	653.95	719.35
11	REC योजना संख्या 7085 (2x50 MVA ट्रांसफॉर्मर की खरीद एवं स्थापना, साथ ही 220 एवं 33 केवी बे, 220 केवी उपकेंद्र पंतनगर)	15-03-2019	15-03-2028	9.83% - 10.34%	-तदैव-	324.87	433.16
12	REC-9030 (132 केवी S/C लाइन का D/C टावर पर निर्माण, रानीखेत–बागेश्वर)	15-06-2020	15-04-2034	9.32% - 10.08%	-तदैव-	2,362.57	2,598.82
13	REC-8851 (220 केवी उपकेंद्र SIDCUL, हरिद्वार की क्षमता को 2x80 से बढ़ाना)	15-11-2019	15-11-2033	9.83% - 10.34%	-तदैव-	314.25	349.17
14	REC-9029 (132 केवी (2x40 MVA) उपकेंद्र चुड़ियाला तथा LILO (0.3 किमी) चुड़ियाला का निर्माण)	15-11-2019	15-11-2033	9.83% - 10.34%	-तदैव-	537.12	596.80
15	REC-9025 (220 केवी उपकेंद्र SIDCUL, हरिद्वार से 132 केवी S/C ओवरहेड लाइन का निर्माण)	15-04-2020	15-04-2034	9.32% - 9.52%	-तदैव-	234.64	258.11
16	REC-9290 (220 केवी पीरानकलियर–पुहाना (PGCIL) लाइन का निर्माण)	15-05-2020	15-05-2034	9.32% - 9.52%	-तदैव-	718.44	790.28
17	REC-9218	15-01-2021	15-01-2035	9.32% - 9.52%	-तदैव-	1,221.38	1,343.52
18	REC-9664	15-08-2020	15-08-2034	9.83% - 10.34%	-तदैव-	271.33	298.47
19	REC-9666	15-06-2020	15-06-2034	9.83% - 10.34%	-तदैव-	570.26	627.29
20	REC-9665	15-06-2020	15-06-2034	9.32% - 9.52%	-तदैव-	585.37	643.91
21	REC योजना संख्या 6410	15-09-2017	15-09-2026	9.32%	-तदैव-	139.30	208.95
22	REC योजना संख्या 5765	15-01-2022	15-01-2034	9.32% - 9.52%	-तदैव-	3,330.28	3,700.31
23	REC-9031 (220/33 केवी (2x25 MVA) GIS उपकेंद्र बर्हम का निर्माण, साथ ही 220 केवी धौली गंगा–पिथौरागढ़ लाइन)	15-01-2022	15-01-2036	9.52%	-तदैव-	6,222.92	5,198.57
24	REC-9796 (132/33 केवी उपकेंद्र किच्छा, उधम सिंह नगर की क्षमता बढ़ाना)	15-02-2022	15-02-2036	9.32% - 10.34%	-तदैव-	455.40	496.80
25	REC-5764 (लाखवार से व्यासी देहरादून तक 220 केवी D/C लाइन का टविन ज़ेब्रा कंडक्टर पर निर्माण)	15-03-2024	15-03-2036	9.52%	-तदैव-	3,860.98	4,211.98
26	REC-10952 (132 केवी D/C लाइन का दूसरा सर्किट — सटपुली से कोटद्वार — स्ट्रिंगिंग का निर्माण)	15-11-2022	15-11-2036	9.52%	-तदैव-	319.93	346.59
27	REC-10760 (1 संख्या 40 MVA ट्रांसफॉर्मर का सशक्तिकरण तथा 132/33 केवी बे, I/C 132/33 केवी उपकेंद्र लक्सर)	15-05-2023	15-05-2037	9.52%	-तदैव-	397.59	428.17
28	REC-10951 (132/33 केवी उपकेंद्र हल्द्वानी की क्षमता को 2x40 से 3x40 MVA करना तथा संबंधित 132/33 केवी बे)	15-06-2023	15-06-2037	9.52%	-तदैव-	388.22	418.08
29	REC-12590 A-1 (8851) {PTCUL के अंतर्गत 220 केवी उपकेंद्र SIDCUL (हरिद्वार) की क्षमता 2x80 से 2x80+1x50 MVA करना}	15-06-2020	15-06-2033	9.52%	-तदैव-	102.26	113.62
30	REC-10148	15-10-2023	15-10-2037	9.52%	-तदैव-	507.63	546.68
31	REC-10950	15-10-2023	15-10-2037	9.52%	-तदैव-	413.89	445.72
32	REC-13431 (अतिरिक्त ऋण – 9290)	15-09-2021	15-09-2033	9.52%	-तदैव-	225.81	250.90
33	REC-9624 (5764 का अतिरिक्त ऋण)	15-03-2024	15-03-2036	9.52%	-तदैव-	4,817.48	5.255.44
34	REC-9995 (132 केवी उपकेंद्र रानीखेत पर कंट्रोल रुम एवं आवासीय भवन हेतु सड़क का निर्माण)	15-03-2024	15-03-2036	9,52%	-तदैव-	29.37	29.37
35	REC-10949 (उपकेंद्र पिथौरागढ़ पर 40 MVA 132/33 केवी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग)	15-03-2024	15-03-2036	9.52%	-तदैव-	298.58	298.58
36	REC-18009 (अतिरिक्त ऋण)	15-01-2025	15-01-2036	9.52%	-तदैव-	805.62	-
	कुल (REC)					**32,121.64**	**33,332.60**

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Repayment Period		Interest Rate during 2024-25	Secured by	As at 31-03-2025	As at 31-03-2024
		Start Date	Completion Date				
b)	**Loan from PFC**						
1	PFC LOAN No 09303002(R&M for Various Divisons of PTCUL), Loan Amount Rs.26.14 Crore	15-01-2013	15-10-2027	9.85% - 10.35%	Hypothecation of existing/Future Assets	480.37	655.05
2	PFC LOAN No 09303010 (PFC II)	15-04-2024	15-04-2035	9.30% - 10.35%	-do-	2,540.78	2,766.62
3	PFC LOAN No 09303005	15-04-2016	15-01-2031	9.85% - 10.35%	-do-	61.91	72.23
4	PFC LOAN No 09303006	15-04-2016	15-01-2031	9.85% - 10.35%	-do-	78.94	92.09
5	PFC LOAN No 09303007	15-10-2015	15-10-2030	9.85% - 10.35%	-do-	141.65	166.29
6	PFC LOAN No 09303008	15-10-2015	15-10-2030	9.85% - 10.35%	-do-	62.80	73.72
7	PFC LOAN No 09303009	15-07-2016	15-04-2031	9.85% - 10.35%	-do-	31.84	36.93
8	PFC LOAN No 09303012	15-07-2015	15-04-2030	9.85% - 10.35%	-do-	205.09	244.16
9	PFC LOAN No 09303014	15-04-2017	15-01-2032	9.85% - 10.35%	-do-	145.13	165.87
10	PFC LOAN No 09303004	15-04-2017	15-01-2032	-	-do-	-	-
11	PFC LOAN No 09303015	15-04-2017	15-01-2032	9.30%	-do-	159.13	181.87
12	PFC LOAN No 09303016	15-01-2018	15-10-2032	9.85% - 10.35%	-do-	193.76	218.76
13	PFC LOAN No 09303013 (Const. of 6x5 MVA, 132/33 KV GIS S/S Bageshwar)	15-04-2022	15-01-2037	9.30% - 10.25%	-do-	3,124.19	3,444.62
14	PFC LOAN No 09303011 (Const. of 2x50 MVA GIS S/S Harrawala & Associated Lines)	14-04-2019	15-01-2034	9.30% - 10.25%	-do-	2,642.34	2,935.93
15	PFC LOAN No 09303033 (Procurement & Erection of HTLS Conductor for 132KV Roorkee-Laksar Line)	14-04-2019	15-01-2034	9.30% - 9.53%	-do-	875.11	972.34
16	PFC LOAN No 09303034 (Procurement & Erection of HTLS Conductor for 132KV Roorkee-Manglore Line)	14-04-2019	15-01-2034	9.30% - 9.53%	-do-	362.23	402.48
17	PFC LOAN No 09303039 (Const. of 132/33KV Patanjali Padartha)	15-04-2024	15-01-2039	9.30% - 9.53%	-do-	3,743.15	4,025,65
18	PFC LOAN No 09303046 (Const. of Kuwaripas-Karanprayag-Srinagar 400KV D/c Transmission Line)	15-01-2025	15-10-2039	9.30% - 9.52%	-do-	40,634.47	27,877.91
19	PFC LOAN No 09303049 (Const. of 220KV D/c Rudrapur-Chakrada-Srinagar Transmission Line)	15-07-2024	15-04-2039	9.30% - 10.75%	-do-	11,812.77	11,644.10
20	PFC LOAN No 09303030 (Augmention of transf. capacity at 132/33kv Bindal S/s in Distt. Ddun)	15-10-2021	15-07-2036	9.30% - 9.53%	-do-	344.17	372.85
21	PFC LOAN No 09303032 (Augm. of transf. capacity at 132/33kv Jashodharpur S/s in Distt. Pauri Garwal)	15-07-2023	15-04-2038	9.30% - 9.53%	-do-	352.83	381.63
22	PFC LOAN No 09303047 (Aug. of t/f cap. from 2X80+1X50+1X25 MVA & cont. of 2no. bay at S/s Haridwar	15-04-2022	15.01-2037	9.53%	-do-	148.16	160.50
23	PFC LOAN No 09303048 (shifting of 132 Kv lines in campus of sri ved mata gayatri trust, Haridwar)	15-10-2021	15-07-2036	9.30% - 10.35%	-do-	172.53	187.53
24	PFC LOAN No 09303025 (Replacement of defected 40 MVA t/f at 132 kv S/s Roorkee)	15-07-2021	15-10-2035	9.53%	-do-	165.00	179,67
25	PFC LOAN No 09303026 (diversion of 220kv line Rishikesh-Dharasu & Chamba-Dharasu line in THDC)	15-10-2021	15-07-2036	9.30% - 9.53%	-do-	141.64	153.96
26	PFC LOAN No 09303037 (Supply Erec and Test. & Comm. of 160MVA Trans. at 400 KV S/s Kashipur)	15-01-2024	15-10-2038	9.30% - 9.53%		1,176.73	1,262.31
27	PFC LOAN No 09303043 (Construction of 01 no. 132 KV Bay for 132 KV S/s Bazpur)	15-10-2024	15-07-2039	9.53%		131.52	34.21
28	PFC LOAN No 09303036 (Const of 1 no. 132 KV Bay & ext. for Ckt-2 tran. line at 400 Kashipur)	15-01-2024	15-10-2038	9.30% - 9.53%		92.32	98.92
29	PFC LOAN No 09303031(Augmentation of transformation capacity at 132/33kv Kichha & associates work)	15-10-2023	15-07-2038	9.30% - 9.53%		306.46	329.16
	Total					**70,327.02**	**59,137.36**

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	भुगतान अवधि		2024-25 के दौरान ब्याज दर	सुरक्षित द्वारा	31-03-2025 को	31-03-2024 को
		आरंभ तिथि	समापन तिथि				
b)	**PFC से ऋण**						
1	PFC ऋण संख्या 09303002 (PTCUL के विभिन्न डिवीज़नों के R&M हेतु), ऋण राशि ₹26.14 करोड़	15-01-2013	15-10-2027	9.85% - 10.35%	"वर्तमान/भविष्य की परिसंपत्तियों का हाइपोथिकेशन"	480.37	655.05
2	PFC ऋण संख्या 09303010 (PFC II)	15-04-2024	15-04-2035	9.30% - 10.35%	-तदैव-	2,540.78	2,766.62
3	PFC ऋण संख्या 09303005	15-04-2016	15-01-2031	9.85% - 10.35%	-तदैव-	61.91	72.23
4	PFC ऋण संख्या 09303006	15-04-2016	15-01-2031	9.85% - 10.35%	-तदैव-	78.94	92.09
5	PFC ऋण संख्या 09303007	15-10-2015	15-10-2030	9.85% - 10.35%	-तदैव-	141.65	166.29
6	PFC ऋण संख्या 09303008	15-10-2015	15-10-2030	9.85% - 10.35%	-तदैव-	62.80	73.72
7	PFC ऋण संख्या 09303009	15-07-2016	15-04-2031	9.85% - 10.35%	-तदैव-	31.84	36.93
8	PFC ऋण संख्या 09303012	15-07-2015	15-04-2030	9.85% - 10.35%	-तदैव-	205.09	244.16
9	PFC ऋण संख्या 09303014	15-04-2017	15-01-2032	9.85% - 10.35%	-तदैव-	145.13	165.87
10	PFC ऋण संख्या 09303004	15-04-2017	15-01-2032	-	-तदैव-	-	-
11	PFC ऋण संख्या 09303015	15-04-2017	15-01-2032	9.30%	-तदैव-	159.13	181.87
12	PFC ऋण संख्या 09303016	15-01-2018	15-10-2032	9.85% - 10.35%	-तदैव-	193.76	218.76
13	PFC ऋण संख्या 09303013 (6x5 MVA, 132/33 केवी GIS उपकेंद्र बागेश्वर का निर्माण)	15-04-2022	15-01-2037	9.30% - 10.25%	-तदैव-	3,124.19	3,444.62
14	PFC ऋण संख्या 09303011 (2x50 MVA GIS उपकेंद्र हर्रावाला एवं संबंधित लाइनों का निर्माण)	14-04-2019	15-01-2034	9.30% - 10.25%	-तदैव-	2,642.34	2,935.93
15	PFC ऋण संख्या 09303033 (132 केवी रुड़की–लक्सर लाइन हेतु HTLS कंडक्टर की खरीद एवं स्थापना)	14-04-2019	15-01-2034	9.30% - 9.53%	-तदैव-	875.11	972.34
16	PFC ऋण संख्या 09303034 (132 केवी रुड़की–मंगलौर लाइन हेतु HTLS कंडक्टर की खरीद एवं स्थापना)	14-04-2019	15-01-2034	9.30% - 9.53%	-तदैव-	362.23	402.48
17	PFC ऋण संख्या 09303039 (132/33 केवी पतंजलि पादर्था का निर्माण)	15-04-2024	15-01-2039	9.30% - 9.53%	-तदैव-	3,743.15	4,025,65
18	PFC ऋण संख्या 09303046 (कुवारिपास–कर्णप्रयाग –श्रीनगर 400 केवी D/C ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण)	15-01-2025	15-10-2039	9.30% - 9.52%	-तदैव-	40,634.47	27,877.91
19	PFC ऋण संख्या 09303049 (220 केवी D/C रुद्रपुर–चकराड़ा–श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण)	15-07-2024	15-04-2039	9.30% - 10.75%	-तदैव-	11,812.77	11,644.10
20	PFC ऋण संख्या 09303030 (जनपद देहरादून में 132/33 केवी बिंदाल उपकेंद्र पर ट्रांसफॉर्मर क्षमता का बढ़ोत्तरी)	15-10-2021	15-07-2036	9.30% - 9.53%	-तदैव-	344.17	372.85
21	PFC ऋण संख्या 09303032 (जनपद पौड़ी गढ़वाल में 132/33 केवी जशोधरपुर उपकेंद्र पर ट्रांसफॉर्मर क्षमता का बढ़ोत्तरी)	15-07-2023	15-04-2038	9.30% - 9.53%	-तदैव-	352.83	381.63
22	PFC ऋण संख्या 09303047 (उपकेंद्र हरिद्वार पर ट्रांसफॉर्मर क्षमता 2x80+1x50+1x25 MVA से बढ़ाना एवं 2 बे का निर्माण)	15-04-2022	15.01-2037	9.53%	-तदैव-	148.16	160.50
23	PFC ऋण संख्या 09303048 (132 केवी लाइनों का स्थानांतरण — श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, हरिद्वार परिसर में)	15-10-2021	15-07-2036	9.30% - 10.35%	-तदैव-	172.53	187.53
24	PFC ऋण संख्या 09303025 (132 केवी उपकेंद्र रुड़की पर दोषपूर्ण 40 MVA ट्रांसफॉर्मर का प्रतिस्थापन)	15-07-2021	15-10-2035	9.53%	-तदैव-	165.00	179,67
25	PFC ऋण संख्या 09303026 (THDC में 220 केवी ऋषिकेश–धरासू एवं चंबा–धरासू लाइन का डायवर्ज़न)	15-10-2021	15-07-2036	9.30% - 9.53%	-तदैव-	141.64	153.96
26	PFC ऋण संख्या 09303037 (400 केवी उपकेंद्र काशीपुर पर 160 MVA ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग)	15-01-2024	15-10-2038	9.30% - 9.53%		1,176.73	1,262.31
27	PFC ऋण संख्या 09303043 (132 केवी उपकेंद्र बाजपुर हेतु 01 संख्या 132 केवी बे का निर्माण)	15-10-2024	15-07-2039	9.53%		131.52	34.21
28	PFC ऋण संख्या 09303036 (400 केवी काशीपुर पर Ckt-2 ट्रांसमिशन लाइन के लिए 1 संख्या 132 केवी बे का निर्माण एवं विस्तार)	15-01-2024	15-10-2038	9.30% - 9.53%		92.32	98.92
29	PFC ऋण संख्या 09303031 (132/33 केवी किच्छा में ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का बढ़ोत्तरी एवं संबंधित कार्य)	15-10-2023	15-07-2038	9.30% - 9.53%		306.46	329.16
	कुल					**70,327.02**	**59,137.36**

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Repayment Period		Interest Rate during 2024-25	Secured by	As at 31-03-2025	As at 31-03-2024
		Start Date	Completion Date				
c)	**Loan from NABARD**						
1	NABARD 801	31-12-2023	20-03-2024	9.75%	-	-	-
2	NABARD 800 (Pirankaliyar-Puhana)	31-03-2024	31-12-2038	9.75%	-	114.38	122.70
	Total					**114.38**	**122.70**
d)	**Loan from GoU under Asian Development Bank (ADB)**						
1	ADB PFR-II	Terms & Conditions for loan repayment yet to be provided		NIL	GoU	16,477.10	16,477.10
2	ADB PFR-III					1,374.23	1,374.23
3	ADB-4402	15-04-2029	15-04-2043	9.00%	GoU	614.00	-
e)	**Loans from Govt. of Uttarakhand (Special Assistance Capital Works)**						
1	Loan from GoU (Special Assistance Part-1 for 4 Projects)	12 inst start from March, 2027		6.50%	GoU	1,666.70	3,364.00
2	Loan from GoU-4059 (Capital works under Garhwal Zone)	12 inst start from March, 2025		6.50%	GoU	508.20	726.00
3	Loan from GoU-4059 (Capital works under Kumaon Zone)	12 inst start from March, 2025		6.50%	GoU	571.90	817.00
4	SASCI Loan (Const. of 400 kV DC Tapovan Pipalkoti line & Vishnuprayag Mujaffarnagar Line)	12 inst start from March, 2026		6.50%	GoU	3,223.10	-
5	SASCI Loan (Capital works under various Div. of PTCUL)	12 inst start from March, 2026		6.50%	GoU	2,829.00	-
6	SASCI Loan (Const. of 132 kV line for strengthening of 132 kV network between Purukul & Bindal S/s)	12 inst start from March, 2026		6.50%	GOU	834.00	-
7	SASCI Loan (Online dry out system at various Substation of PTCUL)	12 inst start from March, 2026		6.50%	GoU	564.90	
8	SASCI Loan (SAS Installation at 220 kV S/s Jaffarpur & 220 kV S/s Kamaluaganja, Haldwani)	12 inst start from March, 2026		6.50%	GoU	95.90	-
	Total					**28,759.03**	**22,758.33**
	Total Secured Loans					**1,31,322.07**	**1,15,350.99**
1	Current Maturity of Long Term Loans					(6,666.22)	(5.780.02)
	LOANS OUTSTANDING					**1,24,655.85**	**1,09,570.97**

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	भुगतान अवधि		2024-25 के दौरान ब्याज दर	सुरक्षित द्वारा	31-03-2025 को	31-03-2024 को
		आरंभ तिथि	समापन तिथि				
c)	**NABARD से ऋण**						
1	NABARD 801	31-12-2023	20-03-2024	9.75%	-	-	-
2	NABARD 800 (पीरानकलियर–पुहाना)	31-03-2024	31-12-2038	9.75%	-	114.38	122.70
	कुल					**114.38**	**122.70**
d)	**एशियन विकास बैंक (ADB) के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार से ऋण**						
1	ADB PFR-II	ऋण चुकौती के लिए नियम और शर्तें अभी प्रदान की जानी हैं		NIL	उत्तराखंड सरकार	16,477.10	16,477.10
2	ADB PFR-III					1,374.23	1,374.23
3	ADB-4402	15-04-2029	15-04-2043	9.00%	उत्तराखंड सरकार	614.00	-
e)	**उत्तराखंड सरकार से ऋण (विशेष सहायता – पूंजीगत कार्य)**						
1	GoU से ऋण (विशेष सहायता भाग–1, 4 परियोजनाओं हेतु)	12 किस्तें मार्च 2027 से प्रारंभ		6.50%	उत्तराखंड सरकार	1,666.70	3,364.00
2	GoU-4059 से ऋण (गढ़वाल ज़ोन के अंतर्गत पूंजीगत कार्य)	12 किस्तें मार्च 2025 से प्रारंभ		6.50%	उत्तराखंड सरकार	508.20	726.00
3	GoU-4059 से ऋण (कुमाऊँ ज़ोन के अंतर्गत पूंजीगत कार्य)	12 किस्तें मार्च 2025 से प्रारंभ		6.50%	उत्तराखंड सरकार	571.90	817.00
4	SASCI ऋण (400 केवी D/C तपोवन पीपलकोटी लाइन एवं विष्णुप्रयाग–मुज़फ्फरनगर लाइन का निर्माण)	12 किस्तें मार्च 2026 से प्रारंभ		6.50%	उत्तराखंड सरकार	3,223.10	-
5	SASCI ऋण (PTCUL के विभिन्न डिवीज़नों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य)	12 किस्तें मार्च 2026 से प्रारंभ		6.50%	उत्तराखंड सरकार	2,829.00	-
6	SASCI ऋण (पुरुकुल एवं बिंदाल उपकेंद्रों के बीच 132 केवी नेटवर्क को सशक्त बनाने हेतु 132 केवी लाइन का निर्माण)	12 किस्तें मार्च 2026 से प्रारंभ		6.50%	उत्तराखंड सरकार	834.00	-
7	SASCI ऋण (PTCUL के विभिन्न उपकेंद्रों पर ऑनलाइन ड्राई आउट सिस्टम)	12 किस्तें मार्च 2026 से प्रारंभ		6.50%	उत्तराखंड सरकार	564.90	
8	SASCI ऋण (220 केवी उपकेंद्र ज़ाफ़रपुर एवं 220 केवी उपकेंद्र कमलुआगंजा, हल्द्वानी पर SAS इंस्टॉलेशन)	12 किस्तें मार्च 2026 से प्रारंभ		6.50%	उत्तराखंड सरकार	95.90	-
	कुल					**28,759.03**	**22,758.33**
	कुल सुरक्षित ऋण					**1,31,322.07**	**1,15,350.99**
1	दीर्घकालीन ऋणों की वर्तमान परिपक्वता					(6,666.22)	(5.780.02)
	अनिष्पादित ऋण					**1,24,655.85**	**1,09,570.97**

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

16 : Other Financial Liabilities - Non Current

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	**Payables to UPCL (on Account of Transfer of Opening Liabilities from UPCL against Transfer Scheme):**		
a	Payable to UPCL (Against fund remittances by UPCL, Intt on REC, NABARD Loan paid by UPCL)	1,649.32	1,649.32
b	Payable to UPCL (Against Pension Contribution)	598.37	598.37
c	Payable to UPCL (SLDC Share)	1,500.07	1,500.07
	Total	**3,747.76**	**3,747.76**
2	Security Deposit / EMD	978.88	758.88
3	Retention Money	16,092.10	13,322.02
4	Advances/Liability against Third Parties	280.90	196.31
5	Liablitiy against PSDF Grants (against Interest earned on unutilized funds adjustable in last instalment)	234.09	217.97
6	Liability against PMO (ADB)	722.63	722.63
7	Liability towards PGCIL/CTU for ISTS Charges	-	-
	Total	**22,056.36**	**18,965.57**

1. The amount under S.No. 1, "Payables to UPCL (on Account of Transfer of Opening Liabilities from UPCL)" represents the adjustments made in the opening balances of assets and liabilities pertaining to the business of Transmission of Electricity and State Load Despatch Centre taken over by the company from UPCL in terms of statutory transfer scheme notified by GoU on 31.05.2004. The amounts are under the process of reconciliation.

2. The Liablity against PSDF Grants represents the Interest earned from the unutilized funds of the grant held with bank, since as per the scheme of PSDF, the said interest is due for refund to Govt of India at the time of disbursement of the last instalment under PSDF Scheme to the Company.

17 : Long Term Provisions

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	**Provision for leave encashment:**		
a	Liability for leave encashment as per LIC	6,172.14	5,633.34
b	LE Fund Value with LIC	5,846.53	5,632.19
	Net Provision for leave encashment:	**325.61**	**1.15**
2	**Provision for Gratuity:**		
a	Liability for Gratuity as per LIC	4,495.47	4,006.71
b	Gratuity Fund Value with LIC	4,495.47	4,006.71
	Net Provision for Gratuity:	**(0.00)**	**-**
	Total (A+B)	**325.61**	**1.15**

18 : Deferred Tax Liabilities (DTL) / Deferred Tax Assets (DTA)

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
A	**Deferred Tax Liability/ (Deferred Tax Assets)**		
1	Properties, Plants & Equipments	1,431.33	1,381.00
2	Others (LE/Gratuity/ Bonus)	39.97	85.68
	Net Deferred Tax Liability	**1,471.30**	**1,466.68**

Movement in Deferred Tax Liability:

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Amount	Net DTA / (DTL)
	Balance as at 01.04.2023 - Net	**1,505.50**	DTL
	Recognised in Statement of Profit & Loss of previous financial year	(38.82)	DTL
	Balance as at 31.03.2024	**1,466.68**	DTL
	Recognised in Statement of Profit & Loss of current financial year	4.62	DTA
	Balance as at 31.03.2025 - Net	**1,471.30**	DTL

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

16 : अन्य वित्तीय देनदारियाँ – गैर–चालू

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	**UPCL देय (UPCL से ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत ओपनिंग देनदारियों के हस्तांतरण के संबंध में):**		
a	UPCL को देय (UPCL द्वारा प्रेषित निधियों के विरुद्ध, REC, NABARD ऋण पर UPCL द्वारा भुगतान किए गए ब्याज के संबंध में)	1,649.32	1,649.32
b	UPCL को देय (पेंशन अंशदान के विरुद्ध)	598.37	598.37
c	UPCL को देय (SLDC शेयर)	1,500.07	1,500.07
	कुल	**3,747.76**	**3,747.76**
2	सुरक्षा जमा / EMD	978.88	758.88
3	रिटेंशन मनी	16,092.10	13,322.02
4	तृतीय पक्षों के विरुद्ध अग्रिम/देनदारियाँ	280.90	196.31
5	PSDF अनुदानों के विरुद्ध देनदारी (अप्रयुक्त निधियों पर अर्जित ब्याज के विरुद्ध, जिसे अंतिम किस्त में समायोजित किया जाएगा)	234.09	217.97
6	PMO (ADB) के विरुद्ध देनदारी	722.63	722.63
7	PGCIL/CTU के प्रति ISTS शुल्क हेतु देनदारी	-	-
	कुल	**22,056.36**	**18,965.57**

1. क्रम संख्या 1 के अंतर्गत "UPCL को देय (UPCL से ओपनिंग देनदारियों के हस्तांतरण के संबंध में)" वह समायोजन दर्शाता है जो कंपनी ने UPCL से विद्युत संचरण व्यवसाय और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को उत्तराखंड सरकार द्वारा 31.05.2004 को अधिसूचित वैधानिक ट्रांसफर स्कीम के अनुसार अधिग्रहित किए गए परिसंपत्तियों और देनदारियों के ओपनिंग बैलेंस में किए हैं। ये राशियाँ मेल मिलान (reconciliation) की प्रक्रिया में हैं।

2. PSDF अनुदानों के विरुद्ध देनदारी उन अप्रयुक्त अनुदान राशियों पर बैंक में रखे गए धन से अर्जित ब्याज को दर्शाती है। PSDF योजना के अनुसार, यह ब्याज भारत सरकार को PSDF योजना की अंतिम किस्त जारी होने के समय वापस किया जाना है।

17 : दीर्घकालीन प्रावधान

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	**Pअवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) हेतु प्रावधान:**		
a	LIC के अनुसार अवकाश नकदीकरण देयता	6,172.14	5,633.34
b	LIC के साथ LE फंड मूल्य	5,846.53	5,632.19
	अवकाश नकदीकरण हेतु शुद्ध प्रावधान	**325.61**	**1.15**
2	**ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान:**		
a	LIC के अनुसार ग्रेच्युटी देयता	4,495.47	4,006.71
b	LIC के साथ ग्रेच्युटी फंड मूल्य	4,495.47	4,006.71
	ग्रेच्युटी हेतु शुद्ध प्रावधान	**(0.00)**	**-**
	कुल (A + B)	**325.61**	**1.15**

18 : स्थगित कर देनदारियाँ (DTL) / स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (DTA)

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
A	**स्थगित कर देनदारी / (स्थगित कर परिसंपत्तियाँ)**		
1	संपत्तियाँ, संयंत्र एवं उपकरण	1,431.33	1,381.00
2	अन्य (LE/ग्रेच्युटी/बोनस)	39.97	85.68
	शुद्ध स्थगित कर देनदारी	**1,471.30**	**1,466.68**

स्थगित कर देनदारी में गतिविधि (Movement):

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	धन राशि	शुद्ध DTA / (DTL)
	01.04.2023 को शेष – शुद्ध	**1,505.50**	DTL
	पिछले वित्तीय वर्ष के "स्टेटमेंट ऑफ़ प्रॉफिट एंड लॉस" में मान्यता प्राप्त	(38.82)	DTL
	31.03.2024 को शेष	**1,466.68**	DTL
	चालू वित्तीय वर्ष के "स्टेटमेंट ऑफ़ प्रॉफिट एंड लॉस" में मान्यता प्राप्त	4.62	DTA
	31.03.2025 को शेष – शुद्ध	**1,471.30**	DTL

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

19 : Other Non Current Liabilities

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	Contribution towards Deposit Works	10,481.41	10,426.67
2	Deferred Revenue Grants from Central Govt. (PSDF)	6,014.39	6,575.08
3	Grant received form GoU (Const. of 220/33KV Sub-Station at Tanakpur-Banbasa)	-	-
	Total	**16,495.80**	**17,001.75**

1. The company executes the Deposit works out of the funds (Deposits) received from the departments / agencies on whose behalf such works are executed by the company. After the completion of said works, the amount equivalent to the value of asset created is reduced from the current liability of deposit work (i.e. against the amounts received from departments as shown in Note 21) and the value of Grant is increased proportionately (i.e. liability towards grant is created). The grant so created is reduced proportionately on yearly basis to the extent of depreciation applicable on the said assets and is credited to Statement of Profit & Loss and the balance remaining is shown as "Contribution towards Deposit Works" as shown in this note.

2. The Company is availing the Grants from the Central Govt. under the PSDF Scheme for the purpose of Construction of Transmission Assets and Augmentation/ Replacement / Modernization of the existing Transmission Assets. After the completion of said works, the amount equivalent to the value of asset created is reduced the current liability of PSDF work and the value of Grant is increased proportionately. The grant so created is reduced proportionately on yearly basis to the extent of depreciation applicable on the said assets and is credited to the Statement of Profit & Loss and the balance remaining is shown as "Deferred Revenue Grant from Central Grant (PSDF)" as shown in this note.

20 : Short Term Borrowings

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	Loans from Rural Electrification Corporation (REC)	3,679.87	3,474.12
2	Loans from Power Finance Corporation (PFC)	2,515.19	2,298.66
3	Loans from NABARD	8.32	7.24
4	Loans from Govt. of Uttarakhand (Special Assistance Capital Works)	462.84	-
	Total	**6,666.22**	**5,780.02**

21 : Other Financial Liabilities - Current

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	Security Deposit / EMD & Retention Money against Works and Supplies	731.51	658.53
2	Liability towards Deposit works	18,131.33	16,759.63
3	Liability towards PSDF works	2,822.20	2,648.91
4	Liability for Grants received from GoU (Const. of 220/33KV Sub-Station at Tanakpur-Banbasa)	200.00	-
5	Liability for Grants received under ADB-4402	3,992.00	-
6	Interest Accrued but not due on Borrowings	1,796.07	1,285.92
7	Payable to Employees (Against Salary and other expenses)	1,741.05	2,169.71
	Total	**29,414.16**	**23,522.70**

22 : Trade Payable

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	Payable to Contractors and Third parties against Supplies/Works	4,022.38	2,566.02
2	Payable to MSME	-	1,232.87
	Total	**4,022.38**	**3,798.89**

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

19 : अन्य गैर-चालू देनदारियाँ

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	डिपोजिट कार्यों (Deposit Works) के प्रति अंशदान	10,481.41	10,426.67
2	केंद्र सरकार से प्राप्त स्थगित राजस्व अनुदान (PSDF)	6,014.39	6,575.08
3	उत्तराखंड सरकार से प्राप्त अनुदान (220/33 केवी उप-स्टेशन तानकपुर-बनबसा के निर्माण हेतु)	-	-
	कुल	**16,495.80**	**17,001.75**

1. कंपनी विभागों/एजेंसियों की ओर से उनके लिए किए जाने वाले डिपॉज़िट वर्क्स को उनके द्वारा प्रदान की गई निधियों (Deposits) से निष्पादित करती है। कार्य पूर्ण होने पर, निर्मित परिसंपत्ति के मूल्य के बराबर राशि को डिपोजिट कार्यों की चालू देनदारी (नोट 21 में दिखाया गया) से घटाया जाता है और उसी अनुपात में अनुदान मूल्य बढ़ाया जाता है (यानी अनुदान के प्रति देनदारी बनाई जाती है)। ऐसे बनाए गए अनुदान को प्रत्येक वर्ष उस परिसंपत्ति पर लागू ह्रास (depreciation) की सीमा तक घटाया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि विवरण में जमा किया जाता है। शेष राशि इस नोट में "डिपोजिट कार्यों के प्रति अंशदान" के रूप में दिखाई जाती है।

2. कंपनी केंद्र सरकार से PSDF योजना के अंतर्गत ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के निर्माण, सशक्तिकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण हेतु अनुदान प्राप्त करती है। कार्य पूरा होने पर निर्मित परिसंपत्ति के मूल्य के बराबर राशि PSDF कार्य की चालू देनदारी से घटाई जाती है और उसी अनुपात में अनुदान मूल्य बढ़ाया जाता है। ऐसे बनाए गए अनुदान को प्रत्येक वर्ष परिसंपत्ति पर लागू ह्रास की सीमा तक घटाया जाता है तथा यह राशि लाभ एवं हानि विवरण में जमा की जाती है। शेष राशि "केंद्र सरकार से प्राप्त स्थगित राजस्व अनुदान (PSDF)" के रूप में दर्शाई जाती है।

20 : अल्पकालिक उधारियाँ

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) से ऋण	3,679.87	3,474.12
2	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) से ऋण	2,515.19	2,298.66
3	NABARD से ऋण	8.32	7.24
4	उत्तराखंड सरकार से ऋण (विशेष सहायता — पूंजीगत कार्य)	462.84	-
	कुल	**6,666.22**	**5,780.02**

21 : अन्य वित्तीय देनदारियाँ – चालू

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	कार्यों एवं आपूर्तियों के विरुद्ध सुरक्षा जमा / EMD एवं रिटेंशन मनी	731.51	658.53
2	डिपोजिट कार्यों के प्रति देनदारी	18,131.33	16,759.63
3	PSDF कार्यों के प्रति देनदारी	2,822.20	2,648.91
4	उत्तराखंड सरकार से प्राप्त अनुदानों के प्रति देनदारी (220/33 केवी उप-स्टेशन टनकपुर-बनबसा हेतु)	200.00	-
5	ADB-4402 के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों की देनदारी	3,992.00	-
6	ऋणों पर अर्जित लेकिन देय न होने वाला ब्याज	1,796.07	1,285.92
7	कर्मचारियों को देय (वेतन एवं अन्य खर्चों के विरुद्ध)	1,741.05	2,169.71
	कुल	**29,414.16**	**23,522.70**

22 : व्यापार देय (Trade Payable)

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	आपूर्तियों/कार्यों के विरुद्ध ठेकेदारों एवं तृतीय पक्षों को देय	4,022.38	2,566.02
2	MSME को देय	-	1,232.87
	कुल	**4,022.38**	**3,798.89**

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

23 : Short Term Provisions

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	Provision for Corporate Social Responsibility (CSR)	27.76	11.89
2	Provision against Capital Expenditure	10,503.07	5,709.32
3	Provision against O&M Expenses	1,539.30	911.27
	Total	**12,070.13**	**6,632.48**

24 : Other Current Liabilities

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	- TDS Payable	88.89	72.62
2	- TCS Payable	0.80	0.18
3	- GST Payable	193.84	92.72
4	- Labour Cess Payable	54.96	47.30
5	- Employee Benefits (EPF) Payable	236.73	334.89
6	- Pension / Gratuity Contribution (GPF) Payable	16.40	20.98
	Total	**591.62**	**568.69**

As per the Transfer Scheme the Pension and Gratuity Liability towards the Employees of earstwhile UPSEB and transferred to the Company on the unbundling of UPSEB, is being discharged by the Company by way of Monthly contributions @19.08% of the Basic Pay & DA to the Treasury of Govt of Uttarakhand. The amount of Pension & Gratuity to the aforesaid employees is released by Treasury as and when the same becomes due.

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

23 : अल्पकालिक प्रावधान (Short Term Provisions)

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) हेतु प्रावधान	27.76	11.89
2	पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के विरुद्ध प्रावधान	10,503.07	5,709.32
3	O&M व्यय (संचालन एवं अनुरक्षण) के विरुद्ध प्रावधान	1,539.30	911.27
	कुल	**12,070.13**	**6,632.48**

24 : अन्य चालू देनदारियाँ (Other Current Liabilities)

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	देय TDS	88.89	72.62
2	देय TCS	0.80	0.18
3	देय GST	193.84	92.72
4	देय श्रम उपकर (Labour Cess)	54.96	47.30
5	कर्मचारियों के लाभ (EPF) हेतु देय राशि	236.73	334.89
6	पेंशन / ग्रेच्युटी अंशदान (GPF) देय	16.40	20.98
	कुल	**591.62**	**568.69**

ट्रांसफर स्कीम के अनुसार, पूर्ववर्ती UPSEB के उन कर्मचारियों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी देनदारी, जो UPSEB के अनबंडलिंग के समय कंपनी में स्थानांतरित किए गए थे, कंपनी द्वारा मासिक अंशदान के माध्यम से चुकाई जा रही है। यह अंशदान मूल वेतन एवं डी.ए. का 19.08% है, जो उत्तराखंड सरकार के कोषागार में जमा किया जाता है। उक्त कर्मचारियों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी की राशि कोषागार द्वारा तब जारी की जाती है जब वह देय होती है।

Trade Payables Ageing

Annexure 1 to Note 22.1 - Ageing of Trade Payables as on 31.03.2025

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payments				
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
1	(I) MSME	-	-			-
2	(ii) Others	4,022.38	-			**4,022.38**
3	(iii) Disputed dues - MSME					-
4	(iv) Disputed dues - Others					-
	TOTAL	4,022.38	-	-	-	**4,022.38**

Annexure 1 to Note 22.1 - Ageing of Trade Payables as on 31.03.2024

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payments				
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
1	(I) MSME	1,232.87	-			1,232.87
2	(ii) Others	2,061.66	195.27			2,566.02
3	(iii) Disputed dues - MSME					-
4	(iv) Disputed dues - Others					-
	TOTAL	**3,294.53**	**195.27**	**-**	**-**	**3,798.89**

व्यापार देय (Trade Payables) की ऐजिंग-विश्लेषण (Ageing)

अनुलग्रक–1, नोट 22.1 के लिए – व्यापार देय की ऐजिंग–विश्लेषण, दिनांक 31.03.2025 के अनुसार

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	देय तिथि से भुगतान तक की निम्न अवधि के लिए बकाया				
		1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
1	(i) MSME	-	-			-
2	(ii) अन्य	4,022.38	-			**4,022.38**
3	(iii) विवादित देय – MSME					-
4	(iv) विवादित देय – अन्य					-
	कुल	4,022.38	-	-	-	**4,022.38**

अनुलग्रक–1, नोट 22.1 के लिए – व्यापार देय की ऐजिंग–विश्लेषण, दिनांक 31.03.2024 के अनुसार

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	देय तिथि से भुगतान तक की निम्न अवधि के लिए बकाया				
		1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
1	(i) MSME	1,232.87	-			1,232.87
2	(ii) अन्य	2,061.66	195.27			2,566.02
3	(iii) विवादित देय – MSME					-
4	(iv) विवादित देय – अन्य					-
	कुल	**3,294.53**	**195.27**	**-**	**-**	**3,798.89**

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

25 : Revenue From Operations

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
A	**Revenue from Exempted Services:**		
1	Revenue against Tariff approved by UERC againt Intra State Transmission	36,430.85	35,480.95
2	Revenue against Tariff approved by UERC Intra-state SLDC Charges	1,623.00	1,552.00
3	Revenue from SLDC Charges (under CERC GNA Regulation)	2.46	-
4	Revenue against Tariff approved by CERC	7,165.77	14,096.07
5	Revenue against Incentives billed to UPCL	433.34	417.42
6	Revenue against Open Access (SLDC)	778.83	444.44
	Total (A)	**46,434.25**	**51,990.88**
B	**Income from Taxable Services:**		
1	O&M Charges for Bays at Various Locations	85.25	59.58
2	Revenue from Leased OPGW lines	23.45	8.43
	Total (B)	**108.70**	**68.01**
	Total (A+B)	**46,542.95**	**52,058.89**

1. "Revenue against Tariff approved by UERC againt Intra State Transmission" includes a reversal of prior period income amounting to ₹616,439 relating to transmission charges from Bhilangana Hydro Power - Company B

26 : Other Income

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
1	Interest from Banks & Other Advances	4,216.82	3,345.65
2	Deferred Revenue Grants written off against funding under Deposit & PSDF Schemes.	1,320.54	1,225.28
3	Miscellaneous Receipts	1,650.37	594.33
	Total	**7,187.73**	**5,165.26**

1. The Company is availing the Grants from the Central Govt. under the PSDF Scheme for the purpose of Construction of Transmission Assets and Augmentation / Replacement / Modernization of the existing Transmission Assets. After the completion of said works, the amount equivalent to the value of asset created is reduced from the current liability of Deposit / PSDF work and the value of respective Grant is increased proportionately. The grant so created is reduced proportionately on yearly basis to the extent of depreciation applicable on the said assets and is credited to the Statement of Profit & Loss and the balance remaining is shown as "Contribution towards deposit works" and "Deferred Revenue Grant from Central Grant (PSDF)" as shown in "Note-19: Other Non Current Liabilities".

2. Miscellaneous Receipts include the amount of profit on Sale of scrap, Supervision charges from third parties, Sale of tender forms, Bank Guarantee Encashment, etc.

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

25 : संचालन से राजस्व (Revenue From Operations)

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं	विवरण	वर्ष समाप्त 31.03.2025	वर्ष समाप्त 31.03.2024
A	**मुक्त (Exempted) सेवाओं से राजस्व:**		
1	यूईआरसी (UERC) द्वारा अनुमोदित टैरिफ के विरुद्ध अंतर-राज्य संचरण से प्राप्त राजस्व	36,430.85	35,480.95
2	यूईआरसी (UERC) द्वारा अनुमोदित अंतर-राज्य SLDC शुल्क से प्राप्त राजस्व	1,623.00	1,552.00
3	सीईआरसी GNA विनियमन के अंतर्गत SLDC शुल्क से राजस्व	2.46	-
4	CERC द्वारा अनुमोदित टैरिफ से प्राप्त राजस्व	7,165.77	14,096.07
5	यूपीसीएल को बिल किए गए प्रोत्साहन (Incentives) से राजस्व	433.34	417.42
6	ओपन एक्सेस (SLDC) से राजस्व	778.83	444.44
	कुल (A)	**46,434.25**	**51,990.88**
B	**करयोग्य सेवाओं से आय:**		
1	विभिन्न स्थानों पर बे (Bays) के लिए O&M शुल्क	85.25	59.58
2	लीज पर दी गई OPGW लाइनों से आय	23.45	8.43
	कुल (B)	**108.70**	**68.01**
	कुल (A + B)	**46,542.95**	**52,058.89**

1. "यूईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के विरुद्ध राज्य-अंतर संचरण" से राजस्व में ₹616,439 की पूर्व अवधि (Prior Period) आय की वापसी शामिल है, जो मिलंगना हाइड्रो पावर – कंपनी B से प्राप्त संचरण शुल्क से संबंधित है।

26 : अन्य आय (Other Income)

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं	विवरण	वर्ष समाप्त 31.03.2025	वर्ष समाप्त 31.03.2024
1	बैंकों एवं अन्य अग्रिमों से ब्याज	4,216.82	3,345.65
2	डिपोजिट (Deposit) एवं PSDF योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त फंडिंग के विरुद्ध लिखी गई स्थगित राजस्व अनुदान (Deferred Revenue Grants)	1,320.54	1,225.28
3	विविध प्राप्तियाँ	1,650.37	594.33
	कुल	**7,187.73**	**5,165.26**

1. कंपनी को केंद्रीय सरकार से PSDF योजना के अंतर्गत संचरण परिसंपत्तियों के निर्माण तथा मौजूदा संचरण परिसंपत्तियों के संवर्धन / प्रतिस्थापन / आधुनिकीकरण हेतु अनुदान प्राप्त होता है। कार्य पूर्ण होने पर, निर्मित परिसंपत्ति के मूल्य के बराबर राशि को जमा/PSDF कार्य की चालू देयता से घटाया जाता है तथा संबंधित अनुदान को उतनी ही राशि से बढ़ाया जाता है। यह अनुदान प्रत्येक वर्ष परिसंपत्ति पर लागू मूल्यह्रास के अनुपात में घटाया जाता है और लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है, और शेष राशि को "डिपोजिट कार्यों के प्रति अंशदान" तथा "केंद्रीय अनुदान (PSDF) से स्थगित राजस्व अनुदान" के रुप में नोट–19 में दिखाया जाता है।

2. विविध प्राप्तियों में कबाड़ बिक्री से प्राप्त लाभ, तृतीय पक्षों से निगरानी शुल्क (Supervision Charges), निविदा प्रपत्रों की बिक्री, बैंक गारंटी भुनाने से प्राप्त राशि, आदि शामिल हैं।

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

27 : Employee Benefit Expenses

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
1	Salaries and Allowances	10,628.97	10,186.12
2	Directors Remuneration	41.85	50.77
3	Other Staff Welfare Expense	432.80	1,678.27
4	Terminal Benefits to Employees	1,797.64	1,891.84
	Total	**12,901.26**	**13,807.00**

1. Above Employee expenses are net of the Employee Cost Capitalized on Capital Works during the year of Rs. 2617.91 Lakhs (PY Rs. 2333.52 Lakh)
2. "Salaries and Allowances" include a reversal of prior period expense of ₹210,600 towards salary arrears paid to an employee.

28 : Repairs & Maintenance Expenses

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
	Repair & Maintenance of:-		
1	- Plant and Machinaries	3.417.82	2,542.43
2	- Buildings & Civil Works	1,046.40	1,051.07
3	- Lines, Cables networks	1,999.62	2,145.53
4	- Others	35.20	49.41
	Total	**6,499.04**	**5,788.44**

29 : Administrative & General Expenses

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
1	Rent	15.26	22.37
2	Rates & Taxes	0.13	0.13
3	Insurance of Assets	0.89	1.28
4	Telephone, Postage & Telegrams	52.95	58.65
5	Legal, Consultancy & Other Professional Charges	236.34	252.97
6	Conveyance & Travelling expenses	84.19	72.69
7	Vehicle Fuel & Hiring Expenses	646.46	625.11
8	Fees and Subscription	138.55	65.00
9	License Fee to UERC	1,035.68	995.73
10	Printing and Stationary	69.74	71.88
11	Advertisement Expenses	240.50	216.11
12	Electricity Charges	35.48	24.55
13	Security Service charges	1,585.69	1,403.45
14	Water Charges	6.99	7.25
15	Audit Fees	11.56	10.95
16	Miscellaneous Expenses	309.43	190.32
17	Corporate Social Responsibility (CSR) Expenses	153.93	96.78
	Total	**4,623.77**	**4,115.22**

Above A&G expenses are net of the A&G Cost Capitalized on Capital Works during the year of Rs. 508.24 Lakhs) (PY Rs. 488.66 Lakh)

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

27 : कर्मचारी लाभ व्यय (Employee Benefit Expenses)

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं	विवरण	वर्ष समाप्त 31.03.2025	वर्ष समाप्त 31.03.2024
1	वेतन एवं भत्ते	10,628.97	10,186.12
2	निदेशकों का पारिश्रमिक	41.85	50.77
3	अन्य कर्मचारी कल्याण व्यय	432.80	1,678.27
4	कर्मचारियों को देय टरमिनल बैनिफिट (Terminal Benefits)	1,797.64	1,891.84
	कुल	**12,901.26**	**13,807.00**

1. उपरोक्त कर्मचारी व्यय उन कर्मचारी लागतों के शुद्ध हैं जो वर्ष के दौरान पूंजीगत कार्यों पर पूँजीकृत की गई हैं—₹ 2617.91 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2333.52 लाख)।
2. "वेतन एवं भत्ते" में पूर्व अवधि व्यय (Prior Period Expense) की ₹ 210,600 की वापसी शामिल है, जो एक कर्मचारी को दिए गए वेतन एरियर से संबंधित है।

28 : मरम्मत एवं रखरखाव (Repair & Maintenance) :

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं	विवरण	वर्ष समाप्त 31.03.2025	वर्ष समाप्त 31.03.2024
	मरम्मत एवं रखरखाव:-		
1	- संयंत्र एवं मशीनरी	3.417.82	2,542.43
2	- भवन एवं सिविल कार्य	1,046.40	1,051.07
3	- लाइन्स, केबल नेटवर्क	1,999.62	2,145.53
4	- अन्य	35.20	49.41
	कुल	**6,499.04**	**5,788.44**

29 : प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (Administrative & General Expenses)

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं	विवरण	वर्ष समाप्त 31.03.2025	वर्ष समाप्त 31.03.2024
1	किराया	15.26	22.37
2	दरें एवं कर	0.13	0.13
3	परिसंपत्तियों का बीमा	0.89	1.28
4	टेलीफ़ोन, डाक एवं टेलीग्राम	52.95	58.65
5	विधिक, परामर्श एवं अन्य पेशेवर शुल्क	236.34	252.97
6	आवागमन एवं यात्रा व्यय	84.19	72.69
7	वाहन ईंधन एवं किराया व्यय	646.46	625.11
8	शुल्क एवं सदस्यता	138.55	65.00
9	यूईआरसी (UERC) को देय लाइसेंस शुल्क	1,035.68	995.73
10	मुद्रण एवं स्टेशनरी	69.74	71.88
11	विज्ञापन व्यय	240.50	216.11
12	विद्युत व्यय	35.48	24.55
13	सुरक्षा सेवा शुल्क	1,585.69	1,403.45
14	पानी का शुल्क	6.99	7.25
15	लेखा परीक्षा शुल्क (Audit Fees)	11.56	10.95
16	विविध व्यय	309.43	190.32
17	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय	153.93	96.78
	कुल	**4,623.77**	**4,115.22**

नोट: उपरोक्त A&G व्यय उन A&G लागतों के शुद्ध हैं जो वर्ष के दौरान पूंजीगत कार्यों पर पूँजीकृत की गईं—₹ 508.24 लाख (पिछले वर्ष ₹ 488.66 लाख)।

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

30 : Finance Costs

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
1	Interest on PFC Loan	2,327.87	2,882.10
2	Interest on REC Loan	1,959.09	2,704.17
3	Interest on NABARD Loan	11.67	10.62
4	Interest on SASCI Loan No. 4059 from GoU	76.33	-
5	Interest on ADB Loan No. 4402	-	-
	Total	**4,374.96**	**5,596.89**

Above Finance Cost are net of the Interest Capitalized on Capital Works (IDC) during the year of Rs. 5185.19 Lakhs (PY Rs. 309.15 Lakh). The said IDC is capitalized on the basis of Weighted average rate of interest which worksout to 9.55% p.a. (PY: 9.54% p.a).

31 : Depreciation & Amortization Expenses

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
1	Depreciation & amortization expenses	13,216.18	13,748.99
	Total	**13,216.18**	**13,748.99**

32 : Tax Expense

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
1	Income Tax	2,116.65	2,443.57
2	Minimum Alternate Tax (MAT) Credit adjustment	1,705.80	1,316.25
3	Deferred Tax	4.62	(38.82)
	Total	**3,827.07**	**3,721.00**

1. MAT Credit represents the amount of MAT Credit availed / created and carried forward by the company in the computation of its Income Tax liability for the current year. The amount of MAT Credit available with the company is shown in the "Note 6 -Other Non Current Assets".

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

30 : वित्त लागत (Finance Costs)

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं	विवरण	वर्ष समाप्त 31.03.2025	वर्ष समाप्त 31.03.2024
1	पीएफसी (PFC) ऋण पर ब्याज	2,327.87	2,882.10
2	आरईसी (REC) ऋण पर ब्याज	1,959.09	2,704.17
3	NABARD ऋण पर ब्याज	11.67	10.62
4	उत्तराखण्ड सरकार (GoU) से प्राप्त SASCI ऋण संख्या 4059 पर ब्याज	76.33	-
5	ADB ऋण संख्या 4402 पर ब्याज	-	-
	कुल	**4,374.96**	**5,596.89**

उपरोक्त वित्त लागत (Finance Cost) उन ब्याज लागतों के शुद्ध हैं, जो वर्ष के दौरान पूँजीगत कार्यों पर ब्याज पूंजीकरण (IDC) के रूप में पूँजीकृत की गईं — ₹ 5185.19 लाख (पिछले वर्ष ₹ 309.15 लाख)। IDC को भारित औसत ब्याज दर (Weighted Average Rate of Interest) के आधार पर पूँजीकृत किया जाता है, जो 9.55% प्रति वर्ष (पिछले वर्ष 9.54%) कार्य करती है।

31 : मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय (Depreciation & Amortization Expenses)

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं	विवरण	वर्ष समाप्त 31.03.2025	वर्ष समाप्त 31.03.2024
1	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	13,216.18	13,748.99
	कुल	**13,216.18**	**13,748.99**

32 : कर व्यय (Tax Expense)

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं	विवरण	वर्ष समाप्त 31.03.2025	वर्ष समाप्त 31.03.2024
1	आयकर	2,116.65	2,443.57
2	न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) क्रेडिट समायोजन	1,705.80	1,316.25
3	स्थगित कर (Deferred Tax)	4.62	(38.82)
	कुल	**3,827.07**	**3,721.00**

MAT क्रेडिट उस MAT क्रेडिट को दर्शाता है जिसे कंपनी ने वर्तमान वर्ष के आयकर दायित्व की गणना में प्राप्त किया / बनाया और आगे ले जाया है। कंपनी के पास उपलब्ध MAT क्रेडिट का विवरण "नोट 6 – अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ" में दिखाया गया है।

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

33: Disclosures in respect of Ind AS 107- Financial Instruments:

1 Measurement of Financial Instruments:

A. Financial Instruments by Categories

The carrying value and fair value of financial instruments by categories are as follows:

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	As at 31.03.2025				
		Note No	Amortized Cost	Financial Assets/ Liabilities at FVTPL	Financial Assets/ Liabilities at fair value through OCI	Total Carrying value
A	**Financial Assets :**					
1	Cash & Cash Equivalents	9	18,705.79	-	-	18,705.79
2	Trade Receivables	8	10,359.85	-	-	10,359.85
3	Other Financial Assets	5 & 11	7,708.69	-	-	7,708.69
4	Other Bank Balances	10	50,000.00			50,000.00
	Total		**86,774.33**	**-**	**-**	**86,774.33**
B	**Financial Liabilities:**					
1	Long Term Borrowings	15 & 20	1,31,322.07	-	-	1,31,322.07
2	Trade Payable	22	4,022.38	-	-	4,022.38
3	Other Financial Liabilities	16 & 21	51,470.52	-	-	51,470.52
	Total		**1,86,814.97**	**-**	**-**	**1,86,814.97**

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	As at 31.03.2024				
		Note No	Amortized Cost	Financial Assets/ Liabilities at FVTPL	Financial Assets/ Liabilities at fair value through OCI	Total Carrying value
A	**Financial Assets :**					
1	Cash & Cash Equivalents	9	37,082.12	-	-	37,082.12
2	Trade Receivables	8	19,727.28	-	-	19,727.28
3	Other Financial Assets	5 & 11	6,820.10	-	-	6,820.10
4	Other Bank Balances	10	11,000.00			11,000.00
	Total		**74,629.50**	**-**	**-**	**74,629.50**
B	**Financial Liabilities:**					
1	Long Term Borrowings	15 & 20	1,15,350.99	-	-	1,15,350.99
2	Trade Payable	22	3,798.89	-	-	3,798.89
3	Other Financial Liabilities	16 & 21	42,488.27	-	-	42,488.27
	Total		**1,61,638.15**	**-**	**-**	**1,61,638.15**

B. Financial Assets and Liablities which are measured at amortized cost for which Fair Values are disclosed.

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	Note No	As at 31.03.2025		As at 31.03.2024	
			Total Carrying Value	Fair Value	Total Carrying Value	Fair Value
A	**Financial Assets:**					
1	Trade Receivables	8	10,359.85	10,359.85	19,727.28	19,727.28
2	Other Financial Assets	5 & 11	7,708.69	7,708.69	6,820.10	6,820.10
B	**Financial Liabilities:**					
1	Long Term Borrowings	15 & 20	1,31,322.07	1,31,322.07	1,15,350.99	1,15,350.99
2	Trade Payable	22	4,022.38	4,022.38	3,798.89	3,798.89
3	Other Financial Liabilities	16 & 21	51,470.52	51,470.52	42,488.27	42,488.27

C. Fair Value Hierarchy:

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	Note No	As at 31.03.2025			
			Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
A	**Financial Assets:**					
1	Trade Receivables	8			10,359.85	10,359.85
2	Other Financial Assets	5 & 11			7,708.69	7,708.69
B	**Financial Liabilities:**					
1	Long Term Borrowings	15 & 20			1,31,322.07	1,31,322.07
2	Trade Payable	22			4,022.38	4,022.38
3	Other Financial Liabilities	16 & 21	-	-	51,470.52	51,470.52

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

33 : Ind AS 107 – वित्तीय साधनों (Financial Instruments) के संबंध में प्रकटन (Disclosures):

1. वित्तीय साधनों का मापन (Measurement of Financial Instruments):

A. श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधन (Financial Instruments by Categories)

निम्न तालिका में श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों का वहन मूल्य (Carrying Value) और उचित मूल्य (Fair Value) दर्शाया गया है:

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को				
		नोट संख्या	अमोर्टाइज़्ड कॉस्ट (Amortized Cost)	FVTPL पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ/दायित्व	OCI के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ/दायित्व	कुल वहन मूल्य (Total Carrying Value)
A	**वित्तीय परिसंपत्तियाँ :**					
1	नकद एवं नकद समकक्ष	9	18,705.79	-	-	18,705.79
2	व्यापारिक प्राप्य	8	10,359.85	-	-	10,359.85
3	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5 & 11	7,708.69	-	-	7,708.69
4	अन्य बैंक शेष	10	50,000.00			50,000.00
	कुल		**86,774.33**	**-**	**-**	**86,774.33**
B	**वित्तीय दायित्व:**					
1	दीर्घकालिक ऋण	15 & 20	1,31,322.07	-	-	1,31,322.07
2	व्यापारिक प्राप्य	22	4,022.38	-	-	4,022.38
3	अन्य वित्तीय दायित्व	16 & 21	51,470.52	-	-	51,470.52
	कुल		**1,86,814.97**	**-**	**-**	**1,86,814.97**

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2024 को				
		नोट संख्या	अमोर्टाइज़्ड कॉस्ट (Amortized Cost)	FVTPL पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ/दायित्व	OCI के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ/दायित्व	कुल वहन मूल्य (Total Carrying Value)
A	**वित्तीय परिसंपत्तियाँ :**					
1	नकद एवं नकद समकक्ष	9	37,082.12	-	-	37,082.12
2	व्यापारिक प्राप्य	8	19,727.28	-	-	19,727.28
3	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5 & 11	6,820.10	-	-	6,820.10
4	अन्य बैंक शेष	10	11,000.00			11,000.00
	कुल		**74,629.50**	**-**	**-**	**74,629.50**
B	**वित्तीय दायित्व:**					
1	दीर्घकालिक ऋण	15 & 20	1,15,350.99	-	-	1,15,350.99
2	व्यापारिक प्राप्य	22	3,798.89	-	-	3,798.89
3	अन्य वित्तीय दायित्व	16 & 21	42,488.27	-	-	42,488.27
	कुल		**1,61,638.15**	**-**	**-**	**1,61,638.15**

B. वे वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व जिनका मापन अमोर्टाइज़्ड कॉस्ट पर किया गया है तथा जिनके लिए उचित मूल्य (Fair Value) का प्रकटन आवश्यक है:

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
			कुल वहन मूल्य	उचित मूल्य	कुल वहन मूल्य	उचित मूल्य
A	**वित्तीय परिसंपत्तियाँ :**					
1	व्यापारिक प्राप्य	8	10,359.85	10,359.85	19,727.28	19,727.28
2	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5 & 11	7,708.69	7,708.69	6,820.10	6,820.10
B	**वित्तीय दायित्व:**					
1	दीर्घकालिक ऋण	15 & 20	1,31,322.07	1,31,322.07	1,15,350.99	1,15,350.99
2	व्यापारिक प्राप्य	22	4,022.38	4,022.38	3,798.89	3,798.89
3	अन्य वित्तीय दायित्व	16 & 21	51,470.52	51,470.52	42,488.27	42,488.27

C. उचित मूल्य पदानुक्रम (Fair Value Hierarchy):

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2025 को			
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 4
A	**वित्तीय परिसंपत्तियाँ :**					
1	व्यापारिक प्राप्य	8			10,359.85	10,359.85
2	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5 & 11			7,708.69	7,708.69
B	**वित्तीय दायित्व:**					
1	दीर्घकालिक ऋण	15 & 20			1,31,322.07	1,31,322.07
2	व्यापारिक प्राप्य	22			4,022.38	4,022.38
3	अन्य वित्तीय दायित्व	16 & 21	-	-	51,470.52	51,470.52

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	Note No	As at 31.03.2024			
			Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
A	**Financial Assets :**					
1	Trade Receivables	8			19,727.28	19,727.28
2	Other Financial Assets	5 & 11			6,820.10	6,820.10
B	**Financial Liabilities:**					
1	Long Term Borrowings	15 & 20			1,15,350.99	1,15,350.99
2	Trade Payable	22			3,798.89	3,798.89
3	Other Financial Liabilities	16 & 21			42,488.27	42,488.27

Fair Value Measurement:

Level 1: It includes financial instruments measured using quoted prices. This includes listed equity bonds which are traded in the stock exchanges, valued using the closing price as at the reporting period.

Level 2. The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example, traded bonds) is determined using valuation techniques which maximise the use of observable market data and rely as little as possible on entity-specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

Level 3: If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3. This is the case for unlisted equity securities, contingent consideration and indemnification asset included in level 3.

There are no transfers between levels 1 and 2 during the year. The company's policy is to recognise transfers into and transfers out of fair value hierarchy levels as at the end of the reporting period.

The carrying amounts of trade receivables, trade payables, cash and cash equivalents and other current financial liabilities are considered to be the same as their fair values, due to their short-term nature.

The carrying amounts of Rupees Term Loan are approximate to fair value as the instruments are at prevailing market rates.

Financial Risk Management

Financial risk management objectives and policies

The company's principal financial liabilities comprises of loans and borrowings, trade and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the Company's operations and to provide guarantees to support its operations. The Company's principal financial assets include Trade and other receivables, and Cash and Cash equivalents that are derived directly from its operations.

The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks. The Company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with the Company's policies and risk objectives. The Board of Directors reviews and approves policies for manageing each of these risks, which are summarized below.

A) Credit Risk:

Credit Risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under financial instruments or customer contract, leading to a financial loss The company is exposed to credit risk from its operating activities on account of trade receivables and loan and advances and from its financial activities due to deposits with banks and financial institutions and other financial instruments and its investment activities due to investments.

A default on a financial asset is when the counterparty fails to make contractual payment when they fall due. The definition of default is determined considering the business environment in which the company operates.

Assets are written off when there is no reasonable expectation of recovery, such as debtors declaring bankruptcy or failing to engage in a repayment plan with company. The company continues to engage in enforcement activity to attempt to recover the receivable due.

i) Trade Receivables:

The company primarily provides transmission facilities to inter-state transmission service customers (DICS) comprising mainly the state utility (UPCL). UERC tariff regulations allow payment against monthly bills towards transmission charges within a period of 60 days. Trade receivables are relating to transmission services.

ii) Other financial Assets (excluding Trade Receivables):

The company holds cash & cash equivalents with public sector banks and high rated private sector banks and do not have any significant credit risk.

Significant estimates and judgments Impairment of financial assets:

The impairment provisions for financial assets are based on assumptions about risk of default, consumer claims and expected loss rates. The company uses judgment in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation, based on the company's past history, existing market conditions as well as forward looking estimates at the end of each reporting period.

B) Liquidity Risk:

Liquidity risk refers to the risk of financial distress or high financing costs arising due to shortage of liquid funds in a situation where business conditions unexpectedly deteriorate and require financing. The company requires funds both for short term operational needs as well as for long term capital expenditure growth projects. The company relies on a mix of borrowing, capital infusion and excess operating cash flows to meet needs for funds. The current committed lines of credit are sufficient to meet its short to medium term expansion needs. The company manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forcast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2024 को			
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 4
A	**वित्तीय परिसंपत्तियाँ:**					
1	व्यापारिक प्राप्य	8			19,727.28	19,727.28
2	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5 & 11			6,820.10	6,820.10
B	**वित्तीय दायित्व:**					
1	दीर्घकालिक ऋण	15 & 20			1,15,350.99	1,15,350.99
2	व्यापारिक प्राप्य	22			3,798.89	3,798.89
3	अन्य वित्तीय दायित्व	16 & 21			42,488.27	42,488.27

उचित मूल्य मापन (Fair Value Measurement):

स्तर 1 (Level 1): इसमें वे वित्तीय साधन शामिल हैं जिनका मापन उद्धृत मूल्यों (quoted prices) का उपयोग करके किया जाता है। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी बॉन्ड शामिल होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किए जाते हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में क्लोज़िंग मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

स्तर 2 (Level 2): उन वित्तीय साधनों का उचित मूल्य, जिनका व्यापार सक्रिय बाजार में नहीं होता (जैसे कुछ ट्रेडेड बॉन्ड), मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। इन तकनीकों में अधिकतम प्रेक्षणीय बाजार डेटा का उपयोग किया जाता है और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर न्यूनतम निर्भरता होती है। यदि उचित मूल्य निर्धारण के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट प्रेक्षणीय हैं, तो ऐसे उपकरण स्तर 2 में शामिल किए जाते हैं।

स्तर 3 (Level 3): यदि किसी या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट का आधार अपरीक्षित (non-observable) बाजार डेटा है, तो साधन स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह आमतौर पर गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, आकस्मिक विचार (contingent consideration), और बीमा संपत्तियों (indemnification assets) पर लागू होता है।

स्तरों के बीच स्थानांतरण (Transfers): वर्ष के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। कंपनी की नीति यह है कि उचित मूल्य पदानुक्रम में आने-जाने वाले सभी स्थानांतरणों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता दी जाए।

वहन मूल्य और उचित मूल्य का संबंध: व्यापारिक प्राप्य, व्यापार प्राप्तियां, नकद एवं नकद समकक्ष तथा अन्य चालू वित्तीय दायित्व—उनके अल्पकालिक स्वभाव के कारण—उनके वहन मूल्य को ही उनका उचित मूल्य माना जाता है।

रुपये में दीर्घकालिक ऋणों का वहन मूल्य उनके उचित मूल्य के लगभग समकक्ष होता है क्योंकि इनका ब्याज दर चल रहे बाजार दरों के अनुसार होता है।

वित्तीय जोखिम प्रबंधन (Financial Risk Management)

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियाँ:

कंपनी की मुख्य वित्तीय देनदारियाँ ऋण एवं उधार, व्यापार एवं अन्य देय हैं। इन दायित्वों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के परिचालन को वित्तपोषित करना और आवश्यक गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ व्यापार एवं अन्य प्राप्तियाँ तथा नकद एवं नकद समकक्ष हैं, जो सीधे परिचालन से उत्पन्न होती हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम के प्रति संवेदनशील है। वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करता है। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं ताकि वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन कंपनी के जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जा सके। निदेशक मंडल विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन हेतु नीतियों की समीक्षा और अनुमोदन करता है।

A) क्रेडिट जोखिम (Credit Risk):

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जिसमें प्रतिपक्ष (counterparty) अपने वित्तीय दायित्वों या ग्राहक अनुबंध के तहत देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, जिससे कंपनी को वित्तीय हानि होती है।

कंपनी का क्रेडिट जोखिम उत्पन्न होता है: व्यापारिक प्राप्य एवं ऋण/अग्रिम से, बैंक जमा एवं अन्य वित्तीय साधनों से, निवेश गतिविधियों से

किसी वित्तीय परिसंपत्ति पर डिफ़ॉल्ट वह स्थिति है जब प्रतिपक्ष नियत तिथि पर भुगतान करने में विफल रहता है। डिफ़ॉल्ट की परिभाषा कंपनी के व्यवसायिक वातावरण को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है।

जब वसूली की कोई उचित संभावना नहीं रहती—जैसे ऋणी के दिवालिया होने पर—तब परिसंपत्तियाँ लिख दी जाती हैं। कंपनी ऐसी प्राप्तियों की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी रखती है।

i) व्यापारिक प्राप्य (Trade Receivables):

कंपनी मुख्यतः अंतर-राज्य संचरण सेवा ग्राहकों (जैसे UPCL) को संचरण सुविधाएँ प्रदान करती है। UERC के विनियमों के अनुसार संचरण शुल्क के मासिक बिलों का भुगतान 60 दिनों में करना होता है। व्यापारिक प्राप्य इन्हीं सेवाओं से संबंधित हैं।

ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (Trade Receivables को छोड़कर):

कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं उच्च रेटिंग वाले निजी बैंकों में नकद एवं नकद समकक्ष रखती है, अतः क्रेडिट जोखिम नगण्य है।

महत्वपूर्ण अनुमान एवं निर्णय — वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास (Impairment):

वित्तीय परिसंपत्तियों पर ह्रास प्रावधान (impairment) डिफ़ॉल्ट जोखिम, ग्राहक दावों, एवं अपेक्षित हानि दर के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कंपनी अपनी पिछली प्रवृत्तियों, वर्तमान बाजार स्थितियों और भविष्य उन्मुख अनुमानों के आधार पर ह्रास की गणना के लिए इन इनपुट्स का चयन करती है।

B) तरलता जोखिम (Liquidity Risk):

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें अप्रत्याशित प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण तरल धन की कमी से वित्तीय दबाव या उच्च वित्तपोषण लागत उत्पन्न हो सकती है। कंपनी को अल्पकालीन परिचालन एवं दीर्घकालीन पूँजीगत परियोजनाओं दोनों के लिए निधि की आवश्यकता होती है। निधि की पूर्ति के लिए कंपनी उधार, पूँजी निवेश एवं परिचालन नकद प्रवाह का उपयोग करती है। वर्तमान क्रेडिट सुविधाएँ अल्प एवं मध्यम अवधि के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी निम्न तरीकों से तरलता जोखिम प्रबंधित करती है: पर्याप्त भंडार एवं बैंकिंग सुविधाएँ बनाए रखना, भविष्य व वास्तविक नकद प्रवाह की निरंतर निगरानी, वित्तीय परिसंपत्तियों और दायित्वों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल का सामंजस्य (matching)

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

Financial Liabilities:

The table below provides details regarding the remaining contractual maturities or financial liabilities at the reporting date.

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	As at 31.03.2025			
		Carrying Value	Upto 1 year	More than 1 year	Total
1	Long Term Borrowings	1,31,322.07	6,666.22	1,24,655.85	1,31,322.07
2	Trade Payable	4,022.38	4,022.38	-	4,022.38
3	Other Financial Liabilities	51,470.52	29,414.16	22,056.36	51,470.52
	Total	**1,86,814.97**	**40,102.76**	**1,46,712.21**	**1,86,814.97**

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	As at 31.03.2024			
		Carrying Value	Upto 1 year	More than 1 year	Total
1	Long Term Borrowings	1,15,350.99	5,780.02	1,09,570.97	1,15,350.99
2	Trade Payable	3,798.89	3,798.89	-	3,798.89
3	Other Financial Liabilities	42,488.27	23,522.70	18.965.57	42,488.27
	Total	**1,61,638.15**	**33,101.61**	**1,28,536.54**	**1,61,638.15**

C) Market Risk:

The market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: currency risk, interest rate risk and other price risk. The company is not exposed to foreign currency risk as it has no borrowing or no material payables in foreign currency. The Company's activities expose it primarily to the financial risks of changes in interest rates.

i) Interest rate risk

The company is exposed to interest rate risk because it borrows funds primarily at floating interest rates. However, the interest rates are dependant on lending rates of the Financial institution which are not expected to change very frequently and the estimate of the management is that these will not have significant upward trend.

The company's exposure to interest rate risk due to variable interest rate borrowings is as follows:

(Amount in Rs. Lakhs)

	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Borrowings (including current Maturities	1,31,322.07	1,15,350.99

Interest Rate Risk Analysis

	Impact on profit/ loss after tax (Amount)	
	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Increase or decrease in interest rate by 25 basis points (ie, 0.25%) Note: Profit will increase in case of decrease in interest rate and vice versa	308.34	278.52

ii) Price risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk or currency risk).

The company is not exposed to price risks as on 31st March 2025.

iii) Foreign currency risk:

Foreign currency risk is the risk that fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rate.

The company is not exposed to foreign exchange risk arising from foreign currency transactions. Since there is no any case of direct foreign operations, Foreign exchange risk is considered to be insignificant.

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

वित्तीय दायित्व (Financial Liabilities):

निम्न तालिका रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय दायित्वों की शेष संविदात्मक परिपक्वताओं (remaining contractual maturities) का विवरण प्रस्तुत करती है:

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को			
		वहन मूल्य	1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक	कुल
1	दीर्घकालिक ऋण	1,31,322.07	6,666.22	1,24,655.85	1,31,322.07
2	व्यापार देय	4,022.38	4,022.38	-	4,022.38
3	अन्य वित्तीय दायित्व	51,470.52	29,414.16	22,056.36	51,470.52
	Total	**1,86,814.97**	**40,102.76**	**1,46,712.21**	**1,86,814.97**

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2024 को			
		वहन मूल्य	1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक	कुल
1	दीर्घकालिक ऋण	1,15,350.99	5,780.02	1,09,570.97	1,15,350.99
2	व्यापार देय	3,798.89	3,798.89	-	3,798.89
3	अन्य वित्तीय दायित्व	42,488.27	23,522.70	18.965.57	42,488.27
	Total	**1,61,638.15**	**33,101.61**	**1,28,536.54**	**1,61,638.15**

C) बाज़ार जोखिम (Market Risk):

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय साधन का उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह बाजार मूल्यों में उतार–चढ़ाव के कारण परिवर्तित हो सकता है। बाजार जोखिम तीन प्रकार के होते हैं: मुद्रा जोखिम (Currency Risk) ब्याज दर जोखिम (Interest Rate Risk) मूल्य जोखिम (Other Price Risk) कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है क्योंकि कंपनी के पास विदेशी मुद्रा में कोई उधार या महत्वपूर्ण देय राशि नहीं है। कंपनी की गतिविधियाँ मुख्य रुप से ब्याज दर जोखिम के प्रति संवेदनशील हैं।

i) ब्याज दर जोखिम (Interest Rate Risk):

कंपनी ब्याज दर जोखिम के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह मुख्यतः परिवर्तनीय ब्याज दरों (floating interest rates) पर ऋण लेती है। तथापि, वित्तीय संस्थानों की ऋण दरें अक्सर नहीं बदलतीं और प्रबंधन का अनुमान है कि निकट भविष्य में इनमें महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना नहीं है।

कंपनी के परिवर्तनीय ब्याज दर वाले ऋणों के कारण ब्याज दर जोखिम का विवरण निम्न प्रकार है:

(राशि रुपये लाख में)

	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ऋण (Borrowings) — चालू परिपक्वता सहित (including current maturities)	1,31,322.07	1,15,350.99

ब्याज दर जोखिम विश्लेषण (Interest Rate Risk Analysis):

	करोत्तर (After Tax) लाभ/हानि पर प्रभाव	
	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ब्याज दर में 25 आधार अंक (यानी 0.25%) की वृद्धि या कमी	308.34	278.52

नोट: ब्याज दर में कमी होने पर लाभ में वृद्धि होगी, और वृद्धि होने पर लाभ में कमी होगी।

ii) मूल्य जोखिम (Price Risk):

मूल्य जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय साधन का उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह बाजार मूल्यों में परिवर्तन से प्रभावित होता है (ब्याज दर या मुद्रा जोखिम को छोड़कर)।

31 मार्च 2025 तक कंपनी किसी मूल्य जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है।

iii) विदेशी मुद्रा जोखिम (Foreign Currency Risk):

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय साधन का उचित मूल्य या भविष्य का नकदी प्रवाह विदेशी विनिमय दरों के परिवर्तन से प्रभावित होता है।

कंपनी विदेशी मुद्रा लेन–देन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है। चूँकि कंपनी का कोई प्रत्यक्ष विदेशी संचालन नहीं है, विदेशी मुद्रा जोखिम नगण्य (insignificant) माना जाता है।

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

34: Disclosures in respect of Indian Accounting Standard (Ind-AS) - 37 : Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets:

Provisions

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	Note No	Opening Balance as on	Additions / Transfer during	Utilization during	Reversed during	Closing Balance as on
			01.04.2024	01.04.2024-31.03.2025	01.04.2024-31.03.2025	01.04.2024-31.03.2025	31.03.2025
A	**Current**						
1	Short term Provisions	23	6632.48	12,789.78	7,352.13	-	12,070.13
	Total		**6632.48**	**12,789.78**	**7,352.13**	-	**12,070.13**

Contingent Liabilities:

Claims against the company not acknowledged as debts:

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
a	TDS (Income Tax) default demand	2.49	2.49
b	Legal Cases pending before the Courts / Arbitration	1,439.66	3,991.84
c	Demand against Service Tax	798.78	798.78
	Total	**2,240.93**	**4,793.11**

Note:

1. The Company does not expect any reimbursements in respect of the above contingent liabilities.
2. It is not practicable to estimate the timing of cash outflows, if any, in respect of matters above pending resolution of the arbitration/appellate proceedings as the accrual of liabilities depends on the future uncertain events/orders of the Courts / Arbitration/Tribunal. Further, the liability mentioned in (a) to (c) above excludes interest.
3. The Contingent liability towards service tax demand is not a willful default and in management opinion, same is not expected to be upheld by the court.

35: Capital Management:

For the purpose of the Company's capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders. The primary objective of the Company's capital management is to maximize the shareholder value. The Company manages its capital structure and makes adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. The Company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by Equity.

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Note No.	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	Debts (Borrowing including Current Maturity)	15 & 20	1,31,322.07	1,15,350.99
2	Cash & Bank Balances	9	18,705.79	37,082.12
3	**Net Debt (1-2)**		**1,12,616.28**	**78,268.87**
4	Equity	13 & 14	1,60,729.92	1,41,006.86
5	**Gearing Ratios (3/4*100)**		**70.07**	**55.51**

Note:

i) Debts includes Long term borrowings (including current maturities)

ii) Equity include issued share capital & other equity.

36: Disclosures in respect of Ind AS-20: Accounting for Government Grants & Discloures of Government Assistance:

The breakup of total grant in aid received for various purpose is as under:

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars Nature of Grant	Note No. 19	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
			Related to Assets	Related to Assets
a	Deferred Grants from Central Govt. (PSDF)		6,014.39	6,575.08
	Total		**6,014.39**	**6,575.08**

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

34: भारतीय लेखा मानक (Ind AS) – 37 के अनुसार प्रकटीकरण : प्रावधान, संभावित देयताएँ एवं संभावित परिसंपत्तियाँ, प्रावधान

प्रावधान (Provisions)

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	नोट संख्या	वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	वर्ष के दौरान की गई जोड़/हस्तांतरण	वर्ष के दौरान उपयोग	वर्ष के दौरान वापस लिखी गई राशि	वर्ष के अंत में शेष राशि
			01.04.2024	01.04.2024-31.03.2025	01.04.2024-31.03.2025	01.04.2024-31.03.2025	31.03.2025
A	**चालू (Current)**						
1	अल्पकालिक प्रावधान	23	6632.48	12,789.78	7,352.13	-	12,070.13
	कुल		**6632.48**	**12,789.78**	**7,352.13**	-	**12,070.13**

संभावित देयताएँ (Contingent Liabilities):

कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें कंपनी ऋण के रुप में स्वीकार नहीं करती:

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
a	टीडीएस (आयकर) डिफॉल्ट मांग	2.49	2.49
b	न्यायालयों/मध्यस्थता के समक्ष लंबित विधिक मामले	1,439.66	3,991.84
c	सेवा कर (Service Tax) से संबंधित मांग	798.78	798.78
	कुल	**2,240.93**	**4,793.11**

नोट:

1. कंपनी उपरोक्त संभावित देयताओं के संबंध में किसी प्रतिपूर्ति (reimbursement) की अपेक्षा नहीं करती।
2. उपरोक्त मामलों का निपटारा लंबित होने के कारण, नकद बहिर्वाह (cash outflows) के समय का अनुमान लगाना व्यवहारिक रुप से संभव नहीं है क्योंकि देयताएँ भविष्य की अनिश्चित घटनाओं/न्यायालयों/मध्यस्थता/ट्रिब्यूनल के आदेशों पर निर्भर करती हैं। (a) से (c) तक उल्लिखित देयता में ब्याज शामिल नहीं है।
3. सेवा कर से संबंधित मांग जानबूझकर किया गया डिफ़ॉल्ट नहीं है और प्रबंधन की राय में न्यायालय द्वारा यह मांग बरकरार रहने की सम्भावना नहीं है।

35: पूंजी प्रबंधन (Capital Management)

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में जारी इक्विटी शेयर पूँजी एवं अन्य सभी इक्विटी भंडार शामिल हैं। कंपनी का मुख्य उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी आर्थिक परिस्थितियों एवं वित्तीय करारों की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी पूंजी संरचना में परिवर्तन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने/समायोजित करने के लिए कंपनी: शेयरधारकों को लाभांश भुगतान में परिवर्तन कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है।

कंपनी पूंजी की निगरानी गियरिंग अनुपात (Gearing Ratio) से करती है, जिसकी गणना निम्न प्रकार होती है: गियरिंग अनुपात की गणना:

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	ऋण (उधार, चालू परिपक्वता सहित),	15 & 20	1,31,322.07	1,15,350.99
2	नकद एवं बैंक शेष	9	18,705.79	37,082.12
3	**शुद्ध ऋण (1 – 2)**		**1,12,616.28**	**78,268.87**
4	इक्विटी	13 & 14	1,60,729.92	1,41,006.86
5	**गियरिंग अनुपात = (3 / 4 × 100)**		**70.07**	**55.51**

नोट:

I) ऋण में दीर्घकालिक उधार (चालू परिपक्वता सहित) शामिल हैं।

ii) इक्विटी में जारी शेयर पूँजी एवं अन्य इक्विटी शामिल हैं।

36: Ind AS–20 के अनुसार प्रकटीकरण : सरकारी अनुदानों का लेखांकन एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण

कंपनी द्वारा विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्राप्त कुल अनुदानों (Grant-in-aid) का विभाजन निम्नानुसार है:

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण — अनुदान का स्वरुप	नोट संख्या 19	31.03.2025 को	31.03.2024 को
			परिसंपत्तियों से संबंधित	परिसंपत्तियों से संबंधित
a	केंद्र सरकार से प्राप्त स्थगित अनुदान (Deferred Grants from Central Government – PSDF)		6,014.39	6,575.08
	कुल		**6,014.39**	**6,575.08**

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

Disclosure on Corporate Social Responsibilly (CSR)

1. Composition of CSR Committee:

S. No.	Name of Director	Designation / Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
1	Sh. N. Ravishanker	Independent Director and Chairman, CSR Committee	2	2
2	Sh. Parag Gupta		2	2
3	Sh. Arvind Kumar Barthwal		2	2
4	Sh. Gajendra Singh Budiyal	Director (Operations) and Member, CSR Committee	2	1
5	Sh. P.C. Dhyani	Managing Director and Member, CSR Committee	2	2

(Amount in Rs.)

(a) Average net profit of company as per sub-section (5) of section 135		7696,44,606.01
(b) Two percent of Average net profit of company as per sub section (5) of section 135		153,92,892.00
(c) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial year		0.00
(d) Amount required to be set off for the financial year, if any		-
(e) Total CSR Obligation for the financial yea	[(b)+(c)-(d)]	153,92,892.00

2. CSR amount spent or unspent for the financial year:

(Amount in Rs.)

Total Amount spent for Financial Year (both ongoing project and other than ongoing projects	Total Amount transferred to unspent CSR Account as per 135(6)		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5)		
	Amount	Date of Transfer	Name of the Fund	Amount	Date of Transfer
138,11,532.00	21,57,968.00	23.04.2025	-	-	-

Note: The unspent amount will be transferred to unspent CSR account within 30 days from the end of the financial year, in accordance with the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, as

3. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

S.No.	Preceding Financial Years	Amount transferred to unspent CSR Account as per 135(6)	Balance amount in Unspent CSR Account under 135(6)	Amount spent in the financial year
1	FY 2023-24	9,80,412.00	163,00,804.00	163,00,804.00
2	FY 2022-23	163,00,804.00	169,64,845.00	169,64,845.00
3	FY 2021-22	169,64,845.00	-	-

(Amount in Rs.)

S.No.	Preceding Financial Years	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5), if any		Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years	Deficiency, if any
		Amount	Date of Transfer	Amount	
1	FY 2022-23	NA			
2	FY 2021-22				
3	FY 2020-21				

4. Reasons of not spending two percent of the average net profit as per 135(5):-

- N.A (as the amounts are being spent @2% of the average net profit as per 135(5))

5. Nature of CSR activities-

a) Promotion of education with priority to girl's education.
b) Promotion of health care.
c) Skill development training for generating employment.
d) Relief, rehabilitation and reconstruction activities under the disaster management programme.

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पर प्रकटीकरण

1. CSR समिति की संरचना:

क्रम सं.	निर्देशक का नाम	पद / निदेशालय का प्रकार	वर्ष के दौरान आयोजित CSR समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान उपस्थिति की गई CSR समिति की बैठकों की संख्या
1	श्री एन. रविशंकर	स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष, CSR समिति	2	2
2	श्री पराग गुप्ता		2	2
3	श्री अरविंद कुमार बर्थवाल		2	2
4	श्री गजेन्द्र सिंह बुदियाल	निदेशक (परिचालन) एवं सदस्य, CSR समिति	2	1
5	श्री पी. सी. ध्यानी	प्रबंध निदेशक एवं सदस्य, CSR समिति	2	2

(राशि रुपये में)

(a) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:		7696,44,606.01
(b) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%:		153,92,892.00
(c) पिछले वित्तीय वर्ष की CSR परियोजनाओं/कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष:		0.00
(d) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो:		—
(e) वित्तीय वर्ष के लिए कुल CSR दायित्व	[(b)+(c)-(d)]:	153,92,892.00

2. वित्तीय वर्ष के लिए CSR राशि खर्च या अप्रयुक्त:

(राशि रुपये में)

वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की गई राशि (चल रहे प्रोजेक्ट और अन्य परियोजनाओं सहित)	धारा 135(6) के अनुसार अप्रयुक्त CSR खाते में स्थानांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी फंड में स्थानांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तारीख	फंड का नाम	राशि	हस्तांतरण की तारीख
138,11,532.00	21,57,968.00	23.04.2025	-	-	-

नोट: अप्रयुक्त राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर अप्रयुक्त CSR खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसार निर्धारित है।

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अप्रयुक्त CSR राशि का विवरण:

क्रम सं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अनुसार अप्रयुक्त CSR खाते में स्थानांतरित राशि	धारा 135(6) के अंतर्गत अप्रयुक्त CSR खाते में शेष राशि	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि
1	FY 2023-24	9,80,412.00	163,00,804.00	163,00,804.00
2	FY 2022-23	163,00,804.00	169,64,845.00	169,64,845.00
3	FY 2021-22	169,64,845.00	-	-

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के किसी फंड में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो		अगले वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि	कमी, यदि कोई हो
		राशि	हस्तांतरण की तारीख	राशि	
1	FY 2022-23	— लागू नहीं			
2	FY 2021-22				
3	FY 2020-21				

4. धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के 2% खर्च न करने का कारण:

लागू नहीं (क्योंकि धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च किया जा रहा है)

5. CSR गतिविधियों का प्रकार:

a) शिक्षा का संवर्धन, विशेषकर बालिका शिक्षा को प्राथमिकता।

b) स्वास्थ्य सेवाओं का प्रोत्साहन।

c) रोजगार सृजन हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण।

d) आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियाँ।

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

38: Disclosures in respect of Ind AS-19: Employee Benefits:

1 The Summarised Position of various Defined Benefits recogonised in Statement of Profit & Loss, OCI and Balance Sheet is as under:

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Earned Leave		Gratuity	
		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
a	Defined Benefit Obligation	6,172.14	5,712.18	4,495.47	3,970.65
b	Fair Value of Plan Assets	5,846.53	5,632.19	4,896.30	4,408.54
c	Funded Status (Surplus/Deficit)	(325.61)	(79.99)	400.83	437.89
d	**Net Defined Benefit Assets/ (Liabilities)**	**(325.61)**	**(79.99)**	**400.83**	**437.89**

2. Movement in Defined Benefit Obligation

S.No.	Particulars	Earned Leave		Gratuity	
		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
a	Defined Benefit Obligation- Beginning of the year	5,712.18	4,971.21	3,970.65	3,970.65
b	Past Service Cost	(3.11)	-	49.34	-
c	Interest Cost	396.14	354.70	291.45	284.79
d	Current Service Cost	126.96	287.63	393.85	351.45
e	Benefits Paid	(170.54)	(196.22)	(98.36)	(24.46)
f	Acturial Gain/(Loss)	110.51	294.86	(111.45)	(611.78)
g	**Defined Benefit Obligation- End of the year**	**6,172.14**	**5,712.18**	**4,495.47**	**3,970.65**

3. Movement in Plan Asset

S.No.	Particulars	Earned Leave		Gratuity	
		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
a	Fair Value of Plan Asset- Beginning of the year	5,632.19	4,489.48	4,408.54	3,922.63
b	Expected Return on Fund (Plan Asset)	384.89	348.95	344.05	294.89
c	Employers Contribution	-	989.98	242.07	215.48
d	Benefits Paid	(170.54)	(196.22)	(98.36)	(24.46)
e	Acturial Gain/(Loss)	-	-	-	
f	Re-measurement - Return on Plan Assets greater/(less) than discount rate	-	-	-	
g	**Fair Value of plan Assets - End of the year**	**5,846.53**	**5,632.19**	**4,896.30**	**4,408.54**

4. Amount recognised in Statement of Profit & Loss

S.No.	Particulars	Earned Leave		Gratuity	
		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
a	Past Service Cost	-	-	-	-
b	Current Service Cost	126.96	287.63	393.85	351.45
c	Interest Cost	396.14	354.70	291.45	284.79
d	Expected Return on Plan Assets	(384.89)	(348.95)	(344.05)	(294.89)
e	Acturial (Gain)/Loss on Obligation	-	-	-	-
f	Net Acturial (Gain)/Loss in the year	110.51	294.86	(111.45)	(611.78)
g	**Cost recognised in P&L**	**248.73**	**588.24**	**229.80**	**(270.43)**

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

38: इंड AS-19 के अनुसार प्रकटीकरण: कर्मचारी लाभ

1. विभिन्न परिभाषित लाभों (Defined Benefits) की संक्षिप्त स्थिति, जिन्हें लाभ-हानि विवरण, OCI और बैलेंस शीट में मान्यता दी गई है:

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	अर्जित अवकाश		ग्रेच्युटी	
		31.03.2025 को	31.03.2024 को	31.03.2025 को	31.03.2024 को
a	परिभाषित लाभ दायित्व	6,172.14	5,712.18	4,495.47	3,970.65
b	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5,846.53	5,632.19	4,896.30	4,408.54
c	निधिकृत स्थिति (अधिशेष/घाटा)	(325.61)	(79.99)	400.83	437.89
d	**शुद्ध परिभाषित लाभ संपत्ति/(दायित्व)**	**(325.61)**	**(79.99)**	**400.83**	**437.89**

2. परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन

क्रम सं.	विवरण	अर्जित अवकाश		ग्रेच्युटी	
		31.03.2025 को	31.03.2024 को	31.03.2025 को	31.03.2024 को
a	वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	5,712.18	4,971.21	3,970.65	3,970.65
b	पूर्व सेवा लागत (Past Service Cost)	(3.11)	-	49.34	-
c	ब्याज लागत (Interest Cost)	396.14	354.70	291.45	284.79
d	चालू सेवा लागत (Current Service Cost)	126.96	287.63	393.85	351.45
e	भुगतान किए गए लाभ (Benefits Paid)	(170.54)	(196.22)	(98.36)	(24.46)
f	बीमांकिक लाभ/(हानि) (Actuarial Gain/(Loss))	110.51	294.86	(111.45)	(611.78)
g	**वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व**	**6,172.14**	**5,712.18**	**4,495.47**	**3,970.65**

3. योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन

क्रम सं.	विवरण	अर्जित अवकाश		ग्रेच्युटी	
		31.03.2025 को	31.03.2024 को	31.03.2025 को	31.03.2024 को
a	वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5,632.19	4,489.48	4,408.54	3,922.63
b	फंड पर अपेक्षित रिटर्न (Plan Asset)	384.89	348.95	344.05	294.89
c	नियोक्ता का अंशदान (Employer's Contribution)	-	989.98	242.07	215.48
d	भुगतान किए गए लाभ (Benefits Paid)	(170.54)	(196.22)	(98.36)	(24.46)
e	बीमांकिक लाभ/(हानि) (Actuarial Gain/(Loss))	-	-	-	
f	पुनर्मापन – छूट दर से अधिक/(कम) रिटर्न	-	-	-	
g	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**5,846.53**	**5,632.19**	**4,896.30**	**4,408.54**

4. लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

क्रम सं.	विवरण	अर्जित अवकाश		ग्रेच्युटी	
		31.03.2025 को	31.03.2024 को	31.03.2025 को	31.03.2024 को
a	पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
b	चालू सेवा लागत	126.96	287.63	393.85	351.45
c	ब्याज लागत	396.14	354.70	291.45	284.79
d	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(384.89)	(348.95)	(344.05)	(294.89)
e	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-	-	-
f	वर्ष का शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि)	110.51	294.86	(111.45)	(611.78)
g	लाभ-हानि में मान्यता प्राप्त लागत	**248.73**	**588.24**	**229.80**	**(270.43)**

5. Breakup of Acutarial (Gain) / Loss - Not recognized in Books

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Earned Leave		Gratuity	
		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
a	Acturial (Gain)/Loss due to DBO Experience	-	-	-	-
b	Acturial (Gain)/Loss arising during the period {A}	110.51	294.86	(111.45)	(611.78)
c	Return on Plan Assets greater/(less) than discount rate (B)	-	-	-	-
d	**Acturial (Gain)/Loss recognised in OCI (A+B)**	**110.51**	**294.86**	**(111.45)**	**(611.78)**

6. Sensitivity Analysis

S.No.	Particulars	Earned Leave		Gratuity	
		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
a	Discount Rate (%)	7.25%	7.25%	7.25%	7.25%
b	Salary Growth Rate (%)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

7. Acturial Assumption

S.No.	Particulars	Earned Leave		Gratuity	
		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
a	Method Used	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method
b	Discount Rate	7.25%	7.25%	7.25%	7.25%
c	Rate of Salary Increase	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
d	Mortality Rate	1%-3% depending on age	1%-3% depending on age	1%-3% depending on age	1%-3% depending on age

8. Category of Investment in Plan Assets

S.No.	Category of Investment	% of Fair Value of Plan Asset
a	Funds managed by Insurer	100%

39: Disclosures in respect of: Operating Segments:

The Company is primarily engaged in the business of Transmission of Electricity, which is considered as one business segment. Further, the operations of Inter-state lines and related assets by the company do not entail different and separate risks & returns for the company as the said operations are regulated by the norms similar to the regulated norms for the operations of Intra-state lines and related assets. Also, the segment reporting based on geographical risk factor is not applicable, as the Company operates only in the State of Uttarakhand. Hence, there is no separate reportable segment as required by Ind-AS 108 "Operating Segments".

40: Disclosures in respect of Ind AS-24: Related Party Disclosures

1 Key Managerial Personnel (KMP)

S.No.	Name	Designation	KMP
1	Shri P.C.Dhyani	Managing Director	Managing Director
2	Gajendra Singh Budiyal	Director (Operations)	Director (Operations)
3	Arun Sabharwal	Company Secretary	Company Secretary
4	Manoj Kumar	CFO	CFO

2 Remuneration / Compensations of KMPS

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
1	Salary & Allowances	41.85	50.77
	Total	**41.85**	**50.77**

5. अंकीय (बीमांकिक) लाभ / (हानि) का विवरण – पुस्तकों में मान्यता नहीं

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	अर्जित अवकाश		ग्रेच्युटी	
		31.03.2025 को	31.03.2024 को	31.03.2025 को	31.03.2024 को
a	DBO अनुभव के कारण अंकीय (बीमांकिक) लाभ/(हानि)	-	-	-	-
b	अवधि के दौरान उत्पन्न अंकीय (बीमांकिक) लाभ/(हानि) {A}	110.51	294.86	(111.45)	(611.78)
c	योजना परिसंपत्तियों पर छूट दर से अधिक/(कम) प्रतिफल (B)	-	-	-	-
d	**OCI में मान्यता प्राप्त अंकीय (बीमांकिक) लाभ/(हानि) (A+B)**	**110.51**	**294.86**	**(111.45)**	**(611.78)**

6. संवेदनशीलता विश्लेषण (Sensitivity Analysis)

क्रम सं.	विवरण	अर्जित अवकाश		ग्रेच्युटी	
		31.03.2025 को	31.03.2024 को	31.03.2025 को	31.03.2024 को
a	छूट दर (%)	7.25%	7.25%	7.25%	7.25%
b	वेतन वृद्धि दर (%)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

7. बीमांकिक मान्यताएँ (Actuarial Assumption)

क्रम सं.	विवरण	अर्जित अवकाश		ग्रेच्युटी	
		31.03.2025 को	31.03.2024 को	31.03.2025 को	31.03.2024 को
a	प्रयुक्त विधि (Method Used)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड
b	छूट दर (Discount Rate)	7.25%	7.25%	7.25%	7.25%
c	वेतन वृद्धि दर (Rate of Salary Increase)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
d	मृत्यु दर (Mortality Rate)	1%-3% उम्र के आधार पर	1%-3% उम्र के आधार पर	1%-3% उम्र के आधार पर	1%-3% उम्र के आधार पर

8. योजना परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी (Category of Investment in Plan Assets)

क्रम सं.	निवेश की श्रेणी	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का प्रतिशत (%)
a	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित फंड (Funds managed by Insurer)	100%

39: इंड AS-108 के अनुसार प्रकटीकरण: परिचालन खंड (Operating Segments)

कंपनी मुख्यतः विद्युत पारेषण (Transmission of Electricity) के व्यवसाय में संलग्न है, जिसे एक ही व्यवसाय खंड माना जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा अंतर-राज्य लाइनों और संबंधित परिसंपत्तियों का संचालन अलग और पृथक जोखिम एवं प्रतिफल उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि यह संचालन उन नियामक मानदंडों द्वारा नियंत्रित है, जो राज्य के भीतर (Intra-state) लाइनों और परिसंपत्तियों के संचालन के समान हैं। साथ ही, भौगोलिक जोखिम कारकों पर आधारित खंड रिपोर्टिंग भी लागू नहीं है, क्योंकि कंपनी केवल उत्तराखंड राज्य में कार्य करती है। अतः, Ind-AS 108 "Operating Segments" के अनुसार कोई पृथक रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है।

40: इंड AS–24 के अनुसार प्रकटीकरण: संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (Related Party Disclosures)

1. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी (KMP)

क्रम सं.	नाम	पद	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी
1	श्री पी.सी. ध्यानी	प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक
2	श्री गजेन्द्र सिंह बुदियाल	निदेशक (परिचालन)	निदेशक (परिचालन)
3	श्री अरुण सभरवाल	कंपनी सचिव	कंपनी सचिव
4	श्री मनोज कुमार	मुख्य वित्त अधिकारी (CFO)	मुख्य वित्त अधिकारी (CFO)

2. KMP का पारिश्रमिक / प्रतिफल (Remuneration / Compensation of KMPs)

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति 31.03.2025	वर्ष समाप्ति 31.03.2024
1	वेतन एवं भत्ते (Salary & Allowances)	41.85	50.77
	कुल (Total)	**41.85**	**50.77**

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

41: Disclosures of Transactions entered with Govt./ Govt. owned entities:

1 Relation with Government of Uttarakhand

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Nature of Relationship	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
a	Share Holder	100% Shareholding	86,677.94	77,387.73

2 Transaction with Govt. of Uttarakhand (GoU)/ GoU owned Entity

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	Transmission charges from UPCL	38,487.19	37,450.37
2	Share Application Money received from GoU	11,947.21	5,000.00
	Total	**50,434.40**	**42,450.37**

42: Disclosures in respect of Ind AS- 116: Leases:

The Company has not given any asset under operating lease.

The Company has taken land on lease. Generally, leases are renewed only on mutual consent and at a prevalent market price and sub-lease is restricted.

Details with respect to right-of-use assets:

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025			
		Gross Carrying Value of Asset	Accumulated Depreciation	Net Carrying Value of Asset	Depreciation during the year
1	Land (Lease Rights)	6,346.12	1,595.67	4,750.45	59.75
	Total	**6,346.12**	**1,595.67**	**4,750.45**	**59.75**

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2024			
		Gross Carrying Value of Asset	Accumulated Depreciation	Net Carrying Value of Asset	Depreciation during the year
1	Land (Lease Rights)	6,571.40	1,535.92	5,035.48	217.25
	Total	**6,571.40**	**1,535.92**	**5,035.48**	**217.25**

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

41: सरकार/सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटीकरण

1. उत्तराखंड सरकार के साथ संबंध

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	संबंध का प्रकार	31.03.2025 को	31.03.2024 को
a	शेयरधारक (Shareholder)	100% Shareholding	86,677.94	77,387.73

2. उत्तराखंड सरकार (GoU) / GoU के स्वामित्व वाली संस्थाओं के साथ लेन–देन

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	UPCL से प्राप्त ट्रांसमिशन चार्जेज	38,487.19	37,450.37
2	GoU से प्राप्त शेयर आवेदन राशि (Share Application Money)	11,947.21	5,000.00
	कुल	**50,434.40**	**42,450.37**

42: इंड AS–116 के अनुसार प्रकटीकरण: पट्टे (Leases)

कंपनी ने किसी भी परिसंपत्ति को ऑपरेटिंग लीज़ पर नहीं दिया है।

कंपनी ने भूमि (Land) लीज़ पर ली है। सामान्यतः लीज़ का नवीनीकरण आपसी सहमति और प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है तथा सब-लीज की अनुमति नहीं होती।

अधिकार-उपयोग परिसंपत्तियों (Right-of-Use Assets) से संबंधित विवरण:

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को			
		परिसंपत्ति का सकल वहन मूल्य	संचित मूल्यह्रास	परिसंपत्ति का शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास
1	भूमि (लीज़ अधिकार)	6,346.12	1,595.67	4,750.45	59.75
	कुल	**6,346.12**	**1,595.67**	**4,750.45**	**59.75**

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2024 को			
		परिसंपत्ति का सकल वहन मूल्य	संचित मूल्यह्रास	परिसंपत्ति का शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास
1	भूमि (लीज़ अधिकार)	6,571.40	1,535.92	5,035.48	217.25
	कुल	**6,571.40**	**1,535.92**	**5,035.48**	**217.25**

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

43: Earning per Share (EPS):

1 Basic Earning per Share

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
a	Profits for the year available to the Equity Shareholders of the company	8,289.34	10,763.53
b	Earning used for calculation of Basic EPS	8,289.34	10,763.53
	Weighted average number of ordinary shares for the purpose of Basic EPS	83.20	75.34
c	**Basic Earning per Share**	**99.63**	**142.87**

1 Dilute Earning per Share

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
a	Profits for the year available to the Equity Shareholders of the company	8,289.34	10,763.53
b	Earning used for calculation of Basic EPS	8,289.34	10,763.53
c	Profits for the year available to the Equity Shareholders of the company adjusted for the effect of dilution	8,289.34	10,763.53
d	Weighted average number of ordinary shares for the purpose of Basic EPS	83.20	75.34
e	Share application money pending allotment	2,657.00	-
f	Number of Share in Share application money pending allotment	2.66	-
g	Weighted average number of Equity shares for the effect of dilution	85.86	75.34
	Diluted Earning per Share	**96.55**	**142.87**

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

43: प्रति शेयर आय (EPS) का प्रकटीकरण

1. बेसिक प्रति शेयर आय (Basic EPS)

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
a	वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध लाभ	8,289.34	10,763.53
b	बेसिक EPS की गणना के लिए प्रयुक्त आय	8,289.34	10,763.53
	बेसिक EPS के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या	83.20	75.34
c	**बेसिक प्रति शेयर आय (Basic Earning per Share)**	**99.63**	**142.87**

2. डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय (Diluted EPS)

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
a	वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध लाभ	8,289.34	10,763.53
b	बेसिक EPS की गणना के लिए प्रयुक्त आय	8,289.34	10,763.53
c	डाइल्यूशन प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध समायोजित लाभ	8,289.34	10,763.53
d	बेसिक EPS के लिए साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या	83.20	75.34
e	शेयर आवंटन लंबित आवेदन राशि	2,657.00	-
f	शेयर आवेदन राशि में लंबित आवंटन के अंतर्गत शेयरों की संख्या	2.66	-
g	डाइल्यूशन के प्रभाव हेतु भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	85.86	75.34
	डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय	**96.55**	**142.87**

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

44: Capital Commitments:

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances)	91,058.30	35,774.00

Other Relevant Disclosures:

45	PTCUL is not declared as wilful defaulter by any bank or financial Institution.
46	Foreign Exchange Earning & Outgo: Nil (Previous Year - Nil).
47	Company does not have any Intangible assets under development
48	The Company has not entered into any transactions with struck off companies under Section 248 of the Companies Act, 2013.
49	The Company has not borrowed from banks or financial institutions on the basis of security of current assets.
50	Provisions of number of layer prescribed under clause 87 of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules 2017 is not applicable to the Company.
51	No proceedings have been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and the rules made thereunder.
52	No Scheme of Arrangements has been approved by the Competent Authority in terms of Sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013 for the Company.
53	The company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the Financial year 2024-25
54	The Company does not have any such transaction which is not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961).
55	Company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries
56	Company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
57	Ratio Disclosures in accordance with Schedule III of the Companies Act, 2013 is as follows:

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

44: पूंजीगत प्रतिज्ञाएँ (Capital Commitments):

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों के बाद शुद्ध)	91,058.30	35,774.00

अन्य प्रासंगिक प्रकटीकरण (Other Relevant Disclosures):

45	PTCUL को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जानबूझकर चूककर्ता (wilful defaulter) घोषित नहीं किया गया है।
46	विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय: शून्य (पिछला वर्ष – शून्य)।
47	कंपनी के पास कोई अमूर्त परिसंपत्ति विकासाधीन नहीं है।
48	कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेन–देन नहीं किया है।
49	कंपनी ने वर्तमान परिसंपत्तियों पर सुरक्षा के आधार पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण नहीं लिया है।
50	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 87 तथा कंपनियाँ (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 में निर्धारित परतों की संख्या से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
51	कंपनी के विरुद्ध बेनामी संपत्ति (Benami Property) रखने के लिए बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कोई कार्यवाही आरम्भ या लंबित नहीं है।
52	कंपनी के लिए धारा 230 से 237 के अंतर्गत कोई योजना (Scheme of Arrangements) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं हुई है।
53	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी तरह की क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में न तो व्यापार किया है और न ही निवेश।
54	कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत किसी भी कर निर्धारण प्रक्रिया (जैसे तलाशी, सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) में आय के रूप में समर्पित या प्रकटीकरण किया गया हो।
55	कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (विदेशी संस्थाओं सहित) को कोई धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई राशि हो, शेयर प्रीमियम हो या अन्य कोई स्रोत) इस समझ के साथ नहीं दी है कि वह मध्यस्थ (Intermediary) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार से पहचाने गए अंतिम लाभार्थियों (Ultimate Beneficiaries) को वह राशि उधार देगा, निवेश करेगा, या उनके पक्ष में कोई गारंटी/सुरक्षा आदि उपलब्ध कराएगा।
56	कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (विदेशी संस्थाओं सहित) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है इस समझ के साथ कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन निधियों को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को (Funding Party द्वारा पहचाने गए Ultimate Beneficiaries) उधार देगी, निवेश करेगी, या उनके पक्ष में कोई गारंटी/सुरक्षा आदि उपलब्ध कराएगी।
57	अनुपात (Ratio) प्रकटीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अनुपातों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	2024-25	2023-24	% Change in Current Year w.r.t. Previous Year
1	**Current Ratio**			
a	Current Assets	89,814.43	77,420.29	-11.39%
b	Current Liabilities	52,764.51	40,302.78	
	Current Ratio (a/b)	**1.70**	**1.92**	
2	**Debt Equity Ratio**			
a	Long Term Debt	1,65,004.92	1,47,006.12	-1.50%
b	Share holder's Equity	1,60,729.92	1,41,006.86	
	Debt Equity Ratio (a/b)	**1.03**	**1.04**	
3	**Debt Service Coverage Ratio (Cost Coverage Ratio):**			0.73%
	Profit After Tax (PAT)	8,288.40	10,446.61	
	Interest	4,374.96	5,596.89	
	Non cash expenses (Depreciation)	13.216.18	13,748.99	
	Total A (PBID)	**25,879.54**	**29,792.49**	
	Instalment - Interest	4,374.96	5,596.89	
	Instalment - Principal repayment	8,279:40	9,077.77	
	Total B	**12,654.36**	**14,674.66**	
	DSCR (A/B)	**2.05**	**2.03**	
4	**Return on Equity Ratio**			-30.40%
a	Net Profit	8,288.40	10,446.61	
b	Share holder's Equity	1,60,729.92	1,41,006.86	
	Net Profit Ratio (a/b)	**5.16%**	**7.41%**	
5	**Net Profit Ratio**			
a	Net Profit	8,288.40	10,446.61	-11.26%
b	Turnover	46,542.95	52,058.89	
	Net Profit Ratio (a/b)	**17.81%**	**20.07%**	
6	**Return on Capital Employed/ Return on Investment**			
a	Net Profit	8.288.40	10,446.61	-29.85%
b	Capital Employed	3,25,734.84	2,88,012.98	
	ROCE (a/b)	**2.54%**	**3.63%**	
7	**Return on Investment**			
a	Net Profit	8,288.40	10,446.61	-31.18%
b	Total Assets	3,78,499.36	3,28,315.76	
	ROI (a/b)	**2.19%**	**3.18%**	

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2023-24	वर्तमान वर्ष में पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन (%)
1	चालू अनुपात (Current Ratio)			
a	चालू परिसंपत्तियाँ (Current Assets)	89,814.43	77,420.29	-11.39%
b	चालू देनदारियाँ (Current Liabilities)	52,764.51	40,302.78	
	चालू अनुपात (a/b)	**1.70**	**1.92**	
2	**ऋण-इक्विटी अनुपात (Debt–Equity Ratio)**			
a	दीर्घकालिक ऋण (Long Term Debt)	1,65,004.92	1,47,006.12	-1.50%
b	शेयरधारकों की इक्विटी (Shareholder's Equity)	1,60,729.92	1,41,006.86	
	ऋण-इक्विटी अनुपात (a/b)	**1.03**	**1.04**	
3	**ऋण सेवा कवरेज अनुपात (लागत कवरेज अनुपात)**			0.73%
	कर के बाद लाभ (Profit After Tax – PAT)	8,288.40	10,446.61	
	ब्याज (Interest)	4,374.96	5,596.89	
	गैर-नकद खर्च (मूल्यह्रास – Depreciation)	13.216.18	13,748.99	
	कुल A (PBID)	**25,879.54**	**29,792.49**	
	किश्त – ब्याज (Instalment – Interest)	4,374.96	5,596.89	
	किश्त – मूलधन पुनर्भुगतान (Instalment – Principal Repayment)	8,279:40	9,077.77	
	कुल B	**12,654.36**	**14,674.66**	
	DSCR (A/B)	**2.05**	**2.03**	
4	**इक्विटी पर प्रतिफल (Return on Equity Ratio)**			-30.40%
a	शुद्ध लाभ (Net Profit)	8,288.40	10,446.61	
b	शेयरधारकों की इक्विटी (Shareholder's Equity)	1,60,729.92	1,41,006.86	
	ROE अनुपात (a/b)	**5.16%**	**7.41%**	
5	**शुद्ध लाभ अनुपात (Net Profit Ratio)**			
a	शुद्ध लाभ (Net Profit)	8,288.40	10,446.61	-11.26%
b	टर्नओवर (Turnover)	46,542.95	52,058.89	
	शुद्ध लाभ अनुपात (a/b)	**17.81%**	**20.07%**	
6	**पूंजी प्रयोजन पर प्रतिफल / निवेश पर प्रतिफल**			
a	शुद्ध लाभ (Net Profit)	8.288.40	10,446.61	-29.85%
b	प्रयोजित पूंजी (Capital Employed)	3,25,734.84	2,88,012.98	
	ROCE (a/b)	**2.54%**	**3.63%**	
7	**निवेश पर प्रतिफल (Return on Investment – ROI)**			
a	शुद्ध लाभ (Net Profit)	8,288.40	10,446.61	-31.18%
b	कुल परिसंपत्तियाँ (Total Assets)	3,78,499.36	3,28,315.76	
	ROI (a/b)	**2.19%**	**3.18%**	

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	2024-25	2023-24	% Change in Current Year w.r.f. Previous Year
8	**Capital Turnover Ratio**			
a	Share holder's Equity	1,60,729.92	1,41,006.86	-21.57%
b	Turnover	46,542.95	52,058.89	
	Capital Turnover Ratio (b/a)	**28.96%**	**36.92%**	
9	**Trade Receivable Turnover Ratio**			
a	Credit Sales	46,542.95	52,058.89	-15.13%
b	Average Trade Receivables	15,043.57	14,281.23	
	Trade Receivable Turnover Ratio (a/b)	**3.09**	**3.65**	
10	**Inventory Turnover Ratio**			
a	Turnover/Sales	46,542.95	52,058.89	-24.28%
b	Average Inventory	5,930.81	5,022.88	
	Inventory Turnover Ratio (a/b)	**7.85**	**10.36**	
58	The balances with the debtors, receivables, creditors, payables and advances are subject to confirmation.			
59	The previous year figures have been regrouped and rearranged wherever necessary, to conform to current year classification.			

As per our report of even date attached

For Naveen Upadhyaya & Associates
Chartered Accountants
FRN:- 014244N

For & On behalf of the Board of Directors of
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

(CA. Parth Upadhyaya)
Partner
M. No.: 568949
UDIN: 25568949BMOCCG6571

Manoj Kumar
(CFO)

Arun Sabharwal
Company Secretary
FCS No. :- 2069

Gajender Singh Budiyal
Director
(Operations)
DIN:- 10515767

P.C.Dhyani
Managing Director
DIN:- 07538685

Place: Dehradun, Uttarakhand

Date: 01-08-2025

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट्स

(राशि रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2023-24	वर्तमान वर्ष में पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन (%)
8	**पूंजी टर्नओवर अनुपात (Capital Turnover Ratio)**			
a	शेयरधारकों की इक्विटी (Shareholder's Equity)	1,60,729.92	1,41,006.86	-21.57%
b	टर्नओवर (Turnover)	46,542.95	52,058.89	
	पूंजी टर्नओवर अनुपात (b/a)	**28.96%**	**36.92%**	
9	**व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (Trade Receivable Turnover Ratio)**			
a	ऋण बिक्री (Credit Sales)	46,542.95	52,058.89	-15.13%
b	औसत व्यापार प्राप्य (Average Trade Receivables)	15,043.57	14,281.23	
	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (a/b)	**3.09**	**3.65**	
10	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (Inventory Turnover Ratio)			
a	टर्नओवर / बिक्री (Turnover/Sales)	46,542.95	52,058.89	-24.28%
b	औसत इन्वेंटरी (Average Inventory)	5,930.81	5,022.88	
	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (a/b)	**7.85**	**10.36**	
58	देनदारों, प्राप्य, लेनदारों, देयक एवं अग्रिमों की शेष राशियाँ पुष्टि (Confirmation) के अधीन हैं।			
59	पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक हुआ, पुनर्वर्गीकृत और पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि वे वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप हों।			

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न।

नवीन उपाध्याय एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 014244N

पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लि0
के निदेशक मंडल के लिए या उसकी ओर से

(सीए. पार्थ उपाध्याय)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 568949
यूडीआईएनः 25568949BMOCCG6571

मनोज कुमार
(सीएफओ)

अरुण सभरवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस नंबरः-2069

गजेंद्र सिंह बुदियाल
निदेशक (परिचालन)
डीआईएनः- 10515767

पी.सी. ध्यानी
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः- 07538685

स्थानः देहरादून
दिनांकः 01/08/2025

DIRECTORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS

To
The Shareholders,
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited

The Board of Directors of your company feel pleasure in presenting before you the 21st Annual Report on the working of the Company together with the Audited Statements of Accounts for the Financial year ended on 31 March, 2025. Report of Statutory Auditor, Secretarial Auditor, Cost Auditor along with report of Comptroller & Auditor General of india on the financial statements and all Appendix and other statutory documents appended thereto, coupled with the comments of the management on the observations of all the Auditors for the financial year 2024-25.

The period under report was a satisfactory period as far as conduct of business and affairs of the company is concerned.

1. Financial Results

The financials of the Company for the year under report at a Glance are summarized as under;

Sl. No.	Particulars	(Rupees in Lakhs)	
		F.Y 24-25	**F.Y 23-24**
1.	Revenue from Operations	46,542.95	52,058.89
2.	Other Income	7,187.73	5.165.26
3.	**Total Income**	**53,730.68**	**57,224.15**
4.	Repairs & Maintenance Expenses	6,499.04	5,788.44
5.	Employee Benefit Expenses	12,901.26	13,807.00
6.	Administration & General Expenses	4,623.77	4,115.22
7.	**Total Expenses**	**24,024.07**	**23,710.66**
8.	Profit before depreciation, interest and tax	29.706.61	33,513.49
9.	Finance Costs	4,374.96	5.596.89
10.	Depreciation and Amortization Expenses	13.216.18	13.748.99
11.	Profit before Tax	12.115.47	14.167.61
12.	Profit after Tax	8.288.40	10.446.61
13.	Earning per equity share	99.63	142.87
14.	Amount carried to Reserves	8289.34	10,763.53

निर्देशकों की रिपोर्ट शेयरधारकों के लिए

सेवा में,

शेयरधारकगण,

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वे आपके समक्ष कंपनी के कार्यों पर 21वीं वार्षिक रिपोर्ट, साथ ही 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट की गई लेखा विवरणियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के साथ वैधानिक लेखा परीक्षक, सचिवालयीक लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट, सभी परिशिष्ट और अन्य वैधानिक दस्तावेज संलग्न हैं, साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सभी लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं।

रिपोर्ट के अंतर्गत यह अवधि कंपनी के व्यवसाय संचालन और मामलों के दृष्टिकोण से संतोषजनक रही।

1. वित्तीय परिणाम

रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति का सारांश इस प्रकार है —

क्रम संख्या	विवरण	(रुपये लाख में)	
		वित्त वर्ष 24-25	वित्त वर्ष 23-24
1.	परिचालन से राजस्व	46,542.95	52,058.89
2.	अन्य आय	7,187.73	5,165.26
3.	**कुल आय**	**53,730.68**	**57,224.15**
4.	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	6,499.04	5,788.44
5.	कर्मचारी लाभ व्यय	12,901.26	13,807.00
6.	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	4,623.77	4,115.22
7.	**कुल व्यय**	**24,024.07**	**23,710.66**
8.	मूल्यह्रास, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ	29,706.61	33,513.49
9.	वित्तीय लागत (ब्याज व्यय)	4,374.96	5,596.89
10.	मूल्यह्रास एवं अमूर्तिकरण व्यय	13,216.18	13,748.99
11.	कर पूर्व लाभ	12,115.47	14,167.61
12.	कर पश्चात लाभ	8,288.40	10,446.61
13.	प्रति इक्विटी शेयर आय	99.63	142.87
14.	आरक्षित निधि में स्थानांतरित राशि	8,289.34	10,763.53

Though the overall financial figures show a decline in the Revenue from operations, Profit before tax, Profit after Tax etc., but in reality all these components have shown an Increasing trend as compared to their standalone figures of the previous year.

The major reasons for decrease in revenue from operations and consequential decrease in the profit before depreciation, interest and Tax are as under

The revenue for the financial year 2023-2024 includes a tariff of Rs. 97.49 Crores for 220 KV D/C Baramwari (Rudrapur)-Srinagar Line (Rs. 69.30 Crores for financial year 2020-2021 to 2022-2023 + Rs. 28.19 Crores for the previous financial year 2023-2024.

The profit before tax of 141.68 crores for financial year 2023-2024 was on the higher side due to receipt of arrears of Rs. 69.30 crores received for 220 KV D/C Baramwari (Rudrapur)-Srinagar Line for financial year 2020-2021 to 2022-2023. Deducting the component of arrears the profit before tax stood at 72.38 crores.

During the year under report, due to robust and effective financial management, your company was successful in achieving a significant reduction in the financial costs.

The Financial statements for the year ended 31 March, 2025 have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind-AS) as notified under Section 133 of The Companies Act. 2013 read with Companies (Accounts) Rules, 2014. The estimates and judgments relating to the financial statements are made on prudent basis, so as to reflect them in true and fair manner. The form and substance of all the transactions reasonably represent the state of company's affairs, profit, cash flows and other financial transactions for the year ended on 31 March 2025.

The Profit and Loss account for the period 1 April, 2024 till 31 March, 2025 and the Balance Sheet as on 31 March, 2025 are prepared in compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013 and the Rules made thereunder, and Indian Accounting Standards (Ind AS). The Financial Statements shall form a part of the Annual Report and shall be available for inspection at the registered office of the company during office hours.

2. State of Company's affairs

During the financial year 2024-25, your company has posted a gross revenue from operations of Rs. 46,542.95 Lakhs in comparison to Rs. 52,058.89 Lakhs in the previous year. The profit after tax for the financial year 2024-25 stood at Rs. 8.288.40 Lakhs as against Rs. 10,446.61 Lakhs in the previous year.

During the year under review, there had been no changes in the nature of business. There was no significant order passed by the regulators, the courts or the tribunals which has an impact on the going concern status of the company in future. The capitalization by Hon'ble UERC from time to time which has an impact on tariff is being taken up appropriately through the legal recourse available.

While preparing the financial statements, treatment to the transactions have been given as per the provisions of the Indian Accounting Standards (Ind-AS) and as disclosed in notes on accounts.

3. Dividend & Reserves

In line with the expectations of Government of Uttarakhand, your directors have recommended a payment of dividend equal to 15% of post-tax profit of the Company which will work out to Rs. 14.34 per equity share (face value of per share Rs. 1000 per share) for the financial year 31st March, 2025. This would result into a total payment of Rs 12,43.26.000 which will be paid to the Government of Uttarakhand after approval by the Annual General Meeting.

For the previous year 2023-2024, a dividend @ Rs 14.22 per share total amounting to Rs. 11.00,45,352, was declared and paid to the Government of Uttarakhand in time, hence there was no requirement to transfer any amount to the Investor Education and Protection Fund.

4. Share capital of the company and the details of issue of securities made during the year.

The paid-up Equity share capital of the company as on 31 March, 2025 was Rs. 866,77,94,000 comprising of 86,67,794 Equity shares with a face value of Rs. 1000/- each. During the financial year 2024-25, the company had issued 9,29,020 Equity shares of Rs. 1000/- each, therefore the paid-up Equity share capital of the company has increased from Rs. 773,87,73,000/- of previous year to Rs. 866,77,94,000 as on 31st March, 2025.

Since your company is Government Company, wherein 100% share capital is held by Government of Uttarakhand and Government releases equity to fund the projects of the company, therefore, separate letter of offer is not sent to the State Government as per provisions of Section 62 of the Companies Act, 2013 and the same has to be treated as deemed acceptance by Government. Your company receives equity from Government of Uttarakhand to finance various projects and consequentially the company do not issue any shares with Differential Voting Rights. Employee Stock Option Schemes or in the form of sweat equity.

हालाँकि समग्र वित्तीय आँकड़े यह दर्शाते हैं कि परिचालन से राजस्व, कर-पूर्व लाभ, कर-पश्चात लाभ आदि में गिरावट आई है, लेकिन वास्तव में इन सभी घटकों ने पिछले वर्ष के स्वतंत्र आँकड़ों की तुलना में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई है।

परिचालन से राजस्व में कमी और परिणामस्वरूप मूल्यह्रास, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ में कमी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं —

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के राजस्व में ₹97.49 करोड़ का टैरिफ सम्मिलित था, जो 220 के.वी. डी/सी बरमवारी (रुद्रपुर)–श्रीनगर लाइन से संबंधित था (₹69.30 करोड़ वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2022-2023 तक के लिए तथा ₹28.19 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए)।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 का ₹141.68 करोड़ का कर-पूर्व लाभ अपेक्षाकृत अधिक था क्योंकि इसमें ₹69.30 करोड़ की बकाया राशि शामिल थी, जो 220 के.वी. डी/सी बरमवारी (रुद्रपुर)–श्रीनगर लाइन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2022-2023 तक प्राप्त हुई थी। इस बकाया राशि को घटाने पर कर-पूर्व लाभ ₹72.38 करोड़ रह जाता है।

रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान, सुदृढ़ एवं प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के कारण आपकी कंपनी वित्तीय लागतों में उल्लेखनीय कमी लाने में सफल रही।

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियाँ भारतीय लेखा मानक (Ind-AS) के अनुसार तैयार की गई हैं, जैसा कि कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत तथा कंपनियाँ (लेखा) नियम, 2014 के साथ अधिसूचित किया गया है। वित्तीय विवरणियों से संबंधित अनुमान और निर्णय विवेकपूर्ण आधार पर किए गए हैं ताकि उन्हें सत्य एवं निष्पक्ष रूप में प्रस्तुत किया जा सके। सभी लेन-देन का स्वरूप और सार कंपनी की स्थिति, लाभ, नकदी प्रवाह और अन्य वित्तीय लेन-देन को 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए यथार्थ रूप में प्रतिबिंबित करते हैं।

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए लाभ और हानि खाता तथा 31 मार्च 2025 की स्थिति तक की बैलेंस शीट, कंपनियाँ अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा भारतीय लेखा मानक (Ind-AS) के अनुपालन में तैयार की गई हैं। ये वित्तीय विवरणियाँ वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होंगी और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी।

2. कंपनी की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹46,542.95 लाख का सकल परिचालन राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष ₹52,058.89 लाख था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर-पश्चात लाभ ₹8,288.40 लाख रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹10,446.61 लाख था।

समीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान, व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नियामक संस्थाओं, न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है जो भविष्य में कंपनी की "गोइंग कंसर्न" स्थिति को प्रभावित करे। माननीय यूईआरसी (UERC) द्वारा समय-समय पर की गई पूंजीकरण प्रक्रियाएँ, जिनका प्रभाव टैरिफ पर पड़ता है, उन्हें उपलब्ध कानूनी उपायों के माध्यम से उचित रुप से निपटाया जा रहा है।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, सभी लेन-देन का उपचार भारतीय लेखा मानक (Ind-AS) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है और खातों के नोट्स में इसका खुलासा किया गया है।

3. लाभांश और आरक्षित निधि

उत्तराखंड सरकार की अपेक्षाओं के अनुरुप, आपके निदेशकों ने कंपनी के कर पश्चात लाभ का 15% लाभांश भुगतान की सिफारिश की है, जो वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹14.34 (प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य ₹1000) के बराबर होगा।

इससे कुल ₹12,43,26,000 का भुगतान उत्तराखंड सरकार को वार्षिक आम बैठक (AGM) की स्वीकृति के पश्चात किया जाएगा।

पिछले वर्ष 2023-2024 के लिए ₹14.22 प्रति शेयर के दर से कुल ₹11,00,45,352 का लाभांश घोषित कर समय पर उत्तराखंड सरकार को भुगतान किया गया था, अतः Investor Education and Protection Fund (IEPF) में कोई राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं हुई।

4. कंपनी की शेयर पूंजी और वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों के निर्गम का विवरण

31 मार्च 2025 तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹866,77,94,000 थी, जो ₹1000 अंकित मूल्य वाले 86,67,794 इक्विटी शेयरों से मिलकर बनी है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने ₹1000 प्रति शेयर के मूल्य पर 9,29,020 इक्विटी शेयर जारी किए, जिससे कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पिछले वर्ष की ₹773,87,73,000 से बढ़कर ₹866,77,94,000 हो गई।

चूँकि आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जिसमें 100% शेयर पूंजी उत्तराखंड सरकार के पास है, और सरकार कंपनी की परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु इक्विटी जारी करती है, इसलिए कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 62 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को पृथक ऑफर लेटर भेजने की आवश्यकता नहीं होती, तथा इसे सरकार द्वारा "स्वतः स्वीकृति" (Deemed Acceptance) माना जाता है।

आपकी कंपनी को विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु उत्तराखंड सरकार से इक्विटी प्राप्त होती है, अतः कंपनी किसी भी प्रकार के डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स (Differential Voting Rights) वाले शेयर, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (Employee Stock Option Schemes) या स्वेट इक्विटी (Sweat Equity) जारी नहीं करती।

5. The extract of the Annual Return

The Annual Return of the Company as provided under section 92(3) of the Companies Act. 2013 shall be available at Companys' website- **www.ptcul.org** under the heading **https://ptcul.org/cs**

6. Directors and KMP

6. (A) Changes in the composition of the Board of Directors

The Board consists of executive and non-executive directors including independent directors: who have wide and varied experience in different disciplines of corporate functioning. Due to change of incumbent holding a specific post in Government of Uttarakhand, the change in composition of Board of Directors is a regular phenomenon. The following changes took place in the composition of the Board of Directors during the year under report;

Name	Designation	Appointment /Cessation	Date of New Appointment	Date of Cessation
Shri Arvind Kumar Barthwal	Independent Director	Appointment	09.07.2024	-
Shri Sudhakar Badoni	Director (Finance)	Cessation	-	09.07.2024
Smt. Radha Raturi*	Chairperson	Cessation		31.03.2025

*In place of Mrs. Radha Raturi, Shri Anand Bardhan who was already a member of the Board was made Chairperson.

6. (B) Independent Directors and Women Directors

Your company has three independent directors on its Board as on the date of reporting, as named below:

1. Sh. N. Ravi Shanker
2. Sh. Parag Gupta
3. Sh. Arvind Kumar Barthwal

The aforesaid directors have been selected and nominated on Board by Government of Uttarakhand. The independent directors are suitably nominated in various sub-committees of the board as per requirements of The Companies Act. 2013.

5. वार्षिक रिटर्न का सारांश

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अंतर्गत कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट **www.ptcul.org** पर **https://ptcul.org/cs** शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध रहेगा।

6. निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (KMP)

6. (A) निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन

कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी (Executive) और गैर-कार्यकारी (Non-Executive) निदेशकों, जिनमें स्वतंत्र निदेशक (Independent Directors) भी शामिल हैं, से मिलकर बना है। ये सभी निदेशक कॉर्पोरेट संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव रखते हैं।

उत्तराखंड सरकार में पदधारकों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन के कारण निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है।

रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए —

नाम	पदनाम	नियुक्ति/ पदत्याग	नई नियुक्ति की तिथि	पदत्याग की तिथि
श्री अरविंद कुमार बर्थवाल	स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति	09.07.2024	-
श्री सुधाकर बडोनी	निदेशक (वित्त)	पदत्याग	-	09.07.2024
श्रीमती राधा रतूड़ी*	अध्यक्ष	पदत्याग	-	31.03.2025

* श्रीमती राधा रतूड़ी के स्थान पर, श्री आनंद बर्धन जो पहले से ही बोर्ड के सदस्य थे, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया।

6. (B) स्वतंत्र निदेशक एवं महिला निदेशक

रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, आपकी कंपनी के बोर्ड में तीन स्वतंत्र निदेशक कार्यरत हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं —

1. श्री एन. रवि शंकर
2. श्री पराग गुप्ता
3. श्री अरविंद कुमार बर्थवाल

उपरोक्त निदेशकों को उत्तराखंड सरकार द्वारा चयनित एवं नामित किया गया है।

स्वतंत्र निदेशकों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों (Sub-Committees) में उपयुक्त रुप से नामित किया गया है।

Smt. Radha Raturi was the Women director and chairperson on the Board of the Company fill 31 March, 2025. The process to appoint a new woman director in place of Mrs. Radha Raturi is in vogue at the level of Government of Uttarakhand.

6. (C) Key Managerial Personnel

The following are the KMP's of the company pursuant to Section 203 of the Companies Act, 2013

1. Shri P.C Dhyani	- Managing Director
2. Shri Arun Sabharwal	- Company Secretary
3. Shri Manoj Kumar	- Chief Financial Officer

6. (D) Statement of declaration given by Independent Directors

in Compliance of Section 149(7) of the Companies Act, 2013, the Independent Directors have given the necessary declaration of independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and such declarations have been brought to knowledge of the Board from time to time. The Board is of the opinion that all Independent Directors of the company possess the requisite qualifications, experiences, expertise and they hold the highest standards of integrity.

During the year under review, the non-executive directors of the company had no pecuniary relationship or transaction with the company except for payment of sitting fees or reimbursement of expenditure incurred by them for attending various meetings of Board and its sub-committees; wherever applicable.

An exclusive meeting of independent directors, without the presence of other directors and members of the management as stipulated under schedule IV appended to section 149 of Companies Act, 2013 was held on 20th March, 2025. Their observations were duly minuted by the Company Secretary who was specifically requested by the independent directors to attend the meeting and the minutes were discussed by the lead independent director in the next meeting of Board of Directors.

7. Meeting of Board of Directors

Your Company by and large had been regular in conducting the Board Meetings even at shorter intervals than the prescribed intervals and adheres to the provisions of Secretarial Standards and the Companies Act. 2013. relating to Board Meelings. Minutes and other related provisions thereof.

श्रीमती राधा रतूड़ी 31 मार्च 2025 तक कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहीं। उनके स्थान पर नई महिला निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के स्तर पर प्रचलन में है।

6. (C) प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (Key Managerial Personnel – KMP)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अंतर्गत कंपनी के निम्नलिखित अधिकारी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (KMP) हैं —

1. श्री पी.सी. ध्यानी – प्रबंध निदेशक (Managing Director)
2. श्री अरुण सबरवाल – कंपनी सचिव (Company Secretary)
3. श्री मनोज कुमार – मुख्य वित्तीय अधिकारी (Chief Financial Officer)

6. (D) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुपालन में, स्वतंत्र निदेशकों ने धारा 149(6) के अंतर्गत आवश्यक स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत की है। इन घोषणाओं को समय-समय पर निदेशक मंडल के संज्ञान में लाया गया है।

निदेशक मंडल का मत है कि कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशक आवश्यक योग्यता, अनुभव, विशेषज्ञता रखते हैं और उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा (Integrity) का पालन करते हैं।

समीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान, कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशकों का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं था, सिवाय इसके कि उन्हें बोर्ड और उसकी उप-समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु बैठक शुल्क (Sitting Fees) या व्यय प्रतिपूर्ति प्रदान की गई।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 से संलग्न अनुसूची-IV (Schedule IV) के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की एक विशेष बैठक, जिसमें अन्य निदेशक या प्रबंधन सदस्य उपस्थित नहीं थे, 20 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

इस बैठक की टिप्पणियाँ (Observations) कंपनी सचिव द्वारा, स्वतंत्र निदेशकों के विशेष अनुरोध पर, विधिवत रूप से लिपिबद्ध की गईं और इन्हें बाद में अग्रणी स्वतंत्र निदेशक (Lead Independent Director) द्वारा निदेशक मंडल की अगली बैठक में चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया।

7. निदेशक मंडल की बैठकें (Meetings of the Board of Directors)

आपकी कंपनी ने अधिकांशतः निदेशक मंडल की बैठकें निर्धारित अंतराल से कम अंतराल पर नियमित रूप से आयोजित की हैं और यह सचिवालयीन मानक (Secretarial Standards) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के उन सभी प्रावधानों का पालन करती है जो बोर्ड बैठकों, उनकी कार्यवृत्त (Minutes) और संबंधित प्रक्रियाओं से जुड़े हैं।

Eleven Board Meetings were held during the Financial Year from 1st April. 2024 to 31st March, 2025 as under:

1. 90th Board Meeting held on 27/05/2024.
2. 91 Board Meeting held on 09/07/2024.
3. 92nd Board Meeting held on 27/08/2024.
4. 93 Board Meeting held on 20/09/2024.
5. 94th Board Meeting held on 26/09/2024.
6. 95th Board Meeting held on 30/10/2024.
7. 96th Board Meeting held on 25/11/2024.
8. 97 Board Meeting held on 23/12/2024.
9. 98th Board Meeting held on 07/02/2025.
10. 99th Board Meeting held on 28/02/2025.
11. 100th Board Meeting held on 27/03/2025.

8. Directors' Responsibility Statement

Pursuant to the requirements of section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors declares:

a) That in the preparation of the Annual Accounts for the Financial Year 2024-25, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanations relating to material departures.

b) That the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the Financial Year and the Profit or Loss of the Company for that period.

c) That the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

d) That the Directors had prepared the Annual Accounts for the financial year ended 31 March, 2025, on a going concern basis.

e) That the Directors had devised proper systems to ensure proper compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के दौरान कुल 11 निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण इस प्रकार है —

1. 90वीं बोर्ड बैठक – 27/05/2024
2. 91वीं बोर्ड बैठक – 09/07/2024
3. 92वीं बोर्ड बैठक – 27/08/2024
4. 93वीं बोर्ड बैठक – 20/09/2024
5. 94वीं बोर्ड बैठक – 26/09/2024
6. 95वीं बोर्ड बैठक – 30/10/2024
7. 96वीं बोर्ड बैठक – 25/11/2024
8. 97वीं बोर्ड बैठक – 23/12/2024
9. 98वीं बोर्ड बैठक – 07/02/2025
10. 99वीं बोर्ड बैठक – 28/02/2025
11. 100वीं बोर्ड बैठक – 27/03/2025

8. निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरणी (Directors' Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुपालन में, निदेशक मंडल निम्नलिखित घोषणा करता है —

(a) कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक खातों की तैयारी में लागू लेखा मानकों (Accounting Standards) का पालन किया गया है, तथा जहाँ कोई भिन्नता (Material Departure) हुई है, वहाँ उसका उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

(b) कि निदेशकों ने उचित लेखा नीतियों (Accounting Policies) का चयन किया, उन्हें निरंतर रूप से लागू किया और ऐसे निर्णय एवं अनुमान (Judgments and Estimates) किए जो उचित एवं विवेकपूर्ण हैं, ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं उस अवधि के लाभ या हानि का सत्य एवं निष्पक्ष चित्रण (True and Fair View) प्राप्त हो सके।

(c) कि निदेशकों ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पहचान हेतु पर्याप्त लेखा अभिलेखों (Accounting Records) के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

(d) कि निदेशकों ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक खातों को गोइंग कंसर्न (Going Concern) के आधार पर तैयार किया है।

(e) कि निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियाँ विकसित की हैं कि सभी प्रासंगिक कानूनों (Applicable Laws) के प्रावधानों का पालन किया जाए, और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से संचालित हो रही हैं।

9. Annual General Meeting

Your company had been following the Secretarial Standards and other provisions of the Companies Act. 2013 pertaining to Annual General Meeting. Historically, your company was not able to conduct the Annual General Meeting within the statutory prescribed time of 30th September.

With the change in management and Key Managerial persons, for the second time in succession. the 20th Annual General Meeting was held in time i.e. on 26th September, 2024 and the financial year 2024-25 is following the same path and this year also the Annual General Meeting will be held before 30th September, 2025.

10. Extra-ordinary General Meeting

Your company had followed the Secretarial Standards and other provisions of The Companies Act, 2013, in conducting the Extra-ordinary General Meeting which was held on 13.02.2025.

11. Amendment of Article of Association and Memorandum of Association

The company was incorporated in 2004, therefore, the Article of Association of the Company were drafted in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956. This Act has been repealed and replaced by the new Companies Act, 2013, which came into force on 29th August, 2013, due to which certain provisions, sections and legal requirements as incorporated in the Articles and Memorandum of Association have changed. This anomaly was set right after a span of 11 years with complete amendments in the Articles in line with the provisions of The Companies Act, 2013.

Hence, the proposal for amendment in Article of Association and Memorandum of Association was passed in the 1 Extraordinary General Meeting of the company dated 13.02.2025 which came into effect from 25.04.2025.

The New Article of Association and Memorandum of Association is the available Corporation's Website link **https://ptcul.org/document/new articles and memorandum of associati on w.e.f. 24-4-2025-new.pdf**

12. Statement indicating the manner in which formal annual evaluation has been made by the Board of its own performance and that of its' committees and individual Directors.

Section 134(3) provides for giving a statement in Board's Report indicating the manner in which formal annual evaluation has been made by the Board of its performance and that of its Committees and Individual Directors.

9. वार्षिक आम बैठक (Annual General Meeting)

आपकी कंपनी ने वार्षिक आम बैठक (AGM) के आयोजन में सचिवालयीन मानकों (Secretarial Standards) और कंपनियाँ अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों का पालन किया है। ऐतिहासिक रूप से, कंपनी 30 सितंबर की वैधानिक रूप से निर्धारित अवधि के भीतर AGM आयोजित करने में सक्षम नहीं रही थी।

प्रबंधन एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (Key Managerial Personnel) में हुए परिवर्तन के बाद, लगातार दूसरी बार 20वीं वार्षिक आम बैठक समय पर 26 सितंबर 2024 को आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी यही परंपरा जारी है, और इस वर्ष की AGM भी 30 सितंबर 2025 से पूर्व आयोजित की जाएगी।

10. असाधारण आम बैठक (Extra-Ordinary General Meeting)

आपकी कंपनी ने सचिवालयीन मानकों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करते हुए एक असाधारण आम बैठक (Extra-Ordinary General Meeting) का आयोजन 13 फरवरी 2025 को किया।

11. ऑर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (Articles of Association) और मेमोरंड्म ऑफ एसोसिएशन (Memorandum of Association) में संशोधन

कंपनी का गठन वर्ष 2004 में हुआ था, और उस समय कंपनी का अनुच्छेद अधिनियम (Articles of Association), कंपनियाँ अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया था। चूँकि यह अधिनियम अब कंपनियाँ अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है (जो 29 अगस्त 2013 से प्रभावी हुआ), इसलिए अनुच्छेद अधिनियम और उपबंध ज्ञापन में निहित कई धाराएँ, प्रावधान और कानूनी आवश्यकताएँ परिवर्तित हो गईं। इन विसंगतियों को 11 वर्षों के अंतराल के बाद, कंपनियाँ अधिनियम, 2013 के अनुरूप पूर्ण संशोधन कर दूर किया गया।

अतः अनुच्छेद अधिनियम एवं उपबंध ज्ञापन में संशोधन का प्रस्ताव कंपनी की प्रथम असाधारण आम बैठक में 13 फरवरी 2025 को पारित किया गया, जो 25 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ।

संशोधित अनुच्छेद अधिनियम एवं उपबंध ज्ञापन कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: **https://ptcul.org/document/new_articles_and_memorandum_of_association_w.e.f.-24-04-2025-new.pdf**

12. एक विवरण जिसमें यह दर्शाया गया हो कि बोर्ड ने अपनी स्वयं की कार्यक्षमता, तथा उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों की कार्यक्षमता का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार किया है।

धारा 134(3) में यह प्रावधान है कि बोर्ड की रिपोर्ट में एक विवरण दिया जाए जिसमें यह दर्शाया जाए कि बोर्ड ने अपनी कार्यक्षमता, उसकी समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों की कार्यक्षमता का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार किया है।

However, Ministry of Corporate Affairs vide its notification dated 5th June. 2015 has exempted the Government Companies with the condition that Section 134(3) (p) shall not apply in case the directors are evaluated by the Ministry or Department of the Central Government which is administratively in charge of the company, or, as the case may be, the State Government, as per its own evaluation methodology. The Government of Uttarakhand has not issued any evaluation methodology fill date and no such meeting was held for the year under report.

13. Audit Committee

In Compliance of Section 177 of the Companies Act, 2013, the Board of Directors has duly constituted Audit Committee as under:

1. Shri N. Ravi Shanker, Independent Director	-	Chairperson
2. Shri Parag Gupta, Independent Director	-	Member
3. Shri Arvind Kumar Barhwal, Independent Director	-	Member
4. Shri P.C. Dhyani, Managing Director	-	Member
5. Shri Arun Sabharwal, Company Secretary	-	Secretary
6. Director (Finance) and or Chief Finance Officer	-	Special Invitee

During the year under report, the following changes took place in the composition of Audit Committee:

Shri Arvind Kumar Barthwal was appointed as the Independent Director of your company, w.e.f 09.07.2024 and he was also inducted as a member of Audit Committee.

Four Audit Committee Meetings were held during the Financial Year from 1 April, 2024 to 31 March, 2025 as under:

1. 62nd Audit Committee Meeting held on 24/06/2024.
2. 63rd Audit Committee Meeting held on 20/09/2024.
3. 64th Audit Committee Meeting held on 19/11/2024.
4. 65th Audit Committee Meeting held on 20/03/2025.

Further in terms of the provisions of Section 177 (8) of the Companies Act. 2013, it is stated that there was no such instance, where the Board of Directors has not accepted the recommendation of Audit Committee during the year under report.

हालाँकि, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) द्वारा 5 जून 2015 की अधिसूचना के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कंपनियों के लिए, कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(p) लागू नहीं होगी, बशर्ते कि निदेशकों का मूल्यांकन संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा अपनी स्वयं की मूल्यांकन पद्धति (Evaluation Methodology) के अनुसार किया जा रहा हो।

अब तक उत्तराखंड सरकार द्वारा कोई मूल्यांकन पद्धति जारी नहीं की गई है, और समीक्षा वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

13. लेखा परीक्षा समिति (Audit Committee)

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने विधिवत रूप से एक लेखा परीक्षा समिति (Audit Committee) का गठन किया है, जिसका गठन निम्नानुसार है —

1.	श्री एन. रवि शंकर, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
2.	श्री पराग गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य
3.	श्री अरविंद कुमार बर्थवाल, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य
4.	श्री पी.सी. ध्यानी, प्रबंध निदेशक	-	सदस्य
5.	श्री अरुण सबरवाल, कंपनी सचिव,	-	सचिव
6.	निदेशक (वित्त) एवं/या मुख्य वित्तीय अधिकारी	-	विशेष आमंत्रित सदस्य (Special Invitee)

समीक्षा वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति (Audit Committee) की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए —

श्री अरविंद कुमार बर्थवाल को 09.07.2024 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में भी शामिल किया गया।

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के दौरान चार लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण इस प्रकार है —

1. 62वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक – 24/06/2024
2. 63वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक – 20/09/2024
3. 64वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक – 19/11/2024
4. 65वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक – 20/03/2025

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 177(8) के प्रावधानों के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि समीक्षा वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षा समिति की किसी भी अनुशंसा को अस्वीकार नहीं किया गया।

14. Nomination and Remuneration Committee:

In Compliance of Section 178 of the Companies Act, 2013, the Board of Directors has a Nomination and Remuneration Committee duly constituted as per the provisions of the Companies Act, 2013. The constitution of the Nomination and Remuneration Committee as on the date of reporting is as follows:

1. Shri N. Ravi Shanker, Independent Director	-	Chairperson
2. Shri Parag Gupta, Independent Director	-	Member
3. Additional Secretary (Energy), GoU, Ex-officio member	-	Member
4. Shri Arun Sabharwal, Company Secretary	-	Secretary

Since your company is a Government of Uttarakhand undertaking and is exempted from majority of the provisions applicable on Nomination and Remuneration Committee, therefore, the meetings of such committee are called only on need basis. During the year under report, no meeting of this committee was called.

15. Risk Management Committee

Pursuant to section 134(3)(n) of the Companies Act, 2013 the Company has laid down the procedures to inform Board Members about risk assessment and mitigation procedures. The Board of Directors has already framed and implemented Risk Management Policy which is available at Company's website at the link: https://ptcul.org/document/risk-mgmt-policy84.04.pdf

This Policy forms part of the Internal Control and Corporate Governance process of the Company. Basically, the aim of this policy is to eliminate risks, to mitigate the risks involved in the Company activities to maximize opportunities and minimize adversities by considering the following:

- Identification of risk, define ownership with clearly defined roles and responsibilities:
- Balance between the cost of managing risk and the anticipated benefits:
- Contributing to more efficient use/ allocation of capital and resources;
- To encourage and promote an pro-active approach towards risk management;
- Identifying any unmitigated risks and formulating action plans for its treatment through regular review.

Appropriate Risk Management Committees have been constituted/nominated and action to identify and mitigate the risk is in progress.

14. नामांकन और पारिश्रमिक समिति (Nomination and Remuneration Committee)

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुपालन में, निदेशक मंडल ने विधिवत रूप से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (Nomination and Remuneration Committee) का गठन किया है। रिपोर्ट की तिथि तक समिति की संरचना इस प्रकार है —

1.	श्री एन. रवि शंकर, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
2.	श्री पराग गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य
3.	अतिरिक्त सचिव (ऊर्जा), उत्तराखंड सरकार (Ex-officio) सदस्य	-	सदस्य
4.	श्री अरुण सबरवाल, कंपनी सचिव	-	सचिव

चूँकि आपकी कंपनी उत्तराखंड सरकार की उद्यम (Government Undertaking) है और इसे नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति पर लागू अधिकांश प्रावधानों से छूट प्राप्त है, इसलिए इस समिति की बैठकें केवल आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती हैं। समीक्षा वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

15. जोखिम प्रबंधन समिति (Risk Management Committee)

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(n) के अनुपालन में कंपनी ने निदेशक मंडल के सदस्यों को जोखिम मूल्यांकन और निवारण प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करने के लिए प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। निदेशक मंडल ने पहले ही जोखिम प्रबंधन नीति तैयार और लागू कर दी है, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है: **https://ptcul.org/document/risk-mgmt-policy84.04.pdf**

यह नीति कंपनी की आंतरिक नियंत्रण और कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रक्रिया का हिस्सा है। मूल रूप से, इस नीति का उद्देश्य जोखिमों को समाप्त करना, कंपनी की गतिविधियों में शामिल जोखिमों को कम करना, अवसरों को अधिकतम करना और प्रतिकूलताओं को न्यूनतम करना है, जिसे निम्नलिखित बातों पर विचार करके किया जाता है:

- जोखिमों की पहचान करना और स्पष्ट भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के साथ उनके स्वामित्व को परिभाषित करना।
- जोखिम प्रबंधन की लागत और संभावित लाभ के बीच संतुलन बनाना।
- पूंजी और संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग/वितरण में योगदान देना।
- जोखिम प्रबंधन के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना।
- किसी भी अपरिहार्य जोखिम की पहचान कर उसकी रोकथाम के लिए कार्य योजनाएँ तैयार करना और नियमित समीक्षा करना।

संबंधित जोखिम प्रबंधन समितियाँ गठित/नामित की गई हैं और जोखिम की पहचान तथा निवारण हेतु कार्रवाई प्रगति पर है।

The risk management policy is implemented through the designated Chief Risk Officer and is subject to the superintendence and control of the Risk Management Committee which has been constituted as under:

1. Shri Parag Gupta, Independent Director - Chairperson
2. Shri Arvind Kumar Barthwal, Independent Director - Member
3. Shri P.C. Dhyani, Managing Director - Member
4. Shri G.S. Budiyal, Director (Operations) - Member
5. Shri Arun Sabharwal, Company Secretary - Secretary

Shri Rajeev Gupta, Chief Engineer (Level - 1) has been nominated as Chief Risk Officer.

16. Project Monitoring and Review Committee

In order to strengthen the Project Implementation and Review and to provide adequate directions and controls, a subcommittee has been constituted by the Board in it's 93rd meeting held on 20.09.2024 vide agenda item no. 93.19 with the following officers:-

1. Shri Parag Gupta, Independent Director - Chairperson
2. Shri Arvind Kumar Barthwal, Independent Director - Member
3. Shri P.C. Dhyani, Managing Director - Member
4. Shri G.S. Budiyal, Director (Operations) - Member
5. Shri Arun Sabharwal, Company Secretary - Secretary

Shri Kamal Kant, Chief Engineer. Project Monitoring Unit has been nominated as Convener of this subcommittee.

17. Vigil Mechanism/Whistle Blower Policy.

Pursuant to section 177 of the Companies Act. 2013 read with the rules made thereunder, the company has formulated and implemented Vigil Mechanism/ Whistle Blower Policy.

The Policy provides for adequate safeguard against victimization of employees who avail the mechanism and also provide direct access to the Chairperson of the Audit Committee. Specially, employees can raise concerns regarding any discrimination, harassment, victimization, and any other unfair trade practice being adopted against them or any instances of fraud by or against your Company.

जोखिम प्रबंधन नीति को नियुक्त मुख्य जोखिम अधिकारी (Chief Risk Officer) के माध्यम से लागू किया जाता है और यह जोखिम प्रबंधन समिति (Risk Management Committee) के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन है, जिसे निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठित किया गया है:

1. श्री पराग गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक	–	अध्यक्ष
2. श्री अरविंद कुमार बर्थवाल, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य
3. श्री पी.सी. ध्यानी, प्रबंध निदेशक	–	सदस्य
4. श्री जी.एस. बुदियाल, निदेशक (परिचालन)	–	सदस्य
5. श्री अरुण सबरवाल, कंपनी सचिव	–	सचिव

श्री राजीव गुप्ता, मुख्य अभियंता (स्तर – 1) को मुख्य जोखिम अधिकारी (Chief Risk Officer) के रूप में नामित किया गया है।

16. परियोजना निगरानी एवं समीक्षा समिति (Project Monitoring and Review Committee)

परियोजना कार्यान्वयन और समीक्षा को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त निर्देश और नियंत्रण प्रदान करने के लिए, निदेशक मंडल ने अपनी 93वीं बैठक में 20.09.2024 को एजेंडा आइटम संख्या 93.19 के माध्यम से निम्नलिखित अधिकारियों के साथ एक उप-समिति का गठन किया:

1. श्री पराग गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक	–	अध्यक्ष
2. श्री अरविंद कुमार बर्थवाल, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य
3. श्री पी.सी. ध्यानी, प्रबंध निदेशक	–	सदस्य
4. श्री जी.एस. बुदियाल, निदेशक (परिचालन)	–	सदस्य
5. श्री अरुण सबरवाल, कंपनी सचिव	–	सदस्य सचिव

श्री कमल कांत, मुख्य अभियंता, परियोजना मॉनिटरिंग इकाई को इस उप-समिति का संयोजक (Convener) नामित किया गया।

17. सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति (Vigil Mechanism / Whistle Blower Policy)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार और लागू की है। नीति में इस सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों को परेशान होने से बचाने के लिए पूरी सुरक्षा दी गई है और ऑडिट कमिटी के चेयरपर्सन तक सीधी पहुँच भी दी गई है। खास तौर पर, कर्मचारी किसी भी तरह के भेदभाव, परेशानी, परेशान करने, और उनके खिलाफ अपनाए जा रहे किसी भी दूसरे गलत ट्रेड प्रैक्टिस या आपकी कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ धोखाधड़ी के किसी भी मामले के बारे में चिंता जता सकते हैं।

The Whistle Blower Policy was implemented in December. 2015. The Policy is available at the Corporation's Website at the link given below. https://ptcul.org/document/whistle-blower-policy-amended-1872022.pdf During the financial year 2024-2025. Company have not received any complaint under whistle blower mechanism. However 02 cases from earlier year remain pending on 31 March, 2025 which is under process and review.

18. Auditors and Auditors' Report

18 (A) Statutory Auditors

Pursuant to provisions of section 139 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 as amended from time to time M/s Naveen Upadhyaya & Associates, Chartered Accountants, Street No. 05 Bhojak Colony, Loharia Sal Talla, Ooncha Pul,Haldwani, Uttarakhand were appointed on the recommendations of the C&AG for the financial year 2024-25 as Statutory Auditor in 98th Board Meeting held on 07.02.2025. vide agenda Item No.98.11. The report of the Statutory Auditors is enclosed as **Annexure A** and replies of the Management to the observations made by the Statutory Auditor are enclosed as **Annexure B** to this report and form essential part of this report.

18 (B) Cost Auditors

Pursuant to Section 148 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Cost Records and Audit) Amendment Rules, 2014 as amended from time to time, your Directors on the recommendation of the Audit Committee. have re-appointed M/s R.M. Bansal & Co., Cost Accountants (Firm Registration No. 000022) as the Cost Auditor of the Company for the financial year 2024-25 in the 93rd Board Meeting held on 20.09.2024, vide agenda item no. 93.12. The report of the Cost Auditors is enclosed as **Annexure C** to this report and form essential part of this report Since the observations of the Cost Auditor are NIL therefore, reply of management is not required.

During the year under review the auditors had not reported any fraudulent matter as per the section 143(12) of the Companies Act, 2013.

18. (C) Secretarial Auditors

Pursuant to Section 204 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Board of Directors have appointed M/s Pranav Kumar & Associates, Company Secretaries as Secretarial Auditor of the company for the Financial Year 2024-25 for conducting the Secretarial Audit as per provisions of the Companies Act. 2013.

व्हिसल ब्लोअर नीति (Whistle Blower Policy) दिसंबर, 2015 में लागू की गई थी। यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://ptcul.org/document/whistle-blower-policy-amended-1872022.pdf वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, कंपनी को व्हिसल ब्लोअर तंत्र के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। हालांकि, पिछले वर्षों के 02 मामले 31 मार्च 2025 को लंबित थे और वर्तमान में प्रक्रिया एवं समीक्षा के अधीन हैं।

18. ऑडिटर्स और ऑडिटर्स की रिपोर्ट (Auditors and Auditors' Report)

18(A) वैधानिक ऑडिटर्स (Statutory Auditors)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं कम्पनी (ऑडिट एवं ऑडिटर्स) नियम, 2014 के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक ऑडिटर के रूप में मैसर्स नवीन उपाध्याय एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, स्ट्रीट नंबर 05 भोजक कॉलोनी, लोहारिया साल तल्ला, ऊंचा पुल, हलद्वानी, उत्तराखंड को C&AG की सिफारिश पर 98वीं बोर्ड बैठक (07.02.2025) में नियुक्त किया गया। (एजेंडा आइटम संख्या 98.11) वैधानिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट **अनुक्रमणिका A** (Annexure A) में संलग्न है और प्रबंधन द्वारा ऑडिटर की टिप्पणियों पर दिए गए उत्तर **अनुक्रमणिका B** (Annexure B) में संलग्न हैं, जो इस रिपोर्ट का अनिवार्य हिस्सा हैं।

18(B) लागत ऑडिटर्स (Cost Auditors)

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 148 एवं कंपनियाँ (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के अनुपालन में, निदेशकों ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लागत ऑडिटर के रूप में मेसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 000022) को 93वीं बोर्ड बैठक (20.09.2024) में नियुक्त किया। (एजेंडा आइटम संख्या 93.12) लागत ऑडिटर्स की रिपोर्ट **अनुक्रमणिका C** (Annexure C) में संलग्न है और यह रिपोर्ट का अनिवार्य हिस्सा है। चूँकि लागत ऑडिटर की टिप्पणियाँ शून्य (NIL) हैं, इसलिए प्रबंधन द्वारा उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

समीक्षा वर्ष के दौरान, ऑडिटर्स ने कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अनुसार किसी भी धोखाधड़ी (Fraudulent Matter) की सूचना नहीं दी।

18(C) सचिवालयीन ऑडिटर्स (Secretarial Auditors)

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 204 एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मेसर्स प्रणव कुमार एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को कंपनी का सचिवालयीन ऑडिटर (Secretarial Auditor) नियुक्त किया, जो सचिवालयीन ऑडिट कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न करेगा।

2024-25 for conducting the Secretarial Audit as per provisions of the Companies Act. 2013.

Secretarial Audit Report given by M/s Pranav Kumar & Associates is enclosed as **Annexure D** and reply of management on the qualifications. reservations, adverse remarks on the secretarial audit report are enclosed as **Annexure E.**

During the year under report your company have complied with all the secretarial standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. With the change of Company Secretary, the present management is working on zero tolerance policy of compliance management and to streamline the previous records in conformity with the requirements of The Companies Act. 2013.

18. (D) Reporting of fraud by the Auditors and its statutory disclosures in the report of Board of Directors to the Shareholders.

An independent departmental enquiry was conducted against Mr. Praveen Tandon the then Company Secretary and charge sheets pertaining to violation under various provisions of Companies Act like Section 77, 85, 86, 135. 163 and 447 pertaining to willful default, negligence, misrepresentation, falsification as fraud had been proved in the departmental enquiry. These occurrences pertained to previous 7-8 years but were reported in year under report due to the finalization of the enquiry in current year and consequentially had been reported by the Statutory Auditor as well as Secretarial Auditor discharging their duties under Section 13(5) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.

In compliance of the requirements of Section 13 (4), the following statutory disclosure sub clauses are as under:

13(4) (a) Nature of fraud with description.
13(4) (b) Approximate amount involved.
13(4) (c) Parties involved if remedial action not taken.
13(4) (d) Remedial action taken.

Since non-compliance of Section 77 and 86 have been proved in departmental enquiry leading to a penalty under Section 447 and the amount of penalty cannot be calculated at this stage, therefore, the Board of Directors of the Company in their 103rd meeting held on 26.09.2025 had decided to get the entire matter relating to non-compliances by Mr. Tandon further investigated in details at the level of Government of Uttarakhand.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सचिवालयीन लेखा परीक्षा संपन्न करने हेतु नियुक्त मेसर्स प्रणव कुमार एंड एसोसिएट्स द्वारा तैयार सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट **अनुक्रमणिका D** में संलग्न है और सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दिए गए योग्यताएँ, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणियों पर प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर **अनुक्रमणिका E** में संलग्न हैं।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सभी सचिवीय मानकों का पालन किया है। कंपनी सचिव के परिवर्तन के साथ, वर्तमान प्रबंधन अनुपालन प्रबंधन की शून्य सहिष्णुता नीति पर कार्य कर रहा है और पिछली रिकॉर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप सुव्यवस्थित कर रहा है।

18 (D) लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और निदेशक मंडल की रिपोर्ट में वैधानिक प्रकटीकरण

श्री प्रवीण टंडन, तत्कालीन कंपनी सचिव के खिलाफ एक स्वतंत्र विभागीय जांच की गई। विभागीय जांच में यह प्रमाणित हुआ कि उन्होंने कंपनियाँ अधिनियम की विभिन्न धाराओं जैसे धारा 77, 85, 86, 135, 163 और 447 का उल्लंघन किया, जिसमें जानबूझकर डिफ़ॉल्ट, लापरवाही, भ्रामक प्रस्तुति और धोखाधड़ी के कृत्य शामिल थे। ये घटनाएँ पिछले 7-8 वर्षों की थीं, लेकिन वर्तमान वर्ष में जांच के अंतिम चरण में होने के कारण रिपोर्ट वर्ष में शामिल की गईं और इसे वैधानिक लेखा परीक्षक तथा सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा भी रिपोर्ट किया गया, जिन्होंने अपने कर्तव्य धारा 13(5) कम्पनी (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियम, 2014 के तहत निभाए।

धारा 13(4) की आवश्यकताओं के अनुपालन में, निम्नलिखित वैधानिक प्रकटीकरण उप-धाराएं निम्नानुसार हैं:

13(4)(a) : धोखाधड़ी का स्वरूप एवं विवरण
13(4)(b) : अनुमानित राशि शामिल
13(4)(c) : यदि सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो सम्मिलित पक्ष
13(4)(d) : लिए गए सुधारात्मक उपाय

चूँकि विभागीय जांच में धारा 77 और 86 के उल्लंघन प्रमाणित हुए, जिसके परिणामस्वरूप धारा 447 के तहत दंड लागू होता है और दंड की राशि इस स्तर पर गणना योग्य नहीं है, इसलिए कंपनी के निदेशक मंडल ने 26.09.2025 को अपनी 103वीं बैठक में निर्णय लिया कि श्री टंडन द्वारा की गई अनियमितताओं से संबंधित सम्पूर्ण मामले की उत्तराखंड सरकार के स्तर पर विस्तृत जांच कराई जाए।

18. (E) Audit by Comptroller & Auditor General of India (C&AG)

The Comptroller & Auditor General of India had conducted the supplementary Audit of the financial statements after receiving the report of Statutory Auditors in terms of the provisions of Section 143(6)(a) of The Companies Act.2013.

The comments of C&AG in terms of section 143(6)(b) are enclosed along with their letter at **Annexure F** and the reply of the management on the comments of C&AG is not required as they have issued a 'NIL' comment.

19. Deposits

During the year under report, your company has neither accepted any deposit nor have renewed any deposit from the general public within the meaning of section 73 of Companies Act. 2013 and Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014.

20. Particulars of loans, guarantees or investments under section 186

During the year under report, your company has not granted any loans or provided any guarantee or the security, which are reportable under section 186 of The Companies Act, 2013.

21. Particulars of contracts or arrangements with Companies where Directors are interested

During the year under report, no contracts and arrangements with the Companies were executed, where the Directors are interested

There are common Directors with the sister organizations, ie. Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited (UJVNL) and Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL) and the arrangements made with these companies were on an arm length basis, in an ordinary course of business. The Directors have disclosed their interest in the Board Meetings and the disclosure as required in Indian Accounting Standard (Ind AS-24) has been adequately reflected in the financial statements.

22. Details in respect of adequacy of Internal financial controls with reference to the financial statements

As per the provisions of Section 134(5)(e) of the Companies Act. 2013. the Directors declare that they have devised a system/framework which is operating effectively in the company.

18 (E) भारत के महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा लेखा परीक्षा

भारत के महालेखा परीक्षक ने वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(a) के प्रावधानों के अनुसार की गई।

धारा 143(6)(b) के अनुसार C&AG की टिप्पणियाँ उनके पत्र के साथ **अनुक्रमणिका F** में संलग्न हैं और प्रबंधन द्वारा C&AG की टिप्पणियों पर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने 'शून्य' (NIL) टिप्पणी जारी की है।

19. जमा राशि

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने सामान्य जनता से किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की और न ही किसी जमा राशि का नवीनीकरण किया, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और कंपनियाँ (जमा राशि स्वीकार करने के नियम), 2014 के अर्थ में है।

20. धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने किसी भी ऋण की व्यवस्था नहीं की, न ही किसी गारंटी या सुरक्षा प्रदान की, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत रिपोर्ट करने योग्य होती।

21. उन कंपनियों के साथ अनुबंध या व्यवस्था जिनमें निदेशक रुचि रखते हैं

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, किसी भी कंपनी के साथ ऐसे अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई, जिसमें निदेशक की रुचि हो।

सहभगिनी संस्थाओं — उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) और उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) — में समान निदेशक हैं, और इन कंपनियों के साथ किए गए व्यवस्थाएँ सामान्य व्यवसायिक लेन-देन के अनुरूप तथा आर्म्स-लेंथ आधार पर की गई थीं। निदेशकों ने बोर्ड बैठकों में अपनी रुचि का खुलासा किया और भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS-24) के अनुसार यह खुलासा वित्तीय विवरणों में पर्याप्त रूप से दर्शाया गया है।

22. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5)(e) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक घोषणा करते हैं कि उन्होंने ऐसा प्रणाली/ढांचा तैयार किया है जो कंपनी में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है।

The Directors have implemented a robust system/framework of the internal financial controls that provide them reasonable assurance regarding the adequacy and operative effectiveness of controls with regards to reporting, operational and compliance risks.

In line with best practices, the Board regularly reviews the Internal control system to ensure that it remains effective and fit for the purpose. Whenever weaknesses are identified as a result of the reviews, new procedures are put in place to strengthen controls and these are in furn reviewed at regular intervals.

23. Material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the company.

There had been no material change that affect the financial position of the company except for certain dis-allowances by Hon'ble Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC) However this, is a routine part of business in the tariff based regime and the matter are taken up with the commission in the form of petition/revised petition on a regular basis.

24. Prevention of Sexual Harassment of women at the workplace.

Your Company has zero tolerance policy towards sexual harassment at the workplace and towards this, has adopted a policy in line with provisions of Sexual Harassment of Women at The Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 read with Rules made thereunder. All employees (permanent, contractual, temporary. trainees) are covered under the said policy. An internal Complaints Committee comprising of 03 female and 02 male members headed by Mrs. Amita Lohani former Vice Chairperson of Uttarakhand Women Commission has been set up to redress complaints received on sexual harassment. As per the requirement of Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Provision and Redressal) Act, 2013, the following statutory information is disclosed:

a) Number of complaints of sexual harassment received in the year - Nil
b) Number of complaints disposed of during the year and - Nil
c) Number of cases pending for more than ninety days - Nil

Further as per the requirements of Rule 8(5) (xiii) a declaration is made that your Company follows all the provisions of The Maternity Benefit Act, 1961. All female employees of the Company are given 180 days of maternity leave, irrespective of their designation in the Company

It is further declared that your Company is regular in sending the periodic returns to the District officer, local complaint committee, Dehradun as per the provisions contained in the Sexual Harassment of Women at The Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए एक मजबूत प्रणाली/ढांचा लागू किया है जो उन्हें रिपोर्टिंग, संचालन और अनुपालन जोखिमों के संदर्भ में नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के बारे में यथार्थपूर्ण आश्वासन प्रदान करता है।

सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, बोर्ड नियमित रूप से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रभावी और उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनी रहे। जब भी समीक्षा के परिणामस्वरूप कमजोरियाँ पहचानी जाती हैं, नई प्रक्रियाएँ लागू की जाती हैं ताकि नियंत्रण मजबूत हों और इनकी नियमित अंतराल पर पुनः समीक्षा की जाती है।

23. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं, सिवाय माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा किए गए कुछ अस्वीकृतियों के। हालांकि, यह टैरिफ आधारित प्रणाली में सामान्य व्यापार का हिस्सा है और इन मामलों को नियमित रूप से आयोग के समक्ष याचिका/संशोधित याचिका के रूप में उठाया जाता है।

24. कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कंपनी का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति है और इसके तहत कंपनी ने महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नीति अपनाई है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं। एक आंतरिक शिकायत समिति बनाई गई है जिसमें 03 महिला और 02 पुरुष सदस्य शामिल हैं और जिसकी अध्यक्षता श्रीमती अमीता लोहेनी, पूर्व उपाध्यक्ष, उत्तराखंड महिला आयोग, द्वारा की जाती है। यह समिति यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों का निवारण करती है। महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार निम्न वैधानिक जानकारी प्रकट की जाती है:

a) वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या – शून्य

b) वर्ष में निवारित शिकायतों की संख्या – शून्य

c) निन्यानवे दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या – शून्य

इसके अतिरिक्त, नियम 8(5)(xiii) के अनुसार घोषणा की जाती है कि आपकी कंपनी मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के सभी प्रावधानों का पालन करती है। कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों को उनके पद के बावजूद 180 दिनों की मातृत्व अवकाश प्रदान की जाती है।

साथ ही यह भी घोषित किया जाता है कि आपकी कंपनी जिला अधिकारी और स्थानीय शिकायत समिति, देहरादून में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन समय पर भेजने में नियमित है।

The last return in the financial year 2024-25 under report was sent on 10.03.2025.

25. (A) Conservation of energy

25 A (i) Steps taken or impact on conservation of energy:

In order to conserve energy. your company is using LED-based lamps and lighting fixtures in all 51 substations, offices, and residential colonies in place of power-consuming halide, mercury, and sodium lights. Further Company is using efficient LED lights and energy-saving equipment of a 5-star rating in various Substations. Smart motion sensor Lighting has been installed at the Corporate Office Building.

25 A (ii) Steps taken by the company for utilizing alternate sources of energy.

A rooftop solar power plant is installed at the corporate office building in Dehradun with an installed capacity of 100 KW, and the Company is taking further steps to identify the other locations to install the rooftop solar plant.

25 A (iii) Capital investment on energy conservation equipments.

Your company has not done any direct capital investment on energy conservation equipments.

25. (B) Technology absorption

25 B(i) The efforts made towards technology absorption.

Your company is adopting the substation automation system which is a modern and sophisticated technology based on the digital signals to facilitate the following features for operations & monitoring in substations.

1. Reduction in control cables.
2. Central monitoring and operation through digital inputs.
3. Relay to relay communication.
4. Effective special protection system may be enabled.
5. Reduction in erratic trippings, faults and downtime the restoration period.

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंतिम प्रतिवेदन 10.03.2025 को भेजी गई थी।

25. (A) ऊर्जा संरक्षण

25 A (i) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या प्रभाव

ऊर्जा बचाने के लिए, आपकी कंपनी 51 सबस्टेशनों, कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में शक्ति-खपत वाले हैलाइड, मरकरी और सोडियम लाइट्स की जगह LED-आधारित लैंप और लाइटिंग फिटिंग का उपयोग कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी विभिन्न सबस्टेशनों में 5-स्टार रेटिंग वाले कुशल LED लाइट्स और ऊर्जा बचत उपकरण का उपयोग कर रही है। कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग में स्मार्ट मोशन सेंसर लाइटिंग स्थापित की गई है।

25 A (ii) वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करने के लिए उठाए गए कदम

कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग, देहरादून में 100 KW क्षमता वाला रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। कंपनी अन्य स्थानों पर भी रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए आगे कदम उठा रही है।

25. A (iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश

आपकी कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर कोई प्रत्यक्ष पूंजी निवेश नहीं किया है।

25. (B) प्रौद्योगिकी अवशोषण

25. B (i) प्रौद्योगिकी अवशोषण के लिए किए गए प्रयास

कंपनी सबस्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम अपना रही है, जो डिजिटल सिग्नलों पर आधारित आधुनिक और उन्नत तकनीक है, जिससे सबस्टेशनों में संचालन और निगरानी के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं:

1. नियंत्रण केबलों में कमी ।
2. डिजिटल इनपुट के माध्यम से केंद्रीकृत निगरानी और संचालन ।
3. रिले से रिले संचार ।
4. प्रभावी विशेष सुरक्षा प्रणाली सक्षम की जा सकती है ।
5. अनियमित ट्रिपिंग, दोष और डाउनटाइम की अवधि में कमी ।

25 B(ii) The benefits derived like product Improvement, cost reduction, product development or Import substitution.

Your company is adopting gas insulated substations which can be accommodated in 1/6th of the space in comparison to the traditional air insulated substation along with the use of SF_6 gas and, numerical relays in place electro mechanical relays.

Online Puncture insulation detection (online PID) is carried out in 400 kV/220 kV and 132 kV lines without taking shutdowns for condition monitoring and necessary preventative maintenance, if required.

25 B(iii) The expenditure incurred on research and development.

Your company has not done any direct capital investment on research and development but imparting training, focusing on workshops. seminars, conclave for professionals to enrich and update their knowledge with latest technological developments for adoption on merit basis or guidelines of Ministry of Power, Government of India or Central Electricity Authority (CEA), Capacity building is done through the transfer of knowledge for operations and maintenance of important technologies adopted as per contract provisions.

26. Foreign exchange earnings and outgo

There has been no Foreign Exchange Earning & Outgo during the period under review.

27. Corporate Social Responsibility

Since your company is a profit making organization and is committed towards the, upliftment of society, consequentially pursuant to section 135 of Companies Act, 2013 along with the rules made thereunder, your company has constituted a corporate Social Responsibility Committee as under and have formulated the CSR Policy in accordance with the Act.

1.	Shri N. Ravi Shanker, Independent Director	-	Chairperson
2.	Shri Parag Gupta, Independent Director	-	Member
3.	Shri Arvind Kumar Barthwal, Independent Director	-	Member
4.	Shri P.C. Dhyani, Managing Director	-	Member
5.	Shri G.S. Budiyal, Director (Operations)	-	Member
6.	Shri Arun Sabharwal, Company Secretary	-	Secretary

25 B (ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ:

आपकी कंपनी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशनों (Gas Insulated Substations) को अपना रही है, जिन्हें पारंपरिक एयर इंसुलेटेड सबस्टेशनों की तुलना में केवल 1/6वें स्थान में स्थापित किया जा सकता है। इन सबस्टेशनों में SF6 गैस का उपयोग किया जाता है तथा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की जगह न्यूमेरिकल रिले का प्रयोग किया जा रहा है।

400 केवी/220 केवी तथा 132 केवी लाइनों में ऑनलाइन पंक्चर इंसुलेशन डिटेक्शन (Online PID) किया जा रहा है, ताकि बिना शटडाउन लिए स्थिति की निगरानी की जा सके और आवश्यकता पड़ने पर निवारक रखरखाव (preventive maintenance) किया जा सके।

25 B (iii) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय:

आपकी कंपनी ने अनुसंधान और विकास पर कोई प्रत्यक्ष पूंजीगत निवेश नहीं किया है, परंतु प्रशिक्षण देने, कार्यशालाओं, सेमिनारों और पेशेवरों के लिए कॉन्क्लेव आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि वे नवीनतम तकनीकी विकास के साथ अपने ज्ञान को समृद्ध और अद्यतन कर सकें। इन तकनीकों को योग्यता के आधार पर या विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनाया जाता है। संचालन और रखरखाव से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकों के ज्ञान के हस्तांतरण के माध्यम से क्षमता निर्माण किया जा रहा है, जैसा कि अनुबंध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित है।

26. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

समीक्षा अवधि के दौरान कोई भी विदेशी मुद्रा अर्जन या व्यय नहीं हुआ है।

27. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

चूंकि आपकी कंपनी एक लाभ अर्जित करने वाली संस्था है और समाज के उत्थान के प्रति प्रतिबद्ध है, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार आपकी कंपनी ने एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (Corporate Social Responsibility Committee) का गठन किया है और अधिनियम के अनुसार CSR नीति तैयार की है।

समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:

1. श्री एन. रवि शंकर, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री पराग गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3. श्री अरविंद कुमार बर्थवाल, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
4. श्री पी. सी. ध्यानी, प्रबंध निदेशक – सदस्य
5. श्री जी. एस. बुदियाल, निदेशक (परिचालन) – सदस्य
6. श्री अरुण सभरवाल, कंपनी सचिव – सचिव

Shri Vikalp Gautam Superintending Engineer is the Convener of CSR Activities and monitors the execution of projects and utilization of expenses.

The opening balance under CSR fund as on 01.04.2024 was Rs 11,88,757.39 which included Rs. 8,00,000 for a three-year project. The current year provision for F.Y. 2024-25 was Rs. 1,53,92,892. The interest received from CSR A/C during F.Y. 2024-25 was Rs. 5,757.00. So, the balance available for CSR expenditure during 2024-25 was Rs. 1,65,87,406.39.

The expenditure made under CSR for during F.Y. 2024-25 was Rs.1,38,11,532. The closing balance as on 31.03.2025 was Rs. 27,75,874.39 which has been transferred to the separate bank account as per provisions of law. Further, the balance amount of ₹11. 29,369.00 has now been duly released.

For financial year 2025-26 a provision of Rs. 1,95,97,713.45 has been made in compliance with the provisions of Section 135 (5) of the Companies Act, 2013. Adding up the unspent amount of ongoing and multiyear projects the total spending obligation on CSR activities in financial year 2025-26 shall be 2,12,44,218.00 including 8,00,000.00 (ongoing/multi-year unspent). All activities of CSR are monitored by the convener CSR designated for this purpose under the overall superintendence and control of CSR Committee and periodical reporting to them is a regular phenomenon.

The CSR committee had following meetings during the year under report:
15th meeting was held on 23.09.2024
16th meeting was held on 30.11.2024
17th meeting was held on 20.03.2025

The CSR policy has been posted on the website of the company and is available at https://ptcul.org/document/csr-policy-oct-2024.pdf

28. Details of subsidiary, associate, joint venture

The Company does not have any subsidiaries, joint ventures, or associate companies.

श्री विकल्प गौतम, अधीक्षण अभियंता (Superintending Engineer), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों के संयोजक (Convener) हैं तथा परियोजनाओं के निष्पादन एवं व्यय के उपयोग की निगरानी करते हैं।

01.04.2024 को CSR फंड के अंतर्गत उद्घाटन शेष राशि ₹11,88,757.39 थी, जिसमें ₹8,00,000 की तीन वर्षीय परियोजना के लिए निर्धारित राशि भी सम्मिलित थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रावधान ₹1,53,92,892 किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान CSR खाते से प्राप्त ब्याज ₹5,757.00 था। अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान CSR व्यय हेतु उपलब्ध कुल राशि ₹1,65,87,406.39 रही।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान CSR अंतर्गत व्यय ₹1,38,11,532 किया गया। 31.03.2025 तक समापन शेष राशि ₹27,75,874.39 रही, जिसे विधिक प्रावधानों के अनुरूप पृथक बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ₹11,29,369.00 की शेष राशि अब विधिवत रूप से जारी कर दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,95,97,713.45 का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। चल रही एवं बहुवर्षीय परियोजनाओं की अव्ययित राशि को सम्मिलित करने पर CSR गतिविधियों पर कुल व्यय दायित्व ₹2,12,44,218.00 होगा, जिसमें ₹8,00,000.00 (चल रही/बहुवर्षीय अव्ययित राशि) शामिल है।

सभी CSR गतिविधियों की निगरानी, इस उद्देश्य हेतु नामित CSR संयोजक द्वारा की जाती है, जो CSR समिति की समग्र अधीक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं। इन गतिविधियों की समय-समय पर समिति को रिपोर्टिंग एक नियमित प्रक्रिया है।

CSR समिति की बैठकें (वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान):
15वीं बैठक — 23.09.2024 को आयोजित
16वीं बैठक — 30.11.2024 को आयोजित
17वीं बैठक — 20.03.2025 को आयोजित

कंपनी की CSR नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है:
https://ptcul.org/document/csr-policy-oct-2024.pdf

28. सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उपक्रमों का विवरण

कंपनी की कोई सहायक (Subsidiary), सहयोगी (Associate) या संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) इकाई नहीं है।

29. Credit Rating.

Your Company is rated as A++ Power Utility by REC Limited which allows for a discount of 0.50% on loans resulting in benefit of borrowing at a lesser rate of interest that results in lower tariff for the consumers of the State.

30. Status of important projects.

There was no change in the business of the company for the year under report. Your company was able to complete the following projects during financial year 2024-25.

1. 220/33 kV (2X25) MVA GIS Sub-station at Baram energized on dated 31.03.2025.
2. 220 kV D/C Baram-Jauljivi Transmission line (2nd circuit) energized on dated 31.03.2025.
3. 132 kV Line from 132 kV Substation. Laksar to factory premises of Cavendish (A unit of JK Tyres) at Khedi Mubarakpur (Laksar) was energized on 24.04.2024.
4. Stringing of 2nd Circuit of 132 kV Single Circuit on Double Circuit Tower between 400 kV Substation, Kashipur and 132 kV Substation, Bazpur was energized on 06.08.2024.
5. 220 kV Double Circuit Vyasi-Jhajra Line near Binhar, Madarsu, Jakhan was energized on 22.02.2025.
6. Re-routing of 132 kV Srinagar-Satpull Line near Khandah Village was energized on 23.02.2025.
7. Shifting of 220 kV Double Circuit Kashipur-Pantnagar Line near Ginger Hotel, Raudrapur for SIDCUL in District Udham Singh Nagar was energized on 25.02.2025.

Your Company has taken up construction of newly substations, their associated transmission lines and substation augmentation worth Rs. 666.76 crores under ADB funding and worth Rs. 608.86 crores under non ADB funding.

Government of Uttarakhand has provided Rs. 129.05 Crore as Equity through PDF fund between 2004-05 to 2009-10. On this amount return on equity was disallowed by Hon'ble UERC. The matter was appealed and finally in the tariff order dated 11.04.2025, Hon'ble UERC had approved a consolidated amount of Rs. 235.68 Crore as Return on Equity till date. As per orders of Hon'ble UERC the impact of return on equity shall be Rs. 78.56 Cr. each year in F.Y. 2025-26, F.Y. 2026-27 and F.Y. 2027-28.

29. क्रेडिट रेटिंग (Credit Rating)

आपकी कंपनी को आर.ई.सी. लिमिटेड (REC Limited) द्वारा A++ पावर यूटिलिटी के रूप में रेट किया गया है। इस रेटिंग के परिणामस्वरूप कंपनी को ऋणों पर 0.50% की छूट (discount) प्राप्त होती है, जिससे कम ब्याज दर पर उधार लेना संभव होता है। इसका सीधा लाभ राज्य के उपभोक्ताओं को कम टैरिफ (tariff) के रूप में प्राप्त होता है।

30. महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति (Status of Important Projects)

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है:

1. 220/33 केवी (2x25) MVA GIS उपकेंद्र, ब्रहम— दिनांक 31.03.2025 को ऊर्जीकृत (energized)।
2. 220 केवी डी/सी ब्रहम–जौलजीवी ट्रांसमिशन लाइन (द्वितीय सर्किट) — दिनांक 31.03.2025 को ऊर्जीकृत।
3. 132 केवी लाइन, 132 केवी उपकेंद्र लक्सर से कैवेंडिश (जे.के. टायर्स की इकाई) के कारखाना परिसर, खेडी मुबारकपुर (लक्सर) तक — 24.04.2024 को ऊर्जीकृत।
4. 132 केवी सिंगल सर्किट ऑन डबल सर्किट टावर का द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग, 400 केवी उपकेंद्र काशीपुर और 132 केवी उपकेंद्र बाजपुर के बीच — 06.08.2024 को ऊर्जीकृत।
5. 220 केवी डबल सर्किट व्यासी–झाझरा लाइन, बिन्हार, मदारसु, जाखन के निकट — 22.02.2025 को ऊर्जीकृत।
6. 132 केवी श्रीनगर–सतपुली लाइन का पुन: मार्ग निर्धारण (Re-routing), खंधाह गाँव के निकट— 23.02.2025 को ऊर्जीकृत।
7. 220 केवी डबल सर्किट काशीपुर–पंतनगर लाइन का स्थानांतरण (Shifting), होटल जिंजर, रुद्रपुर के निकट, SIDCUL, जनपद ऊधम सिंह नगर के लिए — 25.02.2025 को ऊर्जीकृत।

आपकी कंपनी ने एशियाई विकास बैंक (ADB) से वित्त पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत ₹666.76 करोड़ तथा गैर-एडीबी वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत ₹608.86 करोड़ मूल्य के नए उपकेंद्रों, उनसे संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों और उपकेंद्र संवर्द्धन कार्यों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है।

उत्तराखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2009-10 के बीच पीडीएफ फंड (PDF Fund) के माध्यम से ₹129.05 करोड़ इक्विटी के रूप में प्रदान किए गए थे। इस राशि पर इक्विटी पर प्रतिफल (Return on Equity) माननीय यूईआरसी (UERC) द्वारा प्रारंभ में अस्वीकृत कर दिया गया था। इस निर्णय के विरुद्ध अपील की गई, और अंततः दिनांक 11.04.2025 के टैरिफ आदेश में माननीय यूईआरसी ने अब तक की अवधि के लिए ₹235.68 करोड़ की समेकित राशि को इक्विटी पर प्रतिफल के रूप में स्वीकृत किया है। माननीय यूईआरसी के आदेशों के अनुसार, इक्विटी पर प्रतिफल का प्रभाव ₹78.56 करोड़ प्रतिवर्ष रहेगा, जो क्रमशः वित्तीय वर्ष 2025-26, 2026-27, तथा 2027-28 में लागू होगा।

31. Operational Performance.

Your Company had been able to achieve new milestones during the period under report as under:

1. Transmission system losses is one of the most important indicators of any Transmission system and your Company's transmission losses are 1.02% for F.Y. 2024-2025 in comparison to 1.04% for FY 2023-24. These parameters makes PTCUL one of the best in transmission utilities.
2. Transmission System Availability (TSA) is an indicator of the availability of transmission system and is also a key indicator for any Central/State Transmission Utility. Your Company poised for positive growth has consistently been able to increase the system availability of 99.72% in the FY 2024-25 in comparison to 99.70% for FY 2023-24.
3. Your company has improved System Average Interruption Frequency (SAIF) to 0.10 per element per month for FY 2024-25 which was 0.12 for FY 2023-24.
4. Your company has achieved System Average Unplanned Interruption Duration (SAUID) 0.09 hours per element per month for FY 2024-25 which was 0.13 for FY 2023-24.
5. Your company has controlled per line tripping to 2.63 (132 kV & above) per year for FY 2024-25 which was 2.84 for FY 2023-24.
6. Almost all the factors given above entail direct influence on the overall financial health of the company by:
   (i) Reduction in transmission losses, increases the efficiency of the transmission system.
   (ii) Increase in transmission system availability, increases the reliability of the transmission system for uninterruptible & quality power supply to all kinds of consumers of Uttarakhand.
7. During the year under report there has been an increase in the capacity of transformers as under:
   (i) Additional 40 MVA capacity installed at 132kV Substation Bhagwanpur and energized w.e.f. 30.04.2024.
   (ii) Additional 20 MVA capacity installed at 132 kV substation IDPL Substation, Rishikesh and energized w.e.f. 15.06.2024.

31. परिचालन प्रदर्शन (Operational Performance)

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आपकी कंपनी ने निम्नलिखित नए मील के पत्थर (milestones) प्राप्त किए हैं:

1. ट्रांसमिशन सिस्टम लॉस (Transmission System Losses): ट्रांसमिशन प्रणाली में होने वाली हानियाँ किसी भी ट्रांसमिशन कंपनी के प्रदर्शन का एक प्रमुख संकेतक होती हैं। आपकी कंपनी के वित्तीय वर्ष 2024-25 में ट्रांसमिशन लॉस 1.02% रहे, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के 1.04% की तुलना में कम हैं। इन उत्कृष्ट मानकों के कारण पिटकुल (PTCUL) देश की सर्वश्रेष्ठ ट्रांसमिशन यूटिलिटीज में से एक है।

2. ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता (Transmission System Availability - TSA): ट्रांसमिशन सिस्टम की उपलब्धता किसी भी केन्द्रीय या राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी के प्रदर्शन का महत्वपूर्ण मापदंड है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 99.72% की सिस्टम उपलब्धता प्राप्त की है, जो 2023-24 के 99.70% की तुलना में अधिक है। यह निरंतर सकारात्मक विकास का संकेत है।

3. सिस्टम औसत बाधा आवृत्ति (System Average Interruption Frequency - SAIF): आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में SAIF को घटाकर 0.10 प्रति एलिमेंट प्रति माह किया है, जबकि यह 2023-24 में 0.12 था।

4. सिस्टम औसत अनियोजित बाधा अवधि (System Average Unplanned Interruption Duration - SAUID): आपकी कंपनी ने SAUID को घटाकर 0.09 घंटे प्रति एलिमेंट प्रति माह किया है, जबकि यह 2023-24 में 0.13 था।

5. प्रति लाइन ट्रिपिंग (Per Line Tripping): आपकी कंपनी ने 132 केवी एवं उससे ऊपर की लाइनों के लिए प्रति वर्ष औसत ट्रिपिंग को घटाकर 2.63 किया है, जो 2023-24 में 2.84 थी।

6. उपरोक्त सभी कारकों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रत्यक्ष प्रभाव:

   (i) ट्रांसमिशन लॉस में कमी से ट्रांसमिशन प्रणाली की दक्षता (efficiency) में वृद्धि होती है।

   (ii) ट्रांसमिशन सिस्टम की उपलब्धता में वृद्धि से विश्वसनीयता (reliability) बढ़ती है, जिससे उत्तराखंड राज्य के उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

7. रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान ट्रांसफॉर्मर क्षमता में वृद्धि:

   (i) 132 केवी उपकेंद्र भगवानपुर में अतिरिक्त 40 MVA क्षमता स्थापित की गई, जो 30.04.2024 से ऊर्जीकृत है।

   (ii) 132 केवी उपकेंद्र आई.डी.पी.एल. (IDPL), ऋषिकेश में अतिरिक्त 20 MVA क्षमता स्थापित की गई, जो 15.06.2024 से ऊर्जीकृत है।

(ii) Additional 40 MVA capacity installed at 132 kV substation 132kV Substation Bhupatwala and energized w.e.f. 23.11.2024.

(iv) Additional 20 MVA capacity installed at 132 kV substation 132kV Substation Roorkee and energized w.e.f 25.01.2025.

(v) Additional 40 MVA capacity installed at 220/132/33 kV Substation. Rishikesh and energized w.e.f. 13.03.2025

32. Particulars of employees

None of the employees of the Company were in receipt of the remuneration in excess of the limits laid down in Section 134 of the Companies Act. 2013 read with Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975, consequentially a NIL disclosure is made.

33. Employee health and Welfare

Your Company is diligently discharging all the Human Resources activities pertaining to Welfare of the employee. As the old saying goes "healthy body leads to healthy mind" Your Company is regular in organizing free health camps for the employees and blood donation camps.

During the year under report, 4 health camps and 1 blood donation camp were organized. Regular training programs were organized covering 2183 mandays of training.

34. Personnel relations

The Company continued to have cordial relations with its employees during the period under review There were no incidents of strikes & non co-operation from any of the union. The unions have participated in the decision making process with an open & positive frame of mind. Regular meetings were held at various offices for problem solving.

35. Acknowledgement

Your Directors wish to place on record, their appreciation and gratitude for the valuable assistance and support received by your Company from Government of Uttarakhand, Hon'ble Uttarakhand Electricity Regulatory Commission, Banks, Financial Institutions, Central & State Government Bodies and their Departments, Independent Directors and Key Managerial Personnel.

(iii) 132 केवी उपकेंद्र भूपतवाला में अतिरिक्त 40 MVA क्षमता स्थापित की गई, जो 23.11.2024 से ऊर्जीकृत है।

(iv) 132 केवी उपकेंद्र रुड़की में अतिरिक्त 20 MVA क्षमता स्थापित की गई, जो 25.01.2025 से ऊर्जीकृत है।

(v) 220/132/33 केवी उपकेंद्र ऋषिकेश में अतिरिक्त 40 MVA क्षमता स्थापित की गई, जो 13.03.2025 से ऊर्जीकृत है।

32. कर्मचारियों से संबंधित विवरण (Particulars of Employees)

कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 तथा कंपनियाँ (कर्मचारियों के विवरण) नियम, 1975 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस संबंध में "शून्य (NIL)" प्रकटीकरण किया जा रहा है।

33. कर्मचारी स्वास्थ्य और कल्याण (Employee Health and Welfare)

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के कल्याण एवं मानव संसाधन (Human Resources) से संबंधित सभी गतिविधियों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन कर रही है। जैसा कि कहा जाता है — "स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है" — इसी सिद्धांत के अंतर्गत कंपनी नियमित रूप से कर्मचारियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा रक्तदान शिविर आयोजित करती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान: कुल 4 स्वास्थ्य शिविर और 1 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 2183 मैनडे (mandays) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

34. कर्मचारी संबंध (Personnel Relations)

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण एवं सहयोगात्मक बने रहे। किसी भी प्रकार की हड़ताल या असहयोग की घटना नहीं हुई। सभी यूनियनों ने खुले एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई। विभिन्न कार्यालयों में नियमित बैठकें आयोजित की गईं ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जा सके।

35. आभार (Acknowledgement)

आपके निदेशकगण कंपनी को प्राप्त मूल्यवान सहयोग एवं समर्थन के लिए हार्दिक आभार एवं प्रशंसा व्यक्त करते हैं, जो निम्नलिखित संस्थाओं एवं व्यक्तियों से प्राप्त हुआ: उत्तराखंड सरकार, माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC), बैंक एवं वित्तीय संस्थान, केंद्रीय एवं राज्य सरकारी निकाय एवं उनके विभाग, स्वतंत्र निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी (Key Managerial Personnel) आपके निदेशकगण सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता एवं सम्मान प्रकट करते हैं, जिनके सतत सहयोग एवं विश्वास से कंपनी को निरंतर सफलता प्राप्त हो रही है।

The Board also place on record their sincere thanks and deep appreciation of the dedicated efforts put in by the officers and employees of the organization through their dedication, hard work, commitment, co-operation and diligence, which have enabled the Company to achieve its goals.

Your Directors gratefully acknowledge the continued support received by the Company from its stakeholders for all commercial and non-commercial matters. We are deeply grateful for the confidence and faith, the various stakeholders and Government of Uttarakhand have reposed in US.

For & On behalf of Board of Directors.

(G.S. Budiyal)
Director (Operations)

(P.C. Dhyani)
Managing Director

आभार प्रदर्शन (Expression of Gratitude): निदेशक मंडल कंपनी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति अपनी हार्दिक धन्यवाद एवं गहरी प्रशंसा व्यक्त करता है, जिन्होंने अपने समर्पण, कठोर परिश्रम, प्रतिबद्धता, सहयोग और निष्ठा के माध्यम से कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आपके निदेशकगण कंपनी को उसके सभी व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक मामलों में प्राप्त हितधारकों (stakeholders) के निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

हम उन सभी हितधारकों एवं उत्तराखंड सरकार के प्रति गहरा आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने कंपनी पर अपना विश्वास और भरोसा बनाए रखा है।

निदेशक मंडल की ओर से

(जी. एस. बुदियाल)	**(पी. सी. ध्यानी)**
निदेशक (परिचालन)	**प्रबंध निदेशक**

Reply of the Qualification of the Statutory Auditors in its Report for FY 2024-25:

<table>
<tr><th>S.No.</th><th>Auditors Qualification</th><th>Management Reply</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>During the year under audit based on the information and explanations provided to us we observed that amount for land has been reconciled with the documents held on record However in the understated cases, documents like Sale deed. Conveyance deed or mutation (khasra/khatauni) have not been provided:
<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Description of Item of Property</th><th>Area in Hectare</th><th>Gross Carrying Value</th><th>Title Deeds held in the name of</th><th>Whether tittle deed holder is a promoter, director or relative of Promoter/director or employee of promoter/ director</th><th>Property held since which date/year</th><th>Remarks</th></tr>
<tr><td>01</td><td>132 Manglore</td><td>Not Known</td><td>89,15,760/-</td><td>Not ascertainable</td><td>No</td><td>06/2004</td><td rowspan="3">The property was transferred by order of Government of Uttarakhand (Director Uttarakhand Krishi Utapadan Mandi Panshad Haldwani)</td></tr>
<tr><td>02</td><td>132 Bhagwanpur</td><td>Not Known</td><td>55,54,240/-</td><td>No</td><td>No</td><td>06/2004</td></tr>
<tr><td>03</td><td>132 KV Baazpur</td><td>Not Known</td><td>10,74,276/-</td><td>No</td><td>No</td><td>06/2004</td></tr>
<tr><td>04</td><td>220 KV O&M Division, Rishikesh</td><td>Not Known</td><td>50,50,439/-</td><td>No</td><td>No</td><td>2004</td><td rowspan="4">Property was transfer under transfer scheme</td></tr>
<tr><td>05</td><td>400 KV O&M Division, Rishikesh</td><td>Not Known</td><td>77,52,501/-</td><td>No</td><td>No</td><td>2004</td></tr>
<tr><td>06</td><td>O&M Division, Yamuna Colony, Dehradun</td><td>Not Known</td><td>29,53,072/-</td><td>No</td><td>No</td><td>2004</td></tr>
<tr><td>07</td><td>220 KV O&M Division, Roorkee</td><td>Not Known</td><td>33,19,850/-</td><td>No</td><td>No</td><td>2004</td></tr>
</table></td><td>This is to inform that in the previous year FY 23-24 the observation of the Statutory Auditors was as under:

"During the audit of Property plant and equipment and based on information and explanation given to us it was observed there that IS discrepancy between the cost of the land as documented in several title deeds of owned lands a including leasehold lands and the amount recorded in the balance sheet We were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to explain or reconcile this difference and therefore could not determine any adjustments were needed”

In Compliance to the same, the reconciliation of the Land values as per the books of accounts and as per the title deeds / Lease deeds was done during FY 24-25.

It is to further inform that the title deeds of the lands mentioned by the Auditors are quite old and mostly pertains to be period before the Creation /formation of PTCUL. However, efforts are being made to obtain the title deeds.</td></tr>
</table>

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों (Qualification) पर प्रबंधन का उत्तर:

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>लेखा परीक्षकों की योग्यता</th><th>प्रबंधन का उत्तर</th></tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>वर्ष 2024-25 के ऑडिट के दौरान, उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर यह देखा गया कि भूमि से संबंधित राशि का रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों से मिलान कर लिया गया है। तथापि निम्नांकित मामलों में विक्रय विलेख (Sale Deed), अभिसंपादन विलेख (Conveyance Deed) अथवा नामांतरण (खसरा/खतौनी) जैसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए:
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>संपत्ति का विवरण</th><th>क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)</th><th>सकल वहन मूल्य (Gross Carrying Value)</th><th>शीर्षक विलेख (Title Deed) किसके नाम है</th><th>क्या शीर्षक विलेख धारक प्रोमोटर/निदेशक/उनके रिश्तेदार या प्रोमोटर/निदेशक के कर्मचारी हैं?</th><th>संपत्ति किस वर्ष/तिथि से धारण की गई है</th><th>टिप्पणियाँ</th></tr>
<tr><td>01</td><td>132 मंगलौर</td><td>ज्ञात नहीं</td><td>89,15,760/-</td><td>अवधारित मूल्य</td><td>नहीं</td><td>06/2004</td><td rowspan="3">उक्त संपत्ति उत्तराखंड सरकार के आदेश (निदेशक, उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी परिषद, हल्द्वानी) द्वारा हस्तांतरित की गई थी।</td></tr>
<tr><td>02</td><td>132 भगवानपुर</td><td>ज्ञात नहीं</td><td>55,54,240/-</td><td>नहीं</td><td>नहीं</td><td>06/2004</td></tr>
<tr><td>03</td><td>132 केवी बाजपुर</td><td>ज्ञात नहीं</td><td>10,74,276/-</td><td>नहीं</td><td>नहीं</td><td>06/2004</td></tr>
<tr><td>04</td><td>220 केवी ओ एंड एम डिवीजन, ऋषिकेश</td><td>ज्ञात नहीं</td><td>50,50,439/-</td><td>नहीं</td><td>नहीं</td><td>2004</td><td rowspan="4">संपत्ति एक स्थानांतरण योजना के अंतर्गत हस्तांतरित हुई थी।</td></tr>
<tr><td>05</td><td>400 केवी ओ एंड एम डिवीजन, ऋषिकेश</td><td>ज्ञात नहीं</td><td>77,52,501/-</td><td>नहीं</td><td>नहीं</td><td>2004</td></tr>
<tr><td>06</td><td>ओ एंड एम डिवीजन, यमुना कॉलोनी, देहरादून</td><td>ज्ञात नहीं</td><td>29,53,072/-</td><td>नहीं</td><td>नहीं</td><td>2004</td></tr>
<tr><td>07</td><td>220 केवी ओ एंड एम डिवीजन, रुड़की</td><td>ज्ञात नहीं</td><td>33,19,850/-</td><td>नहीं</td><td>नहीं</td><td>2004</td></tr>
</table>
</td>
<td>यह सूचित किया जाता है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में वैधानिक लेखा परीक्षकों का अवलोकन निम्न प्रकार था:

"संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant & Equipment) के ऑडिट के दौरान तथा उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर यह देखा गया कि कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि (लीजहोल्ड भूमि सहित) के विभिन्न शीर्षक विलेखों में दर्ज लागत और बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि में अंतर है। हम इस अंतर को समझाने या मिलान करने हेतु पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके, अतः यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि क्या किसी समायोजन की आवश्यकता है।"

उक्त अवलोकन के अनुपालन हेतु, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान खातों की पुस्तकों में दर्शाई गई भूमि के मूल्य और उपलब्ध शीर्षक विलेखों/लीज विलेखों के आधार पर भूमि मूल्यों का मिलान (Reconciliation) किया गया है।

अतिरिक्त रूप से यह भी सूचित किया जाता है कि लेखा परीक्षकों द्वारा संदर्भित अधिकांश भूमि के शीर्षक विलेख अत्यंत पुराने हैं और प्रायः PTCUL के गठन/निर्माण से पूर्व की अवधि से संबंधित हैं। तथापि, संबंधित शीर्षक विलेख प्राप्त करने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं।</td>
</tr>
</table>

Reply of the Qualification of the Statutory Auditors in its Report for FY 2024-25:

S.No.	Auditors Qualification	Management Reply
2	The balances of amounts receivable from and payable to suppliers. contractors, employees, and other parties (including suspense advances) as on June 1, 2004, remain un-reconciled Due to the absence of reconciliation and supporting documentation, we are unable to determine the financial impact, if any, of these differences on the financial statements. Further, in the absence of party wise details of retention money, advances received, the data of current and non-current classification thereto could not be verified.	In respect of the transactions relating to recoverable, payables and other assets and liabilities taken over by PTCUL from UPCL on 01.06.2004 as opening balances in terms of transfer scheme, the reconciliation is under process. The transactions with other third parties emanating from the opening balances relating to their bills / claims and payments which could be identified from the available records have been accounted for Since the said transactions relates to old records of erstwhile UPSEB and UPPCL the process of completion of reconciliation is taking time and efforts are under way to complete the said reconciliation as early as possible and to account for the same wherever considered necessary.
3	The Company has not conducted a physical verification of its property, plant and equipment during the current year and, as represented to us the last such verification was conducted in the financial year 2023-24 The fixed asset register for Financial Year 2024-25 was not prepared till date of audit and in the absence of availability of relevant record with respect to PPE and a reconciled FAR, we are unable to determine whether any adjustments may be required to the carrying value of these assets and related depreciation expense.	As per the CARO (Companies Auditors Report Order 2020) the Property Plant & Equipment are to be verified at reasonable intervals It also states that in case where the Company has numerous and hard to verify assets the reasonable interval of three years is typically sufficient Hence the interval of physical verification of the Property Plant and Equipment is in accordance with the provision of CARO. This is to inform that as per the prevailing practice, the Fixed Asset Register (FAR) is prepared after finalization of Balance Sheet of PTCUL so that the values of FAR are duly reconciled with the books of Accounts. During the FY 2024-25, the Fixed Asset Register of all the divisions of PTCUL are updated till 31 03 2024 However in compliance to the observation of the Audit, the updation of FAR for FY 2024-25 and FY 2025-26 is under progress and expected to be completed till finalization of Balance Sheet for FY 2025-26.
4	In the absence of sufficient documentation and supporting analysis relating to impairment testing of Property. Plant and Equipment in accordance with the requirements of Ind AS 36 we are unable to comment on potential overstatement of fixed assets and profit for the period. We recommend that management enhance its monitoring procedures and consider appointing an independent expert for proper assessment and reporting under Ind AS.	This is to inform that the assignment for compliance of Ind-AS 36 for impairment of Assets has been awarded to a Chartered Accountant firm as suggested by the Audit The impairment of Asset is to be done after considering the old assets which are transferred by UPCL to PTCUL as per transfer scheme as on 01.06 2024. Since the impairment of Assets is to be done retrospectively on the Asset Value from FY 2004-05 to 2024-25 The process may take time. However, on the basis of final report of our Consultant firm, the necessary adjustment entry for Impairment loss (if any) shall be made in the books of accounts accordingly.

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों (Qualification) पर प्रबंधन का उत्तर:

क्रम सं.	लेखा परीक्षकों की योग्यता	प्रबंधन का उत्तर
2	1 जून 2004 से देय/प्राप्य राशि—जैसे सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कर्मचारियों एवं अन्य पक्षों (सस्पेंस एडवांस सहित)—का मिलान अब तक नहीं हो पाया है। मिलान एवं सहायक दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण, हम इन अंतरों का वित्तीय विवरणों पर संभावित प्रभाव निर्धारित करने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, रिटेंशन मनी एवं एडवांस प्राप्ति के पार्टी-वार विवरण उपलब्ध न होने के कारण, इनके चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण का सत्यापन भी नहीं किया जा सका।	01.06.2004 को स्थानांतरण योजना के अनुसार UPCL से PTCUL को सौंपे गए प्राप्य, देय एवं अन्य परिसंपत्तियों/देयताओं से संबंधित लेन-देन का मिलान जारी है। उपलब्ध अभिलेखों से पहचाने जा सकने वाले तृतीय पक्षों से संबंधित बिल/दावों एवं भुगतानों से संबंधित प्रविष्टियाँ की जा रही हैं। क्योंकि ये लेन-देन पूर्ववर्ती UPSEB एवं UPPCL के अत्यंत पुराने अभिलेखों से संबंधित हैं, इसलिए मिलान प्रक्रिया में समय लग रहा है। तथापि, इस प्रक्रिया को शीघ्रतम संभव समय में पूर्ण करने के लिए प्रयास जारी हैं और जहाँ आवश्यक होगा वहाँ आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएंगी।
3	कंपनी ने इस वर्ष अपने PPE का भौतिक सत्यापन नहीं कराया। जैसा हमें बताया गया है, अंतिम भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुआ था। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फिक्सड एसेट रजिस्टर (FAR) अब तक तैयार नहीं किया गया है। PPE से संबंधित अभिलेख एवं पूर्ण FAR उपलब्ध न होने के कारण हम यह निर्धारित नहीं कर सके कि इन परिसंपत्तियों एवं संबंधित मूल्यह्रास पर किसी समायोजन की आवश्यकता है या नहीं।	CARO 2020 के अनुसार, PPE का सत्यापन "उचित अंतराल" पर किया जाना चाहिए। जहाँ परिसंपत्तियाँ बड़ी संख्या में एवं सत्यापन में कठिन हों, वहाँ तीन वर्ष का अंतराल सामान्यतः पर्याप्त माना जाता है। इस प्रकार PPE का भौतिक सत्यापन CARO के प्रावधानों के अनुरूप है। यह भी सूचित किया जाता है कि प्रचलित प्रथा के अनुसार, PTCUL का फिक्सड एसेट रजिस्टर (FAR) बैलेंस शीट के अंतिम रूप से तैयार होने के बाद इस प्रकार तैयार किया जाता है कि FAR के आंकड़े खातों की पुस्तकों से मेल खाएँ। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान PTCUL की सभी इकाइयों का FAR 31.03.2024 तक अद्यतन किया जा चुका है। ऑडिट की आपत्ति के अनुपालन में FY 2024-25 एवं FY 2025-26 के FAR का अद्यतन कार्य प्रगति पर है, जिसे FY 2025-26 की बैलेंस शीट के अंतिमीकरण तक पूरा कर लिया जाएगा।
4	Ind AS 36 के अनुसार PPE के ह्रास परीक्षण हेतु पर्याप्त दस्तावेज एवं विश्लेषण उपलब्ध न होने के कारण, संभावित रूप से परिसंपत्ति मूल्यों एवं लाभ में किसी अधिक-प्रदर्शन (overstatement) पर टिप्पणी करना संभव नहीं है। लेखा परीक्षकों ने सुझाव दिया कि प्रबंधन को निगरानी प्रक्रियाएँ सुदृढ़ करनी चाहिए एवं स्वतंत्र विशेषज्ञ की नियुक्ति पर विचार करना चाहिए।	ऑडिट के सुझाव के अनुसार, Ind AS 36 के अनुपालन एवं परिसंपत्तियों के ह्रास परीक्षण हेतु एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को नियुक्त किया गया है। ह्रास परीक्षण हेतु UPCL से 01.06.2004 को हस्तांतरित पुरानी परिसंपत्तियों को भी शामिल किया जाएगा। चूंकि ह्रास परीक्षण FY 2004-05 से FY 2024-25 तक की परिसंपत्ति मूल्यों पर पिछले वर्षों से (retrospectively) किया जाना है, इसलिए प्रक्रिया में समय लग सकता है। कंसल्टेंट फर्म की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर, यदि किसी ह्रास हानि (Impairment Loss) की आवश्यकता पाई जाती है, तो उसके अनुसार आवश्यक समायोजन प्रविष्टियाँ खातों की पुस्तकों में कर दी जाएँगी।

Reply of the Qualification of the Statutory Auditors in its Report for FY 2024-25:

S.No.	Auditors Qualification	Management Reply
5	The Company uses separate systems for financial accounting and inventory management The inventory management system in non-operative and is not integrated with financial accounting system of the company As explained company maintain a system of manual inventory valuation basis of physical inventory count done as on 31st March of the financial year. During the year, it was observed that the closing inventory balance as per the inventory records are not reconciling with the inventory balance reflected in the financial accounting records Due to the lack of documentation, we were unable to determine whether any adjustments are required in respect of the closing inventory reported in the financial statements.	This is to inform that the updation of our / online Financial Accounting Software (FAS) and the online Material Management System (MMS) is being done and necessary steps are being taken to maintain the material / Inventory related records in an online system and integration of the same with the FAS. Presently the Company is following manual Inventory valuation method The difference between the values of Inventory as per books of accounts and as per manual records of physical verification are being reconciled Necessary adjustment entry shall be passed in the books of accounts after reconciliation of the same.

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों (Qualification) पर प्रबंधन का उत्तर:

क्रम सं.	लेखा परीक्षकों की योग्यता	प्रबंधन का उत्तर
5	कंपनी वित्तीय लेखांकन एवं इन्वेंटरी प्रबंधन के लिए अलग-अलग प्रणालियों का उपयोग करती है। इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली वर्तमान में संचालित (non-operative) नहीं है तथा कंपनी की वित्तीय लेखांकन प्रणाली से एकीकृत नहीं है। बताया गया कि कंपनी प्रत्येक वित्त वर्ष के 31 मार्च को भौतिक सत्यापन के आधार पर मैनुअल इन्वेंटरी मूल्यांकन प्रणाली अपनाती है। वर्ष के दौरान यह देखा गया कि इन्वेंटरी अभिलेखों के अनुसार समापन इन्वेंटरी शेष, वित्तीय लेखांकन रिकॉर्ड में दर्शाए गए इन्वेंटरी शेष से मेल नहीं खा रहा है। दस्तावेजों की कमी के कारण यह निर्धारित करना संभव नहीं हो सका कि वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई समापन इन्वेंटरी में किसी समायोजन की आवश्यकता है या नहीं।	यह सूचित किया जाता है कि हमारे ऑनलाइन Financial Accounting Software (FAS) तथा ऑनलाइन Material Management System (MMS) का अद्यतन कार्य जारी है, और सामग्री/इन्वेंटरी से संबंधित अभिलेखों को ऑनलाइन प्रणाली में रखने तथा इन प्रणालियों के FAS के साथ एकीकरण हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में कंपनी मैनुअल इन्वेंटरी मूल्यांकन पद्धति का पालन कर रही है। पुस्तकों में दर्शाई गई इन्वेंटरी के मूल्य तथा भौतिक सत्यापन के आधार पर तैयार मैनुअल अभिलेखों के बीच पाए गए अंतर का मिलान किया जा रहा है।

Emphasis of Matter

S.No.	Auditors Qualification	Management Reply
1	Further, attention is brought to Note [35] of the financial statements on contingent liability as per the management letter no 216/CS/PTCUL dated 27/06/2025, there was a fraud for the previous 7-8 years, as the then Company Secretary have been indulged in preparing the duplicate records of the Company which are in contravention of the Provisions of Section 85 86 88 135 143, 163 (Companies Act 1956 now Section 94. Companies Act 2013) & 447 of the Companies Act, 2013 The amount of Penalty and Interest, if charged by the Registrar of Companies/ Regional Director, is not determinable as on date, hence not shown as contingent liability.	The Board of Directors decided that on this entire matter, the Company should send related papers to Government of Uttarakhand. Department of Energy, for further investigation and action.

विषय पर बल

क्रम सं.	लेखा परीक्षकों की योग्यता	प्रबंधन का उत्तर
1	वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या [35] तथा प्रबंधन पत्र संख्या 216/CS/PTCUL दिनांक 27/06/2025 के अनुसार, पिछले 7–8 वर्षों में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें तत्कालीन कंपनी सचिव कंपनी के डुप्लीकेट अभिलेख तैयार करते पाए गए। यह कार्य कंपनियों अधिनियम, 1956 की धारा 85, 86, 88, 135, 143, 163 (जो अब कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 94 है) तथा धारा 447 के उल्लंघन में आता है। ROC/क्षेत्रीय निदेशक द्वारा लगाए जाने वाले संभावित दंड एवं ब्याज की राशि वर्तमान में निर्धारित नहीं हो सकती, अतः इसे आकस्मिक दायित्व (contingent liability) के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है।	मिलान पूर्ण होने के बाद आवश्यक समायोजन प्रविष्टियाँ खातों की पुस्तकों में कर दी जाएँगी। निदेशक मंडल ने निर्णय लिया है कि इस संपूर्ण मामले से संबंधित अभिलेख उत्तराखंड सरकार, ऊर्जा विभाग को आगे की जाँच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे जाएँ।

PRANAV KUMAR & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES
Mobile: +91-9716050088, +91-9810793994,
E-mail: services@pkacs.in www.pkacs.in

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2025
[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited
CIN: U40101UR2004SGC028675
Vidyut Bhawan, Near I.S.B.T crossing
Saharanpur Road, Majra, Dehradun-248001
Uttarakhand

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited, a State Government Company incorporated under the Companies Act, 1956 (hereinafter called "the Company") for the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2025. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, the explanations and clarifications given to us and the representation made by the Management, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period under consideration complied with the statutory provisions listed hereunder except as specified in this report and also that the Company has proper Board processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by company for the financial year ended on 31 March, 2025 according to the provisions of:

The Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder;

The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder. **(Not Applicable during the Audit Period)**

The Depositories Act. 1996 and the Regulations and byelaws framed thereunder **(Not Applicable during the Audit Period)** as the rule 9(B) of the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules 2014, for dematerialization of Securities are explicitly excluded from the scope of Rule 9(B) for Government Companies.

प्रणव कुमार एंड एसोसिएट्स

कम्पनी सेक्रेटरीज़

COMPANY SECRETARIES

मोबाइल: +91-9716050088, +91-9810793994

ई-मेल: services@pkacs.in www.pkacs.in

फॉर्म संख्या MR-3

सचिवालयीन ऑडिट रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनियों (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार)

प्रति,
सदस्यगण,
पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड
CIN: U40101UR2004SGC028675
विद्युत भवन, आई.एस.बी.टी. क्रॉसिंग के निकट
सहारनपुर रोड, मजरा, देहरादून – 248001
उत्तराखंड

हमने पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक राज्य सरकार कंपनी है (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है), की लागू विधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कॉरपोरेट व्यवहार के पालन का सचिवीय ऑडिट वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए किया है। सचिवालयीन ऑडिट इस प्रकार संचालित किया गया जिससे हमें कॉरपोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं इस संबंध में अपना मत व्यक्त करने हेतु उचित आधार प्राप्त हो सके।

कंपनी की पुस्तकों, अभिलेखों, मिनट पुस्तकों, फार्म एवं रिटर्न, तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन करने के साथ-साथ कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं, स्पष्टीकरणों एवं प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार— कंपनी ने, विचाराधीन ऑडिट अवधि के दौरान, यहाँ नीचे सूचीबद्ध विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय उन बिंदुओं के जिनका उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही, कंपनी के पास अपने स्तर पर उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ एवं अनुपालन तंत्र उपलब्ध हैं, जितनी सीमा तक और जिस प्रकार से आगे इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

हमने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा संधारित पुस्तकों, अभिलेखों, मिनट पुस्तकों, फार्म, रिटर्न एवं अन्य अभिलेखों की जाँच निम्नलिखित विधिक प्रावधानों के अनुसार की:

कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अधीन बनाए गए नियम;

सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेग्युलेशन) अधिनियम, 1956 (SCRA) एवं उसके अधीन बनाए गए नियम — **(ऑडिट अवधि के दौरान लागू नहीं)**

डिपॉज़िटरीज़ अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और उपनियमों **(ऑडिट अवधि के दौरान लागू नहीं)** इस कारण लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूति आवंटन) नियम, 2014 के नियम 9(B) में प्रतिभूतियों के डिमेटेरियलाइज़ेशन हेतु सरकारी कंपनियों को स्पष्ट रुप से नियम 9(B) के दायरे से बाहर रखा गया है।

मुख्य कार्यालय: 3F CS 70, तृतीय तल, अंसल प्लाज़ा, सेक्टर–1, वैशाली, गाज़ियाबाद – 201010 (उ.प्र.) फ़ोन: +91-120-4126564
शाखा कार्यालय: कुन्ती सदन, महात्मा बुद्ध पथ, रोड नं. 14, केश्री, चित्रगुप्त मंदिर के पास, पटना (बिहार) – 800024
फ़ोन: 8877939883, 8051548350

Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not Applicable during the Audit Period as there were no Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and no External Commercial Borrowing were made by the Company)**

The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEB) Act') **(Not Applicable during the Audit Period)**

Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,

Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011,

Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

Securities and exchange Board of India (Registrar to an issue and share transfer Agents) Regulations, 1993

Securities and exchange Board of India (depositories and participants) regulations, 2018

and circulars/ guidelines issued thereunder,

We report that, having regard to the Compliance system prevailing in the Company and on examination of relevant documents and records in pursuance thereof, on test-check basis, the Company has complied with the following laws applicable specifically to the Company:

(a) The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952

(b) Maternity Benefit Act, 1961

(c) Payment of Gratuity Act, 1972

Equal Remuneration Act, 1976

Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

We further report that, based on the information provided and the representation made by the Company and also on the review of the internal compliance reports taken on record by the Management of the Company, in our opinion, adequate systems and processes exist in the Company to monitor and ensure compliance with provisions of applicable industry specific Acts, general laws like labour laws and environmental laws etc. The management has also represented and confirmed that all the laws, rules, regulations, orders, standards and guidelines that are specifically applicable to the Company have been complied with.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards with respect to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India and auditing standard for secretarial audit.

During the period under review the Company has complied with the most provisions of the Act. Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above and other applicable Acts subject to the observations as mentioned below:

REGISTERS: The Company is in compliance with maintenance of proper Statutory Registers for the period under review as per following provisions of the Companies Act, 2013-

Register of Members u/s 88

Register of Chorges u/s 85

Register of Directors and KMP u/s 170

Other Registers as specified under the Companies Act, 2013

Whereas this is to Note here that We have not fond proper records of Registers for earlier years from the date of audit period since Incorporation. Whereas a fresh register complying with law has been provided to us, which is proper from the date it recorded till date.

विदेश विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ODI) एवं बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ECB) से संबंधित हैं— **(ऑडिट अवधि के दौरान लागू नहीं, क्योंकि कंपनी द्वारा कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या बाहरी वाणिज्यिक उधारी नहीं की गई।)**

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम, 1992 (SEBI Act) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश **(ऑडिट अवधि के दौरान लागू नहीं)**

SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015
SEBI (सब्स्टैंशियल एक्विज़िशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) विनियम, 2011
SEBI (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015
SEBI (रजिस्ट्रार टू इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स) विनियम, 1993
SEBI (डिपॉजिटरीज़ एंड पार्टिसिपेंट्स) विनियम, 2018

और इनके अंतर्गत जारी परिपत्र/दिशानिर्देश

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली तथा संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की परीक्षण-आधारित जाँच के आधार पर, कंपनी ने निम्नलिखित कंपनी पर विशेष रूप से लागू विधियों का अनुपालन किया है:

(a) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952
(b) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
(c) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचनाओं, प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिवेदनों तथा आंतरिक अनुपालन रिपोर्टों के परीक्षण के आधार पर हमारे मतानुसार: कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं, जो उद्योग-विशिष्ट अधिनियमों, सामान्य श्रम कानूनों, पर्यावरण कानूनों आदि के अनुपालन की निगरानी एवं सुनिश्चित करने में सक्षम हैं। प्रबंधन ने यह भी प्रतिनिधित्व किया है कि कंपनी पर विशेष रूप से लागू सभी विधियों, नियमों, विनियमों, आदेशों, मानकों एवं दिशानिर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है।

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (SS–1) तथा साधारण बैठकों (SS–2) से संबंधित सचिवीय मानकों, तथा सचिवीय ऑडिट के लिए लागू ऑडिटिंग मानक के अनुपालन की भी जाँच की है।

ऑडिट अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों एवं अन्य लागू विधियों के अधिकांश प्रावधानों का अनुपालन किया है, निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन:

रजिस्टर (Registers): कंपनी ने ऑडिट अवधि के दौरान कंपनियों अधिनियम, 2013 के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार विधिवत वैधानिक रजिस्टरों का संधारण किया है—

रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स — धारा 88 के अन्तर्गत

रजिस्टर ऑफ चार्जेस — धारा 85 के अन्तर्गत

रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एवं KMP — धारा 170 के अन्तर्गत

कंपनियों अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्दिष्ट अन्य रजिस्टर

हालाँकि यह उल्लेखनीय है कि कंपनी के पूर्व वर्षो के रजिस्टरों के उचित अभिलेख उपलब्ध नहीं मिले, अर्थात कंपनी के गठन से लेकर वर्तमान ऑडिट अवधि से पूर्व के वर्षो का रिकॉर्ड पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं था।

तथापि, एक नया रजिस्टर जो विधि के अनुरूप है, हमें उपलब्ध कराया गया है और वह इसके अभिलेखित किए जाने की तिथि से अब तक उचित रूप से संधारित है।

Corporate Social Responsibility: - The Company is in compliance with the provisions of Section 135 (6) of the Companies Act, 2013, as per the said section Whereas the Company has provided extension for some of the project's completion under CSR, the unspent amount is transferred to a separate Bank Account as per provisions of the law.

During the audit period, based on the information provided and the representation made by the Company, there were no major events which had bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines etc.

We further report that, the compliance by the Company of applicable financial laws like direct and indirect tax laws and maintenance of financial records and books of accounts has not been reviewed in this Audit since the same have been subject to review by statutory auditor and other designated professionals.

We further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-executive Directors, Independent Directors and Woman Director. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent within prescribed time, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions at the Board Meetings and Committee Meetings were carried out with requisite majority as recorded in the minutes of the Meetings of the Board of Directors or Committee(s) of the Board as the case may be.

We further report that based on the review of the compliance mechanism established by the company and on the basis of Compliance certificate(s) issued by various departments and taken on record by the Board of Directors at their meetings, we are of the opinion that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

For Pranav Kumar & Associates,
Company Secretaries
Firm Peer Review No. 1035/2030

Pranav Kumar
Partner
FCS-5013 COP-3429
UDIN: F005013G000947559

Date: 06/08/2025
Place: Ghaziabad

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure- A and forms an Integral part of this report.

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): कंपनी, कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के प्रावधानों का अनुपालन कर रही है। उक्त धारा के अनुसार, जहाँ कंपनी ने कुछ CSR परियोजनाओं की पूर्णता हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया है, वहीं अप्रयुक्त राशि को विधि के प्रावधानों के अनुरूप एक पृथक बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

ऑडिट अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर, उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के संदर्भ में कंपनी के कार्यों पर प्रभाव डालने वाली कोई प्रमुख घटना घटित नहीं हुई।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू वित्तीय विधियों—जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानून—तथा वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा–पुस्तकों के रख-रखाव का इस ऑडिट में परीक्षण नहीं किया गया है, क्योंकि इनका परीक्षण वैधानिक लेखापरीक्षक एवं अन्य नामित पेशेवरों द्वारा किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि—

कंपनी का निदेशक मंडल विधिवत गठित है, और इसमें कार्यकारी निदेशक, अनौपचारिक (नॉन-एग्जीक्यूटिव) निदेशक, स्वतंत्र निदेशक तथा महिला निदेशक का उपयुक्त संतुलन है।ऑडिट अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही संपादित किए गए।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के लिए उचित सूचना प्रदान की गई। एजेंडा एवं एजेंडा से संबंधित विस्तृत टिप्पणियाँ निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजी गईं। बैठक से पूर्व एजेंडा विषयों पर अतिरिक्त सूचना एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध करने की प्रणाली भी सुनिश्चित है, जिससे बैठकों में सार्थक भागीदारी हो सके।

बोर्ड एवं समितियों की बैठकों में सभी निर्णय आवश्यक बहुमत से लिए गए, जैसा कि बोर्ड/समिति की कार्यवाही पुस्तिकाओं (मिनट्स) में दर्ज है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन प्रणाली तथा विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनुपालन प्रमाणपत्रों—जिन्हें निदेशक मंडल की बैठकों में अभिलेखित किया गया—के आधार पर, हमारे मतानुसार कंपनी में इसके आकार एवं परिचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने हेतु सक्षम हैं।

प्रणव कुमार एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
फर्म पीयर रिव्यू नं.: 1035/2030

प्रणव कुमार
साझेदार
FCS–5013, COP–3429
UDIN: F005013G000947559

तिथि: 06/08/2025
स्थान: गाज़ियाबाद

नोट: यह रिपोर्ट हमारी इसी तिथि के पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए, जो अनुलग्नक–A के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

Annexure A

To,
The Members,
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited
CIN: U40101UR2004SGC028675
Vidyut Bhawan, Near 1.S.B.T crossing
Saharanpur Road, Majra, Dehradun-248001
Uttarakhand

Our report of even date is to be read along with this letter:

Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

We have conducted the Audit as per the applicable Auditing Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

There was no fraud committed during the audit period. However, based on the information and declaration from the Company Secretary, it appears that a departmental enquiry was concluded vide report dated 29.10.2024, conducted by Shri D.P. Gairola, which concludes that there was continuous non-compliance with statutory provisions of the Companies Act, 2013 over a period of about eight years The enquiry has established violations under Sections 85, 86, 88, 135, 143, 163, and 447 of the Act, indicating commission of fraud as defined under Section 447. Though the instances pertain to earlier financial years, the enquiry report and its conclusions were finalized and made available during the current audit period. Accordingly, this is being reported as a matter having material potential negative Impact on governance and statutory compliance We recommend Audit Committee/Board of Directors to take a careful and considered decision relating to making defaults good and taking measures to minimize or manage the impact of non-compliance and defaults. Since The volume and value of frauds is not yet known, Audit committee / Board of directors may evaluate in consultation with Statutory auditors about reporting or otherwise of frauds under Rule 13(2)(a) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.

We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company.

Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Pranav Kumar & Associates,
Company Secretaries
Firm Peer Review No. 1035/2030

Pranav Kumar
Partner
FCS-5013 COP-3429
UDIN: F005013G000947559

Date: 06/08/2025
Place: Ghaziabad

अनुलग्नक – A

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड
CIN: U40101UR2004SGC028675
विद्युत भवन, आई.एस.बी.टी. क्रॉसिंग के पास
सहारनपुर रोड, मज़रा, देहरादून – 248001
उत्तराखंड

हमारी इसी दिनांक की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए:

सचिवालयीन अभिलेखों का रख-रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा दायित्व इन अभिलेखों का हमारे ऑडिट के आधार पर परीक्षण कर मत व्यक्त करना है।

हमने भारत के कंपनी सचिव के संस्थान द्वारा जारी लागू ऑडिटिंग मानकों के अनुसार ऑडिट किया है।

ऑडिट अवधि के दौरान कोई धोखाधड़ी (Fraud) नहीं हुई।

तथापि, कंपनी सचिव द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं घोषणा के आधार पर यह प्रतीत होता है कि श्री डी.पी. गैरोला द्वारा की गई विभागीय जांच—जिसकी रिपोर्ट दिनांक 29.10.2024 को जारी हुई—में यह निष्कर्ष निकला है कि लगभग आठ वर्षों की अवधि में कंपनियाँ अधिनियम, 2013 के वैधानिक प्रावधानों का लगातार अनुपालन नहीं किया गया। जाँच में धारा 85, 86, 88, 135, 143, 163 तथा 447 के उल्लंघन स्थापित हुए हैं, जो धारा 447 के तहत परिभाषित धोखाधड़ी की ओर संकेत करते हैं। यद्यपि ये घटनाएँ पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित हैं, परंतु जाँच रिपोर्ट एवं उसके निष्कर्ष वर्तमान ऑडिट अवधि में अंतिम रुप से उपलब्ध हुए हैं। अतः इसे शासन व्यवस्था एवं वैधानिक अनुपालन पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सामग्रीगत विषय-वस्तु के रूप में रिपोर्ट किया जा रहा है। हम ऑडिट समिति/निदेशक मंडल को अनुशंसा करते हैं कि—उल्लंघनों को सुधारने, तथा अनुपालन/डिफॉल्ट के प्रभाव को न्यूनतम या प्रबंधनीय बनाने हेतु सावधानीपूर्वक एवं विचारशील निर्णय लें। चूँकि धोखाधड़ी की मात्रा एवं मूल्य अभी ज्ञात नहीं हैं, अतः ऑडिट समिति/निदेशक मंडल वैधानिक लेखापरीक्षकों से परामर्श लेकर यह मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या इसे Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 के नियम 13(2)(a) के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाए या नहीं।

हमने ऐसी ऑडिट प्रक्रियाएँ अपनाई हैं जो सचिवालयीन अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता पर उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त थीं। परीक्षण आधार (Test Basis) पर सत्यापन किया गया जिससे सुनिश्चित हो सके कि सचिवालयीन अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं। हमें विश्वास है कि अपनाई गई प्रक्रियाएँ एवं विधियाँ हमारे मत के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और खातों की पुस्तकों की शुद्धता या उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया।

जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने प्रबंधन से लागू विधियों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के संबंध में प्रबंधन अभ्यावेदन प्राप्त किए।

लागू कॉरपोरेट एवं अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों एवं मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण केवल प्रक्रियाओं के परीक्षण-आधारित सत्यापन तक सीमित था।

यह सचिवालयीन ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों को चालित करने की दक्षता अथवा प्रभावशीलता का।

प्रणव कुमार एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
फर्म पीयर रिव्यू नं.: 1035/2030

दिनांक : 06/08/2025
स्थान : गाजियाबाद

प्रणव कुमार
साझेदार
FCS–5013 COP–3429
UDIN: F005013G000947559

Replies of the management on the comments of the Secretarial auditor in his report under section 204 read with Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

Secretarial Auditor's observation Number 1 dated: 06.08.2025

whereas this is to note here that we have not found proper records of Registers for earlier years from the date of audit period since incorporation Whereas a fresh register complying with law has been provided to us. which is proper from the date it recorded till date...

Secretarial Auditor's observation Number - 2 dated: 06.08.2025

There was no fraud committed during the audit period However, based on the information and declaration from the Company Secretary it appears that a departmental enquiry was concluded vide report dated 29.10.2024 conducted by Shri DP. Gairola which concludes that there was continuous non-compliance with statutory provisions of the Companies Act 2013 over a period of about eight years. The enquiry has established violations under section 85 86, 88, 135. 143. 163 (Companies Act 1956 now Section 94 Companies Act 2013) and 447 of the Act. indicating commission of fraud as defined under section 447 Though the instances pertain to earlier financial years the enquiry report and its conclusions were finalized and made available during the current audit period. Accordingly this is being reported as a matter having maternal potential negative impact on governance and statutory compliance.

Management's reply on observations

The Management has taken note of the observations made by the Secretarial Auditor regarding the instances of fraud and non-compliances committed by the then Company Secretary and charge sheets pertaining to violation under various provisions of Companies Act like Section 77 85, 86, 135 163 and 447 pertaining to willful default negligence, misrepresentation falsification as fraud had been proved in the departmental enquiry These occurrences pertained to previous 7-8 years but was proved in the current financial year in departmental enquiry.

The board of Directors decided that on this entire matter the Company should send related papers to Government of Uttarakhand Department of Energy for further investigation and action.

कंपनी (मैनेजर के पद पर काम करने वाले लोगों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ सेक्शन 204 के तहत अपनी रिपोर्ट में सेक्रेटेरियल ऑडिटर के कमेंट्स पर मैनेजमेंट के जवाब।

सचिवालयीन लेखा परीक्षक का अवलोकन संख्या–1 (दिनांक: 06.08.2025)

यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी के निगमित होने की तिथि से लेकर ऑडिट अवधि के प्रारंभ तक के वर्षों के लिए उपयुक्त वैधानिक रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाए गए। हालांकि, विधि के अनुरूप एक नवीन रजिस्टर उपलब्ध कराया गया है, जो उसके तैयार किए जाने की तिथि से वर्तमान तक उचित रूप से संधारित है।

सचिवालयीन लेखा परीक्षक का अवलोकन संख्या–2 (दिनांक: 06.08.2025)

ऑडिट अवधि के दौरान कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई। तथापि, कंपनी सचिव द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं घोषणा के आधार पर यह प्रतीत होता है कि श्री डी.पी. गैरोला द्वारा की गई विभागीय जांच (रिपोर्ट दिनांक: 29.10.2024) में लगभग आठ वर्षों की अवधि में कंपनियाँ अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का लगातार अनुपालन न किए जाने की पुष्टि हुई। जांच में धारा 85, 86, 88, 135, 143, 163 (पूर्व में कंपनियाँ अधिनियम 1956 की धारा 94) एवं धारा 447 के अंतर्गत उल्लंघनों की पुष्टि हुई है, जो धारा 447 में परिभाषित धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। यद्यपि ये घटनाएँ पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित हैं, परंतु जांच रिपोर्ट और उसके निष्कर्ष वर्तमान ऑडिट वर्ष में उपलब्ध कराए गए हैं। अतः इसे शासन व्यवस्था एवं वैधानिक अनुपालन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव वाले विषय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

प्रबंधन की टिप्पणियों पर उत्तर

प्रबंधन ने सचिवालयीन लेखा परीक्षक द्वारा पूर्व कंपनी सचिव द्वारा किए गए धोखाधड़ी एवं गैर-अनुपालन से संबंधित अवलोकनों पर संज्ञान लिया है। विभागीय जांच में यह सिद्ध हो चुका है कि पूर्व कंपनी सचिव द्वारा विभिन्न प्रावधानों — जैसे कि धारा 77, 85, 86, 135, 163 एवं 447 — का उल्लंघन किया गया था, जो कि जानबूझकर की गई चूक, लापरवाही, मिथ्या प्रस्तुतीकरण एवं अभिलेखों के फर्जीकरण (fraud) से संबंधित है। ये घटनाएँ पिछले 7–8 वर्षों से संबंधित थीं, किंतु विभागीय जांच के माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रमाणित हुईं।

निदेशक मंडल ने निर्णय लिया है कि इस संपूर्ण प्रकरण से संबंधित अभिलेख उत्तराखंड सरकार, ऊर्जा विभाग को आगे की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किए जाएँ।

COST AUDIT REPORT

OF

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.,

DEHRADUN

FOR THE YEAR 2024-25

R.M. BANSAL & CO.
COST ACCOUNTANTS
A-201, TWIN TOWERS
LAKHANPUR
KANPUR-208034

लागत लेखा आख्या (COST AUDIT REPORT)

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड,

देहरादून

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए

आर. एम. बंसल एंड कम्पनी
कॉस्ट अकाउंटेंट्स
A-201, ट्विन टावर्स
लखनपुर
कानपुर – 208034

Power Transmission Corporation of Uttarakand Ltd.,
COST AUDIT REPORT
INDEX

S.N.		Page No.
1	**Cost Audit Report (Form CRA-3)**	1-3
2	**Annexure to the Cost Audit Report**	
	Part-A	
1.	General Information	4
2.	General Details of Cost Auditor	4
3.	Cost Accounting Policy	5-6
4.	Product/Service Details	7
	Part-C For Service Sector	
1.	Quantitative Information	8
2.	Abridged Cost Statement	9
3.	Details of Materials Utilities and Industry Specific Operating Expenses	10
	Part-D	
1.	Product and Service Profitability	11
2.	Profit Reconciliation	12
3.	Value Addition and Distribution of Earnings	13
4.	Financial Position and Ratio Analysis	14
5.	Related Party Transactions	15
6.	Reconciliation of Indirect Taxes	16

Note: Part -B relates to Manufacturing Sector & Part C for Service Sectors. Hence Part B is not applicable to PTCUL.

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड
लागत लेखा रिपोर्ट (COST AUDIT REPORT)
अनुक्रमणिका (INDEX)

क्रम सं.		पृष्ठ संख्या
1	**लागत लेखा रिपोर्ट (फॉर्म CRA-3)**	1–3
2	**लागत लेखा रिपोर्ट के अनुलग्नक**	
	भाग–A	
1.	सामान्य जानकारी	4
2.	लागत लेखा परीक्षक का सामान्य विवरण	4
3.	लागत लेखांकन नीति	5–6
4.	उत्पाद/सेवा का विवरण	7
	भाग–C (सेवा क्षेत्र हेतु)	
1.	मात्रात्मक विवरण	8
2.	संक्षिप्त लागत विवरण	9
3.	सामग्री, उपयोगिताएँ एवं उद्योग-विशिष्ट संचालन व्यय का विवरण	10
	भाग–D	
1.	उत्पाद एवं सेवा लाभप्रदता	11
2.	लाभ का पुनर्मिलान	12
3.	मूल्य संवर्धन एवं आय वितरण	13
4.	वित्तीय स्थिति एवं अनुपात विश्लेषण	14
5.	संबंधित पक्ष लेन-देन	15
6.	अप्रत्यक्ष करों का पुनर्मिलान	16

टिप्पणी: भाग-B विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) से संबंधित है तथा भाग-C सेवा क्षेत्र (Service Sector) हेतु है। अतः भाग-B पिटकुल (PTCUL) पर लागू नहीं होता।

Name of the Company : **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,**
Financial Year : **2024-25**

ANNEXURE TO THE COST AUDIT REPORT
PART-A

A-1 GENERAL INFORMATION:

1	Corporate identity number or foreign company registration number:	**U40101UR2004SGC028675**
2	Name of the company:	**Power Transmission Corporation of Uttarakand Limited**
3	Address of Registered office or of principal place of business in India of company	Power Transmission Corporation of Uttarakand Limited - Urja Bhawan, Near ISBT crossing, Saharanpur Road, Majra, Dehradun
4	Address of Corporate office of Company	Power Transmission Corporation of Uttarakand Limited - Urja Bhawan, Near ISBT crossing, Saharanpur Road, Majra, Dehradun
5	E-mail address of the company	cs@ptcul.org
6	Date of beginning of reporting financial year	01-04-2024
7	Date of end of reporting financial year	31-03-2025
8	Date of beginning of previous financial year	01-04-2023
9	Date of end of previous financial year	31-03-2024
10	Level of rounding used in cost statements (in INR)	Lakhs
11	Whether Indian Accounting Standards are applicable to the company	Yes
12	Number of cost auditor(s) for reporting period	1
13	Date of Board of Directors meeting in which Annexure to the cost audit report was approved	No
14	Whether cost auditors report has been qualified or has any reservations or contains adverse remarks	No
15	Consolidated qualifications, reservations or adverse remarks of all cost auditors	
16	Consolidated observations or suggestions of all cost auditors	The observations of the cost auditor are provided in the cost audit report
17	Whether company has related party transactions for sale or purchase of goods or services	No

A-2 General Details of Cost Auditor

1	Whether cost auditor is lead auditor	Yes
2	Category of cost auditor	Firm
3	Firm's registration number	000022
4	Name of cost auditor /cost auditors firm	R.M Bansal & Co.,
5	Permanent account number of cost auditor/cost auditor's firm	AAJFR6316H
6	Address of cost auditor or cost auditor's firm	A-201, Twin Towers, Lakhanpur, Kanpur - 208024
7	Email id of cost auditor or cost auditor's firm	rishibansal.2008@rediffmail.com
8	Membership number of member signing report	12239
9	Name of member signing report	Shyam Kishore Bajpai
10	Name(s) of Product(s) or Service(s) with CETA	Electricity
11	SRN number of Form 23C/CAR-2	F52855723
12(A)	Number of audit committee meeting (s) during the year MIL for which Cost Auditor was invited.	NIL
12	Number of audit committee meeting attended by cost auditor during year	-
13	Date of signing cost audit report and annexure by cost auditor	
14	Place of signing cost audit report and annexure by cost auditor	Kanpur

कंपनी का नाम : **: पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड**
वित्तीय वर्ष : **: 2024-25**

लागत लेखा रिपोर्ट का अनुलग्नक
भाग–A

A-1 : सामान्य जानकारी

1	कॉरपोरेट पहचान संख्या (CIN) या विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या :	**U40101UR2004SGC028675**
2	कंपनी का नाम :	**पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड**
3	कंपनी के भारत में पंजीकृत कार्यालय या मुख्य व्यवसाय स्थल का पता :	पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ऊर्जा भवन, नियर ISBT क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून
4	कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय का पता :	पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ऊर्जा भवन, नियर ISBT क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून
5	कंपनी का ई-मेल पता :	cs@ptcul.org
6	वित्तीय वर्ष की आरंभ तिथि :	01-04-2024
7	वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि :	31-03-2025
8	पूर्व वित्तीय वर्ष की आरंभ तिथि :	01-04-2023
9	पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि :	31-03-2024
10	लागत विवरणों में प्रयुक्त राउंडिंग का स्तर (रुपयों में) :	लाख
11	क्या कंपनी पर भारतीय लेखा मानक (Ind AS) लागू होते हैं?	हाँ
12	रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागत लेखा परीक्षकों की संख्या :	
13	लागत लेखा रिपोर्ट के अनुलग्नक को स्वीकृति देने वाली निदेशक मंडल की बैठक की तिथि :	1
14	क्या लागत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई आपत्तियाँ, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियाँ हैं?	नहीं
15	सभी लागत लेखा परीक्षकों की समेकित आपत्तियाँ/आरक्षण/प्रतिकूल टिप्पणियाँ :	नहीं
16	सभी लागत लेखा परीक्षकों के समेकित अवलोकन या सुझाव :	लागत लेखा परीक्षक के पर्यवेक्षण लागत लेखा रिपोर्ट में प्रदान किए गए हैं
17	क्या कंपनी के पास वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री/खरीद से संबंधित पक्षीय लेन-देन हैं?	नहीं

A-2 : लागत लेखा परीक्षक का सामान्य विवरण

1	क्या लागत लेखा परीक्षक मुख्य (लीड) परीक्षक है?	हाँ
2	लागत लेखा परीक्षक की श्रेणी :	फर्म
3	फर्म का पंजीकरण नंबर :	000022
4	लागत लेखा परीक्षक / लागत लेखा परीक्षक की फर्म का नाम :	आर. एम. बंसल एंड कंपनी
5	लागत लेखा परीक्षक / फर्म का स्थायी खाता संख्या (PAN) :	AAJFR6316H
6	लागत लेखा परीक्षक / फर्म का पता :	A-201, ट्विन टावर्स, लखनपुर, कानपुर – 208024
7	लागत लेखा परीक्षक / फर्म का ई-मेल पता :	rishibansal.2008@rediffmail.com
8	रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य का सदस्यता क्रमांक :	12239
9	रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य का नाम :	श्याम किशोर बाजपेयी
10	CETA के साथ उत्पाद/सेवा के नाम :	बिजली
11	फॉर्म 23C / CAR-2 का SRN नंबर :	F52855723
12(A)	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की कुल बैठकें, जिनमें लागत लेखा परीक्षक को आमंत्रित किया गया :	NIL
12	वर्ष के दौरान लागत लेखा परीक्षक द्वारा उपस्थित बैठकों की संख्या :	-
13	लागत लेखा रिपोर्ट एवं अनुलग्नक पर हस्ताक्षर की तिथि :	
14	लागत लेखा रिपोर्ट एवं अनुलग्नक पर हस्ताक्षर का स्थान :	कानपुर

Name of the Company : **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,**
Financial Year : **2024-25**

A-3 COST ACCOUNTING POLICY

Briefly describe the Cost Accounting Policy adopted by the Company and its adequacy or otherwise to determine correctly the Cost of Production/Operation, Cost of Sales. Sales realization and Margin of the service(s) under reference Separately for each Service(s) The policy should cover, inter alia, the following areas

a) Identification of cost centers/cost objects and cost drivers.

The Corporation is not having any activity of manufacturing/producing of Electricity The Corporation is engaged in the business of transmission of power Hence the key cost center of the company's activity is "Transmission of Power”

b) Accounting for material cost including packing materials, stores and spares etc., employee cost, utilities and other relevant cost components.

1. Material Cost:

There are no material cost in company's activity

2. Wages & Salaries:

Proper records are maintained to show the attendance and earnings of all the employees. The details of wages & salaries are maintained in the financial records and the same are adopted for the cost records.

3. Utilities:

There are no cost of utilities in company's activity

c) Accounting, allocation and absorption of overheads.

The "Administration & General expenses" in the financial records have been classified as works & administrative overheads in the cost records.

d) Accounting for Depreciation/Amortization.

Depreciation on PPE is charged on pro-rata basis from the date on which asset is available for use i.e. when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management The applicable rate and methodology are considered as per the regulations issued by Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC) vide tariff regulation 2021 on straight line method.

No depreciation is chargeable on PPE of the damaged projects.

Leasehold land including any expenditure on development of land is fully amortized over lease period or life of the related plants whichever is lower in accordance with the rates and methodology specified in (UERC) tariff Regulation.

Depreciation charge for impaired assets, if any is adjusted in future periods in such a manner that the revised carrying amount of the asset is allocated over its remaining useful life.

Freehold land is not depreciated.

e) Accounting for by-products/joint-products, scarps, wastage etc.

There are no by-products/joint product, scraps wastage etc

कंपनी का नाम : **: पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड**
वित्तीय वर्ष : **: 2024-25**

A-3 लागत लेखा नीति

कंपनी द्वारा अपनाई गई लागत लेखा नीति तथा यह नीति उत्पादन/ऑपरेशन लागत, बिक्री लागत, बिक्री प्राप्ति एवं संबंधित सेवा/सेवाओं के मार्जिन को सही रुप से निर्धारित करने में कितनी उपयुक्त है, इसका संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है। यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों को समाहित करती है:

a) लागत केंद्रों/लागत वस्तुओं तथा लागत ड्राइवर्स की पहचान

कंपनी किसी भी प्रकार की विद्युत उत्पादन/निर्माण गतिविधि नहीं करती है। कंपनी विद्युत पारेषण (Transmission of Power) के व्यवसाय में संलग्न है। अतः कंपनी की गतिविधि का मुख्य लागत केंद्र “विद्युत पारेषण(Transmission of Power)” है।

b) सामग्री लागत, पैकिंग सामग्री, स्टोर एवं स्पेयर आदि, कर्मचारी लागत, उपयोगिताएँ एवं अन्य संबंधित लागत अवयवों का लेखांकन

1. सामग्री लागत :

कंपनी की गतिविधियों में किसी प्रकार की सामग्री लागत नहीं आती।

2. वेतन एवं मजदूरी :

कर्मचारियों की उपस्थिति एवं उनकी आय से संबंधित उचित अभिलेख रखे जाते हैं। वेतन एवं मजदूरी का विवरण वित्तीय अभिलेखों में संधारित होता है तथा वही आँकड़े लागत अभिलेखों के लिए अपनाए जाते हैं।

3. उपयोगिताएँ (Utilities) :

कंपनी की गतिविधियों में किसी भी प्रकार की उपयोगिता लागत नहीं है।

c) ओवरहेड्स का लेखांकन, आवंटन एवं अवशोषण

वित्तीय अभिलेखों में “प्रशासन एवं सामान्य व्यय" को लागत अभिलेखों में कार्य एवं प्रशासनिक ओवरहेड्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

d) मूल्यह्रास/अमॉर्टाइज़ेशन का लेखांकन

संपत्ति (PPE) पर मूल्यह्रास उस तिथि से प्रो-राटा आधार पर लगाया जाता है, जिस दिन संपत्ति उपयोग हेतु उपलब्ध हो जाती है — अर्थात जब वह प्रबंधन के अभिप्रेत उपयोग की स्थिति एवं स्थान पर हो। मूल्यह्रास दरें एवं पद्धति उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा टैरिफ विनियम 2021 के अंतर्गत निर्धारित सीधी रेखा विधि (Straight Line Method) के अनुसार अपनाई जाती हैं।

क्षतिग्रस्त परियोजनाओं (Damaged Projects) की PPE पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता।

लीजहोल्ड भूमि तथा भूमि विकास व्यय को लीज़ अवधि या संबंधित संयंत्र की उपयोगी आयु — जो भी कम हो — के आधार पर UERC टैरिफ विनियम के अनुसार पूर्णतः अमॉर्टाइज किया जाता है।

क्षतिग्रस्त (Impaired) परिसंपत्तियों पर प्रभावित मूल्यह्रास, यदि कोई हो, भविष्य की अवधियों में इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि परिसंपत्ति का संशोधित वहन मूल्य उसकी शेष उपयोगी आयु में व्यवस्थित रूप से वितरित हो सके।

फ्रीहोल्ड भूमि पर मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता।

e) उप-उत्पाद/संयुक्त उत्पाद, स्क्रैप, अपशिष्ट आदि का लेखांकन

कंपनी की गतिविधियों में कोई उप-उत्पाद, संयुक्त उत्पाद, स्क्रैप या अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता।

f) Basis for Inventory Valuation.

1. inventories mainly comprise stores and spare parts, construction material and other consumables are valued at costs. The cost of inventories is computed on FIFO basis
2. The difference between stock as per books and as per physical verification in respect of stock on transfer of assets to company in terms of transfer scheme has not yet been adjusted as they are subject to finalization of transfer scheme/reconciliation.

g) Methodology for valuation of Inter-Unit/Inter Company and Related Party Transactions.

(I) Inter Unit Transaction

Valuation of inter-unit transfer of assets/materials is done on the basis of debit and credit memos between the concerned units.

(II) Related Party Transaction

The disclosure on related party transaction is not required in case of state controlled enterprises

h) Treatment of abnormal and non-recurring costs including classification of other non-cost Items.

Non cost items have been charged to reconciliation of Profit/ Loss.

(1) Other relevant Cost Accounting Policy adopted by the company.

None

(2) Briefly specify the changes, if any, made in the Cost Accounting Policy for the product/activity group(s) under audit during the current financial year as compared to the previous financial year.

There are no changes during the current financial year as compared to the previous financial year

(3) Observations of the Cost Auditor regarding adequacy or otherwise of the Budgetary Control System, if any, followed by the company.

There is a system of proper budgeting in the company. The company follows an adequate budgetary control mechanism.

f) भंडार (इंवेंट्री) के मूल्यांकन का आधार

1. इन्वेंट्री में मुख्यतः स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स, निर्माण सामग्री तथा अन्य उपभोग्य सामग्री शामिल होती है, जिनका मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है। इन्वेंट्री की लागत FIFO (First In First Out) पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है।
2. पुस्तकों के अनुसार स्टॉक तथा भौतिक सत्यापन के अनुसार स्टॉक में जो अंतर है—विशेषकर कंपनी को हस्तांतरण योजना (Transfer Scheme) के अनुसार संपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित—उसे अभी तक समायोजित नहीं किया गया है, क्योंकि यह हस्तांतरण योजना/मेल–मिलान (Reconciliation) के अंतिम रुप से निर्धारण के अधीन है।

g) इंटर-यूनिट / इंटर-कम्पनी तथा संबंधित पक्ष लेन-देन (Related Party Transactions) का मूल्यांकन करने की पद्धति

(I) इंटर-यूनिट लेन-देन

इकाइयों के बीच परिसंपत्तियों/सामग्री के अंतरण का मूल्यांकन संबंधित इकाइयों के मध्य जारी किए गए डेबिट एवं क्रेडिट मेमो के आधार पर किया जाता है।

(II) संबंधित पक्ष लेन-देन (Related Party Transactions)

राज्य नियंत्रित उपक्रमों (State Controlled Enterprises) के मामले में संबंधित पक्ष लेन-देन का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं होता।

h) असामान्य एवं गैर-आवर्ती लागतों तथा अन्य गैर-लागत मदों का उपचार

गैर-लागत मदों (Non-cost Items) को लाभ/हानि के मिलान विवरण (Reconciliation of Profit/Loss) में समायोजित किया गया है।

(1) कंपनी द्वारा अपनाई गई अन्य प्रासंगिक लागत लेखा नीतियाँ

कोई अन्य नीति नहीं।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष में, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लागत लेखा नीति में किए गए परिवर्तन

वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागत लेखा नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(3) बजटरी नियंत्रण प्रणाली (Budgetary Control System) की पर्याप्तता के संबंध में लागत लेखा परीक्षक का अवलोकन

कंपनी में उचित बजटिंग प्रणाली विद्यमान है। कंपनी पर्याप्त एवं उपयुक्त बजटरी नियंत्रण तंत्र का पालन करती है।

Name of the Company : **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,**
Financial Year : **2024-25**

A-4 PRODUCT/SERVICE DETAILS (for the company as a whole)

Fig: Rs in Lacs

S. No.	Name of Product(s)/ Service(s)	UOM	CTA Heading (Wherever applicable)	Whether covered under Cost Audit (Yes/No)	Net operational Revenue (net of taxes, duties etc.)	
					2024-25	2023-24
1	Transmission/Distribution of Electricity	MU	NA	Yes	45655.42	51546.44
	Total Net Operational revenue of Manufactured Product or Service				45655.42	51546.44
2	Other Operative incomes of the Company				887.53	512.45
	Total Operative Incomes of the Company				**46542.95**	**52058.89**
3	Other Incomes of Company				7187.73	5165.26
	Total revenue as per Financial Accounts				**53730.68**	**57224.15**
4	Exceptional and Extra Ordinary income				0.94	316.92
5	Other Comprehensive Income, if any					
	Total Revenue including Exceptional, Extra Ordinary and Other Comprehensive Income, if any				**53731.62**	**57541.07**
6	Turnover as per Excise / Service Tax/GST records				NA	NA

कंपनी का नाम : **: पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड**

वित्तीय वर्ष : **: 2024-25**

A-4 उत्पाद/सेवा विवरण (कंपनी के स्तर पर)

आंकड़े: रुपये लाख में

क्रम सं.	उत्पादों/सेवा(ओं) का नाम	इकाई (UOM)	CTA हेडिंग (जहाँ लागू हो)	क्या लागत अंकेक्षण के अंतर्गत है (हाँ/नहीं)	शुद्ध परिचालन राजस्व (कर, ड्यूटी आदि घटाने के बाद)	
					2024-25	2023-24
1	विद्युत के पारेषण/वितरण	MU	लागू नहीं	Yes	45655.42	51546.44
	निर्मित उत्पाद या सेवा का कुल शुद्ध परिचालन राजस्व				45655.42	51546.44
2	कंपनी की अन्य परिचालन आय				887.53	512.45
	कंपनी की कुल परिचालन आय				**46542.95**	**52058.89**
3	कंपनी की अन्य आय				7187.73	5165.26
	वित्तीय खातों के अनुसार कुल राजस्व				**53730.68**	**57224.15**
4	असाधारण एवं अतिरिक्त साधारण आय				0.94	316.92
5	अन्य समग्र आय, यदि कोई हो					
	असाधारण, अतिरिक्त साधारण और अन्य समग्र आय सहित कुल राजस्व (यदि कोई हो)				**53731.62**	**57541.07**
6	उत्पाद शुल्क/सेवा कर/GST अभिलेखों के अनुसार टर्नओवर				लागू नहीं	लागू नहीं

PART C

Name of the Company : **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,**
Financial Year : **2024-25**

C-1 QUANTITATIVE INFORMATION (for each Service Separately)

Name of Service		**Transmission/Distribution of Electricity**	
Service code		**NA**	
Unit of Measurement		**MU**	
S.No.	**Particulars**	**2024-25**	**2023-24**
1	**Available Capacity***	-	-
(a)	Installed Capacity	13433.000	9312.500
(b)	Capacity enhanced during the year, if any		
(c)	**Total available Capacity**	**13433.000**	**9312.500**
2	**Actual Production**		
(a)	Own Services	21552.960	20713.620
(b)	Service under contractual arrangements		
(c)	Outsourced services		
(d)	**Total Services**	**21552.960**	**20713.620**
3	**Total Services provided as per Service Tax /GST Records**	**-**	**-**
4	**Capacity Utilization (in-house)**	NA	NA
5	**Other Adjustments**		
(a)	Self or Captive Consumption		
(b)	Other Quantitative Adjustments, if any	-220.627	-214.125
(c)	**Total Other Adjustments**	**-220.627**	**-214.125**
6	**Total Available Services for Sale [2(d)+5(c)]**	**21332.333**	**20499.495**
7	**Actual Sales**		
(a)	Service rendered - Domestic	21332 333	20499.495
(b)	Service rendered - Export		
(c)	**Total Services rendered**	**21332.333**	**20499.495**

***MVA**

भाग C

कंपनी का नाम : **: पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड**

वित्तीय वर्ष : **: 2024-25**

C-1 मात्रात्मक जानकारी (प्रत्येक सेवा के लिए अलग-अलग)

सेवा का नाम:		**विद्युत का पारेषण/वितरण**	
सेवा कोड:		**लागू नहीं**	
मापन की इकाई:		**MU**	
क्रम सं.	**विवरण**	**2024-25**	**2023-24**
1	**उपलब्ध क्षमता***	-	-
(a)	स्थापित क्षमता	13433.000	9312.500
(b)	वर्ष के दौरान क्षमता में वृद्धि, यदि कोई हो		
(c)	**कुल उपलब्ध क्षमता**	**13433.000**	**9312.500**
2	**वास्तविक उत्पादन**		
(a)	स्वयं प्रदान की गई सेवाएँ	21552.960	20713.620
(b)	संविदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान सेवाएँ		
(c)	आउटसोर्स की गई सेवाएँ		
(d)	**कुल सेवाएँ**	**21552.960**	**20713.620**
3	**सेवा कर / GST अभिलेखों के अनुसार कुल प्रदान सेवाएँ**	**-**	**-**
4	**क्षमता उपयोग (इन-हाउस)**	NA	NA
5	**अन्य समायोजन**		
(a)	स्व-उपयोग या कैप्टिव उपभोग		
(b)	अन्य मात्रात्मक समायोजन, यदि कोई हो	-220.627	-214.125
(c)	**कुल अन्य समायोजन**	**-220.627**	**-214.125**
6	**बिक्री हेतु उपलब्ध कुल सेवाएँ [2(d) + 5(c)]**	**21332.333**	**20499.495**
7	**वास्तविक बिक्री**		
(a)	घरेलू रूप से प्रदान की गई सेवाएँ	21332 333	20499.495
(b)	निर्यात हेतु प्रदान की गई सेवाएँ		
(c)	**कुल प्रदान की गई सेवाएँ**	**21332.333**	**20499.495**

***MVA**

PART C

Name of the Company : **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,**
Financial Year : **2024-25**

C-2 ABRIDGED COST STATEMENT (for each Service separately)

Name of the Service		**Transmission/Distribution of Electricity**			
Service code (if applicable)		**NA**			
Unit of Measurement		**MU**			
S.No	**Particulars**	**2024-25**		**2023-24**	
1	Services Provided	21552.960		20713.620	
2	Captive Consumption	-		-	
3	Other Adjustments	-220.627		-214.125	
4	Service rendered	21332 333		20499.495	
S.No.	**Particulars**	**Amount (Rs. in Lacs)**		**Rate per Unit (Rs.)**	
		2024-25	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**
1	Materials Consumed	-	-	-	-
2	Utilities	-	-	-	-
3	Direct Employees Cost	10722.46	10056.52	50263.88	49057.40
4	Direct Expenses	1035.68	995.73	4854.98	4857.34
5	Consumable Stores & Spares	-	-	-	-
6	Repairs & Maintenance.	5416.75	4687.09	25392.22	22864.40
7	Quality Control Expenses	-	-	-	-
8	Research & Development Expenses	-	-	-	-
9	Technical know-how Fee/Royalty if any	-	-	-	-
10	Depreciation/Amortization	12598.71	13056.78	59059.22	63693.18
11	Other Production Overheads	3635.34	5057.83	17041.45	24672.97
12	Industry Specific Operating Expenses		-	-	-
13	**Total (1 to 12)**	**33408.94**	**33853.95**	**156611.76**	**165145.28**
14	Less Credits for Recoveries if any	-	-	-	-
15	**Cost of Service provided (13-14)**	**33408.94**	**33853.95**	**156611.76**	**165145.28**
16	Cost of Outsourced/contractual services	-	-	-	-
17	**Total Service available (15+16)**	**33408.94**	**33853.95**	**156611.76**	**165145.28**
18	Less Self/Captive Consumption (incl Samples, etc)	-	-	-	-
19	Other Adjustments (if any)	-	-	-	-
20	**Cost of Services Sold (17-18+19)**	**33408.94**	**33853.95**	**156611.76**	**165145.28**
21	Administrative Overheads	3623.92	3464.82	16987.93	16901.97
22	Selling & Distribution Overheads	-	-	-	-
23	**Cost of Sales before Interest (20+21+ 22)**	**37032.86**	**37318.77**	**173599.69**	**182047.26**
24	Finance Cost	4374.96	5596.89	20508.59	27302.58
25	**Cost of Sales (23+24)**	**41407.82**	**42915.66**	**194108.28**	**209349.83**
26	**Net Sales Realization (Net of Taxes and Duties)**	**46549.11**	**45128.59**	**218209.19**	**220144.89**
27	**Margin [Profit/(Loss) as per Cost Accounts) (26-25)**	**5141.29**	**2212.93**	**24100.91**	**10795.06**

Note- 1 Total Sales Realisation Revenue from Operations as per financial records for the year 2024-25 is Rs. 46542.95 lacs It includes a reversal of prior period income amounting to Rs 6.16 lacs relating to transmission charges from Bhilangana Hydro Power Company B in the Sales Realisation only Rs 46549 11 lacs should be taken for Cost Records and Rs (-) 6.16 lacs in Profit Reconciliation (Annexure-D2).

2. Total Sales Realisation/Revenue from Operations as per financial records for the year 2023-24 is Rs 52058.89 lacs Considering previous years (2020-21 to 2022-23) arrear of Rs. 6930.30 lacs in the Sales Realisation only Rs. 45128.59 lacs should be taken for Cost Records and Rs. 6930.30 lacs in Profit Reconciliation (Annexure-D2)

भाग C

कंपनी का नाम : : पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड
वित्तीय वर्ष : : 2024-25

C-2 संक्षिप्त लागत विवरण (प्रत्येक सेवा के लिए अलग-अलग)

सेवा का नाम:	**विद्युत का पारेषण/वितरण**		
सेवा कोड (यदि लागू हो):	**लागू नहीं**		
मापन की इकाई:	**MU**		
क्रम सं.	**विवरण**	**2024-25**	**2023-24**
1	सेवाएँ प्रदान की गई	21552.960	20713.620
2	कैप्टिव उपयोग	-	-
3	अन्य समायोजन	-220.627	-214.125
4	प्रदान की गई सेवाएँ	21332 333	20499.495

क्रम सं.	**विवरण**	**राशि (₹ लाख में)**		**प्रति इकाई दर (₹)**	
		2024-25	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**
1	उपभोग की गई सामग्री	-	-	-	-
2	उपयोगिताएँ	-	-	-	-
3	प्रत्यक्ष कर्मचारियों की लागत	10722.46	10056.52	50263.88	49057.40
4	प्रत्यक्ष व्यय	1035.68	995.73	4854.98	4857.34
5	उपभोज्य स्टोर्स एवं स्पेयर	-	-	-	-
6	मरम्मत एवं रखरखाव	5416.75	4687.09	25392.22	22864.40
7	गुणवत्ता नियंत्रण व्यय	-	-	-	-
8	अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-	-	-
9	तकनीकी ज्ञान शुल्क/रॉयल्टी, यदि कोई हो	-	-	-	-
10	मूल्यह्रास/अमॉर्टाइजेशन	12598.71	13056.78	59059.22	63693.18
11	अन्य उत्पादन ओवरहेड्स	3635.34	5057.83	17041.45	24672.97
12	उद्योग-विशिष्ट परिचालन व्यय	-	-	-	-
13	**कुल (1 से 12)**	**33408.94**	**33853.95**	**156611.76**	**165145.28**
14	घटायाः पुनःप्राप्ति हेतु क्रेडिट, यदि कोई हो	-	-	-	-
15	**प्रदान सेवाओं की लागत (13-14)**	**33408.94**	**33853.95**	**156611.76**	**165145.28**
16	आउटसोर्स/संविदात्मक सेवाओं की लागत	-	-	-	-
17	**उपलब्ध कुल सेवाएँ (15+16)**	**33408.94**	**33853.95**	**156611.76**	**165145.28**
18	स्व-उपयोग/कैप्टिव खपत (सैम्पल आदि सहित)	-	-	-	-
19	अन्य समायोजन, यदि कोई हो	-	-	-	-
20	**बेची गई सेवाओं की लागत (17-18+19)**	**33408.94**	**33853.95**	**156611.76**	**165145.28**
21	प्रशासनिक ओवरहेड्स	3623.92	3464.82	16987.93	16901.97
22	बिक्री एवं वितरण ओवरहेड्स	-	-	-	-
23	**ब्याज से पूर्व बिक्री लागत (20+21+ 22)**	**37032.86**	**37318.77**	**173599.69**	**182047.26**
24	वित्त लागत	4374.96	5596.89	20508.59	27302.58
25	**बिक्री की लागत (23+24)**	**41407.82**	**42915.66**	**194108.28**	**209349.83**
26	**निवल बिक्री प्राप्ति (कर एवं शुल्क के बाद)**	**46549.11**	**45128.59**	**218209.19**	**220144.89**
27	**मार्जिन [लाभ/(हानि) लागत खातों के अनुसार) (26-25)**	**5141.29**	**2212.93**	**24100.91**	**10795.06**

टिप्पणियाँ: 1. वित्तीय अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2024-25 हेतु संचालन राजस्व ₹46542.95 लाख है। इसमें पूर्व अवधि की आय ₹6.16 लाख (Bhilangana Hydro Power Company–B से) की उलट प्रविष्टि शामिल है। अतः लागत अभिलेख हेतु ₹46549.11 लाख लिया गया है और ₹(-)6.16 लाख का समायोजन लाभ सामंजस्य विवरण (Annexure–D2) में लिया जाएगा।

2. वित्तीय अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2023-24 हेतु संचालन राजस्व ₹52058.89 लाख है। वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की ₹6930.30 लाख की बकाया आय को ध्यान में रखते हुए लागत अभिलेख हेतु ₹45128.59 लाख लिया गया है और ₹6930.30 लाख का समायोजन लाभ सामंजस्य विवरण (Annexure–D2) में किया जाएगा।

Name of the Company : **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,**
Financial Year : **2024-25**

2A.Detalls of Materials Consumed								
Name of the Service	Transmission/Distribution of Electricity							
Service Code (if applicable)	NA							
Description of Material	Category	UOM	2024-25			2023-24		
			Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount (Rs. in lacs)	Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount (Rs. in lacs)
NA								
Total Materials								

2B. Details of Utilities Consumed								
Name of the Service	Transmission/Distribution of Electricity							
Service Code (if applicable)	NA							
Description of Material	Category	UOM	2024-25			2023-24		
			Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount (Rs. in lacs)	Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount (Rs. in lacs)
NA								
Total Utilities								

2C. Details of Industry Specific Expenses		
Name of the Service	Transmission/Distribution of Electricity	
Service Code (if applicable)	NA	
Description of Industry Specific Expenses	2024-25	2023-24
	Amount (Rs. in lacs)	Amount (Rs. in lacs)
NA		
Total Industry Specific Operating Expenses		

कंपनी का नाम : : पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड
वित्तीय वर्ष : : 2024-25

2A.उपभोग की गई सामग्री का विवरण								
सेवा का नाम	विद्युत का पारेषण/वितरण							
सेवा कोड (यदि लागू हो)	लागू नहीं							
सामग्री का विवरण	वर्ग	UOM	2024-25			2023-24		
			मात्रा	प्रति इकाई दर (₹)	राशि (₹ लाख में)	मात्रा	प्रति इकाई दर (₹)	राशि (₹ लाख में)
लागू नहीं								
कुल सामग्री								

2B.उपभोग की गई सामग्री का विवरण								
सेवा का नाम	विद्युत का पारेषण/वितरण							
सेवा कोड (यदि लागू हो)	लागू नहीं							
सामग्री का विवरण	वर्ग	UOM	2024-25			2023-24		
			मात्रा	प्रति इकाई दर (₹)	राशि (₹ लाख में)	मात्रा	प्रति इकाई दर (₹)	राशि (₹ लाख में)
लागू नहीं								
Total Utilities								

2C. उद्योग-विशिष्ट व्यय का विवरण		
सेवा का नाम	विद्युत का पारेषण/वितरण	
सेवा कोड (यदि लागू हो)	लागू नहीं	
उद्योग-विशिष्ट व्यय का विवरण	2024-25	2023-24
	राशि (₹ लाख में)	राशि (₹ लाख में)
लागू नहीं		
कुल उद्योग-विशिष्ट परिचालन व्यय		

Name of the Company : **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,**
Financial Year : **2024-25**

PART D

D-1 PRODUCT AND SERVICE PROFITABILITY STATEMENT (For audited product/services)

S.No.	Particulars	2024-25			2023-24		
		Sales (Rs. In Lacs)	Cost of Sales (Rs. In Lacs)	Margin (Rs. In Lacs)	Sales (Rs. In Lacs)	Cost of Sales (Rs. In Lacs)	Margin (Rs. In Lacs)
1	Transmission/Distribution of Electricity	46549.11	41407.82	5141.29	45128.59	42915.66	2212.93
	Total	**46549.11**	**41407.82**	**5141.29**	**45128.59**	**42915.66**	**2212.93**

कंपनी का नाम : **: पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड**
वित्तीय वर्ष : **: 2024-25**

भाग D

D-1 उत्पाद एवं सेवा लाभप्रदता विवरण (ऑडिट की गई उत्पाद/सेवाओं के लिए)

क्रम सं.	विवरण	2024-25			2023-24		
		बिक्री (₹ लाख में)	बिक्री की लागत (₹ लाख में)	अंतर/मार्जिन (₹ लाख में)	बिक्री (₹ लाख में)	बिक्री की लागत (₹ लाख में)	अंतर/मार्जिन (₹ लाख में)
1	विद्युत का पारेषण/वितरण	46549.11	41407.82	5141.29	45128.59	42915.66	2212.93
	कुल	**46549.11**	**41407.82**	**5141.29**	**45128.59**	**42915.66**	**2212.93**

Name of the Company : **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,**
Financial Year : **2024-25**

D-2 PROFIT RECONCILIATION (for the company as a whole)

Rs in Lacs

S.No.	Particulars	2024-25	2023-24
1	**Profit or Loss as per Cost Accounting Records**		
	(a) For the audited service	**5141.29**	**2212.93**
	(b) For the un-audited service	**-**	**-**
2	Add: Incomes not considered in cost accounts:	7181.57	12095.56
3	Less Expenses not considered in cost accounts:	207.38	140.88
	Total	**12115.48**	**14167.61**
4	Difference in Valuation of stock between financial accounts and cost accounts.	-	-
5	Other adjustment if any	-	-
6	**Profit or Loss as per Financial Accounts (excluding Other Comprehensive Income for companies following Ind AS)**	**12115.48**	**14167.61**

Details of Incomes not considered in Cost

Rs in Lacs

S.No.	Particulars	2024-25	2023-24
1	Interest through sweep account	1610.02	742.75
2	Revenue against Tariff approved by UERC against Intra State Transmission	-6.16	-
3	Interest on FDRs	2606.80	2.602.90
4	Revenue against ISTS Charges (arrear of 2020-21 & 2022-23)	0.00	6,930.30
5	Sale of Tender Form	32.62	32.49
6	Registration Fees	8.48	3.73
7	Balance Misc. Receipts	33.08	3.91
8	Recoveries for Transport Facilities	22.37	22.90
9	Income from Inspection House	1.39	1.21
10	Rental from Staff	5.23	5.76
11	Misc Receipt (Penalty)	0.28	0.74
12	Receipt of Fees under Right to Information Act-2005	0.10	0.22
13	Sale of Scrap	0.13	0.04
14	Deferred Revenue Grants written off against funding under Deposit & PSDF Schemes.	1,320.54	1,225.28
15	Surcharge by CTUIL	44.13	55.33
16	Connectivity Charges	29.00	18.00
17	Profit On Sale of Store	898.68	274.83
18	Forfeited Earnest Money and Security Money	11.22	-
19	Supervision Charges received from third party	534.95	58.73
20	Recovery for Transport & Vehicles Expenses (Other than recoveries from Staff)	0.14	0.04
21	Profit on sale of Land	-	101.20
22	Gain on sale of lines, cables etc	1.00	1.54
23	Income from Sale of Trees/Plants	(1.11)	7.27
24	Income from System Study	-	5.00
25	Penalties for delay in Supplies/Execution of works	11.28	1.39
26	Interest on Income Tax Refund	17.40	-
	Total	**7181.57**	**12,095.56**

Details of Expenses not considered in Cost

S.No.	Particulars	2024-25	2023-24
1	Consultancy Charges for Sale of Scrap	26.79	28.87
2	Compensation for Injuries, Deaths and Damages-Outsiders	1.50	-
3	Interest on Income Tax	3.14	-
4	Interest on GST	1.18	-
5	Short Provision for Income Tax previous Year	15.81	-
6	Corporate social responsibility expenditure	153.93	96.79
7	Contributions/Donations	5.03	7.00
8	Loss on Sale of Stores	0.00	8.23
9	Round off	-	(0.01)
	Total	**207.38**	**140.88**

कंपनी का नाम : **: पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड**
वित्तीय वर्ष : **: 2024-25**

D-2 — लाभ पुनर्मिलान (कंपनी के समग्र के लिए)

रुपये: लाख में

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	**लागत लेखा अभिलेखों के अनुसार लाभ/हानिः**		
	(a) ऑडिट की गई सेवा के लिए	**5,141.29**	**2,212.93**
	(b) गैर-ऑडिटेड सेवा के लिए	-	-
2	जोड़ें: वे आयें जो लागत खातों में शामिल नहीं हैं:	7,181.57	12,095.56
3	घटायें: वे व्यय जो लागत खातों में शामिल नहीं हैं:	207.38	140.88
	कुल	**12,115.48**	**14,167.61**
4	वित्तीय खातों और लागत खातों के बीच स्टॉक के मूल्यांकन में अंतर	-	-
5	अन्य समायोजन (यदि कोई)	-	-
6	**वित्तीय खातों के अनुसार लाभ/हानि (Ind-AS का पालन करने वाली कंपनियों के लिए Other Comprehensive Income को छोड़ कर)**	**12,115.48**	**14,167.61**

लागत में शामिल न की गई आयों का विवरण

रुपये: लाख में

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	स्वीप खाते के माध्यम से ब्याज	1,610.02	742.75
2	UERC द्वारा स्वीकृत टैरिफ के अनुरूप अंतरराज्यीय प्रेषण के विरुद्ध राजस्व	(-)6.16	-
3	FDR पर ब्याज	2,606.80	2,602.90
4	ISTS चार्ज के विरुद्ध राजस्व (2020-21 व 2022-23 के एरियर)	0.00	6,930.30
5	टेंडर फॉर्म की बिक्री	32.62	32.49
6	पंजीकरण शुल्क	8.48	3.73
7	शेष विविध प्राप्तियाँ	33.08	3.91
8	परिवहन सुविधा के लिए वसूली	22.37	22.90
9	निरीक्षण गृह से आय	1.39	1.21
10	स्टॉफ से किराये (Rental from Staff)	5.23	5.76
11	विविध प्राप्ति (दण्ड/Penalty)	0.28	0.74
12	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत फीस की प्राप्ति	0.10	0.22
13	स्क्रैप की बिक्री	0.13	0.04
14	डिपॉज़िट एवं PSDF योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषण के विरुद्ध लिखी गई डेफ्रड राजस्व अनुदान	1,320.54	1,225.28
15	CTUIL द्वारा सरचार्ज	44.13	55.33
16	कनेक्टिविटी शुल्क	29.00	18.00
17	स्टोर बिक्री पर लाभ	898.68	274.83
18	ग्रहण कर दी गई EMD और सुरक्षा धन (Forfeited EMD & Security Money)	11.22	-
19	तृतीय पक्ष से प्राप्त सुपरविज़न शुल्क	534.95	58.73
20	परिवहन एवं वाहन व्ययों की वसूली (कर्मचारी से वसूली को छोड़कर)	0.14	0.04
21	भूमि बिक्री पर लाभ	-	101.20
22	लाइनों/केबल आदि की बिक्री पर लाभ (Gain on sale of lines, cables etc.)	1.00	1.54
23	वृक्ष/पौधों की बिक्री से आय	(1.11)	7.27
24	सिस्टम अध्ययन से आय	-	5.00
25	सामग्री आपूर्ति/कार्य निष्पादन में देरी के दंड (Penalties for delay)	11.28	1.39
26	आयकर रिफंड पर ब्याज	17.40	-
	कुल	**7,181.57**	**12,095.56**

लागत में शामिल न किए गए व्ययों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	स्क्रैप बिक्री के लिए परामर्शशुल्क (Consultancy Charges for Sale of Scrap)	26.79	28.87
2	बाहरी व्यक्तियों के लिए चोट, मृत्यु व नुकसान के मुआवजे	1.50	-
3	आयकर पर ब्याज	3.14	-
4	GST पर ब्याज	1.18	-
5	पिछले वर्ष के लिए आयकर की लघु व्यवस्था (Short Provision for Income Tax)	15.81	-
6	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (CSR expenditure)	153.93	96.79
7	योगदान/दान (Contributions/Donations)	5.03	7.00
8	स्टोर्स की बिक्री में हानि (Loss on Sale of Stores)	0.00	8.23
9	राउंड-ऑफ (Round off)	-	(0.01)
	कुल	**207.38**	**140.88**

Name of the Company : **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,**
Financial Year : **2024-25**

D-3 VALUE ADDITION AND DISTRIBUTION OF EARNINGS (for the company as a whole)

Rs in Lacs

S.No.	Particulars	2024-25	2023-24
	Value Addition:		
1	Gross Sales(Excluding sales returns)	46542.95	52058.89
2	Less Excise duty, etc.	-	-
3	Net Sales	46542.95	52058.89
4	Add Export Incentives	-	-
5	Add/Less. Adjustment in finished stocks	-	-
6	**Less: Cost of bought out inputs**		
	(a) Cost of Materials Consumed	-	-
	(b) Process materials / Chemicals	-	-
	(c) Consumption Stores & Spares	-	-
	(d) Utilities (e.g power and fuel)		
	(e) Other if any	11122.81	9903.66
	Total Cost of bought out inputs	11122.81	9903.66
7	**Value Added**	**35420.14**	**42155.23**
8	Add Other income form any other sources	7187.73	5165.26
9	Add: Exceptional. Extra Ordinary and Other Comprehensive Income, if any	0.94	316.92
10	**Earnings available for distribution**	**42608.81**	**47637.41**
	Distribution of Earnings		
1	Employees as salaries & wages, retirement benefits, etc	12901.26	13807.00
2	Shareholders as dividend	1100.45	500.20
3	Company as retained funds	20405.07	24012.32
4	Government as taxes (Specify)	3827.07	3721.00
5	Exceptional and Extra Ordinary Expenses, if any		
6	Others if any (specify)	4374.96	5596.89
7	**Total distribution of earnings**	**42608.81**	**47637.41**
		0.00	0.00

कंपनी का नाम : **: पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड**
वित्तीय वर्ष : **: 2024-25**

D-3 : मूल्य वर्धन तथा आय का वितरण (कंपनी के समग्र हेतु)

(राशि: रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
	मूल्य वर्धन		
1	सकल बिक्री (बिक्री वापसी को छोड़कर)	46,542.95	52,058.89
2	घटाएँ: उत्पाद शुल्क आदि	-	-
3	शुद्ध बिक्री	46,542.95	52,058.89
4	जोड़ें: निर्यात प्रोत्साहन	-	-
5	जोड़ें/घटाएँ: तैयार माल के भंडार में समायोजन	-	-
6	**घटाएँ: खरीदे गए इनपुटों की लागत**		
	(a) उपभोग की गई सामग्री की लागत	-	-
	(b) प्रक्रिया सामग्री / रसायन	-	-
	(c) उपभोग्य स्टोर एवं स्पेयर	-	-
	(d) उपयोगिताएँ (जैसे बिजली एवं ईंधन)	-	-
	(e) अन्य, यदि कोई	11,122.81	9,903.66
	खरीदे गए इनपुटों की कुल लागत	11,122.81	9,903.66
7	**मूल्य वर्धन**	**35,420.14**	**42,155.23**
8	जोड़ें: अन्य स्रोतों से आय	7,187.73	5,165.26
9	जोड़ें: असाधारण, विलक्षण एवं अन्य समग्र आय (यदि कोई)	0.94	316.92
10	**वितरण हेतु उपलब्ध आय**	**42,608.81**	**47,637.41**
	आय का वितरण (Distribution of Earnings)		
1	कर्मचारियों को वेतन, मजदूरी, सेवानिवृत्ति लाभ आदि	12,901.26	13,807.00
2	शेयरधारकों को लाभांश	1,100.45	500.20
3	कंपनी द्वारा संचित निधि (Retained Funds)	20,405.07	24,012.32
4	सरकार को कर (विवरण अनुसार)	3,827.07	3,721.00
5	असाधारण तथा विलक्षण व्यय, यदि कोई	-	-
6	अन्य (विवरण अनुसार)	4,374.96	5,596.89
7	**कुल आय वितरण**	**42,608.81**	**47,637.41**
		0.00	0.00

Name of the Company : **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,**
Financial Year : **2024-25**

A	Shareholders as dividends		
1	**Dividends Provisions**		
2	Interim Dividends		
3	Final-Proposed	1100.45	500.20
4	**Total Dividends (1 to 3)**	**1100.45352**	**500.20**

B	Company as retained funds		
1	Depreciation	13216.18	13748.99
2	**Net Profit after tax and other comprehensive income**	**8289.34**	**10763.53**
3	Less-Shareholders as dividends	1100.45	500.20
4	Less-Tax on Dividends		
5	**Total (1-2-3-4)**	**20405.066**	**24012.32**

C	Government as taxes		
1	Current tax	3827.07	3721.00
2	Tax on Dividends		
3	**Total (1+2)**	**3827.07**	**3721**

D	Other Distribution of earnings (Others if any (specify))		
X	**Finance Costs (P&L)**	**4374.96**	**5596.89**
Y	Prior Period items (net)		
Z	**All Other non-cost items (as per Reconciliation)**		
	Total (Other non-cost items)		
	Total Other Distribution of earnings (Others if any (specify)) (X+Y+Z)	**4374.96**	**5596.89**

E	Cost of Other Bought-Out Inputs		
1	Other expenses	11122.81	9903.66
2	Less Process materials/Chemicals		
3	Less Consumption Stores & Spares		
4	Less. Utilities (eg power and fuel)		
5	Less. Non cost Items	0.00	0
6	**Total Cost of Other Bought-Out Inputs (1-2-3-4-5)**	**11122.81**	**9903.66**

कंपनी का नाम : **: पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड**
वित्तीय वर्ष : **: 2024-25**

A	**शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरण**		
1	**लाभांश प्रावधान**		
2	अंतरिम लाभांश		
3	अंतिम/प्रस्तावित	1100.45	500.20
4	**कुल लाभांश (1 से 3)**	**1100.45352**	**500.20**

B	**कंपनी के पास रखे गए निधि (रिटेन्ड फंड्स)**		
1	मूल्यह्रास (डिप्रिशिएशन)	13216.18	13748.99
2	**कर के बाद शुद्ध लाभ तथा अन्य समग्र आय**	**8289.34**	**10763.53**
3	घटाएँ – शेयरधारकों को दिया गया लाभांश	1100.45	500.20
4	घटाएँ – लाभांश पर कर		
5	**कुल (1–2–3–4)**	**20405.066**	**24012.32**

C	**सरकार को करों के रूप में भुगतान**		
1	वर्तमान कर	3827.07	3721.00
2	लाभांश पर कर		
3	**कुल (1+2)**	**3827.07**	**3721**

D	**अन्य आय का वितरण (यदि कोई हो, उल्लेख करें)**		
X.	**वित्त लागत (P&L)**	**4374.96**	**5596.89**
Y.	पिछले अवधि के मद (शुद्ध)		
Z.	**अन्य सभी गैर-लागत मद (सुलह के अनुसार)**		
	कुल (अन्य गैर-लागत मद)		
	कुल अन्य आय वितरण (X+Y+Z)	**4374.96**	**5596.89**

E	**अन्य खरीदी गई इनपुट्स की लागत**		
1	अन्य व्यय	11122.81	9903.66
2	घटाएँ – प्रक्रिया सामग्री/रसायन		
3	घटाएँ – उपभोग्य स्टोर्स एवं स्पेयर पार्ट्स		
4	घटाएँ – उपयोगिताएँ (जैसे बिजली और ईंधन)		
5	घटाएँ – गैर-लागत मद	0.00	0
6	**अन्य खरीदी गई इनपुट्स की कुल लागत (1–2–3–4–5)**	**11122.81**	**9903.66**

Name of the Company : **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,**
Financial Year : **2024-25**

D-4 FINANCIAL POSITION AND RATIO ANALYSIS (for the company as a whole)

S.No.	Particulars	Units	2024-25	2023-24
A.	**Financial Position**			
1	Share Capital	Rs in Lacs	86677.94	77387.73
2	Reserves & Surplus	Rs in Lacs	74051.99	63619.13
3	Long Term Borrowings	Rs in Lacs	124655.85	109570.97
4	(a) Gross Fixed Assets	Rs in Lacs	369610.59	328088.88
	(b) Net Fixed Assets	Rs in Lacs	268486.02	240180.49
5	(a) Current Assets	Rs in Lacs	89814.43	77420.29
	(b) Less Current Liabilities	Rs in Lacs	52764.51	40302.78
	(c) Net Current Assets	Rs in Lacs	37049.92	37117.51
6	Capital Employed	Rs in Lacs	291416.97	261517.93
7	Net Worth	Rs in Lacs	160729.93	141006.86
B.	**Financial Performance**			
1	Value Added of company	Rs in Lacs	35420.14	42155.23
2	Net Revenue from Operations of Company	Rs in Lacs	46542.95	52058.89
3	Profit before Tax (PBT)	Rs in Lacs	12115.48	14167.61
C	**Profitability Ratios**			
1	PBT to Capital Employed (B3/A6)	%	4.16	5.42
2	PBT to Net Worth (B3/A7)	%	7.54	10.05
3	PBT to Value Added (B3/B1)	%	34.21	33.61
4	PBT to Net revenue from Operations (83/B2)	%	26.03	27.21
D.	**Other Financial Ratios**			
1	Debt-Equity Ratio		0.78	0.78
2	Current Assets to Current Liabilities		1.70	1.92
3	Valued Added to Net Revenue from Operations	%	76.10	80.98
E	**Working Capital Ratios**			
1	Raw Materials Stock to Consumption	Months	NA	NA
2	Stores & Spares to Consumption	Months	NA	NA

कंपनी का नाम : **: पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड**
वित्तीय वर्ष : **: 2024-25**

D-4 वित्तीय स्थिति और अनुपात विश्लेषण (पूरी कंपनी के लिए)

क्रम सं.	विवरण	इकाई	2024-25	2023-24
A.	**वित्तीय स्थिति**			
1	शेयर पूँजी	लाख रुपये में	86677.94	77387.73
2	भंडार और अधिशेष (रिज़र्व्स एंड सरप्लस)	लाख रुपये में	74051.99	63619.13
3	दीर्घकालिक उधार (लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स)	लाख रुपये में	124655.85	109570.97
4	(a) सकल स्थायी संपत्ति (ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स)	लाख रुपये में	369610.59	328088.88
	(b) शुद्ध स्थायी संपत्ति (नेट फिक्स्ड एसेट्स)	लाख रुपये में	268486.02	240180.49
5	(a) चालू परिसंपत्तियाँ (करंट एसेट्स)	लाख रुपये में	89814.43	77420.29
	(b) घटाएँ: चालू देनदारियाँ	लाख रुपये में	52764.51	40302.78
	(c) शुद्ध चालू परिसंपत्तियाँ	लाख रुपये में	37049.92	37117.51
6	नियोजित पूँजी (कैपिटल एम्प्लॉइड)	लाख रुपये में	291416.97	261517.93
7	नीट वर्थ (शुद्ध मूल्य)	लाख रुपये में	160729.93	141006.86
B.	**वित्तीय प्रदर्शन**			
1	कंपनी का मूल्य संवर्धन (वैल्यू ऐडेड)	लाख रुपये में	35420.14	42155.23
2	कंपनी का शुद्ध परिचालन राजस्व — लाख रुपये में — 46542.95 | 52058.89			
3	कर पूर्व लाभ (PBT) — लाख रुपये में — 12115.48 | 14167.61			
C.	**लाभप्रदता अनुपात**			
1	PBT से नियोजित पूँजी का अनुपात (B3/A6)	%	4.16	5.42
2	PBT से शुद्ध मूल्य का अनुपात (B3/A7)	%	7.54	10.05
3	PBT से मूल्य संवर्धन का अनुपात (B3/B1)	%	34.21	33.61
4	PBT से शुद्ध परिचालन राजस्व का अनुपात (B3/B2)	%	26.03	27.21
D.	**अन्य वित्तीय अनुपात**			
1	ऋण-इक्विटी अनुपात (Debt-Equity Ratio)		0.78	0.78
2	चालू परिसंपत्तियाँ बनाम चालू देनदारियाँ		1.70	1.92
3	मूल्य संवर्धन बनाम शुद्ध परिचालन राजस्व	%	76.10	80.98
E.	**कार्यशील पूँजी अनुपात**			
1	कच्चा माल स्टॉक बनाम उपभोग	महीनों में	NA	NA
2	स्टोर्स एवं स्पेयर्स बनाम उपभोग	महीनों में	NA	NA

Name of the Company : **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,**
Financial Year : **2024-25**

D-5 RELATED PARTY TRANSACTIONS (for the company as a whole)

Transaction No.	Name of the Related Party	Name of product or activity	Nature of Related Party Transaction	CIN of related party	PAN of related party	Identification number of foreign related party in country of incorporation or residence	Nature of issuing authority in country of incorporation or residence	Country of Related Party

Product or activity eight digit code	Aggregate quantity of related party transaction	Average transfer price of related party transaction	Aggregate amount of transaction	Average normal price of related party transaction	Difference between average transfer price & average normal price	Basis adopted to determine normal price of related party transaction	Description of other basis adopted to determine normal price	Notes to related party transaction
There are no related party transactions								

कंपनी का नाम : **: पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड**
वित्तीय वर्ष : **: 2024-25**

D–5 संबंधित पक्ष लेनदेन (पूरी कंपनी के लिए)

लेनदेन संख्या	संबंधित पक्ष का नाम	उत्पाद या गतिविधि का नाम	संबंधित पक्ष लेनदेन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का CIN	संबंधित पक्ष का PAN	स्थापना या निवास देश में विदेशी संबंधित पक्ष की पहचान संख्या	स्थापना या निवास देश में जारी करने वाली प्राधिकरण की प्रकृति	संबंधित पक्ष का देश

उत्पाद या गतिविधि का आठ अंकों का कोड	संबंधित पक्ष लेनदेन की कुल मात्रा	संबंधित पक्ष लेनदेन का औसत अंतरण मूल्य (ट्रांसफर प्राइस)	लेनदेन की कुल राशि	संबंधित पक्ष लेनदेन का औसत सामान्य मूल्य	औसत अंतरण मूल्य और औसत सामान्य मूल्य के बीच अंतर	संबंधित पक्ष लेनदेन का सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु अपनाया गया आधार	सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाए गए अन्य आधार का विवरण	संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित टिप्पणियाँ
कोई संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं हैं।								

Name of the Company : **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,**
Financial Year : **2024-25**

S.N.	Particulars	Taxable Value/ Assessable Value	Excise Duty	Goods & Services Tax			
				CGST	SGST/ UTGST	IGST	Cess
S.N.	**Duties/ Taxes Payable**						
	Excise Duty						
1	Domestic						
2	Export						
3	Stock Transfers (Net)						
4	Duty Free Clearance, Others etc.						
5	**Total (1 to 4)**						
	Goods & Services Tax						
6	Outward Taxable Supplies (Other than zero rated, Nil Rated and Exempted)	4534.94		300.41	300.41	215.53	
7	Outward Taxable Supplies (Zero rated)	0.00		0.00	0.00	0.00	
8	Inward Supplies (Liable to Reverse Charge)	171.76		15.40	15.40	0.11	
9	Other Outward Supplies (Nil Rated Exempted)	0.00		0.00	0.00	0.00	
10	Non-GST Outward Supplies	0.00		0.00	0.00	0.00	
11	**Total (6 to 10)**	**4706.70**	**-**	**315.81**	**315.81**	**215.64**	
12	**Total Duties/ Taxes Payable (5 + 11)**						
	Duties/ Taxes paid (by Utilisation of Input Credit and Payment through Cash Ledger, as the case may be)						
	GST- Input Tax Credit Utilised						
13	CGST			0.00	0.00	0.00	
14	SGST/UTGST			0.00	0.00	0.00	
15	IGST			0.00	0.00	0.00	
16	Cess			0.00	0.00	0.00	
17	Transitional Credit			0.00	0.00	0.00	
18	**Total Input Tax Credit Utilised (13 to 17)**			**-**	**-**	**-**	
19	Payment through Cash Ledger			315.81	315.81	215.64	
20	**Total Duties/ Taxes Paid (18+19)**			**315.81**	**315.81**	**215.64**	
	Difference between Taxes Paid and Payable(12 - 20)			**(0.00)**	**(0.00)**	**(0.00)**	
21	Interest/Penalty/Fines Paid						

कंपनी का नाम : : पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड
वित्तीय वर्ष : : 2024-25

विवरण		कर योग्य मूल्य / मूल्यांकन योग्य मूल्य	उत्पाद शुल्क (Excise Duty)	माल एवं सेवा कर (GST)			
				सीजीएसटी	एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी	आईजीएसटी	सेस (Cess)
क्र सं.	**देय शुल्क/कर**						
	उत्पाद शुल्क (Excise Duty)						
1	घरेलू						
2	निर्यात						
3	स्टॉक ट्रांसफर (शुद्ध)						
4	शुल्क-मुक्त निकासी, अन्य आदि						
5	**कुल (1 से 4)**						
	माल एवं सेवा कर (GST)						
6	आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई (शून्य दर, NIL रेटेड और छूट प्राप्त आपूर्ति को छोड़कर)	4534.94		300.41	300.41	215.53	
7	आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई (शून्य दर वाली)	0.00		0.00	0.00	0.00	
8	इनवर्ड सप्लाई (रिवर्स चार्ज के अंतर्गत)	171.76		15.40	15.40	0.11	
9	अन्य आउटवर्ड सप्लाई (NIL Rated / Exempted)	0.00		0.00	0.00	0.00	
10	नॉन-GST आउटवर्ड सप्लाई	0.00		0.00	0.00	0.00	
11	**कुल (6 से 10)**	**4706.70**	**-**	**315.81**	**315.81**	**215.64**	
12	**कुल देय शुल्क/कर (5 + 11)**						
	देय करों का भुगतान (इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं नकद लेजर के माध्यम से)						
	GST – प्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट						
13	सीजीएसटी			0.00	0.00	0.00	
14	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी			0.00	0.00	0.00	
15	आईजीएसटी			0.00	0.00	0.00	
16	सेस			0.00	0.00	0.00	
17	ट्रांजिशनल क्रेडिट			0.00	0.00	0.00	
18	**कुल प्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (13 से 17)**			**-**	**-**	**-**	
19	नकद लेजर के माध्यम से भुगतान			315.81	315.81	215.64	
20	**कुल भुगतान किए गए शुल्क/कर (18 + 19)**			**315.81**	**315.81**	**215.64**	
	कर योग्य और भुगतान किए गए कर के बीच अंतर (12 – 20)			**0.00)**	**(0.00)**	**(0.00)**	
21	चुकाया गया ब्याज/दंड/जुर्माना						

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of financial statements of Power Transmission Corporation of Umarakhand Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 01 August 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited for the year ended 31 March 2025 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Place: Dehradun
Dated: 11 September 2025

-sd-
(Sanjeev Kumar)
Accountant General (Audit) Uttarakhand
Dehradun

****भारत के महालेखाकार एवं नियंत्रक की टिप्पणियाँ - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय वक्तव्यों पर****

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय वक्तव्यों का कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के महालेखाकार एवं नियंत्रक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक का दायित्व है कि वे अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय वक्तव्यों पर अपना मत व्यक्त करें, जो अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की जाती है। उक्त लेखा परीक्षा उनके द्वारा दिनांक 01 अगस्त 2025 के अपने लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई दर्शायी गई है।

मैं, भारत के महालेखाकार एवं नियंत्रक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(a) के अंतर्गत पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय वक्तव्यों का पूरक लेखा परीक्षा (Supplementary Audit) किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई है, जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रकों तक कोई पहुँच नहीं थी, तथा मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जाँच तक सीमित रही।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है जिससे यह प्रतीत हो कि वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत किसी टिप्पणी या पूरक का प्रावधान आवश्यक हो।

भारत के महालेखाकार एवं नियंत्रक
की ओर से

स्थान: देहरादून
दिनांक: 11 सितम्बर 2025

-sd-
(संजीव कुमार)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखंड
देहरादून

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कम्पनी सचिव कार्यालय
विद्युत भवन, नजदीक-आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002
E-mail: cs@ptcul.org दूरभाष नं0 0135-2646000 फैक्स नं0 0135-2643460 वेबसाइट www.ptcul.org

No.283CS/PTCUL/21 AGM **Date: 29/08/2025**

To

All Shareholders of PTCUL

1. Hon'ble Governor, GoU represented through Secretary (Energy), Dr. R.M. Sundaram, GoU.
2. Shri Anand Bardhan, Chief Secretary, GoU and Chairman, PTCUL
3. Dr. R.M. Sundaram, Principal Secretary (Energy), GoU
4. Dr. R.M. Sundaram, Principal Secretary (Planning), GoU
5. Shri Lalrinliana Fanai, Infrastructure Development Commissioner, GoU
6. Shri Vinay Shankar Pandey, Secretary (Public Enterprises), GoU
7. Dr. Ahmed Iqbal, Additional Secretary (Energy), GoU
8. Dr. Ahmed Iqbal, Additional Secretary (Finance), GoU
9. Shri. Atul Kumar Singh, Deputy Secretary (Energy), GoU
10. Shri P.C. Dhyani, Managing Director, PTCUL

NOTICE OF 21st ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 21stAnnual General Meeting of the Company shall be held on **26th September, 2025 Friday, at 05:30 PM at the Board Room, 1st Floor at the registered office of the Company at "Vidyut Bhawan", Near I.S.B.T. Crossing, Saharanpur Road, Majra, Dehradun** through physical/Video Conferencing mode to transact the following businesses.

ORDINARY BUSINESS:

The following business shall be taken up as ordinary business (To be passed with minimum 50% votes)

AGM Agenda Item No. 20.01:

To consider and approve the Profit and Loss account for the period 1st April, 2024 to 31 March, 2025, Balance Sheet as on 31.03 2025 along with all appendices annexed to the Balance Sheet, Report of Directors' to the Share Holders, observations of Secretarial Auditor, Statutory Auditor, Cost Auditor and Report of Comptroller and Auditor General of India on the accounts and working of the Corporation and replies of the Management on the aforesaid reports of all the auditors.

AGM Agenda Item No. 20.02:

Appointment of Auditors and fixation of their remuneration.

AGM Agenda Item No. 20.03:

Declaration of Dividend for financial year 2024-2025.

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कम्पनी सचिव कार्यालय
विद्युत भवन, नजदीक-आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002
E-mail: cs@ptcul.org दूरभाष नं0 0135-2646000 फैक्स नं0 0135-2643460 वेबसाइट www.ptcul.org

संख्या: 283CS/PTCUL/21 AGM **दिनांक: 29/08/2025**

प्रति

पिटकुल (PTCUL) के सभी शेयरधारक

माननीय राज्यपाल, उत्तराखंड सरकार (ऊर्जा सचिव, डॉ. आर.एम. सुंदरम के माध्यम से)

श्री आनंद बर्धन, मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार एवं अध्यक्ष, पिटकुल

डॉ. आर.एम. सुंदरम, प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तराखंड सरकार

डॉ. आर.एम. सुंदरम, प्रमुख सचिव (योजना), उत्तराखंड सरकार

श्री लालरिनलियाना फनाई, अवसंरचना विकास आयुक्त, उत्तराखंड सरकार

श्री विनय शंकर पांडेय, सचिव (लोक उपक्रम), उत्तराखंड सरकार

डॉ. अहमद इक़बाल, अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखंड सरकार

डॉ. अहमद इक़बाल, अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड सरकार

श्री अतुल कुमार सिंह, उप सचिव (ऊर्जा), उत्तराखंड सरकार

श्री पी.सी. ध्यानी, प्रबंध निदेशक, पिटकुल

21वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना (NOTICE OF 21st ANNUAL GENERAL MEETING)

यह सूचना दी जाती है कि कंपनी की 21वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक **26 सितम्बर 2025, शुक्रवार, सायं 05:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय "विद्युत भवन", आई.एस.बी.टी. क्रॉसिंग के पास, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून,** के प्रथम तल स्थित बोर्ड रुम में भौतिक (Physical)/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यों का लेन-देन किया जाएगा।

साधारण व्यवसाय (ORDINARY BUSINESS):

निम्नलिखित विषयों को साधारण व्यवसाय के रुप में लिया जाएगा (न्यूनतम 50% मतों से पारित किया जाएगा)

AGM एजेंडा आइटम संख्या 20.01:

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लाभ एवं हानि खाते, दिनांक 31.03.2025 की तुलन पत्र (बैलेंस शीट) तथा उससे संलग्न सभी परिशिष्टों, निदेशकों की रिपोर्ट, सचिवालयीन लेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक, और भारत के महालेखाकार एवं नियंत्रक की टिप्पणियाँ तथा इन सभी रिपोर्टों पर प्रबंधन के उत्तर, पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।

AGM एजेंडा आइटम संख्या 20.02:

लेखा परीक्षकों (Auditors) की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण।

AGM एजेंडा आइटम संख्या 20.03:

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए लाभांश की घोषणा।

AGM Agenda Item No. 21.04;

To note changes in Board of Directors and Key Managerial Persons of the Company for th period 1 April, 2024 till 31 March, 2025.

SPECIAL BUSINESS:

The following business shall be taken up as special business (To be passed with minimim 75% of vote)

AGM Agenda Item No. 21.05;

Status note on Allotment of Equity Shares to Government of Uttarakhand during financial year 2024-25

- The detailed explanatory statements for special resolutions in terms of Section 102 of the Companies Act, 2013 along with detailed agenda shall be circulated separately These documents shall be available for inspection during office hours (except holidays) at the registered office of the Company "Vidyut Bhawan", near ISBT Crossing. Majra, Dehradun in the office of GM Finance/Company Secretary.
- The link to attend the meeting through video conferencing shall be sent separately befes the meeting.
- None of the Directors and Key Managerial Persons are interested parties for the purpose of aforesaid resolutions.

You are requested to kindly make it convenient to attend the meeting.

By order of the Board of
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

(Arun Sabharwal)
Company Secretary

Encl: Form of Proxy
only for use of shareholders

Note:

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to represent him/her and vote at the meeting in his/her place and the proxy need not be a member of the company. Provided that the proxy shall not have a right to speak at the meeting and shall not be entitled to vote except on poll Form of proxy as enclosed must reach the office of Company Secretary, Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited at least 48 hrs before the commencement of the meeting either in hard copy or through e-mail at ptculcstrainee@gmail.com. Form of proxy received late shall not be considered as per statutory provisions.

Copy to

1. Chairperson and all members of Board of Directors.
2. Chairman Audit Committee.
3. Comptroller & Auditor General of India.
4. M/s Naveen Upadhaya and Associates, Statutory Auditor, PTCUL .
5. M/s Pranav Kumar & Associates, Secretarial Auditor, PTCUL.
6. M/s R. M. Bansal & Co., Cost Auditor, PTCUL.
7. IT. wing for publication of notice on website, creating/sending links and other LT. support, in consultation with Company Secretary Department.

एजीएम एजेंडा आइटम संख्या 20.04:
कंपनी के निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान हुए परिवर्तनों को अभिलेखित करना।

विशेष व्यवसाय:
निम्नलिखित व्यवसाय विशेष व्यवसाय के रूप में लिया जाएगा (जिसे न्यूनतम 75% मतों से पारित किया जाना आवश्यक है):

एजीएम एजेंडा आइटम संख्या 20.05:
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तराखंड सरकार को इक्विटी शेयरों के आबंटन पर स्थिति विवरण।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत विशेष प्रस्तावों के लिए विस्तृत विवरणात्मक वक्तव्य (Explanatory Statements) विस्तृत एजेंडा के साथ अलग से प्रेषित किए जाएंगे। ये दस्तावेज कार्यालय समय (अवकाश को छोड़कर) के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय "विद्युत भवन, आई.एस.बी.टी. क्रॉसिंग, माजरा, देहरादून" स्थित जीएम (वित्त)/कंपनी सचिव के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।
- बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने हेतु लिंक बैठक से पूर्व अलग से भेजा जाएगा।
- उपरोक्त प्रस्तावों के संदर्भ में निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों में से कोई भी हितधारक (Interested Party) नहीं है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड

संलग्न: प्रॉक्सी प्रपत्र
(केवल शेयरधारकों द्वारा उपयोग हेतु)

(अरुण सभरवाल)
कंपनी सचिव

टिप्पणी:
बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकारी कोई भी शेयरधारक अपने स्थान पर किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकता है, जो बैठक में भाग ले सके और मतदान कर सके। प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
हालाँकि, प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा और वह मतदान केवल पोल (Poll) के माध्यम से ही कर सकेगा।
संलग्न प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी सचिव, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के कार्यालय में बैठक प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व भौतिक रूप से अथवा ईमेल (**ptculcstrainee@gmail.com**) के माध्यम से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित समय के बाद प्राप्त प्रॉक्सी फॉर्म वैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

प्रतिलिपि:
1. अध्यक्ष एवं निदेशक मंडल के सभी सदस्य
2. अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
4. M/s नवीन उपाध्याय एंड एसोसिएट्स, वैधानिक लेखा परीक्षक, पिटकुल
5. M/s प्रणव कुमार एंड एसोसिएट्स, सचिवालयीन लेखा परीक्षक, पिटकुल
6. M/s आर. एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखा परीक्षक, पिटकुल
7. आई.टी. विंग—सूचना को वेबसाइट पर प्रकाशित करने, लिंक तैयार/प्रेषित करने तथा अन्य आईटी सहायता हेतु, कंपनी सचिव विभाग के परामर्श में।

MINUTES OF THE 21st ANNUAL GENERAL MEETING OF PTCUL

The 21st Annual General Meeting was held on Friday, 26th September, 2025 at 18:00 Hrs. of the Conference Room, Chief Secretary Office, Uttarakhand Secretariat, Subhash Road, Dehradun in which the following were present:-

MEMBERS THROUGH PHYSICAL MODE

1. Shri Anand Bardhan, Chief Secretary, GoU and Chairman, PTCUL.
2. Hon'ble Governor, GoU represented through Principal Secretary (Energy). GoU, Dr. R.M. Sundaram represented through authorized proxy Dr. Ahmed Iqbal, Additional Secretary (Energy), GoU.
3. Dr. R.M. Sundaram, Principal Secretary (Energy), GoU represented through authorized proxy Dr. Ahmed Iqbal, Additional Secretary (Energy). GoU.
4. Dr. R.M. Sundaram, Principal Secretary (Planning), GoU represented through authorized proxy Dr. Ahmed Iqbal, Additional Secretary (Energy), GoU.
5. Dr. Ahmed Iqbal, Additional Secretary (Energy), GoU.
6. Dr. Ahmed Iqbal, Additional Secretary (Finance), GoU.
7. Shri. P.C. Dhyani, Managing Director, PTCUL.

DIRECTORS THROUGH VIDEO CONFERENCING

1. Shri Arvind Kumar Barthwal, Independent Director from his office at Dehradun.

DIRECTORS THROUGH PHYSICAL MODE

1. Shri N. Ravi Shanker, Independent Director and Chairman of Audit Committee.
2. Shri Parag Gupta, Independent Director.
3. Dr. Ahmed Iqbal, Additional Secretary (Energy), GoU.
4. Shri Sandeep Singhal, Managing Director, UJVNL and Director PTCUL.
5. Shri P.C. Dhyani, Managing Director, PTCUL.
6. Shri G.S. Budiyal, Director (Operations), PTCUL.

IN ATTENDANCE

Shri Arun Sabharwal (Company Secretary).

All the directors who had attended through Video Conferencing had recorded their attendance, in compliance with the requirements of Rule 4 of Companies (Meeting of the Board and its power) Rules 2014.

The quorum was complete and the meeting commenced at 18:00 Hrs with Shri Anand Bardhan in the Chair.

(Arun Sabharwal) Company Secretary	(P.C. Dhyani) Managing Director	(Anand Bardhan) Chairman

21वीं वार्षिक आम सभा (AGM) की कार्यवाही – PTCUL

PTCUL की 21वीं वार्षिक आम सभा शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 को सायं 18:00 बजे, सम्मेलन कक्ष, मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तराखंड सचिवालय, सुभाष रोड, देहरादून में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य एवं निदेशक उपस्थित रहे:-

भौतिक (Physical) रूप से उपस्थित सदस्य

1. श्री आनंद बर्धन, मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार (GoU) एवं अध्यक्ष, PTCUL
2. माननीय राज्यपाल, उत्तराखंड सरकार का प्रतिनिधित्व प्रधान सचिव (ऊर्जा), डॉ. आर.एम. सुंदरम द्वारा किया गया, जिनकी ओर से अधिकृत प्रॉक्सी के रूप में डॉ. अहमद इक़बाल, अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखंड सरकार उपस्थित रहे।
3. डॉ. आर.एम. सुंदरम, प्रधान सचिव (ऊर्जा) का प्रतिनिधित्व अधिकृत प्रॉक्सी डॉ. अहमद इक़बाल, अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया।
4. डॉ. आर.एम. सुंदरम, प्रधान सचिव (योजना) का प्रतिनिधित्व अधिकृत प्रॉक्सी डॉ. अहमद इक़बाल, अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया।
5. डॉ. अहमद इक़बाल, अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखंड सरकार।
6. डॉ. अहमद इक़बाल, अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड सरकार।
7. श्री पी.सी. ध्यानी, प्रबंध निदेशक, PTCUL

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित निदेशक

1. श्री अरविंद कुमार बर्थवाल, स्वतंत्र निदेशक – देहरादून स्थित अपने कार्यालय से।

भौतिक (Physical) रूप से उपस्थित निदेशक

1. श्री एन. रवि शंकर, स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष, लेखा परीक्षण समिति (Audit Committee)।
2. श्री पराग गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक।
3. डॉ. अहमद इक़बाल, अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखंड सरकार।
4. श्री संदीप सिंघल, प्रबंध निदेशक, UJVNL एवं निदेशक, PTCUL
5. श्री पी.सी. ध्यानी, प्रबंध निदेशक, PTCUL
6. श्री जी.एस. बुदियाल, निदेशक (परिचालन), PTCUL

विशेष उपस्थिति (In Attendance)

श्री अरुण सभरवाल (कंपनी सचिव)।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी निदेशकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तथा यह उपस्थिति कंपनियाँ (बोर्ड बैठक एवं उसकी शक्तियाँ) नियम 2014 के नियम 4 के अनुरूप दर्ज की गई।

बैठक हेतु आवश्यक कोरम पूर्ण था और बैठक 18:00 बजे प्रारंभ हुई। सभा की अध्यक्षता श्री आनंद बर्धन द्वारा की गई।

(अरुण सभरवाल) **कंपनी सचिव**	**(पी.सी. ध्यानी)** **प्रबंध निदेशक**	**(आनंद बर्धन)** **अध्यक्ष**

Company Secretary on behalf of Board of Directors and on behalf of the Company welcomed all the shareholders to this meeting it was explained that statutory agendas along with the report of all the auditonte. Statutory Auditor Secretarial Auditor. Cost Auditor and Comptroller & Auditor General of India along with the reply of the management on the observations of all these four auditors were not available at the time of dispatch of statutory notice of 21 days. These documents had been approved by the Audit Committee and Board of Directors and the circumstances have been explairied to them and accepted and recommended by them. Consequentially, the members accorded their consent unanimously to receive the agenda and explanatory note for a period of less than 21 days.

The members confirmed that they have received and read the agenda and all the annexures appended thereto and unanimously decided not to read the audit report again in the meeting and decided to treat the audit reports and the comment of management on these reports as read.

The salient feature of the financial statements and report of Board of Directors' to the shareholders were explained by the Company Secretary and Chief Finance Officer.

AGENDA ITEM NO: 21.01

To consider and approve the Profit and Loss account for the period 1st April, 2024 to 31st March, 2025, Balance Sheet as on 31.03.2025 along with all appendix annexed to the Balance Sheet, Report of Directors' to the Shareholders, observations of Secretarial Auditor, Statutory Auditor, Cost Auditor and Report of Comptroller and Auditor General of India on the accounts and working of the Corporation and replies of the Management on the aforesaid reports of all auditors.

Members accepted the recommendations of the Board of Directors and after consideration passed the following resolution unanimously:

RESOLVED THAT the consent of members be and is hereby accorded to receive the financial statements along with the Statutory Annexures for the Financial Year 2024-25 at a shorter period than the prescribed statutory period of 21 days in terms of section 102(2) of The Companies Act. 2013.

RESOLVED FURTHER THAT the consent of the Annual General Meeting be and is hereby accorded to approve the Profit and Loss accounts for the period of 1st April, 2024 to 31st March, 2025, Balance Sheet as on 31st March, 2025 and all appendices annexed to the

(Arun Sabharwal) **Company Secretary**	**(P.C. Dhyani)** **Managing Director**	**(Anand Bardhan)** **Chairman**

कंपनी सचिव ने, निदेशक मंडल (Board of Directors) एवं कंपनी की ओर से, इस बैठक में सभी शेयरधारकों का स्वागत किया। यह अवगत कराया गया कि वैधानिक एजेंडा तथा चारों लेखा परीक्षकों—वैधानिक लेखा परीक्षक (Statutory Auditor), सचिवीय लेखा परीक्षक (Secretarial Auditor), लागत लेखा परीक्षक (Cost Auditor) एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) की रिपोर्ट और उन पर प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर, 21 दिन की वैधानिक सूचना भेजे जाने के समय उपलब्ध नहीं थे। इन दस्तावेज़ों को ऑडिट समिति तथा निदेशक मंडल द्वारा बाद में अनुमोदित किया गया, संबंधित परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया तथा कम अवधि में एजेंडा प्रस्तुत किए जाने की सिफारिश भी की। परिणामस्वरुप, सदस्यों ने सर्वसम्मति से 21 दिन से कम अवधि में एजेंडा एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

सदस्यों ने पुष्टि की कि उन्होंने एजेंडा तथा सभी संलग्न अनुरूपक (Annexures) प्राप्त कर पढ़ लिए हैं और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बैठक में ऑडिट रिपोर्ट को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है तथा ऑडिट रिपोर्ट एवं उन पर प्रबंधन के उत्तर को पढ़ा हुआ माना जाए (taken as read)।

वित्तीय विवरणों (Financial Statements) एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु कंपनी सचिव एवं मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) द्वारा प्रस्तुत किए गए।

एजेंडा मद संख्या : 21.01

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए लाभ-हानि खाते, 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) एवं उसके साथ संलग्न सभी परिशिष्टों (Appendices), शेयरधारकों हेतु निदेशकों की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा निगम के खातों एवं कार्य-प्रणाली पर जारी रिपोर्ट, एवं उपर्युक्त सभी लेखा परीक्षक रिपोर्टों पर प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तरों पर विचार कर उनका अनुमोदन करना।

सदस्यों ने निदेशक मंडल की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, विचारोपरांत निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया:-

निर्णय लिया जाता है कि सदस्यों की सहमति, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(2) के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरण एवं वैधानिक संलग्नकों को 21 दिन से कम अवधि की सूचना पर प्राप्त करने हेतु प्रदान की जाती है।

आगे यह भी निर्णय लिया जाता है कि वार्षिक आम सभा की सहमति, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लाभ-हानि खाते, 31 मार्च 2025 की स्थिति अनुसार तुलन-पत्र एवं उससे संबंधित सभी संलग्न परिशिष्टों के अनुमोदन हेतु प्रदान की जाती है।

(अरुण सभरवाल) **कंपनी सचिव**	**(पी.सी. ध्यानी)** **प्रबंध निदेशक**	**(आनंद बर्धन)** **अध्यक्ष**

Balance Sheet Report of Directors to the Shareholders. Report of Secretarial Auditor, Cost Auditor, Statutory Auditor and Comptroller and Auditor General of India along with the replies of the management on the reports of the aforesaid auditors as placed before this meeting duly recommended by the Board of Directors of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT all actions taken by the Managing Director and Company Secretary for fixation of date of Annual General Meeting, issuance of statutory notice for the Annual General Meeting and all actions related thereto in anticipation of approval of Board of Directors, in order to complete the statutory requirements and an effort of the company to hold the Annual General Meeting within the statutory limits be and are hereby ratified and confirmed.

RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to get all the forms filed that are required to be statutorily filed and do all other acts and deeds that are statutorily required to be carried out in furtherance of this resolution

AGENDA ITEM NO: 21.02

Appointment of Auditors and fixation of their remuneration

After the conclusion of 20th Annual General Meeting the Comptroller and Auditor General of India had appointed M/s Naveen Upadhyaya & Associates as Statutory Auditors and their remuneration was fixed by the Board of Directors and all other statutory compliances were completed.

The Statutory Auditor for the Financial Year 2025-2026 has not been appointed as yet by Comptroller and Auditor General of India. As and when the said auditor shall be appointed by the C&AG and their remuneration shall be fixed by the Board of Directors after that, all other statutory formalities shall be completed and the issue shall be brought before the members in the next Annual General Meeting for information and ratification.

In this connection the members are requested to consider and pass the following resolution with or without modifications.

RESOLVED THAT the consent of the members be and is hereby accorded to ratify all legal actions taken by the Managing Director, the Company Secretary, the Chief Financial Officer

(Arun Sabharwal)	(P.C. Dhyani)	(Anand Bardhan)
Company Secretary	Managing Director	Chairman

यह बैठक के समक्ष प्रस्तुत तुलन-पत्र (Balance Sheet), शेयरधारकों हेतु निदेशक मंडल की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षक (Statutory Auditor) तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) की रिपोर्ट तथा इन सभी रिपोर्टों पर प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा विधिवत संस्तुति (recommended) की गई है, पर विचार एवं अनुमोदन करना।

आगे यह भी निर्णय लिया जाता है कि वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, तथा वार्षिक आम सभा (AGM) को निर्धारित वैधानिक समय-सीमा के भीतर आयोजित करने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल की स्वीकृति की प्रत्याशा (anticipation) में प्रबंध निदेशक एवं कंपनी सचिव द्वारा AGM की तिथि निर्धारण, वैधानिक सूचना जारी करने तथा इससे संबंधित सभी कार्यों हेतु किए गए समस्त अग्रिम कार्यों को इसके द्वारा अनुमोदित, पुष्टि एवं कार्योत्तर स्वीकृति (ratified and confirmed) प्रदान की जाती है।

आगे यह भी निर्णय लिया जाता है कि कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के क्रम में सभी वैधानिक (statutory) प्रपत्र/फॉर्म दाखिल (file) करने, तथा इसके अनुपालन से संबंधित अन्य समस्त आवश्यक प्रक्रियात्मक कार्य संपादित करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

एजेंडा मद संख्या : 21.02

लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं उन के पारिश्रमिक (Remuneration) का निर्धारण

20वीं वार्षिक आम सभा (AGM) के समापन के पश्चात, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा M/s Naveen Upadhyaya & Associates को वैधानिक लेखा परीक्षक (Statutory Auditors) के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका पारिश्रमिक निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया गया तथा अन्य सभी वैधानिक अनुपालन प्रक्रियाएँ (statutory compliances) पूर्ण कर ली गई थीं।

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा अभी तक वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है। उक्त लेखा परीक्षक की नियुक्ति होने तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण निदेशक मंडल द्वारा किए जाने के पश्चात, सभी अन्य वैधानिक औपचारिकताएँ पूर्ण की जाएँगी, तथा इसकी सूचना एवं कार्योत्तर अनुमोदन/पुष्टि (ratification) सदस्यों के समक्ष अगली वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत की जाएगी।

इस संदर्भ में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार कर इसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करें:

निर्णय लिया जाता है कि सदस्यों की सहमति, निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाने की प्रत्याशा में,
प्रबंध निदेशक, कंपनी सचिव एवं मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वैधानिक औपचारिकताओं एवं इससे संबंधित सभी कानूनी/वैधानिक कार्यों (legal/statutory actions) को निष्पादित करने हेतु पुष्टि एवं अनुमोदन प्रदान की जाती है, और ऐसे समस्त कार्यों को इसके द्वारा सूचनार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति (ratified/confirmed) प्रदान की जाती है।

(अरुण सभरवाल) **कंपनी सचिव**	**(पी.सी. ध्यानी)** **प्रबंध निदेशक**	**(आनंद बर्धन)** **अध्यक्ष**

and the Board of Directors of the company to appoint M/s Naveen Upadhyaya & Associates as the Statutory Auditor of the company for Financial Year 2024-25 on the advice of the Comptroller and Auditor General of India and fixation of their remuneration of Rs. 6.50.000/- plus G.ST. along with TA & DA at actual.

RESOLVED FURTHER THAT the Managing Director the Company Secretary the Chief Financial Officer and the Board of Directors be and are hereby authorized to take all legal actions to appoint and fix the remuneration of statutory auditors for Financial Year 2025-26 on the advice of the Comptroller and Auditor General of India, as and when received and perform all other legal and statutory actions related thereto.

RESOLVED FURTHER THAT the action so taken shall be reported in the next Annual General Meeting

AGENDA ITEM NO: 21.03

Declaration of Dividend for the Financial Year 2024-2025.

The members considered the recommendations of the Board of Directors While consenting to their recommendations, the members passed the following resolution unanimously

RESOLVED THAT the consent of the Annual General Meeting be and is hereby accorded to declare a full and final dividend of Rs. 14.34 per equity share of face value of Rs. 1000 each, fatal amounting to Rs. 12.43.26.000 to be paid to the shareholders as on 31.03.2025.

RESOLVED FURTHER THAT Chief Finance Officer Shri Manoj Kumar and Company Secretary Shri Arun Sabharwal be and are hereby authorized to perform all other legal actions in furtherance of this dividend.

AGENDA ITEM NO: 21.04

To note changes in Board of Directors and Key Managerial Persons of the Company for the period 1st April, 2024 till 31 March, 2025.

The members look note of the changes in the Board of Directors of the Company. They welcomed the new directors and the Key Managerial Persons, who had joined in the period starting from last Annual General Meeting till this Annual General Meeting and placed on record their sincere thanks and deep appreciation for the valuable services rendered by the outgoing Directors during the tenure of their respective offices.

(Arun Sabharwal) **Company Secretary**	**(P.C. Dhyani)** **Managing Director**	**(Anand Bardhan)** **Chairman**

तथा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) के निर्देशानुसार, M/s नवीन उपाध्याय एवं एसोसिएट्स को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखा-परीक्षक (Statutory Auditor) के रूप में नियुक्त करने तथा उनका पारिश्रमिक ₹6,50,000/- (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र), जी.एस.टी. (GST) सहित, साथ ही यात्रा एवं दैनिक भत्ता (TA/DA) वास्तविक व्यय (actual basis) पर देने के निर्धारण का अनुमोदन किया जाता है।

आगे यह भी निर्णय लिया जाता है कि प्रबंध निदेशक, कंपनी सचिव, मुख्य वित्त अधिकारी तथा निदेशक मंडल/बोर्ड को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) की सलाह/निर्देश प्राप्त होने पर, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वैधानिक लेखा-परीक्षक की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक निर्धारण तथा उससे संबंधित समस्त आवश्यक कानूनी एवं वैधानिक कार्यवाही (legal and statutory actions) करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

आगे यह भी निर्णय लिया जाता है कि इस संबंध में उठाए गए कदम/की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अगली वार्षिक आम सभा (AGM) में प्रस्तुत की जाएगी।

<u>एजेंडा मद संख्या : 21.03</u>

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए लाभांश (Dividend) की घोषणा

सदस्यों ने निदेशक मंडल की संस्तुतियों पर विचार किया तथा उन्हें स्वीकार करते हुए निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया:

निर्णय लिया जाता है कि वार्षिक आम सभा की सहमति से ₹14.34 प्रति इक्विटी शेयर, जिसकी अंकित/नाममात्र (फेस) मूल्य ₹1000 प्रति शेयर है, के आधार पर पूर्ण एवं अंतिम लाभांश (full and final dividend) घोषित किया जाता है, जो कुल मिलाकर ₹12,43,26,000/- (रुपये बारह करोड़ तैंतालीस लाख छब्बीस हजार मात्र) होता है। यह लाभांश 31.03.2025 की स्थिति अनुसार पात्र शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा।

आगे यह भी निर्णय लिया जाता है कि मुख्य वित्त अधिकारी श्री मनोज कुमार तथा कंपनी सचिव श्री अरुण सभरवाल को इस लाभांश से संबंधित सभी कानूनी एवं वैधानिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

<u>एजेंडा मद संख्या : 21.04</u>

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि हेतु निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (KMP) में हुए परिवर्तनों की संज्ञान/जानकारी

सदस्यों ने कंपनी के निदेशक मंडल में हुए परिवर्तनों का संज्ञान लिया। उन्होंने नवनियुक्त निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (KMP) का स्वागत किया, जो पिछली वार्षिक आम सभा से लेकर वर्तमान AGM तक की अवधि में कंपनी से जुड़े हैं।

सदस्यों ने अपने-अपने कार्यकाल (tenure) के दौरान पद छोड़ने वाले (निवर्तमान) निदेशकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं हेतु गहन आभार, सराहना एवं धन्यवाद अभिलेख/मिनट्स में दर्ज किया।

(अरुण सभरवाल) **कंपनी सचिव**	**(पी.सी. ध्यानी)** **प्रबंध निदेशक**	**(आनंद बर्धन)** **अध्यक्ष**

After consideration the members had passed the following resolution

RESOLVED THAT the consent of the members be and is hereby accorded to ratify the actions taken by the Managing Director, the Company Secretary and the Board of Directors for the appointment and cessation of the members of the Board of Directors in compliance with the decision taken by Government of Uttarakhand as depicted in the Agenda.

RESOLVED FURTHER THAT similar information of the changes in the Financial Year 2025-26 shall be put up for information and ratification of the members in the next Annual General Meeting

AGENDA ITEM NO: 21.05

TO BE PASSED AS A SPECIAL RESOLUTION

Status note on Allotment of Equity Shares to Government of Uttarakhand during Financial Year 2024-25.

The Company Secretary explained the legal provisions as detailed in the explanatory statement attached to the agenda note in terms of Section 102 of The Companies Act. 2013. Based upon the recommendation of the Board of Directors and after consideration the members passed the following resolution unanimously.

RESOLVED THAT the consent of the members be and is hereby accorded to ratify the decision taken by the Company Secretary the Managing Director and the Board of Directors to issue equity share capital against the money received from Government of Uttarakhand during the Financial Year under report to finance the various projects and action taken by them to complete all statutory compliance.

RESOLVED FURTHER THAT none of the directors and KMP's is deemed to be an interested party for the purpose of this resolution in terms of Section 102 (1)(a) of The Companies Act. 2013.

(Arun Sabharwal) **Company Secretary**	**(P.C. Dhyani)** **Managing Director**	**(Anand Bardhan)** **Chairman**

विचारोपरांत सदस्यों ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया:

निर्णय लिया जाता है कि सदस्यों की सहमति द्वारा, निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदत्याग (Cessation) के संबंध में, एजेंडा में उल्लिखित अनुसार, उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन में प्रबंध निदेशक, कंपनी सचिव तथा निदेशक मंडल द्वारा की गई समस्त कार्यवाही को पुष्टि एवं कार्योत्तर अनुमोदन (ratification) प्रदान किया जाता है।

आगे यह भी निर्णय लिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (KMP) में होने वाले इसी प्रकार के परिवर्तनों की सूचना एवं अनुमोदनार्थ विवरण सदस्यों के समक्ष अगली वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

एजेंडा मद संख्या : 21.05

विशेष प्रस्ताव (Special Resolution) के रूप में पारित किया जाना है

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तराखंड सरकार को इक्विटी शेयर आवंटन (Allotment) पर स्थिति टिप्पणी

कंपनी सचिव द्वारा, एजेंडा के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के तहत लागू कानूनी प्रावधानों की जानकारी सभा को दी गई। निदेशक मंडल की संस्तुति तथा विचार-विमर्श के पश्चात सदस्यों द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया:

निर्णय लिया जाता है कि सदस्यों द्वारा, वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार से प्राप्त धनराशि के बदले, विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण (Finance) हेतु इक्विटी शेयर पूँजी जारी करने, तथा इस जारीकरण से संबंधित सभी वैधानिक अनुपालन (statutory compliances) पूर्ण करने हेतु कंपनी सचिव, प्रबंध निदेशक तथा निदेशक मंडल द्वारा की गई कार्यवाही को पुष्टि एवं अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

आगे यह भी निर्णय लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 (1)(a) के तहत, इस प्रस्ताव के संदर्भ में कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (KMP) हितबद्ध पक्ष (Interested Party) नहीं माना जाएगा।

(अरुण सभरवाल) **कंपनी सचिव**	**(पी.सी. ध्यानी)** **प्रबंध निदेशक**	**(आनंद बर्धन)** **अध्यक्ष**

CONCLUSION

The members expressed their satisfaction on the timely completion of the Financial Statements and other statutory requirements. The members also noted with immense pleasure that, the milestone of completing the Annual General Meeting before 30th September has been achieved for the third year in succession. The members also noticed with satisfaction that the Company has been able to obtain NIL comments from the Comptroller and Auditor General of India. The members applauded the efforts of the Corporation management and placed in record their sincere thanks and deep appreciation towards the efforts put in by the Honorable Chairman, Chairman Audit Committee, Managing Director. Chief Finance Officer. Company Secretary along with their entire team. but for their efforts achieving these milestone could not have been possible.

The Managing Director proposed a vote of thanks to Chairman, all shareholders. Chairman Audit Committee, Independent Directors, Government Directors, Non-Government Directors and the Company Secretary for their continued support

The meeting concluded with the vote of thanks to the Chair at 18: 10 Hours

(Arun Sabharwal)	(P.C. Dhyani)	(Anand Bardhan)
Company Secretary	Managing Director	Chairman

Place: Dehradun
Date:

निष्कर्ष

सदस्यों ने वित्तीय विवरणों एवं अन्य वैधानिक आवश्यकताओं को समय पर पूर्ण किए जाने पर संतोष व्यक्त किया। सदस्यों ने अत्यंत हर्ष के साथ यह भी संज्ञान लिया कि 30 सितम्बर से पूर्व वार्षिक आम सभा (AGM) आयोजित करने का लक्ष्य लगातार तीसरे वर्ष सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। सदस्यों ने यह भी संतोष व्यक्त किया कि कंपनी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) से शून्य/शून्य टिप्पणियाँ (NIL comments) प्राप्त हुई हैं।

सदस्यों ने निगम प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की तथा अभिलेख में माननीय अध्यक्ष, लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य वित्त अधिकारी, कंपनी सचिव तथा उनकी संपूर्ण टीम द्वारा किए गए प्रयासों हेतु हार्दिक धन्यवाद एवं गहन प्रशंसा दर्ज की। यह भी कहा गया कि इनके अथक प्रयासों के बिना इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं मील के पत्थरों को प्राप्त करना संभव नहीं होता।

प्रबंध निदेशक ने अध्यक्ष, सभी शेयरधारकों, लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशकों, सरकारी निदेशकों, गैर-सरकारी निदेशकों तथा कंपनी सचिव के निरंतर सहयोग एवं समर्थन हेतु धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

बैठक का समापन अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सायं 18:10 बजे किया गया।

(अरुण सभरवाल) **कंपनी सचिव**	**(पी.सी. ध्यानी)** **प्रबंध निदेशक**	**(आनंद बर्धन)** **अध्यक्ष**

स्थान : देहरादून
दिनांक :